


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन



बिहार सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय-सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
विहंगावलोकन	-	vii – xv
अध्याय-I		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का क्रियाकलाप	1	
परिचय	1.1	1
उत्तरदायित्व रूपरेखा	1.2-1.4	1-2
बिहार सरकार का अंश	1.5	2-3
राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश	1.6-1.7	3-5
वर्तमान वर्ष की अवधि में विशेष सहायता एवं प्रतिफल	1.8	5-6
वित्तीय लेखों के साथ समाशोधन	1.9	6-7
लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये	1.10-1.12	7-9
अन्तिमीकरण नहीं किए गए लेखाओं का प्रभाव	1.13	9
पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.14	9-11
अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य-निष्पादन	1.15-1.18	11-13
अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन	1.19-1.20	13-14
लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.21-1.22	14-15
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.23	15
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया	1.24-1.26	15-17
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुर्नसंरचना	1.27	17
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा	2	
बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	19-48
बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	49-75
बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों की वितरण फ्रेन्चाइजी के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा	2.3	77-92

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा	2.4	93-100
अध्याय- III		
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण		
सरकारी कम्पनियाँ		
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
ऊर्जा का अनाधिकृत प्रयोग	3.1	101-102
उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.2	103-104
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	3.3	104-105
एच0टी0एस0 उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	3.4	105-106
पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि	3.5	106-107
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	3.6	107-109
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ	3.7	109-110
बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड		
सलाहकार को अनियमित भुगतान एवं अनुचित लाभ	3.8	111-112
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड		
ब्याज का परिहार्य भुगतान	3.9	112-113
बिहार स्टेट बिबरजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड		
आपूर्तिकर्ता को अत्यधिक भुगतान	3.10	113-114

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड			
वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता		3.11	114-115
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड			
संवेदक को अनुचित लाभ		3.12	115-117
परिशिष्ट			
1.1	अद्यतन अन्तिमीकृत विवरणियों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम	1.1 एवं 1.15	119-125
1.2	सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये म हैं, ेंम राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी	1.11	126-127
2.1.1	31 मार्च 2016 को स्थापित लघु जलविद्युत परियोजनाओं की सूची	2.1.1	128
2.1.2	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणाम	2.1.6	129
2.1.3	क) लघु जलविद्युत परियोजना हेतु कम्पनी द्वारा उपयोग किया गया प्लांट लोड फैक्टर (पी0एल0एफ0) को दर्शाने वाली विवरणी ख) कम्पनी की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु प्लांट उपलब्धता को दर्शाने वाली विवरणी ग) कम्पनी की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु आउटेजेज को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.10	130-131
2.1.4	क) अ VIII योजना के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.15	132
	ख) आर0आई0डी0एफ0 फेज VIII योजना के अंतर्गत अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.17 एवं 2.1.18	132

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
	ग) असैनिक कार्य एवं विद्युत यांत्रिक कार्यों को प्रदान करने हेतु अनुबंध का रद्दीकरण तेजपुरा, वालीदाद एवं पहरमा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विवरणी	2.1.19	133
	घ) अपूर्ण आर0आई0डी0एफ0 फेज XIII, XV, XVI एव XVII परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.17 एवं 2.1.20	133
	ड) राज्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.24	134
2.2.1	विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के उद्देश्यों को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.1	135-136
2.2.2	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.6	137-138
2.2.3	बिहार सरकार के विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सुपुर्द किये गए विविध परियोजनाओं को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.16	139-142
2.3.1	2014-15 से 2015-16 में तीनों वितरण फ्रेंचाइजी के लिए आयोजित ए0टी0 एण्ड सी0 के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.4	143-144
2.3.2	अत्यधिक विपत्रीकरण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.9	145
2.3.3	मीटर किराया शामिल नहीं करने के कारण ऊर्जा चार्ज की अल्प वसूली को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10	146-147
2.3.4	अनुबंध की अवधि में आवश्यक साख पत्र को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.14	148
2.3.5	2013-14 से 2015-16 के अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें एवं उनके निवारण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.15	149

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 की प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानद सम्मिलित कम्पनियाँ) की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक द्वारा अभिप्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा, सी0ए0जी0 के अधिकारियों द्वारा, की जाती है जिस पर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षक (सन्दी लेखाकार) के प्रतिवेदनों को समपूरक करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की सी0ए0जी0 द्वारा नमूना जाँच भी की जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19-क के अन्तर्गत विधान सभा के पटल पर उपस्थापित करने हेतु सी0ए0जी0, सरकारी कम्पनी एवं सांविधिक निगम की लेखाओं के संबंध में, प्रतिवेदन, सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2015-16 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये और साथ-साथ वे मामलें भी है जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके थे। 2015-16 के उपरान्त की अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामलों में लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप, संचालित की गई हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय I में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्य प्रणाली, अध्याय II में दो निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा दो लेखापरीक्षा अर्थात् बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों के वितरण फ्रेन्चाइजी की कार्य निष्पादन की लेखापरीक्षा तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा अध्याय III में सरकारी एवं कम्पनियों के अनुपालन प्रतिवेदन से सम्बन्धित 12 कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 316.39 करोड़ का है।

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0)का क्रियाकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 से अधिशासित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों के अनुसार अधिशासित होती है। 31 मार्च 2016 को, बिहार राज्य में 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 (31 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) तथा 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं। अपनी अन्तिमीकृत अद्यतन लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 12879.76 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया तथा 30 सितम्बर 2016 तक अपनी अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 599.66 करोड़ की हानि वहन की।

(कंडिकाएँ 1.1, 1.2, एवं 1.3)

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

31 मार्च 2016 को, राज्य के 74 सा0क्षे0उ0 में ₹ 46693.55 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था। यह 277.33 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 के ₹ 12374.75 करोड़ से 2015-16 में ₹ 46693.55 करोड़ हो गयी। यह वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के कारण था जो 2015-16 में कुल निवेश का 82.63 प्रतिशत था। सरकार ने, 2015-16 के दौरान, ₹ 13791.96 करोड़ अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसहाय्यों के लिए योगदान दिया।

(कंडिकाएँ 1.6, 1.7 एवं 1.8)

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य-निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, 15 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 544.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 14 सा0क्षे0उ0 ने ₹ 1144.63 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा0क्षे0उ0 में से तीन सा0क्षे0उ0 के लेखाओं में शून्य लाभ/हानि शामिल थे एवं दो सा0क्षे0उ0 ने अभी तक अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये थे।

(कंडिका 1.16)

लेखाओं की गुणवत्ता

सा0क्षे0उ0 के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2015 और सितम्बर 2016 के मध्य अन्तिमीकृत 17 कार्यशील कम्पनियों के 39 लेखाओं में से, सभी 39 लेखाओं पर, सांविधिक अंकेक्षकों ने सशर्त प्रमाण-पत्र दिया। आठ लेखाओं में 26 ऐसे मामले थे जहाँ कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

(कंडिका 1.21)

लेखाओं का बकाया एवं समापन

34 कार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, केवल तीन सा0क्षे0उ0 ने वर्ष 2015-16 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 31 कार्यशील सा0क्षे0उ0 के विरुद्ध 202 लेखाएँ 30 सितम्बर 2016 को एक से 25 वर्षों की अवधि के लिए अन्तिमीकरण को बकाया थे। 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे एवं शेष 35 सा0क्षे0उ0 में 952 लेखाएँ बकाये में थी जिनकी अवधि आठ से 39 वर्षों तक थी। राज्य सरकार ने 17 सा0क्षे0उ0 में ₹ 16,239.49 करोड़ (अंश : ₹ 7,478.86 करोड़ (5 सा0क्षे0उ0), ऋण : ₹ 2,255.78 करोड़ (10 सा0क्षे0उ0), अनुदान : ₹ 1,435.14 करोड़ (9 सा0क्षे0उ0) तथा अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 5,069.71 करोड़ (7 सा0क्षे0उ0)} का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। लेखाओं के अन्तिमीकरण तथा तदोपरांत उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी या नहीं। इस प्रकार, इन सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की जाँच के दायरे से बाहर रहा।

(कंडिकाएँ 1.10, 1.11 एवं 1.12)

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उपस्थापन

दो निगमों के तीन से 32 वर्षों तक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एस0ए0आर0) राज्य विधानमंडल में उपस्थापित नहीं किया गया था। यह वैधानिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है तथा वैधानिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही को भी गौण करता है।

(कंडिका 1.14)

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से, पाँच न्यायालय के द्वारा समापन की प्रक्रिया में थे तथा अन्य पाँच के संबंध में, राज्य सरकार के समापन आदेश के बाद भी समापन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी।

(कंडिका 1.20)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

प्रशासकीय विभागों द्वारा भारत के के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण इसके विधायिका में प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करना चाहिए। 72 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से, 13 विभागों की 33 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ जो विगत पाँच वर्षों में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गईं, प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2016)।

(कंडिका 1.24)

2.1 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1982 में एक पूर्ण स्वामित्ववाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था और वर्तमान में यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनके रख-रखाव, ऊर्जा का उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है।

31 मार्च 2016 को कम्पनी के पास 13 कार्यशील लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (एस0एच0पी0) थीं, जिनकी स्थापित क्षमता 54.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का था एवं 35.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 16 परियोजनाएँ का कार्य प्रगति में था।

एस0एच0पी0 में जल की आपूर्ति जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू0आर0डी0), बिहार सरकार के नहरों से की जाती है। ये नहरें तीन बराजों से जुड़ी हुई है नामतः डेहरी में सोन नदी पर निर्मित इन्द्रपुरी बराज, वाल्मिकी नगर में गंडक नदी पर वाल्मिकी नगर बराज और कटैया में कोसी नदी पर वीरपुर बराज है। इन्द्रपुरी बराज 10 एस0एच0पी0 (17.10 मेगावाट) के जल के आवश्यकता को पूर्ति करता है, और वाल्मिकी नगर और वीरपुर बराज तीन एस0एच0पी0 (37.20 मेगावाट) के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कम्पनी से बिना परामर्श के, डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा सिंचाई के लिए जल छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।

कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में कमी आयी और यह 2011-12 के 40.65 मिलियन युनिट्स (एम0यू0) से घटकर 2015-16 में 33.16 एम0यू0 हो गयी। यह मुख्यतः एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता और डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा कम मात्रा में जल आपूर्ति के कारण था। अग्रतर, ऊर्जा आपूर्ति के वितरण प्रणाली की कमी के कारण पाँच एस0एच0पी0 का ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थे :

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

2011-16 की अवधि के दौरान, ऊर्जा उत्पादन की लागत ₹ 8.13 प्रति इकाई और ₹ 12.36 प्रति इकाई के बीच था। तथापि कम्पनी द्वारा डिस्कॉम को, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) की अनुमोदित दर, ₹ 2.49 प्रति युनिट, पर ही उक्त अवधि में ऊर्जा का विक्रय किया गया था। कम्पनी का विक्रय मूल्य 2015-16 के दौरान डिस्कॉम के ₹ 4.12 प्रति इकाई की औसत ऊर्जा खरीद दर से भी कम था।

इस कारण से, कम्पनी को 2011-16 के दौरान ₹ 5.64 प्रति इकाई से ₹ 9.87 प्रति इकाई के राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी। कम्पनी ने 2011-16 के दौरान 213.14 (एम0यू0) ऊर्जा का विक्रय किया जिस पर कम्पनी को ₹ 147.66 करोड़ की हानि हुई थी। अवधि 2011-16 के दौरान, बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित दर स्थिर रहा क्योंकि कम्पनी 2001-02 से ही वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण 2010-11 से कम्पनी टैरिफ याचिका दाखिल नहीं कर पायी थी। तथापि, कम्पनी की ऊर्जा उत्पादन लागत 2011-16 की अवधि में बढ़ गई थी क्योंकि इसका प्रमुख घटक तत्व, ऋण पर ब्याज लागत 2011-12 में 47.52 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 61.39 प्रतिशत हो गई थी और ऊर्जा उत्पादन में कमी हुई थी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी यदि भविष्य में डिस्कॉम के औसत ऊर्जा खरीद दर के समतुल्य टैरिफ का अनुमोदन बी0ई0आर0सी0 से प्राप्त कर भी लेती है, तब भी उत्पादन लागत की अल्प वसूली की स्थिति बनी रहेगी। इस तरह कम्पनी व्यावसायिक रूप से सफल होने हेतु ब्रेक इवन प्वाइंट की स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी।

कम्पनी में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 570.47 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी ₹ 99.04 करोड़ (17.36 प्रतिशत) और ऋण ₹ 471.43 करोड़ (82.64 प्रतिशत) था। यह इंगित करता है कि कम्पनी ऋण निधि पर पूरी तरह आश्रित था। उक्त अवधि के दौरान कम्पनी को सभी वर्षों में हानि हुई थी जिसके कारण 2015-16 में संचित हानि ₹ 231.50 करोड़ हो गई थी। फलस्वरूप कम्पनी की पूँजी पूर्ण रूप से क्षय हो गई थी। कम्पनी का शुद्ध मूल्य 2011-12 से सभी वर्षों में नकारात्मक (-) ₹ 23.73 करोड़ और (-) ₹ 132.46 करोड़ के बीच थी।

(कड़िकाएँ 2.1.6 एवं 2.1.7)

कम्पनी की परिचालन कुशलता

प्लान्ट लोड फैक्टर

बी0ई0आर0सी0 के मानक के अनुसार एस0एच0पी0 से 417 (एम0यू0) का ऊर्जा उत्पादन होना था, जबकि 2011-16 के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 213.14 एम0यू0 ही था। ऊर्जा उत्पादन में 203.86 (एम0यू0) (48.89 प्रतिशत) की कमी के कारण ₹ 50.76 करोड़ के राजस्व हानि हुई थी।

2011-12 से 2015-16 के दौरान स्थापित क्षमता के तुलना में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन (प्लान्ट लोड फैक्टर) 11.79 प्रतिशत और 19.56 प्रतिशत के बीच था। तथापि, बी0ई0आर0सी0 के लिए पी0एल0एफ0 का मानक 30 प्रतिशत था। बी0ई0आर0सी0 के मानक अनुसार पी0एल0एफ0 प्राप्त नहीं होने का मुख्य कारण लम्बी अवधि के लिए संयंत्र की बंदी के कारण संयंत्र की कम उपलब्धता थी।

नमूना जाँच में पाँच एस0एच0पी0 में पाया गया था कि लम्बी अवधि के लिए संयंत्र के बन्दी का मुख्य कारण (1) एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता/कम मात्रा जो 2011-12 से 2015-16 के दौरान उपलब्ध घण्टे का 39 से 66 प्रतिशत के बीच था (2) खराब मरम्मत और रख-रखाव के कारण एस0एच0पी0 की बंदी जो उपलब्ध घण्टे का एक से 23 प्रतिशत था, और (3) ऊर्जा के आपूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क की कमी जो 2011-16 की अवधि के दौरान उपलब्ध घण्टे का छः से 18 प्रतिशत के बीच था।

संयंत्र उपलब्धता

कम्पनी की संयंत्र उपलब्धता 35.42 प्रतिशत (2011-12) से 12.65 प्रतिशत (2015-16) के बीच थी। तथापि डी0पी0आर0 के अनुसार संयंत्र उपलब्धता का मानक 67 प्रतिशत था। अल्प संख्या में उपलब्धता का मुख्य कारण जल की अनुपलब्धता/अल्प मात्रा, मशीनों का निम्न मरम्मत और रख-रखाव आदि के कारण दीर्घावधि के लिए संयंत्र की बन्दी था।

(कंडिका 2.1.10)

पूँजीगत कार्यों का कार्यान्वयन

आठ परियोजनाएँ/एस0एच0पी0 ₹ 49.92 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 102.79 करोड़ व्यय कर पूर्ण की गई थी। इन परियोजनाओं पर ₹ 52.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अन्य परियोजनाओं से निधि का विचलन कर के की गई थी, जो अनियमित था।

इसके अलावा, निर्माणाधीन 16 एस0एच0पी0 और एक स्केप चैनल का कार्य दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से कार्यान्वयन में विलम्ब और कम्पनी के द्वारा वित्तीय बाधाओं का सामना करने के कारण विलम्बित था। इस कारण ₹ 543.87 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध थी।

उपर्युक्त 17 अपूर्ण परियोजनाएँ, जो दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से निलम्बित थी के कारण न केवल निधि अवरुद्ध हुआ बल्कि परियोजनाओं के असैनिक संरचनाओं के खुले वातावरण के संपर्क में रहने से, उनकी भौतिक स्थिति में भी गिरावट आयी और कार्य पुनः आरम्भ करने के समय, उनके पूर्ण उपयोग पर फिर से अतिरिक्त व्यय होगा। इसके अतिरिक्त, इन अपूर्ण परियोजनाएँ में संयंत्र और मशीनरी स्थापित है और विद्युत यांत्रिक सामग्री जो स्थल/गोदामों में पड़ी हुई थी, वह भी अप्रचलन/नुकसान और चोरी के अभिमुख था। यह इसके आर्थिक उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 के विद्युत-यांत्रिक सामग्री, जिनका मूल्य ₹ 4.50 करोड़ था और जो दिसम्बर 2014 तक आपूर्ति की गई थी, वे स्थल पर दो से चार वर्षों से बिना उपयोग के पड़ी हुई थी और उन पर किया गया व्यय अवरुद्ध और निष्फल था।

(कड़िकाएँ 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.20 एवं 2.2.21)

2.2 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 21 फरवरी 1978 को बिहार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। कम्पनी सूचना एवं तकनीकी विभाग (डी0आई0टी0), बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था। कम्पनी ने, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, अपने कार्यों को मुख्यतः बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव पर केन्द्रित रखा। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 35 परियोजनाओं (एन0ई0जी0पी0 की पाँच परियोजनाएँ सहित) का क्रियान्वयन किया जिसमें से 28 परियोजनाओं को पूर्ण किया।

कम्पनी के निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न थे :

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने आई0टी0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अनुबंधों में केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी0वी0सी0) के मोबिलाइजेशन अग्रिम से संबंधित दिशा-निर्देशों को सम्मिलित करने में विफल रही जिस कारण तीन परियोजनाओं में संवेदको को कुल ₹ 16.64 करोड़ के अनियमित अग्रिम दिये गये।

कम्पनी विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीक (विद्यालयों में आई0सी0टी0) परियोजना के क्रियान्वयन में, अतिरिक्त परियोजना निधि की राशि ₹ 32.89 करोड़ मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार को समर्पित करने में विफल रही जबकि परियोजना जुलाई 2007 में शुरू और जुलाई 2015 में पूर्ण हो गयी थी।

कम्पनी अपनी निधि को बिना ऑटो स्वीप सुविधा के बचत खाते में रखे रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के ब्याज से होने वाली आय की हानि वहन करनी पड़ी।

(कड़िकाएँ 2.2.12, 2.2.8 एवं 2.2.10)

परियोजना नियोजन

कम्पनी का परियोजना हेतु नियोजन निर्माण त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें निविदा पूर्व गतिविधियों हेतु समय सीमा नहीं निर्धारित की थी, जिसके फलस्वरूप इसने तीन परियोजनाओं (एस0डी0सी0, एस0एस0डी0जी0 एवं बिस्वान) के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) निर्माण में 30 महीने तथा निविदा के अन्तिमीकरण (एस0डी0सी0 परियोजना) में 22 महीने का समय लिया। इस प्रकार, सौंपी गई परियोजनाएँ काफी विलंबित हो गई क्योंकि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निविदा पूर्व गतिविधियों पर काफी समय व्यतीत किया गया था। इसके अतिरिक्त, डी0आई0टी0 ने भी, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में कहा कि वे कम्पनी द्वारा क्रियान्वित परियोजना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे।

कम्पनी वैधता अवधि में निविदा के अन्तिमीकरण में विफल रही तथा ₹ 2.43 करोड़ मूल्य के आई0टी0 सामग्रियों का क्रय टुकड़ों में किया जो अभी तक (नवम्बर 2016)

अधिष्ठापित नहीं हो सकी थी एवं बेकार पड़ी थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं, इसका आकलन करने हेतु निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, डी0आई0टी0 ने कहा कि इसकी प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि कम्पनी द्वारा परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका।

(कंडिकाएँ 2.2.14 एवं 2.2.15)

आई0टी0 परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं अन्य गतिविधियाँ

बिहार वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में बिना निविदा आमंत्रित किये ही ₹ 26.78 करोड़ की तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्य संवेदकों को प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार, कम्पनी ने, सी0वी0सी0 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, सात परियोजनाओं में ₹ 9.08 करोड़ मूल्य के परामर्शी कार्य को परामर्शियों को नामांकन के आधार पर दे दिया था जिसके लिए अभिलेखों में कोई औचित्य/कारण दर्ज नहीं किया गया था।

बिस्वान, ई-पी0डी0एस0, एस0डी0सी0, विद्यालयों में आई0सी0टी0 एवं सी0ए0एल0 परियोजनाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.35 करोड़ मूल्य की हानि/परिहार्य अधिक व्यय हुआ तथा आई0टी0 उपकरण बेकार पड़े रहे।

ई-टेंडरिंग परियोजनाओं में ई-पेमेन्ट सुविधा के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण कम्पनी के कुल ₹ 11.91 करोड़ मूल्य के निविदा प्रक्रिया शुल्क (टी0पी0एफ0) की वसूली अभी तक नहीं हो सकी थी (नवम्बर 2016)।

(कंडिकाएँ 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.22, 2.2.24 एवं 2.2.26)

अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण

संवेदक द्वारा स्थापित 244 विद्यालयों में से, 16 विद्यालयों में, कम्प्यूटर आधारित शिक्षण (सी0ए0एल0) परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर केन्द्रों का संचालन सभी हार्डवेयरों की चोरी के कारण नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बी0ई0पी0 (उपयोगकर्ता विभाग) ने, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में कहा गया कि उद्देश्यों की पूर्णतः प्राप्ति नहीं हुई थी। बी0ई0पी0 द्वारा यह भी कहा गया था कि उपकरणों की चोरी के मामले का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया गया था तथा इन स्थानों को कम्पनी द्वारा पुनः संचालित नहीं किया गया था।

इस प्रकार निर्मित ₹ 15.09 करोड़ की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण नवम्बर 2016 तक जिला ई0-गर्वनेंस सोसाईटी को नहीं किया गया था। इस प्रकार अप्रभावी अनुश्रवण के कारण, कम्पनी द्वारा, किये गये व्यय से प्राप्त होने वाले लाभों का प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में डी0आई0टी0 ने कहा कि कम्पनी द्वारा परियोजना का प्रबंधन कुशलतापूर्वक नहीं किया गया था क्योंकि गया जिला के अंतिम स्वीकृति परीक्षण को पूर्ण नहीं किया गया था और परियोजनाओं को भी संचालित नहीं किय गया।

कम्पनी का अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थे और आई0टी0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परामर्शियों पर अति निर्भरता थी। कम्पनी द्वारा अनुबंधों के अनुपालन में विफलता के फलस्वरूप परामर्शियों के भुगतान के मद में ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य अधिक व्यय हुआ।

(कंडिकाएँ 2.2.34, 2.2.36 एवं 2.2.31)

2.3 बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों की वितरण फ्रेंचाइजी के कार्यानिष्ठादन की लेखापरीक्षा

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०) का गठन अपनी वितरण प्रणाली के परिचालन एवं वाणिज्यिक कुशलता एवं अपने उपभोक्ताओं के प्रति सेवा में गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किया गया था। कम्पनी ने लोक-निजी सहभागिता द्वारा बिजली वितरण में प्रबन्ध की विशेषज्ञता लाने हेतु परिकल्पना की थी जिसके लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत प्रतिपादित, राज्य के शहरी क्षेत्रों में इनपुट के आधार पर वितरण फ्रेंचाइजी प्रणाली लागू किया। एग्रीगेट टेक्निकल एवं कॉमर्शियल (ए०टी० एण्ड सी०) हानियों को कम करने, मीटरिंग, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण में सुधार, राजस्व के बकायों को कम करने एवं सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर उपभोक्ता संतुष्टिकरण को बढ़ाना ही वितरण फ्रेंचाइजियों (डी०एफ०) की नियुक्ति का उद्देश्य था।

वितरण फ्रेंचाइजी के निष्ठादन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित है:

संचालनात्मक दक्षता

वितरण फ्रेंचाइजी मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया के संबंध में आधार वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए०टी० एण्ड सी०) हानि में क्रमशः 58 प्रतिशत से 52.04 प्रतिशत, 68.55 प्रतिशत से 66.95 प्रतिशत तथा 69.24 प्रतिशत से 62.90 प्रतिशत की कमी देखी गयी। हालांकि डी०एफ०, वितरण लाइसेंसी द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा के अंदर ए०टी० एण्ड सी० हानि को रोकने में विफल रहा।

(कंडिका 2.3.4)

वित्तीय प्रबंध

वितरण लाइसेंसी (डी०एल०) औसत विपत्रीकरण दर (ए०बी०आर०) को अंतिम रूप देने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप डी०एफ० द्वारा ₹ 308.92 करोड़ के एकतरफा समायोजन का सामना करना पड़ा। ए०बी०आर० में कमी मुख्यतः उपभोक्ताओं को 30.67 एम०यू० के अत्यधिक विपत्रीकरण करने एवं मीटर किराया शामिल नहीं करने के कारण हुआ जो ए०बी०आर० का एक घटक था। इस प्रकार वितरण फ्रेंचाइजी से ₹ 20.30 करोड़ के ऊर्जा विपत्रों की कम वसूली हुई।

वितरण लाइसेंसी (डी०एल०) द्वारा निगरानी के अभाव का परिणाम वितरण फ्रेंचाइजी (डी०एफ०) द्वारा विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा के संग्रह संबंधी सूचना वितरण लाइसेंसी को देने में विलंब हुआ। इस विफलता के कारण डी०एफ० ₹ 10.31 करोड़ की संग्रहित राशि, डी०एल० को भेजने में असफल रहा, जिसके कारण डी०एल० को ₹ 2.03 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। डी०एफ० गया एवं भागलपुर ने साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं से ₹ 26.86 करोड़ का बकाया राशि प्राप्त किया परन्तु उसे डी०एल० को भेजने में विफल रहा, जिसके कारण कम्पनी को ₹ 7.36 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

(कंडिकाएँ 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.12 एवं 2.3.13)

उपभोक्ता संतुष्टि

गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में उपभोक्ताओं की असंतुष्टि का कारण गलत/अत्यधिक विपत्रीकरण का होना एवं उपभोक्ता निवारण फोरम की स्थापना में विफलता थी जिसके कारण उपभोक्ताओं की शिकायतों में मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए डी०एफ० गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में क्रमशः 19.34 प्रतिशत से 28.67 प्रतिशत, 7.68 प्रतिशत से 33.40 प्रतिशत तथा 11.70 प्रतिशत से 60.62 प्रतिशत की

वृद्धि हुई। डी0एफ0 गया के 300 उपभोक्ताओं के लाभार्थी सर्वेक्षण में, 280 उपभोक्ता डी0एफ0 द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं थे।

(कंडिका 2.3.15)

2.4 बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा

बिहार राज्य में छोटे और मंजोले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से बिहार राज्य वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1954 में राज्य वित्तीय निगम की धारा, (धारा) 1951 के अंतर्गत की गई। इस संस्था की स्थापना आर्थिक उन्नति, समान क्षेत्रीय विकास एवं उद्यमी आधार को बढ़ावा देने के लिए की गई। ऋणों को प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना निगम का प्रमुख कार्य था। तथापि, निगम ने 2002-03 से ही ऋण देना बंद कर दिया था तथा उसके बाद निगम का कार्यकलाप मुख्य रूप से पुराने अतिदेयों की वसूली करना रह गया है।

वसूली प्रदर्शन

निगम द्वारा बकाया वसूली की कुल राशि 31 मार्च 2012 तक 3542.05 करोड़ था (मूलधन ₹ 135.53 करोड़, ब्याज ₹ 3389.52 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.00 करोड़) जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर ₹ 5859.12 करोड़ हो गया (मूलधन ₹ 103.35 करोड़, ब्याज ₹ 5738.60 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.17 करोड़)। बकाया/वसूली योग्य राशि में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज में हुई वृद्धि के कारण थी जो ऋणी के खिलाफ बकाया ऋण उसके मूलधन पर एकत्रित था जिसके खिलाफ केवल न्यूनतम वसूलियाँ ही प्रभावित हो सकी।

निगम द्वारा 31 मार्च 2016 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया। निगम के परिचालन आय का प्रतिशत कुल आय का 2011-12 में 42.88 प्रतिशत घटकर 2015-16 में 30.74 प्रतिशत हो गया, जो परिचालन एवं अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

निगम की लगभग सभी संपत्तियाँ (98.10 प्रतिशत), 31 मार्च 2016 को गैर निष्पादन संपत्तियाँ (एन0पी0ए0) थी एवं उनकी प्राप्ति की संभावना बहुत कम/नहीं के बराबर लगती है।

निगम द्वारा प्रारंभ एकमुश्त निपटारा योजना 2014 एवं प्रोत्साहन सह ऋण पुनर्गठन योजना कारगर साबित नहीं हुआ क्योंकि 31 मार्च 2016 को समाप्त पिछले पाँच वर्ष के दौरान केवल ₹ 5.07 करोड़ (मूलधन ₹ 2.47 करोड़, ब्याज एवं अन्य ₹ 2.60 करोड़) की ही वसूली हो पायी जो बकाया राशि के मुकाबले बहुत कम था।

प्रबंधन के लिए जारी प्रश्नावली के जवाब में प्रबंधन ने बकाया राशि की वसूली में मुख्य बाधाओं के रूप में मानवशक्ति की कमी, ऋणों के मामले काफी पुराने होने, कानूनी कार्यवाही में अत्यधिक विलंब एवं दोषी ऋणी की संपत्ति के क्रय के लिए क्रेता उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया।

(कंडिकाएँ 2.4.5, 2.4.2, 2.4.4 एवं 2.4.6)

अपर्याप्त मानवशक्ति

31 मार्च 2016 को निगम के पास अपर्याप्त मानवशक्ति था। निगम के पास अधिकारियों की कार्यरत संख्या केवल सात थी। इन सात अधिकारियों में से चार प्रधान कार्यालय में एवं तीन शाखा कार्यालय में कार्यरत थे। मानवशक्ति की कमी के कारण निगम ने दोषी ऋणियों के संबंध में नीलामवाद दायर करने की प्राथमिकता नहीं दी।

(कंडिकाएँ 2.4.7 एवं 2.4.8)

3. अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित टिप्पणियाँ/प्रेक्षण/आपत्ति

प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन लेखा परीक्षा से संबंधित आपत्तियाँ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधन में व्याप्त कमियों पर प्रकाश डालते हैं जिसमें कई वित्तीय अनियमितताएँ शामिल हैं।

- संविदा के नियम एवं शर्तों, निर्देशों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन करने में विफल रहने के कारण सात मामले में कुल ₹ 10.98 करोड़ की वसूली नहीं होने के कारण हानि।

(कंडिकाएँ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 एवं 3.12)

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों के कारण एक मामले में ₹ 35.87 लाख की हानि।

(कंडिका 3.9)

- संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण चार मामलों में ₹ 6.42 करोड़ के निधि की हानि/अवरुद्धिकरण।

(कंडिकाएँ 3.6, 3.8, 3.10 एवं 3.11)

महत्वपूर्ण अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का सारांश नीचे वर्णित है :

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड में व्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी एवं टैरिफ प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के फलस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा अनधिकृत विद्युत उपभोग के कारण ₹ 3.20 करोड़ के राजस्व की हानि।

(कंडिकाएँ 3.1 एवं 3.2)

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के अनुचित वर्गीकरण एवं तदनुसार विपत्रीकरण के फलस्वरूप ₹ 5.55 करोड़ के राजस्व की हानि।

(कंडिकाएँ 3.3, 3.4 एवं 3.5)

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वयं के वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता के फलस्वरूप कम्पनी की ₹ 4.19 करोड़ की कार्यशील पूँजी अवरुद्ध रही।

(कंडिका 3.11)

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड अनुबन्ध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संवेदक के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ के परिसमापन क्षति की कटौती करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा संवेदक को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(कंडिका 3.12)

अध्याय-I

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र
उपक्रमों का क्रियाकलाप

अध्याय-I

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के क्रियाकलाप

परिचय

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगमों सम्मिलित हैं। जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए सा0क्षे0उ0 की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए की जाती है। 31 मार्च 2016 को बिहार में सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या 74¹ थी (परिशिष्ट-1.1)। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। एक कम्पनी, बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड, 11 अक्टूबर, 2013 को निगमित हुई। इस कम्पनी की लेखापरीक्षा का कार्य इस कार्यालय को वर्ष 2015-16 में दिया गया। किसी सा0क्षे0उ0 को बन्द नहीं किया गया। 31 मार्च 2016 को बिहार में राज्य सा0क्षे0उ0 से संबंधित विवरण नीचे तालिका सं0 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.1 : 31 मार्च 2016 को सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या

सा0क्षे0उ0 का प्रकार	कार्यशील सा0क्षे0उ0	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 ²	कुल योग
सरकारी कम्पनियाँ ³	31	40	71
सांविधिक निगमों	3	—	3
योग	34	40	74

स्रोत : सूचना सा0क्षे0उ0 के आँकड़ों के अनुसार

सितम्बर 2016 तक अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने ₹ 12,879.76 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 2.64 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2016 तक अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 ने कुल ₹ 599.66 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2016 को राज्य सा0क्षे0उ0, जिनमें अकार्यशील सा0क्षे0उ0 भी सम्मिलित हैं, 17349⁴ कर्मचारी नियोजित थे।

31 मार्च 2016 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 थे, जो 10 वर्ष से अधिक अवधि से अस्तित्व में थे एवं जिनमें कुल ₹ 729.02 करोड़ का निवेश था। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में निवेश का राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.2 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 तथा 143 द्वारा अधिशासित है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, एक "सरकारी कम्पनी" ऐसी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी का कम-से-कम 51 प्रतिशत अंश केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य

¹ परिशिष्ट-1.1 में दिए गए विवरण के अनुसार।

² अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वो हैं जिन्होंने अपने कार्य-कलापों को बन्द कर दिया है।

³ सरकारी सा0क्षे0उ0 में वो कम्पनियाँ भी शामिल हैं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) में संदर्भित हैं।

⁴ 44 सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार।

सरकारों के पास है, एवं वैसी कम्पनी जो इन सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। अग्रेतर, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0), आवश्यकतानुसार, एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी, “जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) द्वारा अधिशासित है” के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा इस नमूना लेखापरीक्षा पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के प्रावधान लागू होंगे। अतः एक सरकारी कम्पनी या अन्य कम्पनी, जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार द्वारा, या राज्य सरकार या सरकारों के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, किया जाता है, की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। किसी कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा जो 31 मार्च 2014 या उससे पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित है, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है), के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है। जो सी0ए0जी0 को अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति समर्पित करेंगे, जिसमें अधिनियम की धारा 143(5) के अन्तर्गत कम्पनी के वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेज सम्मिलित हैं। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से अधिशासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सी0ए0जी0 एकल लेखापरीक्षक हैं। बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सन्दी लेखाकारों एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासकीय विभागों द्वारा इन सा0क्षे0उ0 से सम्बन्धित मामलों पर नियंत्रण रखती है। निदेशक पर्वद में मुख्य कार्यपालक एवं निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका सा0क्षे0उ0 में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग का अनुश्रवण भी करती है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के सम्बन्ध में सी0ए0जी0 की टिप्पणियों एवं वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में, धारा 394 के अन्तर्गत या सम्बन्धित अधिनियम में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सी0ए0जी0 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत सरकार को समर्पित की जाती है।

बिहार सरकार का अंश

1.5 सा0क्षे0उ0 में राज्य सरकार का वृहद वित्तीय अंशदान है। यह अंशदान तीन रूप में है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण** – अंश पूँजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 को समय-समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशिष्ट वित्तीय सहायता** – राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं अर्थसहाय्य के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।

- **प्रत्याभूति** – राज्य सरकार सा0क्षे0उ0 द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं उनके ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है।

राज्य सा0क्षे0उ0 में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को, 74 राज्य सा0क्षे0उ0 में ₹ 46,693.55 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था, जिसका विवरण नीचे तालिका सं0 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.2 : सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश


(₹ करोड़ में)

सा0क्षे0उ0 के प्रकार	सरकारी कम्पनियों			सांविधिक निगमों			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यशील सा0क्षे0उ0	31027.97	13656.55	44684.52	185.51	1094.50	1280.01	45964.53
अकार्यशील सा0क्षे0उ0	180.79	548.23	729.02	—	—	—	729.02
योग	31208.76	14204.78	45413.54	185.51	1094.50	1280.01	46693.55

स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

31 मार्च 2016 तक राज्य के सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश का 98.44 प्रतिशत कार्यशील सा0क्षे0उ0 में तथा शेष 1.56 प्रतिशत अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में था। इस कुल निवेश का 67.23 प्रतिशत अंश पूँजी के लिये तथा 32.77 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। यह निवेश 2011-12 के ₹ 12,374.75 करोड़ से 277.33 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 46,693.55 करोड़ हो गया, जैसा कि आरेख सं0 1.1 में दर्शाया गया है।

आरेख सं0 1.1 : सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)



1.7 31 मार्च 2016 को सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्र-वार निवेश का विवरण नीचे तालिका सं0 1.3 में दर्शाया गया है:


तालिका सं0 1.3 : सा0क्षे0उ0 में प्रक्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी/अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगमों	कुल योग	निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील		
ऊर्जा	9	—	—	9	38587.70
विनिर्माण	3	12	—	15	432.37
वित्त	4	4	1	9	597.06
विविध	3	10	—	13	86.22
सेवाएँ	3	1	2	6	6733.09
आधारभूत सुविधाएँ	6	1	—	7	106.06
कृषि एवं समवर्गी	3	12	—	15	151.05
	31	40	3	74	46693.55

स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के अन्त में पाँच महत्वपूर्ण प्रक्षेत्र में निवेश एवं उनकी प्रतिशतता आरेख सं0 1.2 में दर्शायी गयी है।

आरेख सं0 1.2 : सा0क्षे0उ0 में क्षेत्रवार निवेश



(कोष्ठक में आँकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं।)

आरेख सं0 1.2 दर्शाता है कि विगत पाँच वर्षों में सा0क्षे0उ0 में निवेश का मुख्य प्रतिबल ऊर्जा क्षेत्र में था। वर्तमान वर्ष में, यह वर्ष 2011-12 के ₹ 9,840.87 करोड़ से 292.12 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 38,587.70 करोड़ हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण

निवेश का मुख्य कारण तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का पाँच कम्पनियों⁵ में विघटन एवं राज्य सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होना था। बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में ₹ 5,744.43 करोड़ के वृहद् निवेश के कारण अन्य क्षेत्रों में निवेश में भी वर्ष 2011-12 की तुलना में 2015-16 में 219.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्तमान वर्ष की अवधि में वित्तीय सहायता एवं प्रतिफल

1.8 राज्य सरकार वार्षिक बजट के विभिन्न स्वरूपों द्वारा सा0क्षे0उ0 को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 को समाप्त हुए तीन वर्षों में सा0क्षे0उ0 से संबंधित अंशों, ऋणों, अनुदानों/अर्थसहाय्यों, अपलिखित ऋणों एवं माफ किये गये ब्याज के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण तालिका सं0 1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका सं0 1.4 : सा0क्षे0उ0 को बजटीय बहिर्गमन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि	सा0क्षे0उ0 की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	4	744.73	4	2443.01	3	7455.96
2.	बजट से दिये गये ऋण	4	1079.54	4	203.33	7	426.67
3.	बजट से प्राप्त अनुदान/अर्थसहाय्य	6	2060.29	7	3821.20	8	5909.33
4.	कुल बहिर्गमन ⁶ (1+2+3)	11	3884.56	9	6467.54	14	13791.96
5.	माफ किए ऋण एवं ब्याज	—	—	—	—	—	—
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	5	2648.83	2	818.40	4	2982.91
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	5	2910.89	7	3732.97	7	9048.50


स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसहाय्यों से संबंधित विगत पाँच वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण आरेख सं0 1.3 में दिया गया है :

⁵ बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

⁶ वर्ष के दौरान कुल बहिर्गमन, अंशों, ऋणों, एवं अनुदान/अर्थसहाय्य के रूप में कम्पनियों (वास्तविक संख्या) को दिये गये बजटीय समर्थन को दर्शाता है।

आरेख सं० 1.3 : अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसहाय्यों से सम्बन्धित बजटीय बहिर्गमन



आरेख सं० 1.3 अंशों, ऋणों एवं अनुदानों/अर्थसहाय्यों के रूप में सा०क्षे०उ० को बजटीय समर्थन के बढ़ते हुए प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान 284.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, वर्ष 2013-14 को छोड़कर जिसमें वर्ष 2012-13 की तुलना में बजटीय बहिर्गमन में 23.74 प्रतिशत की कमी हुई।

तालिका सं० 1.4 से देखा जा सकता है कि बकाया गारंटी की राशि वर्ष 2015-16 में ₹ 9048.50 करोड़ थी, जो वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में 142.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सा०क्षे०उ० को बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिये राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमा को ध्यान में रखते हुये प्रत्याभूति प्रदान करती है जिसके लिए प्रत्याभूति शुल्क वसूल किया जाता है। प्रत्याभूति शुल्क के मद में बिहार राज्य वित्तीय निगम के विरुद्ध वर्ष 1982-83 तक की अवधि से संबंधित ₹ 8.87 लाख एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के विरुद्ध मार्च 2016 तक कुल ₹ 1.75 करोड़ बकाया थे।

वित्तीय लेखाओं के साथ समाशोधन

1.9 राज्य सा०क्षे०उ० के अभिलेखों के अनुसार अंशों, ऋणों एवं अदत्त प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित सा०क्षे०उ० एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाशोधन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2016 की स्थिति का विवरण तालिका सं०- 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका सं० : 1.5 : वित्त लेखाओं एवं राज्य सा०क्षे०उ० के अभिलेखों के अनुसार अंश, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं ⁷ के अनुसार राशि	सा०क्षे०उ० के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	9386.04	16342.36	6956.32
ऋण	4812.88	4787.58	25.30
प्रत्याभूतियाँ	4468.07	8855.49	4387.42

स्रोत : सा०क्षे०उ० एवं वित्त लेखे, बिहार सरकार 2016, द्वारा समर्पित सूचना

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि यह अन्तर 47 सा०क्षे०उ० के सम्बन्ध में थे एवं पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिये समाशोधन हेतु लम्बित थे।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा, जाँचोपरांत समाशोधन करने हेतु, राज्य के मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव का ध्यान आकृष्ट किया गया (अक्टूबर 2011) तथा अद्यतन स्मारपत्र प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार को सितम्बर 2015 में भेजा गया। तथापि, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तथा सा०क्षे०उ० को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाशोधन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

लेखाओं के अन्तिमीकरण के बकाये

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96(1) एवं धारा 129(2) के अनुसार कम्पनियों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर अर्थात् सितम्बर के अंत तक करना होता है। ऐसा नहीं करने पर अधिनियम की धारा 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है जिसमें कम्पनी का प्रत्येक अधिकारी जो ऐसी चूक करता है, उस पर ₹ एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही इस तरह की चूक की पुनरावृत्ति होने पर अन्तिमीकरण के विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए ₹ पाँच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी कम्पनियाँ, जिनके लेखे बकाया में है इस तरह के प्रबंधन के रूप में, किसी भी डिफॉल्ट के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखा परीक्षण तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण उनसे सम्बन्धित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है।

तालिका सं० 1.6 कार्यशील सा०क्षे०उ० द्वारा 30 सितम्बर 2016 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति के विवरण को दर्शाता है।

⁷ ये सूचनाएँ उन 47 सा०क्षे०उ० (74 सा०क्षे०उ० में से) के सम्बन्ध में हैं जिनका उल्लेख राज्य के वित्त लेखों में किया गया है।

तालिका सं० : 1.6 कार्यशील सा०क्षे०उ० के लेखाओं के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्रम सं०	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कार्यशील सा०क्षे०उ० की संख्या	26	31 ⁸	33	33	34 ⁹
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	23	26	31	26	40
3.	बकाए लेखाओं की संख्या	191	196	199 ¹⁰	206	202
4.	बकाए लेखाओं वाले कार्यशील सा०क्षे०उ० की संख्या	25	29	29	30	31
5.	बकाए लेखाओं की सीमा (वर्ष)	1 से 22	1 से 22	1 से 23	1 से 24	1 से 25

स्रोत : सा०क्षे०उ० द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

तालिका सं० 1.6 में यह देखा जा सकता है कि बकाए लेखाओं की संख्या 191 (2011-12) से बढ़कर 202 (2015-16) हो गई है। 30 सितम्बर 2016 को 34 कार्यशील सा०क्षे०उ० में से केवल तीन¹¹ सा०क्षे०उ० ने वर्ष 2015-16 के अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया था एवं शेष 31 कार्यशील सा०क्षे०उ० के विरुद्ध 202 लेखे अन्तिमीकरण के लिए बकाया थे। 31 कार्यशील कम्पनियों के लेखे एक से 25 वर्षों की अवधि के लिए बकाया में थे।

प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय-सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये गए हैं। महालेखाकार द्वारा बकाया लेखाओं की स्थिति की सूचना मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को दी गई (अक्टूबर 2016)। तथापि, निदान हेतु कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाये गये।

1.11 जैसा कि **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 17 कार्यशील सा०क्षे०उ० में ₹ 16,239.49 करोड़ (अंश : ₹ 7,478.86 करोड़ (5 सा०क्षे०उ०), ऋण : ₹ 2,255.78 करोड़ (10 सा०क्षे०उ०), अनुदान : ₹ 1,435.14 करोड़ (9 सा०क्षे०उ०) तथा अन्य (अर्थसहाय्य) : ₹ 5,069.71 करोड़ (7 सा०क्षे०उ०)} का निवेश उन वर्षों में किया था, जिनके लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं हुआ था। अन्तिमीकृत लेखाओं तथा उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किये गये निवेश एवं व्यय का लेखा उचित तरीके से किया गया था तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया

⁸ उक्त आँकड़ों में पाँच नई ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ सम्मिलित हैं जिन्होंने नवम्बर 2012 से व्यवसाय आरम्भ किया।

⁹ एक नई कम्पनी यथा बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड सहित जो 11 अक्टूबर 2013 को समामेलित हुई जिनका दो लेखा बकाया है।

¹⁰ वर्ष 2012-2013 में कार्यशील सा०क्षे०उ० की संख्या में तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को, इसके विघटन के फलस्वरूप पाँच नयी कम्पनियों में परिवर्तित होने से, सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण, वर्ष 2012-2013 (30 सितम्बर) के अंत में लेखाओं के अन्तिमीकरण का बकाया 197 के स्थान पर 196 लिया गया था।

¹¹ बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

गया था, उसकी प्राप्ति हुई थी या नहीं, इस प्रकार सा0क्षे0उ0 में सरकार का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण से वंचित रहा।

1.12 उपरोक्त के अतिरिक्त 30 सितम्बर 2016 को वैसे सा0क्षे0उ0, जो कार्यशील नहीं हैं, के लेखे 30 सितम्बर 2016 को अंतिमीकरण हेतु बकाये में थे। 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में से पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया में थे जिनके 101 लेखें पाँच से 26 वर्षों तक की अवधि के लिए बकाये में थे। शेष 35 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाए लेखाओं की अवधि सितम्बर 2016 को आठ से 39 वर्षों तक थी। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की बकाया लेखाओं से संबंधित स्थिति को तालिका सं0 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0 1.7 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 से संबंधित लेखाओं की अंतिमीकरण की स्थिति

वर्ष	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की संख्या	बकाये लेखाओं की संख्या	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाया लेखाओं की संख्या
2013-14	36	944	1977-78 से 2013-14	17 से 37
2014-15	35	935	1977-78 से 2014-15	10 से 38
2015-16	35	952	1977-78 से 2015-16	8 से 39

स्रोत : कार्यालय अभिलेखों के अनुसार

तालिका सं0 1.7 दर्शाता है कि बकाया लेखाओं की संख्या जो वर्ष 2013-14 में 944 थी, वर्ष 2015-16 में बढ़कर 952 हो गई। अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाये लेखाओं की औसत संख्या वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की अवधि में 26 से 27 के बीच थी, जो अकार्यशील सा0क्षे0उ0 में बकाया लेखाओं में हो रही वृद्धि को दर्शाता है।

अन्तिमीकरण नहीं किये गये लेखाओं का प्रभाव

1.13 जैसा कि कंडिका 1.10 से 1.12 में इंगित किया गया है लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप लोक धन की धोखाधड़ी एवं रिसाव के साथ-साथ सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन का जोखिम बना रहता है। उपरोक्त लेखाओं के बकाये की स्थिति के कारण वर्ष 2015-16 के लिए राज्य जी0डी0पी0 में सा0क्षे0उ0 के वास्तविक योगदान का निर्धारण नहीं किया जा सका एवं सरकारी राज्यकोष में उनके योगदान को राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि :

- सरकार एक प्रकोष्ठ गठित कर समयबद्ध तरीके से कम्पनियों के बकाये लेखाओं का अंतिमीकरण सुनिश्चित कर सकती है; तथा
- जहाँ उचित कर्मियों या विशेषज्ञों का अभाव है वहाँ सरकार लेखाओं को तैयार करने के कार्य का बर्हिःस्रोतन करने पर विचार कर सकती है।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.14 निगम की वित्तीय लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पू0ले0प0प्र0) राज्य सरकार एवं निगम के प्रबंध निदेशक को जारी किया जाता है। प्रत्येक निगम के संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने हेतु राज्य सरकार को पू0ले0प0प्र0 अग्रेषित करने की जिम्मेदारी प्रबंध

निदेशक की होती है। राज्य सरकार पृ0ले0प0प्र0 को राज्य विधानमंडल में उपस्थापित करती है।

नीचे वर्णित विवरण, सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत (30 सितम्बर 2016 तक) पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ0ले0प0प्र0) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाता है:

तालिका सं0 : 1.8 : पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधायिका में प्रस्तुत करने की स्थिति

क्रम सं0	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक पृ0ले0प0प्र0 विधायिका में प्रस्तुत की गई	वर्ष जिसका पृ0ले0प0प्र0 विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया	
			पृ0ले0प0प्र0 का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2007-08	2008-09 2009-10 2010-11	28 फरवरी 2011 8 जनवरी 2014 20 फरवरी 2015
2.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2014-15	—	—
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973-74	1974-75 से 2005-06 (32) विवरण निम्नवत् 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06	09 जून 1997 02 सितम्बर 1998 02 सितम्बर 1998 04 दिसम्बर 1998 18 अप्रैल 2000 19 मार्च 2004 19 अक्टूबर 2004 12 अप्रैल 2005 07 अक्टूबर 2005 24 सितम्बर 2007 26 अक्टूबर 2007 25 जनवरी 2010 20 मई 2014 10 फरवरी 2015 29 सितम्बर 2015

स्रोत : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

तालिका सं0 1.8 से देखा जा सकता है कि निगमों द्वारा तीन से 32 साल तक के पृ0ले0प0प्र0 को राज्य विधानमंडल में उपस्थापित नहीं किया गया। पृ0ले0प0प्र0 को राज्य विधानमंडल में विलम्ब से उपस्थापित करने का मामला दिसम्बर, 2010 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार के ध्यान में लाया गया था। इस मामले को महालेखाकार द्वारा भी प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के ध्यान में

लाया गया था (मई 2011), तत्पश्चात् अगस्त, 2016 में भी इस सम्बन्ध में स्मार पत्र में भेजा गया। तथापि, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की पृ0ले0प0प्र0 की उपस्थापित करने की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ।

राज्य विधान मंडल में पृ0ले0प0प्र0 का अप्रस्तुतीकरण वैधानिक निगमों पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करता है तथा वैधानिक निगमों की वित्तीय जवाबदेही को भी गौण करता है। सरकार द्वारा पृ0ले0प0प्र0 राज्य विधानमंडल में ससमय उपस्थापित करने को सुनिश्चित करना चाहिए।

अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0उ0 का कार्य-निष्पादन

1.15 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट-1.1** में वर्णित हैं। सा0क्षे0उ0 के आवर्त तथा राज्य के जी0डी0पी0 का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा0क्षे0उ0 के कार्यकलापों की योगदान को दर्शाता है। नीचे दी गयी तालिका 2015-16 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 को दर्शाता है :

तालिका सं0 1.9 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 का आवर्त एवं राज्य के जी0डी0पी0 का विवरण

(राशि : ₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आवर्त ¹²	7811.28	2813.70	7924.89	11619.64	12879.76
राज्य का जी0डी0पी0	343269	293616	343663	402283	487316
राज्य के जी0डी0पी0 का आवर्त प्रतिशत	2.28	0.96	2.31	2.89	2.64


स्रोत : सा0क्षे0उ0 तथा वित्त लेखे द्वारा समर्पित सूचना।

तालिका 1.9 दर्शाता है कि कार्यशील सा0क्षे0उ0 का व्यवसाय क्रमशः वर्ष 2011-12 में ₹ 7811.28 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 में ₹ 12879.76 करोड़ थे, जिसमें उपरोक्त अवधि में व्यावसाय में 64.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि, इसी अवधि में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 41.96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि, राज्य सकल घरेलू उत्पाद के विरुद्ध व्यवसाय का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में 2.28 से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 2.64 हो गया।

1.16 वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में राज्य के कार्यशील सा0क्षे0उ0 द्वारा अर्जित/वहन की गयी कुल लाभ/हानि नीचे आरेख सं0 1.4 में दर्शायी गयी है:

¹² 30 सितम्बर को अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार आवर्त।

आरेख सं० 1.4 : कार्यशील सा०क्षे०उ० के द्वारा अर्जित/वहन की गयी कुल लाभ/हानि



(कोष्ठक में दी गई राशि सा०क्षे०उ० की संख्या को दर्शाता है।)

आरेख सं० 1.4 दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 में ₹ 2594.46 करोड़ की कुल हानि, तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के कारण, वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमशः ₹ 1.19 करोड़ एवं ₹ 36.96 करोड़ के मामूली लाभ में परिवर्तित हो गया। तथापि, वर्ष 2014-15 में पुनः ₹ 36.58 करोड़ की हानि हुई, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर ₹ 599.66 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान 34 कार्यशील सा०क्षे०उ० में से, 15 सा०क्षे०उ० ने ₹ 544.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 14 सा०क्षे०उ० ने ₹ 1144.63 करोड़ की हानि वहन की। शेष पाँच सा०क्षे०उ० में से तीन¹³ सा०क्षे०उ० ने शून्य लाभ/हानि अर्जित/वहन की एवं दो सा०क्षे०उ०¹⁴ ने अभी तक (सितम्बर 2016) अपने प्रथम लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये थे। लाभ में योगदान करने वाले सा०क्षे०उ० में बिहार राज्य बिबरेजेज निगम लिमिटेड (₹ 132.87 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 110.17 करोड़), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 78.07 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 70.51 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 58.57 करोड़) थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वैसे सा०क्षे०उ० जिन्होंने भारी हानि वहन की, वे थे, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 747.55 करोड़), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 296.79 करोड़) एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 59.23 करोड़)।

1.17 कार्यशील सा०क्षे०उ० के कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे तालिका सं० 1.10 में दर्शाये गये हैं :

¹³ बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

¹⁴ पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड।

तालिका 1.10 : कार्यशील सा0क्षे0उ0 के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	—	18.41	1.91	0.44	—
ऋण	11193.13	4030.88	9349.36	11693.27	14751.06
ऋण/ आवर्त अनुपात	1.43	1.43	1.18	1.01	1.15
ब्याज का भुगतान	1558.11	78.86	248.56	168.30	333.73
संचित लाभ (हानि)	(-)9648.57	(-)1129.86	(-)1875.61	(-)3137.76	(-)3953.15

स्रोत : सा0क्षे0उ0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ 18.41 प्रतिशत (2012-13) से घटकर ऋणात्मक 1.02 प्रतिशत (2015-16) हो गया। संचित हानि तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटन के कारण 2012-13 में प्रबल रूप से घट गया। यह पुनः ₹ 1129.86 करोड़ (2012-13) से बढ़कर ₹ 3953.15 करोड़ (2015-16) हो गया।

1.18 राज्य सरकार ने ऐसी कोई लाभांश नीति नहीं बनायी थी जिसके अन्तर्गत सभी सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम लाभांश देना है। 15 सा0क्षे0उ0 ने अपने अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 544.97 करोड़ का लाभ अर्जित किया। हालाँकि, 15 सा0क्षे0उ0 में से केवल पाँच कम्पनियों अर्थात् बिहार राज्य बिबरेजेज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 5 करोड़, ₹ 5 करोड़, ₹ 3 करोड़, ₹ 2 करोड़ एवं ₹ 52.50 लाख का लाभांश घोषित किया।

अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

1.19 31 मार्च 2016 को 40 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 (सभी कम्पनियाँ) थीं। इनमें से पाँच सा0क्षे0उ0 समापन की प्रक्रिया के अन्तर्गत थे। चूँकि अकार्यशील सा0क्षे0उ0 वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति एवं राज्य के अर्थव्यवस्था में कोई योगदान करने में विफल हो गये हैं, अतः इन सा0क्षे0उ0 के समापन अथवा इनके पुर्नजीवित करने हेतु विचार किया जा सकता है।

1.20 अकार्यशील सा0क्षे0उ0 के सम्बन्ध में इनके समापन की अवस्था तालिका सं0 1.11 में दर्शित है :

तालिका सं0 1.11 : अकार्यशील सा0क्षे0उ0 का समापन

क्रम सं0	विवरण	कम्पनियाँ	साविधिक निगम	योग
1.	अकार्यशील सा0क्षे0उ0 की कुल संख्या	40	—	40
2.	उपरोक्त (1) में से :			
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	5 ¹⁵	—	5

¹⁵ कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य फिनिसड लेदर्स निगम लिमिटेड, बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड।

क्रम सं०	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
(ब)	बन्द, अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश निर्गत परन्तु समापन प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं	5 ¹⁶	—	5

स्रोत : सरकारी समापक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

वर्ष 2015-16 की अवधि में किसी सा०क्ष०उ० का समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय आदेश द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे लम्बी अवधि से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित होती है तथा इसका धारण/अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जाना चाहिए।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1.21 वर्ष 2015-16¹⁷ में 17 कार्यशील कम्पनियों¹⁸ ने अपने 39 अंकेक्षित लेखाओं को महालेखाकार को प्रेषित किया। इनमें से 11 कम्पनियों के 16 लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये। सी०ए०जी० के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन तथा सी०ए०जी० की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सी०ए०जी० की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्यों का विवरण तालिका सं० 1.12 में दिया गया है :

तालिका सं० 1.12 : कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के प्रभाव

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	51.20	2	692.89	7	35.23
2.	हानि में वृद्धि	7	49.20	4	121.18	3	233.50
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	9	4914.22	2	401.37	1	0.70
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	4	357.95	7	1088.69	4	11653.82
	कुल	22	5372.57	15	2304.13	15	11923.25

स्रोत : सा०क्ष०उ० द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं सी०ए०जी० की टिप्पणी का कुल मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013-14 के ₹ 5372.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 11923.25 करोड़ हो गया। अग्रेतर, प्रति लेखा टिप्पणियों का औसत मौद्रिक मूल्य वर्ष 2013-14 के

¹⁶ बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट डेयरी कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड।

¹⁷ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 4, अ 7, अ 8, अ 9, अ 10, अ 12, अ 13, अ 14, अ 18, अ 19, अ 20, अ 21, अ 22, अ 23, अ 26, अ 30 एवं अ 31।

¹⁸ अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि तक।

₹ 244.21 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 794.88 करोड़ हो गया। यह लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

वर्ष के दौरान 19 कम्पनियों¹⁹ द्वारा अन्तिमीकृत 57 लेखाओं²⁰ पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सशर्त प्रमाणपत्र दिये गये। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि वर्ष के दौरान आठ²¹ कम्पनियों के आठ लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 26 मामले पाये गये।

1.22 इसी प्रकार, वर्ष 2015-16²² के दौरान एक कार्यशील सांविधिक निगम ने अपने लेखा को महालेखाकार को अग्रसारित किया। हाँलाकि, बिहार राज्य वित्तीय निगम के लेखाओं जिनकी लेखापरीक्षा पूर्व वर्ष में की गई थी, पर वर्तमान वर्ष की अवधि में टिप्पणी जारी की गई। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक प्रभाव की विवरणी तालिका सं0 1.13 में दर्शायी गयी है:

तालिका सं0 1.13 : सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	3.75	1	8.47	—	—
2.	हानि में वृद्धि	1	0.64	—	—	1	1.01
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	1	4.05	—	—	—	—

स्रोत : सांविधिक निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

1.23 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, दो लेखापरीक्षाएँ अर्थात् बिहार के विद्युत वितरण कम्पनी में वितरण फ्रेंचाइजी की कार्यविधि लेखापरीक्षा तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली निष्पादन की लेखापरीक्षा तथा 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह की समयावधि में उत्तर प्रेषित करने के निवेदन के साथ निर्गत की गई हैं। तथापि, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, बिहार के पावर वितरण कम्पनी में वितरण फ्रेंचाइजी की कार्यविधि लेखापरीक्षा, सात अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर राज्य सरकार से अप्राप्त थे (नवम्बर, 2016)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तरवर्ती क्रिया

लम्बित जवाब

1.24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति को दर्शाता है। अतः यह आवश्यक है कि इनमें विनियोग व कार्यपालिका की ससमय प्रतिक्रिया परिलक्षित हो। वित्त विभाग, बिहार सरकार ने

¹⁹ कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (39) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (18)

²⁰ कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (17) एवं अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (2)

²¹ परिशिष्ट-1.1 की क्रम संख्या अ 4, अ 12, अ 14, अ 18, अ 19, अ 21, अ 22 एवं अ 31।

²² अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि तक।

सभी प्रशासकीय विभागों को यह निर्देश दिया (अप्रैल 2015) कि कोपू के प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना भारत के सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं का उत्तर/स्पष्टीकरण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ निर्धारित प्रपत्र में विधायिका में प्रस्तुतिकरण के तीन माह की अवधि के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणी की स्थिति तालिका सं0 1.14 में दर्शाया गया है:

तालिका सं0 1.14 : अप्राप्त स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ (यथा 30 सितम्बर 2016 को)

लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/सा0क्षे0उ0)	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन में निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) एवं कंडिकाओं की कुल संख्या		वैसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की कुल संख्या जिनके उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणी अप्राप्त थे	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ
2010-11	06.08.2012	02	09	01	06
2011-12	01.08.2013	02	12	01	06
2012-13	15.07.2014	03	12	02	06
2013-14	07.04.2015	02	14	01	03
2014-15	18.03.2016	02	14	02	10
कुल योग		11	61	07	31

स्रोत : कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 61 कंडिकाओं तथा 11 निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 13 विभागों की 31 कंडिकाएँ एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं की स्पष्टीकरण टिप्पणियाँ जो विगत पाँच वर्षों में राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई, अप्राप्त थे (सितम्बर 2016)।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार विमर्श

1.25 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0) में उद्धृत एवं लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा विचार-विमर्श की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्न है:

तालिका सं0 1.15 : 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित समीक्षाएँ/कंडिकाएँ एवं इन पर परिचर्चा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		विचार विमर्श की गयी कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ
2010-11	02	09	—	01
2011-12	02	12	—	04
2012-13	03	12	01	06
2013-14	02	14	01	03
2014-15	02	14	0	0
कुल योग	11	61	02	14

स्रोत : कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार

लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.26 दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2013 की अवधि में राज्य विधायिका में कोपू के तीन प्रतिवेदनों की पाँच कंडिकाओं से सम्बन्धित कार्यवाही टिप्पणियाँ अप्राप्त थे (सितम्बर

2016) जो कि तालिका सं0 1.16 में दर्शायी गयी है :

तालिका सं0 1.16 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	वैसी अनुशंसाओं की कुल संख्या जिनके ए0टी0एन0 अप्राप्त थे
2010-11	01	03	03
2011-12	01	01	01
2012-13	—	—	—
2013-14	01	01	01
2014-15	—	—	—
कुल योग	03	05	05

स्रोत : लोक उपक्रम समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार

कोपू के इन प्रतिवेदनों में प्रत्येक विभाग की कंडिकाओं से सम्बन्धित अनुशंसाएँ सम्मिलित थीं जो भारत के सी0ए0जी0 के वर्ष 1996-97 से 2005-06 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि :

- निर्धारित समय-सूची के अनुसार स्पष्टीकरण टिप्पणियों/कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू द्वारा की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणी का प्रेषण;
- निर्धारित अवधि में हानि/अदत्त अग्रिम/अधिभुगतान की वसूली; तथा
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया हेतु तंत्र में, निर्धारित समय-सीमा में जवाब उपलब्ध कराकर, सुधार हो।

सा0क्षे0उ0 का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्संरचना

1.27 राज्य सरकार द्वारा सा0क्षे0उ0 के विनिवेश के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड राज्य की स्थापना के बाद, सभी सा0क्षे0उ0 की पुनर्संरचना की जानी थी। 12 सा0क्षे0उ0 की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ-साथ प्रबन्धन के बँटवारे का निर्णय सितम्बर 2005 में लिया गया था। तथापि, इसका क्रियान्वयन मात्र पाँच सा0क्षे0उ0²³ के सम्बन्ध में ही किया गया है (सितम्बर 2016)।

²³ बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, बिहार राज्य जल-विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, बिहार राज्य भण्डारण निगम एवं बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड।

अध्याय-II

- 2.1 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा
- 2.2 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा
- 2.3 बिहार के उर्जा वितरण कम्पनियों की वितरण फ्रेन्चाइजी की कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा
- 2.4 बिहार राज्य वित्तीय निगम की वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा

अध्याय—II
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1982 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुई थी और वर्तमान में, यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनके रख-रखाव, ऊर्जा के उत्पादन एवं बिक्री में संलग्न है।

31 मार्च 2016 को, कम्पनी के पास 13 कार्यशील लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (एस0एच0पी0) थीं, जिनकी स्थापित क्षमता 54.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की थी एवं 35.30 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 16 परियोजनाओं का कार्य प्रगति में था।

एस0एच0पी0 में जल की आपूर्ति जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू0आर0डी0), बिहार सरकार के नहरों से की जाती है। ये नहरें तीन बराजों यथा डेहरी में सोन नदी पर निर्मित इन्द्रपुरी बराज, वाल्मिकी नगर में गंडक नदी पर वाल्मिकी नगर बराज और कटैया में कोसी नदी पर वीरपुर बराज से जुड़ी हुई है। इन्द्रपुरी बराज 10¹ एस0एच0पी0 (17.10 मेगावाट) के जल के आवश्यकता की पूर्ति करता है, और वाल्मिकी नगर और वीरपुर बराज तीन² एस0एच0पी0 (37.20 मेगावाट) के जल की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। कम्पनी से बिना परामर्श के, डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा सिंचाई के लिए जल छोड़ा जाता है, जिसका उपयोग कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।

कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में कमी आयी और यह 2011-12 के 40.65 मिलियन युनिट्स (एम0यू0) से घटकर 2015-16 में 33.16 एम0यू0 हो गयी। यह मुख्यतः एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता और डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा कम मात्रा में जल आपूर्ति के कारण था। अग्रतर, ऊर्जा आपूर्ति के वितरण प्रणाली की कमी के कारण पाँच एस0एच0पी0 का ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित थे :

कम्पनी का वित्तीय प्रबंधन

2011-16 की अवधि के दौरान, ऊर्जा उत्पादन की लागत ₹ 8.13 प्रति इकाई और ₹ 12.36 प्रति इकाई के बीच था। तथापि, कम्पनी द्वारा डिस्कॉम को, बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) की अनुमोदित दर, ₹ 2.49 प्रति युनिट, पर ही उक्त अवधि में ऊर्जा का विक्रय किया गया था। कम्पनी का विक्रय मूल्य 2015-16 के दौरान डिस्कॉम ₹ 4.12 प्रति इकाई की औसत ऊर्जा खरीद दर से भी कम था।

इस कारण से, कम्पनी को 2011-16 के दौरान ₹ 5.64 प्रति इकाई से ₹ 9.87 प्रति इकाई के राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी। कम्पनी ने 2011-16 के दौरान 213.14 एम0यू0 ऊर्जा का विक्रय किया जिस पर कम्पनी को ₹ 147.66 करोड़ की हानि हुई थी। 2011-16 की अवधि दौरान, बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित दर स्थिर रही क्योंकि कम्पनी 2001-02 से ही वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण

¹ (i) अगनुर एस0एच0पी0, (ii) अरवल एस0एच0पी0, (iii) बारूण एस0एच0पी0, (iv) बेलसार एस0एच0पी0, (v) डेहरी ऑन-सोन एस0एच0पी0, (vi) ढेलाबाग एस0एच0पी0, (vii) जयनगरा एस0एच0पी0, (viii) नासरिगंज एस0एच0पी0, (ix) सेबारी एस0एच0पी0 एवं (x) शिरखिण्डा एस0एच0पी0

² (i) त्रिवेणी एस0एच0पी0 (ii) वाल्मिकी नगर एस0एच0पी0 एवं (iii) कटैया एस0एच0पी0

2010-11 से टैरिफ याचिका दाखिल नहीं कर पायी थी। तथापि, कम्पनी का ऊर्जा उत्पादन लागत 2011-16 की अवधि में बढ़ गई थी क्योंकि इसका प्रमुख घटक, ऋण पर ब्याज लागत 2011-12 में 47.52 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 61.39 प्रतिशत हो गई थी और ऊर्जा उत्पादन में कमी हुई थी।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी यदि भविष्य में डिस्कॉम के औसत ऊर्जा खरीद दर के समतुल्य टैरिफ का अनुमोदन बी0ई0आर0सी0 से प्राप्त कर भी लेती है, तब भी उत्पादन लागत की अल्प वसूली की स्थिति बनी रहेगी। इस तरह कम्पनी व्यावसायिक रूप से सफल होने हेतु ब्रेक इवन प्वाइंट की स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी।

कम्पनी में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 570.47 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी ₹ 99.04 करोड़ (17.36 प्रतिशत) और ऋण ₹ 471.43 करोड़ (82.64 प्रतिशत) था। यह इंगित करता है कि कम्पनी ऋण निधि पर पूरी तरह आश्रित था। उक्त अवधि के दौरान कम्पनी को सभी वर्षों में हानि हुई थी जिसके कारण 2015-16 में संचित हानि ₹ 231.50 करोड़ हो गई थी। फलस्वरूप कम्पनी की पूँजी पूर्ण रूप से क्षय हो गई थी। कम्पनी का शुद्ध मूल्य 2011-12 से सभी वर्षों में नकारात्मक (-) ₹ 23.73 करोड़ और (-) ₹ 132.46 करोड़ के बीच थी।

कम्पनी की परिचालन कुशलता

प्लान्ट लोड फैक्टर

बी0ई0आर0सी0 के मानक के अनुसार एस0एच0पी0 से 417 मिलियन यूनिट का ऊर्जा उत्पादन होना था, जबकि 2011-16 के दौरान वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 213.14 एम0यू0 ही था। ऊर्जा उत्पादन में 203.86 मे0यू0 (48.89 प्रतिशत) की कमी के कारण ₹ 50.76 करोड़ के राजस्व हानि हुई थी।

2011-12 से 2015-16 के दौरान स्थापित क्षमता की तुलना में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन (प्लान्ट लोड फैक्टर) 11.79 प्रतिशत और 19.56 प्रतिशत के बीच था। तथापि, बी0ई0आर0सी0 के लिए पी0एल0एफ0 का मानक 30 प्रतिशत था। बी0ई0आर0सी0 के मानक के अनुसार पी0एल0एफ0 नहीं प्राप्त होने का मुख्य कारण लम्बी अवधि के लिए संयंत्र की बंदी के कारण संयंत्र की कम उपलब्धता थी।

नमूना जाँच में पाँच एस0एच0पी0 में पाया गया था कि लम्बी अवधि के लिए संयंत्र के बन्दी का मुख्य कारण (1) एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता/कम मात्रा जो 2011-12 से 2015-16 के दौरान उपलब्ध घण्टे का 39 से 66 प्रतिशत के बीच था (2) खराब मरम्मत और रख-रखाव के कारण एस0एच0पी0 की बंदी जो उपलब्ध घण्टे का एक से 23 प्रतिशत था, और (3) ऊर्जा की आपूर्ति के लिए वितरण नेटवर्क की कमी जो 2011-16 की अवधि के दौरान उपलब्ध घण्टे का छः से 18 प्रतिशत के बीच था।

संयंत्र उपलब्धता

कम्पनी की संयंत्र उपलब्धता 35.42 प्रतिशत (2011-12) से 12.65 प्रतिशत (2015-16) के बीच थी। तथापि डी0पी0आर0 के अनुसार संयंत्र उपलब्धता का मानक 67 प्रतिशत था। अल्प उपलब्धता का मुख्य कारण जल की उपलब्धता/अल्प मात्रा, मशीनों का निम्न मरम्मत और रख-रखाव आदि के कारण दीर्घावधि के लिए संयंत्र की बन्दी था।

पूँजीगत कार्यों का कार्यान्वयन

आठ परियोजनाएँ/एस0एच0पी0 ₹ 49.92 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 102.79 करोड़ व्यय कर पूर्ण की गई थी। इन परियोजनाओं पर ₹ 52.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अन्य परियोजनाओं से निधि का विचलन कर की गई थी, जो अनियमित था।

इसके अलावा, निर्माणाधीन 16 एस0एच0पी0 और एक स्केप चैनल का कार्य दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से कार्यान्वयन में विलम्ब और कम्पनी के द्वारा वित्तीय बाधाओं का सामना करने के कारण विलम्बित था। इस कारण ₹ 543.87 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध थी।

उपर्युक्त 17 अपूर्ण परियोजनाएँ, जो दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से निलम्बित थीं के कारण न केवल निधि अवरुद्ध हुआ बल्कि परियोजनाओं के असैनिक संरचनाएँ खुले वातावरण के संपर्क में रहने से, उनकी भौतिक स्थिति में भी गिरावट आयी और कार्य पुनः आरम्भ करने के समय, उनके पूर्ण उपयोग पर फिर से अतिरिक्त व्यय होगा। इसके अतिरिक्त, इन अपूर्ण परियोजनाएँ में संयंत्र और मशीनरी स्थापित है और विद्युत यांत्रिक सामग्री जो कि स्थल/गोदामों में पड़ी हुई थी, वह भी अप्रचलन/नुकसान और चोरी के अधोमुख था। यह इसके आर्थिक उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 के विद्युत-यांत्रिक सामग्री, जिनका मूल्य ₹ 4.50 करोड़ था और जो दिसम्बर 2014 तक आपूर्ति की गई थी, वे स्थल पर दो से चार वर्षों से बिना उपयोग के पड़ी हुई थी और उन पर किया गया व्यय अवरुद्ध और निष्फल था।

परिचय

2.1.1 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1982 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुई थी और यह वर्तमान में बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, उनका रख-रखाव और ऊर्जा के उत्पादन एवं विक्रय में संलग्न है।

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार (विभाग), कम्पनी का प्रशासनिक विभाग है। विभाग बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएँ स्वीकृत करती है और उसे कम्पनी को कार्यान्वित करने हेतु सौंप देती है। विभाग कम्पनी को ऋण के रूप में बजटीय सहायता भी देती है।

31 मार्च 2016 को, कम्पनी के पास 13 कार्यशील लघु जल विद्युत परियोजनाएँ (एस0एच0पी0) थीं, जिनकी स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता 54.30 मेगावाट (एम0डब्ल्यू0) थी जबकि 35.30 एम0डब्ल्यू0 ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 16 परियोजनाएँ निर्माणाधीन थीं, जिनका विवरण **परिशिष्ट 2.1.1** में दिया गया है।

एस0एच0पी0 में जल की आपूर्ति जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू0आर0डी0), बिहार सरकार के नहरों से की जाती है। ये नहरें तीन बराजों से जुड़ी हुई हैं, यथा, डेहरी में सोन नदी पर निर्मित इन्द्रपुरी बराज, वाल्मिकी नगर पर निर्मित गंडक नदी में निर्मित वाल्मिकी नगर बराज और कटैया में कोसी नदी पर बीरपुर बराज। इन्द्रपुरी बराज 10³ एस0एच0पी0 (17.10 एम0डब्ल्यू0) के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वाल्मिकी नगर और बीरपुर बराज तीन⁴ एस0एच0पी0 (37.20 एम0डब्ल्यू0) के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कम्पनी से बिना परामर्श के, डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा सिंचाई हेतु जल छोड़ा जाता है जिसका उपयोग कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है।

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के अंतिम लेखाओं के अनुसार कम्पनी की प्रदत्त अंश पूँजी ₹ 99.04 करोड़ और संचित हानि ₹ 231.50 करोड़ थी। कम्पनी के द्वारा

³ (i) अगनुर एस0एच0पी0, (ii) अरवल एस0एच0पी0, (iii) बारुण एस0एच0पी0, (iv) बेल्सार एस0एच0पी0, (v) डेहरी ऑन-सोन एस0एच0पी0, (vi) ढेलाबाग एस0एच0पी0, (vii) जयनगरा एस0एच0पी0, (viii) नासरिगंज एस0एच0पी0, (ix) सेबारी एस0एच0पी0 और (x) श्रृंखिंडा एस0एच0पी0

⁴ (i) त्रिवेणी एस0एच0पी0 (ii) वाल्मिकी नगर एस0एच0पी0 (iii) कटैया एस0एच0पी0

2011-12 से 2015-16 अवधि के दौरान कम्पनी को सभी वर्षों में हानि वहन करना पड़ा।

कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल (बोर्ड) में निहित है। 31 मार्च 2016 को बोर्ड में, प्रबंध निदेशक सहित पाँच निदेशक थे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। विभाग के प्रधान सचिव कम्पनी के निदेशक मण्डल के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, कम्पनी के मामलों के संचालन के लिए उत्तदायी है और उन्हें मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, कार्यपालक अभियन्ता एवं कम्पनी सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

2.1.2 कम्पनी के निष्पादन की पूर्व में समीक्षा की गई थी और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में चिह्नित किया गया था। उल्लेखित समीक्षा को, लोक उपक्रमों की समिति (कोपू) द्वारा, अभी तक (नवम्बर 2016) चर्चा में लिया जाना लम्बित है।

पाँच वर्षों की निष्पादन लेखापरीक्षा (पी0ए0), 2011-12 से 2015-16 तक, अप्रैल 2016 से जून 2016 की अवधि के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी के प्रधान कार्यालय और 13 उत्पादन स्टेशनों में से पाँच⁵ और 16 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से छः⁶ के अभिलेखों का यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से जाँच के लिए चयन किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को सरकार और प्रबंधन को बताने के लिए 29 मार्च 2016 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सरकार और प्रबंधन को सूचित (अगस्त 2016) किया गया था और 23 नवम्बर 2016 को निकास सम्मेलन में भी उस पर चर्चा की गई थी। निकास सम्मेलन में प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर सहमति प्रदान की।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, यह आकलन करने के लिए किए गए थे कि :

- उत्पादन स्टेशनों का संचालन/रख-रखाव मितव्ययिता के साथ किया जा रहा था और उत्पादित ऊर्जा की निकासी और विपत्रीकरण कुशलतापूर्वक हो रहा था;
- योजना और नई जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन कुशलतापूर्वक, मितव्ययिता और प्रभावी ढंग से किया जा रहा था;
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भारत सरकार/बिहार सरकार से प्राप्त धन राशि का उपयोग कुशलतापूर्वक, मितव्ययिता और प्रभावी ढंग से किया जा रहा था;
- पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र था और मजबूत पर्यावरण पर्याय जुड़े थे; और
- निगरानी और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी था।

⁵ (i) अरवल (1x0.5 एम0डब्ल्यू0), (ii) कटैया एस0एच0पी0 (4x4.48 एम0डब्ल्यू0), (iii) नासरीगंज एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (iv) सेबारी एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0) और (v) वाल्मीकीनगर एस0एच0पी0 (3x5 एम0डब्ल्यू0)

⁶ (i) बरबल एस0एच0पी0 (2x0.8 एम0डब्ल्यू0), (ii) बथनाहा एस0एच0पी0 (4 x 2 एम0डब्ल्यू0), (iii) मथौली एस0एच0पी0 (2x0.4 एम0डब्ल्यू0) (iv) पहरमा एस0एच0पी0 (2 x 0.5 एम0डब्ल्यू0), (v) तेजपुरा एस0एच0पी0 (2 x 0.75 एम0डब्ल्यू0) और (vi) वालिदाद एस0एच0पी0 (2x 0.35 एम0डब्ल्यू0)

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धियों के आकलन करने के लिए निम्न मापदण्ड अपनाए गए थे :

- कम्पनी के व्यापार के उप नियमों; प्रशासनिक विभाग/राज्य सरकार के निर्देश;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 और बिहार लोक निर्माण संहिता;
- तकनीकी मूल्यांकन/कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश;
- परियोजनाओं की परिचालन पुस्तिका; प्रबंधन द्वारा तय किए गए उत्पादन लक्ष्य;
- परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0); संवेदकों के साथ समझौता; और
- ऊर्जा के विक्रय हेतु अनुबंधों की नियम और शर्तें।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

वित्तीय प्रबंधन

कुशल निधि प्रबंधन किसी भी संगठन के लिए नितान्त आवश्यक है क्योंकि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। कम्पनी की धन राशि का मुख्य स्रोत लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एस0एच0पी0) के द्वारा उत्पादित ऊर्जा का विक्रय और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण थे।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामें

2.1.5 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक कम्पनी को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अन्दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, अपने वित्तीय विवरणी को अन्तिम रूप देना आवश्यक होता है। तथापि, कम्पनी वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन में विफल रही है और कम्पनी के लेखे 2001-02 से बकाये में थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के लेखे बकाए रहने का कारण कम्पनी में पर्याप्त पेशेवर लेखा/लेखा जानने वाले कर्मियों का नहीं होना था। स्वीकृत वर्तमान मानवशक्ति की स्थिति और लेखा कर्मियों की रिक्ति की स्थिति 2011-16 के दौरान नीचे तालिका सं0 2.1.1 में दी गई है :

तालिका सं0 2.1.1 लेखा कर्मियों के मानवशक्ति की स्थिति

क्र0सं0	पद की श्रेणी	स्वीकृत कार्यबल	वास्तविक कार्यबल	रिक्त स्थान
1	वित्तीय सलाहकार सह मुख्य लेखा अधिकारी	1	0	1
2	प्रबंधक (लेखा)	2	1	1
3	सहायक प्रबंधक (लेखा)	7	3	4
4	लेखाकार	20	3	17

ऊपर दिए गए तालिका से स्पष्ट है कि केवल एक प्रबंधक (लेखा), तीन सहायक प्रबंधक (लेखा) और तीन लेखाकार ही थे और बड़ी संख्या में पद रिक्त थे जिसके कारण बड़े पैमाने पर लेखे बकाए थे। लेखे के बकाए के कारण, कम्पनी बिहार विद्युत नियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) के यहाँ अंकेक्षित खातों के साथ अपनी टैरिफ याचिका वित्तीय वर्ष 2010-11 से दायर नहीं कर सका जो कि **कंडिका संख्या 2.1.8** में चर्चित है।

2.1.6 कम्पनी की अंतिम लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए पाँच वर्षों की वित्तीय स्थिति और कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट 2.1.2** में दी गई है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी में कुल निवेश ₹ 570.38 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 99.04 करोड़ और ऋण : ₹ 471.43 करोड़) था। यह इंगित करता है कि कम्पनी पूर्णरूपेण ऋण पर निर्भर थी नियोजित पूँजी (सी0ई0) 2011-12 में ₹ 292.52 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 338.97 करोड़ हो गई थी। नियोजित पूँजी पर आय (आर0ओ0सी0) ₹ 0.83 करोड़ से (-) ₹ 18.25 करोड़ के बीच थी। कम्पनी का निवल मूल्य सभी वर्षों में नकारात्मक था और यह ₹ 23.73 करोड़ और ₹ 132.46 करोड़ के बीच था। नकारात्मक निवल मूल्य और और नकारात्मक आर0ओ0सी0 का मुख्य कारण उपर्युक्त वर्षों में निरंतर घाटा था जिसके कारण संचित घाटे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह ₹ 122.77 करोड़ (2011-12) से बढ़कर 2015-16 में ₹ 231.50 करोड़ हो गई। इस प्रकार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। लेखापरीक्षा ने कम्पनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के लिए निम्न कारणों को उत्तरदायी पाया :

- ऋण की वित्तीय लागत 2011-16 के दौरान ₹ 57.85 करोड़ थी, जबकि ऊर्जा की बिक्री और अन्य आय से राजस्व ₹ 52.38 करोड़ था जो कि वित्तीय लागत को परिपूर्ण करने के लिए अपर्याप्त था। इसके अतिरिक्त अन्य परिचालन व्यय इस अवधि में ₹ 142.95 करोड़ था जिसकी पूर्ति भी इस अवधि के राजस्व से ही होना था।
- निर्माणाधीन कार्यों में ₹ 543.87 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से एस0एच0पी0 के निर्माण कार्य के विलम्ब के कारण अवरुद्ध थी। ये कार्य, अक्षम निष्पादन एवं कम्पनी द्वारा वित्तीय बाधाओं का सामना करने के कारण पूर्ण होने से वंचित थे जो **कंडिका संख्या 2.1.17 से 2.1.21** में चर्चित है।
- वर्तमान आस्तियों में, कुल ₹ 24.33 करोड़ की वर्क-इन-प्रोग्रेस, भंडार व संवेदकों को निर्गत सामग्री और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में शामिल है ये परिसम्पतियाँ पिछले दस वर्षों से चली आ रही थी। इन चालू परिसम्पतियों के विवरण उपलब्ध नहीं थे। इस कारण से इनकी वसूली/उपयोग संदिग्ध था।
- ऊर्जा विक्रय से प्राप्त हुए राजस्व में कमी देखी गई थी जो वर्ष 2013-14 में ₹ 13.54 करोड़ से वर्ष 2015-16 में ₹ 8.26 करोड़ हो गई थी। इसका मुख्य कारण, एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता/अल्प आपूर्ति, मरम्मत और रखरखाव के कारण एस0एच0पी0 की बन्दी और कम्पनी के अपने टैरिफ में 2010-11 से संशोधन कराने में विफलता थी, जो **कंडिका संख्या 2.1.8 और 2.1.10** में चर्चित है।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी के 21 वें वार्षिक आम बैठक (अगस्त 2016) में शेयर धारकों ने निर्देश दिया कि उचित तथ्यों के साथ इसे बोर्ड में लाया जाए। तथापि तथ्य यही है कि इन कारणों की अभी तक (नवम्बर 2016) कम्पनी ने अनदेखी की है।


ऊर्जा के विक्रय में हानि

2.1.7 2011-16 की अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन ₹ 8.13 प्रति यूनिट और ₹ 12.36 प्रति ईकाई के बीच रहा। तथापि कम्पनी के द्वारा उपर्युक्त अवधि में डिस्कॉम को बिहार विद्युत विनियमक आयोग (बी0ई0आर0सी0) के अनंतिम अनुमोदित दर ₹ 2.49 प्रति इकाई पर विक्रय करती थी। इसके फलस्वरूप

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 के दौरान कम्पनी में उत्पादन की लागत इसी प्रकार के एस0एच0पी0 की तुलना में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 2.73 और ₹ 2.86 प्रति युनिट) और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 2.55 और ₹ 3.89 प्रति युनिट काफी ज्यादा था)

कम्पनी को 2011-16 के दौरान ₹ 5.64 प्रति इकाई से ₹ 9.87 प्रति इकाई की राजस्व हानि वहन करनी पड़ी। कम्पनी ने 2011-16 के दौरान 213.14 मिलीयन यूनिट का विक्रय किया जिससे कम्पनी को ₹ 147.66 करोड़ की हानि हुई। बी0ई0आर0सी0 के द्वारा अनुमादित टैरिफ दर 2011-16 के दौरान स्थिर रही क्योंकि कम्पनी 2001-02 से अपने वार्षिक लेखा को अंतिम रूप नहीं दे सकी थी और उसके कारण कम्पनी ने 2010-11 से टैरिफ याचिका समर्पित नहीं की थी। तथापि, कम्पनी का ऊर्जा उत्पादन लागत 2011-16 के दौरान बढ़ गई थी क्योंकि इसका प्रमुख घटक ऋण पर ब्याज 2011-12 में 47.52 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 61.39 प्रतिशत हो गया था और ऊर्जा उत्पादन में कमी आयी थी। 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान ऊर्जा के विक्रय पर प्रति इकाई शुद्ध राजस्व में गिरावट की प्रवृत्ति आरेख सं0 2.1.1 में दर्शाया है।

आरेख सं0 2.1.1 : ऊर्जा विक्रय में हानि की विवरणी




स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ऊर्जा विक्रय पर शुद्ध राजस्व प्रति युनिट नाकारात्मक था और यह 2011-12 के (-) ₹ 6.58 प्रति इकाई से बढ़कर 2015-16 में (-) ₹ 8.44 प्रति इकाई हो गया।

ऊपर दर्शित है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ऊर्जा विक्रय पर शुद्ध राजस्व प्रति इकाई नकारात्मक था और यह 2011-12 के (-) ₹ 6.58 प्रति इकाई से बढ़कर 2015-16 में (-) ₹ 8.44 प्रति इकाई हो गया था। अल्प वसूली के मुख्य कारण टैरिफ याचिका दाखिल करने में विफलता, वार्षिक लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब एवं परिचालन अक्षमताएँ थीं जो कि कंडिका संख्या 2.1.8 और 2.1.10 में चर्चित है।

पिछले पाँच वर्षों में घटकों के अनुसार लागत प्रति इकाई (प्रतिशत में) आरेख सं0 2.1.2 में दी गई है :

आरेख सं0 2.1.2 : परिचालन लागत के विभिन्न घटक प्रतिशत में



स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

ऊपर से दर्शित है कि वित्त लागत, कुल लागत का एक प्रमुख घटक है और यह 2011-12 से 2015-16 के अवधि के दौरान कुल लागत के 48 प्रतिशत से 61 प्रतिशत के बीच था।

अपनी टैरिफ बी0ई0आर0सी0 से संशोधित कराने में कम्पनी की विफलता

2.1.8 बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) टैरिफ विनियमन के निर्धारित नियम और शर्तों, के विनियम 5 अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करती है कि ऊर्जा उत्पादित करने वाली कम्पनी को, अपने टैरिफ अनुमोदन के लिए बी0ई0आर0सी0 के पास पिछले वर्ष के अंकेक्षित वार्षिक लेखाओं के साथ आवेदन करना होगा। बी0ई0आर0सी0 द्वारा कम्पनी के वर्ष 2009-10 के अनंतिम टैरिफ आदेश का अनुमोदन करते हुए कम्पनी को निर्देश दिया गया था कि भविष्य में अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करें, अन्यथा कम्पनी का टैरिफ आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि ₹ 2.49 प्रति इकाई की अनुमोदित टैरिफ पड़ोसी राज्यों के इसी प्रकार के अधिकांश एस0एच0पी0 के लिए अनुमोदित टैरिफ की तुलना में कम था जैसे ₹ 2.73 प्रति इकाई (रुंत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड का शीतला एस0एच0पी0) ₹ 3.78 प्रति इकाई एवं ₹ 3.94 प्रति इकाई (छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड का गंगुल और कोरबा एस0एच0पी0)

कम्पनी के लेखा 2001-02 से बकाए में थे। अंकेक्षित वार्षिक लेखा के अभाव में कम्पनी ने बी0ई0आर0सी0 के पास 2010-11 से टैरिफ याचिका दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार कम्पनी कम दर पर ऊर्जा बेचने के लिए विवश था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि ₹ 2.49 प्रति इकाई की अनुमोदित दर, डिस्कॉम की ₹ 4.12 प्रति इकाई की औसत ऊर्जा क्रय लागत से भी कम था।

इस प्रकार कम्पनी यदि भविष्य में, बी0ई0आर0सी0 से, डिस्कॉम के प्रचलित औसत ऊर्जा की खरीद लागत के बराबर टैरिफ प्राप्त करने में सफल हो भी जाती है तो भी उत्पादित लागत खर्च की वसूली कम ही रहेगी। इस प्रकार परिचालन से कम्पनी के

अंकेक्षित वार्षिक लेखाओं के अभाव में, कम्पनी 2010-11 से बी0ई0आर0सी0 के समक्ष टैरिफ आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकी थी


एस0एच0पी0 ब्रेक इवन प्वाइंट की स्थिति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार कम्पनी के एस0एच0पी0 के परिचालन व्यावसायिक रूप से अलाभकारी बना हुआ है।

सरकार ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी ने एक तीन सदस्यीय समिति गठित कर रही थी ताकि वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा सके और सांविधिक अंकेक्षण को पूर्ण किया जा सके।

बकाया वसूली राशि का संचय ₹ 27.42 करोड़

2.1.9 2011-12 से 2015-16 के अवधि के दौरान, तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड), की वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम) के यहाँ देय राशि/वसूलनीय राशि की स्थिति आरेख सं0 2.1.3 में दर्शाई गई है :

आरेख सं0 2.1.3 बकाया वसूली राशि की विवरणी



स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वसूलनीय बकाया राशि 2011-12 के ₹17.34 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 27.42 करोड़ हो गयी थी। इसके अतिरिक्त प्राप्त भुगतान, कुल बकाया के सापेक्ष 38.42 प्रतिशत (2011-12) से घटकर 19.64 प्रतिशत (2015-16) हो गई थी जो यह बताता है कि बकाया राशि की वसूली निम्न थी। बकाया वसूलनीय राशि का संचय कम्पनी के परिचालन को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रही थी। इसका मुख्य कारण कम्पनी का एस0एच0पी0, कटैया से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में कम्पनी की विफलता एवं डिस्कॉम के साथ वसूलनीय बकाया राशि के समाशोधन में विफलता थी जिसका विवरण निम्नवत् है:

- बिहार सरकार ने कटैया एस0एच0पी0 को, तत्कालीन बोर्ड से कम्पनी को, हस्तान्तरित करने हेतु अधिसूचना जारी की (जून 2003) और वह सितम्बर 2003 में हस्तान्तरित हुई। अधिसूचना के अनुसार कटैया एस0एच0पी0 बोर्ड को उतनी ही ऊर्जा निःशुल्क विक्रय करेगी/उपलब्ध कराएगी जितनी बोर्ड द्वारा हस्तांतरण होने के समय उत्पादित होती थी। कम्पनी द्वारा किया गया अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन जो कि मौजूदा

उत्पादन से अधिक होगा उसका बोर्ड द्वारा कम्पनी पर लागू टैरिफ दर पर भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना के जारी होने के बाद, कटैया एस0एच0पी0 की एक वर्ष उपरान्त समीक्षा की जाएगी। हालांकि अभी तक (नवम्बर 2016) कोई भी समीक्षा नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि बोर्ड/डिस्कॉम को नवम्बर 2016 तक 77.66 मे0यू0 ऊर्जा बेची गई जिसके विरुद्ध ₹ 16.66 करोड़ राशि वसूलनीय थी।

• ऊर्जा विक्रय से संबंधित वसूलनीय राशि का मिलान कम्पनी और बोर्ड के बीच वर्ष 2011 में हुआ था, जहाँ कि ₹ 18.44 करोड़ (कटैया एस0एच0पी0 के ₹ 11.02 करोड़ को मिलाकर) के दावे के विरुद्ध, बोर्ड ने ₹ 3.27 करोड़ का दावा ही आंशिक रूप से स्वीकार किया था। इस प्रकार कुल ₹ 15.17 करोड़ के दावे का मिलान नहीं हो पाया था और इसके लिए कम्पनी द्वारा अग्रेतर कोई प्रयास नहीं किया गया था। कम्पनी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान बिक्री की गई ऊर्जा का समाशोधन बोर्ड/डिस्कॉम से करने में भी असफल रहा था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि बकाया राशि को वसूल करने का प्रयास किया जा रहा था और ₹ 9.23 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। हालांकि, प्रबंधन ने अभी तक वसूल की गई राशि का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया था। साक्ष्य के अभाव में वसूली की राशि लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी थी।

कम्पनी की परिचालन कुशलता


कम्पनी के पास 13 एस0एच0पी0 थे, जिनकी स्थापित क्षमता 54.30 मेगावाट थी। इन एस0एच0पी का परिचालन प्रदर्शन प्लांट लोड फैक्टर (पी0एल0एफ0) संयंत्र उपलब्धता और लक्षित उत्पादन के विरुद्ध वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में जाँच की गई। स्थापित एस0एच0पी0 का परिचालन निष्पादन नीचे दिए गए कंडिका में चर्चित है :

2.1.10 ऊर्जा उत्पादन में कमी

बी0ई0आर0सी0 ने एस0एच0पी0 के परिचालन हेतु 30 प्रतिशत का मानक पी0एल0एफ0 निर्धारित किया है। कम्पनी के 13⁷ एस0एच0पी0 जिनकी स्थापित क्षमता 54.30 एम0डब्ल्यू0 है उनकी 2011-12 से 2015-16 की अवधि में मानक क्षमता, वास्तविक उत्पादन और ऊर्जा के उत्पादन में कमी आरेख सं0 2.14 में दी गई है :

⁷ (i) अगनुर एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (ii) अरवल एस0एच0पी0 (1x0.5 एम0डब्ल्यू0), (iii) बारुण एस0एच0पी0 (2x1.65 एम0डब्ल्यू0), (iv) बेलसार एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (v) डेहरी ऑन-सोन एस0एच0पी0 (4x1.65 एम0डब्ल्यू0), (vi) डेलाबाग एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (vii) जयनगरा एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (viii) कटैया एस0एच0पी0 (4x4.8 एम0डब्ल्यू0), (ix) नासरिगंज एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (x) सेबारी एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0), (xi) सिरखिण्डा एस0एच0पी0 (2x0.35 एम0डब्ल्यू0), (xii) त्रिवेणी एस0एच0पी0 (2x1.5 एम0डब्ल्यू0) और (xiii) वाल्मीकिनगर एस0एच0पी0 (3x5 एम0डब्ल्यू0)।

आरेख सं० 2.1.4 : उत्पादन में कमी का विवरणी



स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

जैसा कि उपर्युक्त दर्शित है कि कम्पनी द्वारा ऊर्जा का उत्पादन संतोषजनक नहीं था। बी०ई०आर०सी० के 417 एम०डब्ल्यू० मानक के विरुद्ध 2011-16 के दौरान 213.14 एम०डब्ल्यू० ऊर्जा का ही वास्तविक उत्पादन हुआ था। ऊर्जा उत्पादन में 203.56 एम०डब्ल्यू० (48.89 प्रतिशत) की कमी के कारण कम्पनी को 2011-12 से 2015-16 की अवधि में ₹ 50.76 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

उत्पादन में कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

- प्लांट लोड फैक्टर (पी०एल०एफ०) वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता में अधिकतम संभव उत्पादन के बीच अनुपात को दर्शाता है। वास्तविक पी०एल०एफ और लम्बित पी०एल०एफ की वर्षवार विवरणी **परिशिष्ट 2.1.3 (अ)** में दी गई है। **परिशिष्ट** से देखा जा सकता है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि में प्लांट लोड फैक्टर 30 प्रतिशत के निर्देशचिन्हों के विरुद्ध 11.79 प्रतिशत एवं 19.56 प्रतिशत के बीच थी। पी०एल०एफ० में कमी के मुख्य कारण कम संयंत्र उपलब्धता और संयंत्र की आउटपुट की उच्च अवधि थे जो आगे की कंडिकाओं में चर्चित है।
- एस०एच०पी० के औसत संयंत्र उपलब्धता का मानक, जब एस०एच०पी० को जल उपलब्ध नहीं होता है, एक तिहाई उपलब्ध घंटे को घटाकर 67 प्रतिशत है। एस०एच०पी० में जल की आपूर्ति जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू०आर०डी०), बिहार सरकार के नहरों से की जाती है। ये नहरें, तीन बराजों यथा डेहरी में सोन नदी पर बनी हुई इन्द्रपुरी बराज, वाल्मीकिनगर में गण्डक नदी पर वाल्मीकीनगर बराज, और कटैया में कोशी नदी पर बीरपुर बराज से जुड़ी हुई है। इन्द्रपुरी बराज 10^8 एस०एच०पी० (17.10 एम०डब्ल्यू०), वाल्मीकीनगर और

⁸ (i) अगनूर एस०एच०पी०, (ii) अरवल एस०एच०पी०, (iii) बारुण एस०एच०पी०, (iv) बेल्सार एस०एच०पी०, (v) डेहरी ऑन-सोन एस०एच०पी०, (vi) ढेलाबाग एस०एच०पी०, (vii) जयनगरा एस०एच०पी०, (viii) नासरिगंज एस०एच०पी०, (ix) सेबारी एस०एच०पी० और (x) श्रृंखंडा एस०एच०पी०

बीरपुर बराज क्रमशः दो⁹ एस0एच0पी0 (18 एम0डब्ल्यू0) और एक एस0एच0पी0, यथा कटैया एस0एच0पी0 (19.20 एम0डब्ल्यू0), के जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। नहरों से जल, डब्ल्यू0आर0डी0 द्वारा राज्य में सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केवल सिंचाई हेतु छोड़ी जाती है, जिसका उपयोग कम्पनी द्वारा ऊर्जा उत्पादन में भी की जाती है। संचालित घंटे और परिचालन के लिए उपलब्ध घंटे की विवरणी **परिशिष्ट 2.1.3 (ब)** में दी गई है। **परिशिष्ट** से देखा जा सकता है कि परिचालन के लिए उपलब्ध घंटे के विरुद्ध वास्तविक संचालित घंटे कम थे। संयंत्र की उपलब्धता का 35.42 प्रतिशत (2011-12) और 12.65 प्रतिशत (2015-16) के बीच था। यह एस0एच0पी0 के अकुशलता परिचालन को दर्शाता है। कम संयंत्र उपलब्धता मुख्य रूप से आउटटेज की लंबी अवधि जो जल का अनुपलब्धता/कम आपूर्ति और मशीनों की खराबी की वजह से थी।

- वास्तविक संयंत्र आउटटेज अधिकतम उपलब्ध घंटे का 65 प्रतिशत से 87 प्रतिशत के बीच थी। यह मुख्य रूप से डब्ल्यू0आर0डी0 से अपने एस0एच0पी0 के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कम्पनी की विफलता के कारण थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा अपने एस0एच0पी0 को जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहा जो स्केप चैनल के निर्माण, अनुचित निकासी प्रणाली और संयंत्रों के खराब रखरखाव के कारण थी जैसा कि नीचे चर्चित है।

स्केप चैनल, नहर बंदी की अवधि के दौरान, एस0एच0पी0 में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। कम्पनी ने वाल्मीकीनगर एस0एच0पी0 में स्केप चैनल बनाने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन बनाई जिससे राज्य को 41.17 एम0यू0 अधिक ऊर्जा प्राप्त होती। इसके लिए, राज्य सरकार ने 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 17 करोड़ की राशि जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कम्पनी ने इस परियोजना में अभी तक (नवम्बर 2016) कोई कार्रवाई नहीं की है।

अपने एस0एच0पी0 (अमेठी¹⁰ एस0एच0पी0, तेजपुरा¹¹ एस0एच0पी0, अरवल¹² एस0एच0पी0 और नासरीगंज¹³ एस0एच0पी0) के निकास प्रणाली में सुधार हेतु, जिसमें वोल्टेज का संवर्धन 11 के0भी0ए0 से 33 के0भी0ए0 करना था और निकास जी0एस0एस0 के द्वारा की जानी थी, ₹ 14 करोड़ की राशि कम्पनी को फरवरी 2013 से मार्च 2014 के दौरान जारी की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि राशि की प्राप्ति के तीन वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी यह परियोजना अभी तक (नवम्बर 2016) शुरू नहीं की गई थी।

⁹ (i) त्रिवेणी एस0एच0पी0 एवं (ii) वाल्मीकीनगर एस0एच0पी0

¹⁰ जयनगरा एस0एच0पी0, श्रीखण्डा एस0एच0पी0, अमेठी एस0एच0पी0, रामपुर एस0एच0पी0 और नटवार एस0एच0पी0 को 11 के0वी0 लाईन से जोड़ने के लिए जिसे आगे 33 के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन (जी0एस0एस0) में निकासी के लिए बढ़ाया जाएगा।

¹¹ डेहरा एस0एच0पी0, तेजपुरा एस0एच0पी0 और सिपहा एस0एच0पी0 को 11 के0भी0 लाईन से जोड़ने के लिए जिसके आगे 33 के0भी0 डी0एस0एस0 में निकासी के लिए बढ़ाया जाएगा।

¹² अगनुर एस0एच0पी0, बेलसर एस0एच0पी0 वालिदाद एस0एच0पी0 ओर अरवल एस0एच0पी0 को 11 के0भी0 लाईन से जोड़ने के लिए।

¹³ देलाबाग एस0एच0पी0, नासरीगंज एस0एच0पी0, पहरमा एस0एच0पी0 और सेबारी एस0एच0पी0 को 11 के0भी0 लाईन से जोड़ने के लिए जिसे आगे 33 के0भी0 जी0एस0एस0 में निकासी के लिए बढ़ाया जाएगा।

2011-16 की अवधि में पाँच नमूना जाँच एस0एच0पी0, जिसका नाम है वाल्मीकीनगर एस0एच0पी0, कटैया एस0एच0पी0, अरवल एस0एच0पी0, नासरीगंज एस0एच0पी0 और सेवारी एस0एच0पी0 है, में आउटेज की विवरणी तालिका सं0 2.1.2 में संक्षेपित है :

तालिका सं0 2.1.2 पाँच नमूना जाँच एस0एच0पी0 में आउटेजेज की विवरणी

वर्ष	अधिकतम उपलब्ध घंटे ¹⁴	परिचालित घंटे	वास्तविक आउटेज	कुल (प्रतिशत में)	आउटेज का विवरण (प्रतिशत में)		
					अनुपलब्धता/जल की कम मात्रा	ग्रिड की विफलता	आर0 एण्ड एम0 कार्य
2011-12	44592	15794.17	28797.83	65	39	17	8
2012-13	70080	18828.07	51251.93	73	54	18	1
2013-14	70080	23229.95	46850.05	67	53	11	3
2014-15	70080	12103.25	57976.75	83	66	6	10
2015-16	70080	8865.42	61214.58	87	58	6	23
कुल	324912	78820.86	246091.14				

स्रोत : कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

- उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि लम्बी अवधि के लिए संयंत्र की बंदी मुख्य रूप से (1) एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता/अल्पता थी जो 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान उपलब्ध घंटे के 39 से 66 प्रतिशत के बीच था, (2) एस0एच0पी0 की बंदी, जो मशीनों के मरम्मत और रखरखाव के कारण था और उपलब्ध घंटे के एक से 23 प्रतिशत के बीच था और (3) बिजली के वितरण के लिए वितरण नेटवर्क की कमी थी जो 2011-16 के अवधि में उपलब्ध घंटे के छः से 18 प्रतिशत के बीच था।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान इन एस0एच0पी0 के संयंत्र आउटेज घंटे की मात्रा में और विभिन्न बाधाओं के कारण संयंत्र आउटेजेज प्रतिशत में **परिशिष्ट 2.1.3 (स)** में दी गई है। परिशिष्ट के गहन विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इन एस0एच0पी0 में ऊर्जा के उत्पादन घंटे के मात्रा में कमी के मुख्य कारण (1) 180043.57 घंटे एस0एच0पी0 में जल की अनुपलब्धता/अल्प मात्रा (116 एम0डब्ल्यू0 की हानि¹⁵ जिसका मूल्य ₹ 28.89 करोड़ था) (2) 29513.72 घंटे खराब मरम्मत और रख रखाव के कारण एस0एच0पी0 की बंदी (3.98 एम0डब्ल्यू0 की हानि जिसका मूल्य एक करोड़ था) और (3) 36533.85 घंटे का ग्रीड फेल होना (8.19 एम0डब्ल्यू0 की हानि जिसका मूल्य ₹ 2.04 करोड़ था)। आउटेजेज के विश्लेषण करने पर यह भी पता चलता है कि एस0एच0पी0 आउटेजेज का कारण मुख्य रूप से इन एस0एच0पी0 को आपूर्ति की जाने वाली जल की अनुपलब्धता/अल्प मात्रा थी और जो एस0एच0पी0-वार नीचे चर्चित है :

वाल्मीकीनगर एस0एच0पी0 : 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान संयंत्र आउटेजेज का कारण, जल की अनुपलब्धता/अल्प मात्रा थी जो 9549 घंटे से 13065 घंटे के बीच थी। संयंत्र आउटेज का प्रतिशत, जो जल के अनुपलब्धता/अल्प मात्रा के कारण से हुई, वह कुल आउटेज का 51 से 75 प्रतिशत था।

¹⁴ डब्लू0आर0डी0 द्वारा नहर बन्दी के चार माह घटाने के बाद

¹⁵ ऊर्जा की हानि की गणना एम0यू0 में एस0एच0पी0 के परिचालन बी0ई0आर0सी0 के मानक 30 प्रतिशत के पी0एल0एफ0 के आधार पर की गई थी।

कटैया एस0एच0पी0 : 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान संयंत्र आउटटेज जल की अनुपलब्धता/अल्प आपूर्ति के वजह से थी जो 18614 से 21777 घंटे के बीच थी और जो कुल आउटटेज का 80 से 93 प्रतिशत था।

नासरीगंज एस0एच0पी0 : 2011-12 से 2015-16 के बीच संयंत्र आउटटेज जल की अनुपलब्धता/अल्प आपूर्ति के कारण थी जो 788 घंटे से 7564 घंटे के बीच थी जो कुल आउटटेज का 65 प्रतिशत था।

सेबारी एस0एच0पी0 : 2011-12 की अवधि के दौरान, संयंत्र आउटटेज जल की अनुपलब्धता/अल्प आपूर्ति के कारण से था जो 2088 घंटे से 7650 घंटे के बीच था और कुल आउटटेज का 18 से 65 प्रतिशत था।

अरवल एस0एच0पी0 : 2012-13 से 2013-14 की अवधि के दौरा संयंत्र आउटटेज का मुख्य कारण जल की अनुपलब्धता/अल्प आपूर्ति थी जो 457 घंटे से 777 घंटे के बीच था। जल की अनुपलब्धता/अल्प आपूर्ति के वजह से संयंत्र आउटटेज का प्रतिशत कुल आउटटेज के आठ से 13 प्रतिशत था। एस0एच0पी0 मई 2014 से संचालन एवं रखरखाव के कारण बंद है।

सरकार ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2016) कि नई प्रचालन एवं अनुरक्षण नीति कम्पनी द्वारा बनाई जा रही थी जिससे इंगित कमियों को प्रभावी रूप से दूर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने कम्पनी के एस0एच0पी0 में जल के उपलब्धता के मुद्दे पर कहा (जनवरी 2017) कि कम्पनी के एस0एच0पी0 सिंचाई नहरों पर आश्रित है और सिंचाई हेतु, जल निकास नियंत्रण जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू0आर0डी0) करती है। उन्होंने यह भी कहा कि जल की मात्रा के लिए डब्ल्यू0आर0डी0 से कोई लिखित आश्वासन नहीं है जिससे कि नहरों में जल की उपलब्धता ऊर्जा उत्पादन करने हेतु बनाये रखा जा सके। इस प्रकार, एस0एच0पी0 में जल की उपलब्धता पर कम्पनी का कोई नियंत्रण नहीं है।

एसएच0पी0 के संचालन और रखरखाव (ओ0 एण्ड एम0) गतिविधि

2.1.11 कम्पनी के बोर्ड ने 56 वां बैठक में, जो मई 1995 में हुआ था, प्रस्तावित किया कि ओ0 एण्ड एम0 कार्य अनुबंध कार्य के आधार पर किया जाए। इस प्रकार, कम्पनी ने अपने एस0एच0पी0 के ओ0 एण्ड एम0 हेतु निजी एजेन्सियों को नियुक्त (जुलाई 2012) किया। ओ0 एण्ड एम0 अनुबंध के अनुसार, अगर एस0एच0पी0 का उत्पादन डिजाईन क्षमता के 40 प्रतिशत से नीचे आता है तो कम्पनी संवेदकों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और परिचालन प्रदर्शन में सुधार हेतु सुधारात्मक कदम उठाएगी।

कम्पनी के द्वारा की गई ओ0 एण्ड एम0 अनुबंध की समीक्षा में लेखापरीक्षा ने निम्न कमियाँ पाई :

- कम्पनी ने 10 एस0एच0पी0 के ओ0 एण्ड एम0 कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की (मार्च 2012) जिसमें दो संवेदकों¹⁶ को कार्यादेश उनके पक्ष में तकनीकी – वाणिज्यिक बोली के मानदण्डों में छूट देकर दी गयी थी जो अनियमित था।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे की जाँच की जा रही है। तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

- कम्पनी ने एस0एच0पी0 के ओ0 एण्ड एम0 कार्य, अभिलेखों पर बिना किसी औचित्य के एल0 2¹⁷ को ₹ 2.41 लाख प्रति माह की दर से जारी (जुलाई 2015)

¹⁶ मे0 गण्डक कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड और मे0 रतन एण्ड सन्स ईलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड

¹⁷ मे0 शाहाबाद इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड रोहतास

कर दिया जबकि एल 1¹⁸ की दर ₹ 1.48 लाख प्रति माह थी। जिसके कारण संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया और अप्रैल 2016 तक ₹ 42.32 लाख¹⁹ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने जवाब में कहा (नवम्बर 2016) कि एल 2 निविदादाता को कार्यादेश इसलिए दिया गया क्योंकि एल 1 की बोली अव्यवाहारिक थी जो अनुमानित राशि से 39 प्रतिशत कम थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह का मानदंड बोली प्रक्रिया के दौरान पहले से परिभाषित नहीं थी।

- कम्पनी ने काम पर रखे गए निजी ओ0 एण्ड एम0 एजेन्सियों के कार्यों के प्रदर्शन का आकलन 2011-12 से 2015-16 के दौरान नहीं किया था जिससे उनके निष्पादन की समीक्षा की जा सके।

पूँजीगत कार्यों का निष्पादन

2.1.12 कम्पनी राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एस0एच0पी0) की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है। कम्पनी बिहार सरकार/कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) द्वारा सम्पोषित एस0एच0पी0 का निर्माण राज्य में करती है। 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान कम्पनी ने राज्य सरकार और नाबार्ड सम्पोषित तीन²⁰ एस0एच0पी0 के निर्माण की जिम्मेवारी ली, जिनका मूल्य ₹ 92.67 करोड़ था। इसके अलावा, दो अन्य कार्य (सोन नहर के पास के सभी एस0एच0पी0 के लिए ऊर्जा निकासी की प्रणाली में सुधार और वाल्मीकी नगर एस0एच0पी0 के लिए स्केप चैनल), भी कम्पनी को उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये, जिनका मूल्य ₹ 39.95 करोड़ था ताकि उत्पादन क्षति को कम किया जा सके।

कम्पनी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले पूँजीगत कार्यों में दो मुख्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जिसमें (1) एस0एच0पी0 की स्थापना हेतु योजना, और (2) एस0एच0पी0 के निर्माण और विद्यमान एस0एच0पी0 के आधुनिकीकरण/उन्नयन परियोजना के योजना में स्थलों की पहचान, नदी सर्वेक्षण, पूर्व व्यवहारता प्रतिवेदन (पी0एफ0आर0) बनाना, लागत अनुमान के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार करना, परियोजना के संपोषण के लिए लागत अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना इत्यादि शामिल हैं। एस0एच0पी0 का निर्माण निविदा आमंत्रित कर कार्य के आवंटन द्वारा किया जाता है।

नियोजन

2.1.13 गैर-परम्परागत स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है, इस तरह के स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है। गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों, जैसे कि – लघु जल विद्युत ईकाइयाँ, पवन, सौर और बायोमास आदि, का उपयोग करने हेतु उचित योजना की आवश्यकता है जिससे राज्य में अधिकतम ऊर्जा उत्पादन हो सके।

कम्पनी, बिहार सरकार की 'नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए बिहार की नीति, 2011' के तहत लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के प्रस्तावों की सिफारिश के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नियुक्त थी।

¹⁸ डी0बी0एस0 कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रोहतास

¹⁹ 45.5 महीने x (₹ 2.41 लाख- ₹ 1.48 लाख)

²⁰ अरहारघाट एस0एच0पी0, सिपहा एसएच0पी0 एवं डेहरा एस0एच0पी0

कम्पनी ने अनुमान लगाया था कि राज्य में जल विद्युत ऊर्जा के लिए 479.85 एम0डब्ल्यू0 की क्षमता है जिसमें से केवल 89.60 एम0डब्ल्यू0 का ही इस्तेमाल किया जा रहा था (नवम्बर 2016)। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार के लिए योजना बनाने में त्रुटियाँ अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चित हैं :

• **लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल विद्युत नीति की समीक्षा करने में विफलता**

विभाग ने, सभी प्रकार की नई और नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें लघु/सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएँ (25 एम0डब्ल्यू0 तक) भी शामिल थीं, के लिए 'नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए बिहार की नीति, 2011' जारी (जून 2011) की। विभाग ने उक्त नीति के अन्तर्गत कम्पनी को राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया। चूंकि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः राज्य सरकार के लिए जरूरी था कि वह उक्त नीति को समीक्षा करे। हाँलाकि, राज्य सरकार के द्वारा यह नहीं किया गया था (नवम्बर 2016)।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि एक संशोधित नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति, बिहार नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) द्वारा तैयार किया जा रहा था जिसमें जल विद्युत भी शामिल था।

• **कम्पनी की निष्क्रियता के कारण निष्फल व्यय**

(अ) कम्पनी ने राज्य में जल विद्युत का दोहन करने के लिए महानंदा नदी बेसिन, बूढ़ी गंडक बेसिन और गंडक नदी बेसिन में जल विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु नदी सर्वेक्षण एवं पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाया (2011-12)। कम्पनी ने विभिन्न पैकेजों के लिए जैसे कि : पैकेज अ और ब (महानंदा नदी बेसिन), स और द (बूढ़ी गंडक बेसिन), और ई एवं फ (गंडक नदी बेसिन) हेतु निविदाएँ आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी) मँगाई (अगस्त 2011) और विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति²¹ तथा निदेशक मंडल (बोर्ड) की स्वीकृति के बिना ही एक्सप्लोरर (₹ 0.48 करोड़ के लिए पैकेज अ), वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेसी सर्विसेज (वैपकोस) (₹ 1.96 करोड़ पैकेट ब, स और द के लिए) और वोआयंट्स सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड (₹ 0.68 करोड़ के पैकेज ई0 एवं फ के लिए) को कार्यादेश जारी कर दिया (दिसम्बर 2011 से जनवरी 2012)। इन संवेदकों ने 216.86 एम0डब्ल्यू0 के स्थापित क्षमता के परियोजना स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण प्रतिवेदन और 14²² पूर्व - व्यवहार्यता प्रतिवेदन जमा (फरवरी 2013 से सितम्बर 2013) की। कम्पनी द्वारा ₹ 1.76 करोड़ का कुल भुगतान किया गया (नवम्बर 2016)। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन साल व्यतीत हो जाने के बाद भी कम्पनी पी0एफ0आर0 के अनुसार काम करने में विफल रहा जिसके कारण पी0एफ0आर0 के मद में दिया गया ₹ 1.76 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया (नवम्बर 2016)।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि मामले की जाँच की जा रही है जिसके पश्चात् कार्रवाई की जाएगी।

²¹ पी0डब्ल्यू0डी0 कोड के नियम 121 और कार्यालय आदेश संख्या 24/फिन/कोड- 11/252/83 दिनांक 30.6.1983 के अनुसार

²² (i) बगहा (50 एम0डब्ल्यू0), (ii) बड़ा गोविन्दपुर (14.50 एम0डब्ल्यू0), (iii) बड़दिया घाट (1 एम0डब्ल्यू0), (iv) बसन्तपुर (10.4 एम0डब्ल्यू0), (v) बेतिया (80 एम0डब्ल्यू0), (vi) बीरपुर (2.60 एम0डब्ल्यू0), (vii) छतरभोग (5.4 एम0डब्ल्यू0), (viii) डालकोला (9.44 एम0डब्ल्यू0), (ix) जिड़िया (3.25 एम0डब्ल्यू0), (x) पोखरिया (7.3 एम0डब्ल्यू0), (xi) रघुनाथपुर (2 एम0डब्ल्यू0), (xii) रघुनाथपुर (9 एम0डब्ल्यू0), (xiii) रूपाघर (4.97 एम0डब्ल्यू0), और (xiv) सोनपुर (17 एम0डब्ल्यू0)।

राज्य सरकार द्वारा जल विद्युत नीति की समीक्षा नहीं की गई।

कम्पनी द्वारा डी0पी0आर0 बनाने में ₹ 49 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

कम्पनी ने पी0एफ0आर0 बनाने में ₹ 1.76 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(ब) कम्पनी ने 2011-12 की अवधि में 20 एम0डब्ल्यू0 स्थापित क्षमता के तीन²³ परियोजनाओं के डी0पी0आर0 बनाने हेतु एन0आइ0टी0 आमंत्रित किया (सितम्बर 2011)। संवेदकों को ₹ 94 लाख के लिए दिसम्बर 2011/जनवरी 2012 में इस आशय का पत्र (एल0ओ0आई0) जारी किया गया। संवेदकों ने अक्टूबर 2013 में डी0पी0आर0 जमा किया। संवेदकों को इसके लिए 49 लाख का भुगतान किया गया (नवम्बर 2016)। तथापि, कम्पनी ने तीन साल व्यतीत हो जाने के बाद भी इन डी0पी0आर0 पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। कम्पनी की निष्क्रियता के कारण ₹ 49 लाख का व्यय निष्फल रहा (नवम्बर 2016)।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि मामले की जाँच की जा रही है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

एस0एच0पी0 का निष्पादन/निर्माण

2.1.14 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान कम्पनी ने तीन नए एच0एच0पी0 के निर्माण कार्य के साथ-साथ विभिन्न नाबार्ड पोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गत 2011-12 से पूर्व आवंटित एस0एच0पी0 के निर्माण का आवंटन किया।

आर0आई0डी0एफ0 राज्य सरकार और राज्य स्वामित्व वाली कम्पनियों को कम लागत पर निधि प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि मध्यम और लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्र आदि से संबंधित चल रही परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा सके।

नाबार्ड, आर0आई0डी0एफ0 फेज VIII के अन्तर्गत 2003-04 में स्वीकृत 15 एस0एच0पी0 में से मात्र छः परियोजनाएँ 2010 तक पूर्ण हुई थीं, दो एस0एच0पी0 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान पूर्ण हुई जबकि सात एस0एच0पी0 अभी भी (नवम्बर 2016) निर्माणाधीन थीं।

एस0एच0पी0 के निष्पादन में पाई गई प्रेक्षित त्रुटियों की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

पूर्ण परियोजनाएँ

कम्पनी द्वारा आठ पूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 52.87 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अन्य परियोजनाओं के मद से विचलन करके की गई।

2.1.15 आर0आई0डी0एफ0 VIII योजना के अन्तर्गत आठ पूर्ण एस0एच0पी0 की स्थिति जिसमें स्वीकृत लागत के विरुद्ध पूर्ण होने की वास्तविक लागत की तुलना की गई है वह परिशिष्ट 2.14 (अ) में विस्तार से दी गई है। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि ₹ 49.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध, ये आठ एस0एच0पी0 ₹ 102.79 करोड़ खर्च करने के बाद पूर्ण हुई थी। इन एच0एच0पी0 पर जो अतिरिक्त ₹ 52.87 करोड़ खर्च की गई थी वह राशि अन्य परियोजनाओं की राशि से विचलन कर की गई थी जोकि अनियमित था। कम्पनी राज्य सरकार से अतिरिक्त खर्च के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (ए0ए0) प्राप्त करने में भी अभी तक (नवम्बर 2016) विफल रहा।

विभाग के प्रधान सचिव ने कहा (जनवरी 2017) कि मामले की 15 फरवरी 2017 तक समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

²³ (i) मनहारा (सहरसा)(4x2 एम0डब्ल्यू0), (ii) मलहनवा(सुपौल)(3x2 एम0डब्ल्यू0), एवं (iii) संतोखर (मधेपुरा)(2x3 एम0डब्ल्यू0)।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में पूर्ण हुए दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई त्रुटियाँ निम्नवत वर्णित है :

अरवल और बेलसार एस0एच0पी0 पर ₹ 13.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

2.1.16 अरवल एस0एच0पी0 (1x0.5 एम0डब्ल्यू0) के असैनिक कार्य के निर्माण के लिए एल0ओ0आई0 जून 2004 में ₹ 1.41 करोड़ की दी गई जिसमें पूर्ण होने की निर्धारित तिथि फरवरी 2005 थी। उसी तरह उन परियोजनाओं के विद्युत यांत्रिक (ई0एम0) कार्य के लिए एल0ओ0आई0 फरवरी 2006 में ₹ 3.19 करोड़ में जारी की गई थी जिसमें पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नवम्बर 2008 थी। तथापि, अरवल एस0एच0पी0 सात वर्ष की देरी से फरवरी 2012 में ₹ 5.78 करोड़ की अतिरिक्त व्यय करने के बाद चालू की गई थी।

उसी प्रकार, बेलसार एस0एच0पी0 (2x0.5 एम0डब्ल्यू0) के असैनिक कार्य और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ई0एम0) कार्य के लिए एल0ओ0आई0 अक्टूबर 2005 में ₹ 8.35 करोड़ में जारी की गई जिसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नवम्बर 2008 थी। तथापि, बेलसार एस0एच0पी0 तीन वर्ष और दो महीनों के विलम्ब से ₹ 7.27 करोड़ अतिरिक्त व्यय कर फरवरी 2012 में पूर्ण हुई।

इन दो एस0एच0पी0 के पूर्ण होने में विलम्ब के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :

- कम्पनी ने अरवल एस0एच0पी0 और बेलसार एस0एच0पी0 के असैनिक कार्य के नक्शों को मंजूर करने में क्रमशः तीन और पाँच वर्ष का समय लिया।
- इन एस0एच0पी0 क असैनिक कार्यों के नक्शा में बदलाव के कारण, कम्पनी ने इन परियोजनाओं के परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) के 15 नमूना जाँच मदों में बदलाव किया था। बी0ओ0क्यू0 के अन्तर्गत उक्त मद में वृद्धि 48.28 प्रतिशत और 3791.38 प्रतिशत के बीच था। कम्पनी ने उक्त बढ़ोत्तरी विभाग से संशोधित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति (ए0ए0) प्राप्त किए बिना किया जैसा कि बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता (कोड) के नियम 135²⁴ के तहत जरूरी था।
- ये दो परियोजनायें ₹ 13.05 करोड़ के अतिरिक्त व्यय, जो कि अन्य परियोजनाओं की निधि से विचलन कर के पूर्ण की गई थी, वह अनियमित था।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि मामले कि जाँच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अपूर्ण परियोजनाएँ

2.1.17 कम्पनी के पास 17 अपूर्ण परियोजनाएँ (आर0आई0डी0एफ0 आठ के अन्तर्गत सात और नाबार्ड फेज – XIII, XV, XVI और XVII के अन्तर्गत दस) स्वीकृत थीं। इन परियोजनाओं की स्थिति **परिशिष्ट 2.1.4 (ब) और परिशिष्ट 2.1.4 (ड)** में विस्तार से दी गई है। इन परियोजनाओं के निर्माण के कार्य दिसम्बर 2012/जनवरी 2013 से स्थगित है। इससे न केवल राशि अवरुद्ध हुआ बल्कि परियोजनाओं के असैनिक संरचनाएँ भी प्रकृति के संपर्क में थे जिससे उनकी भौतिक स्थिति में भी गिरावट आई और काम के पुनः प्रारंभ होने के समय उनके पुनः उपयोग पर फिर से अतिरिक्त व्यय होगी। इसके अलावे, इन अपूर्ण परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी स्थापित है और विद्युत यांत्रिक सामग्री जो कि साईट/गोदामों में पड़ी हुई थी वहाँ के मामले में भी

²⁴ परियोजना में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें अतिरिक्त व्यय शामिल हो, पुनरीक्षित पूरक प्राक्कलन उचित प्राधिकार के पास स्वीकृति के लिए समर्पित किया जाना चाहिए।

अप्रचलन/नुकसान और चोरी के जोखिम विद्यमान थे। यह उनकी आर्थिक उपयोगिता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर0आई0डी0एफ0) के फेज –VIII की परियोजनाएँ

2.1.18 नाबार्ड, आर0आई0डी0एफ0 फेज VIII योजना के अन्तर्गत स्वीकृत (2003-04) सात परियोजनायें पूर्ण होने के लिए अभी तक (नवम्बर 2016) लम्बित है। इन परियोजनाओं की स्थिति परिशिष्ट 2.1.4 (ब) में विस्तार से दी गई है।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि ₹ 27.50 करोड़ का ए0ए0 के विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 45.49 करोड़ व्यय कर दिया था (नवम्बर 2016) जिसमें से ₹ 17.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अन्य परियोजनाएँ की राशि से विचलन कर के की गई थी। इन सभी परियोजनायें अपूर्ण थीं और इनका कार्य दिसम्बर 2012/जनवरी 2013 से ही निलम्बित थी। आगे, कम्पनी के द्वारा इन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई अभी तक (नवम्बर 2016) नहीं की गई है। परिणामस्वरूप ₹ 45.49 करोड़ का व्यय अवरुद्ध और निष्फल हो गया।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित है :

तेजपुरा, वालिदाद और पहरमा एस0एच0पी0

2.1.19 तेजपुरा (2x0.75 एम0डब्ल्यू0) वालिदाद (2x0.35 एम0डब्ल्यू0) और पहरमा (2x0.5 एम0डब्ल्यू0) एस0एच0पी0 के असैनिक कार्य और विद्युत यांत्रिक कार्य का एल0ओ0आई0 निर्गत करने की तिथि, धीमी प्रगति के कारण अनुबन्ध समाप्ति, शेष कार्य के आवंटन की तिथि का विवरणी **परिशिष्ट 2.1.4 (स)** में दी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इन परियोजनाओं के विलम्ब से पूर्ण होने के निम्न कारण थे :

- तेजपुरा और पहरमा एस0एच0पी0 के असैनिक कार्य का नक्शा को अन्तिम रूप देने में कार्य एल0ओ0आई0 निर्गत के तिथि से क्रमशः सात वर्ष और चार वर्ष की देरी की गई, जबकि वालिदाद एस0एच0पी0 का अन्तिम रूप से नक्शा अभी भी (नवम्बर 2016) पूर्ण किया जाना है जबकि संवेदक को कार्य निर्गत करने की तिथि से नौ वर्ष व्यतीत हो चुका था।
- कम्पनी ने बी0ओ0क्यू0 के छः मदों यथा पावर हाउस के नींव में मिट्टी की खुदाई, पावर हाउस के नींव के नीचे सपाट सिमेंट कंक्रीट (पी0सी0सी0) बिछाना, नींव के पास प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आर0सी0सी0) एवं अधिसंरचना ईट बिछाने का कार्य, ऊँचाई के पास आर0सी0सी0 का कार्य और इस्पात प्रवर्तन में संशोधन, सक्षम पदाधिकारी के प्रशासनिक स्वीकृति लिए बिना किया था जो 167 प्रतिशत से 3545 प्रतिशत के बीच था।
- संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2016) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि तेजपुरा, वालिदाद और पहरमा एस0एच0पी0 के विद्युत यांत्रिक सामग्री, जिनका मूल्य ₹ 11.66 करोड़ था, को अगस्त 2008 तक आपूर्तित की गई थी, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में सामग्री बिना किसी उपयोग के लगभग आठ वर्षों से पड़ी हुई थी। परिणामस्वरूप ₹ 11.66 करोड़ की राशि अबतक अवरुद्ध और निष्फल था जैसा कि निम्न छायाचित्रों से देखा जा सकता है :

कम्पनी ₹ 17.99 करोड़ का व्यय करने के उपरान्त भी सात परियोजनाओं को पूर्ण नहीं कर सका

स्थल पर अपूर्ण एस0एच0पी0 एवं ई0एम0 सामग्रियों की भौतिक स्थिति



तेजपुरा स्थित अपूर्ण एस0एच0पी0



तेजपुरा स्थित अपूर्ण कार्य का टरबाइन



वालिदाद स्थित अपूर्ण एस0एच0पी0



वालिदाद एस0एच0पी0 में खुला पड़ा गाईड वैन



पहरमा में स्थित अपूर्ण एस0एच0पी0



पहरमा एस0एच0पी0 का ड्राफ्ट ट्यूब एलबो सेक्शन सहित

- कम्पनी ने ₹ 16.45 करोड़ की स्वीकृति राशि के विरुद्ध इन तीन परियोजनाओं पर ₹ 21.64 करोड़ व्यय किया। इन तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन दिसम्बर 2012/जनवरी 2013 से अतिरिक्त निधि के अभाव में निलम्बित थी। इन स्थगित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कम्पनी के द्वारा नवम्बर 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

इस प्रकार ₹ 21.64 करोड़ का किया गया व्यय अवरुद्ध और निष्फल हो गया। इसके अतिरिक्त राज्य में 3.2 एम0डब्ल्यू0 पावर का लक्षित अतिरिक्त क्षमता भी हासिल नहीं किया जा सका।

नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज XIII, XV, XVI और XVII की परियोजनाएँ

2.1.20 नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज XIII (2008-09), XV (2009-10), XVI (2010-11) और XVII (2012-13) के अन्तर्गत कुल 10 परियोजनाएँ 2008-13 के दौरान स्वीकृत हुई थी। इन परियोजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति मार्च 2016 तक **परिशिष्ट 2.1.4 (द)** में दी गई है।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि छः²⁵ परियोजनाओं के संबंध में कुल ₹ 82.04 करोड़ व्यय हो चुका था तथा भौतिक प्रगति का परास, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से तीन से पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, 20 से 90 प्रतिशत था। आगे, चार परियोजनाओं का कार्यदेश ₹ 8.04 करोड़ व्यय करने के बाद भी रद्द कर दिया गया था। कम्पनी द्वारा इन एस0एच0पी0 के पुनः कार्यान्वयन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। कम्पनी ने इन 10 अपूर्ण परियोजनाओं पर अभी तक (अक्टूबर 2016) ₹ 90.08 करोड़ व्यय किया गया है।

इस प्रकार, ₹ 90.08 करोड़ की सार्वजनिक निधि अवरुद्ध हो गई। इसके अलावे कम्पनी को इन परियोजनाओं पर 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 124.89 करोड़ के ब्याज दायित्व का व्यय वहन करना पड़ा।

नाबार्ड आर0आई0डी0एफ0 फेज XIII, XV, XVI और XVII के अन्तर्गत तीन नमूना जाँच में ली गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों की चर्चा निम्न है :

मथौली एस0एच0पी0 और बथनाहा एस0एच0पी0 – निष्फल व्यय : ₹ 31.14 करोड़

2.1.21 मथौली एस0एच0पी0 के निर्माण के लिए कम्पनी ने असैनिक निर्माण कार्य हेतु ₹ 6.97 करोड़ का एल0ओ0आई0 जारी (अप्रैल 2010) किया, जिसमें उसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मई 2012 थी। उक्त परियोजना का विद्युत यांत्रिक कार्य ₹ 4.96 करोड़ की लागत पर प्रदान (जुलाई 2010) किया गया था जिसमें उसके पूर्ण होने का निर्धारित तिथि सितम्बर 2011 थी।

बथनाहा एस0एच0पी0 के लिए कम्पनी ने असैनिक निर्माण कार्य हेतु ₹ 42.74 करोड़ मूल्य का एल0ओ0आई0 निर्गत (अगस्त 2010) किया जिसमें उसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नवम्बर 2013 थी। परियोजना का ई0एम0 कार्य ₹ 22.84 करोड़ के लागत पर निर्गत (अक्टूबर 2010) किया गया था जिसमें पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मई 2011 थी।

मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई :

- मथौली एस0एच0पी0 और बथनाहा एस0एच0पी0 के लिए कुल 3.09 एकड़ और 17.99 एकड़ भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध क्रमशः मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 के लिए मात्र 2.5 एकड़ और 8.05 एकड़ भूमि ही उपलब्ध (अक्टूबर 2016) हो पाई थी। आगे ₹ 4.98 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध कम्पनी ने मथौली एस0एच0पी0 के निर्माण कार्य ₹ 11.93 करोड़ में बिना परियोजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अतिरिक्त धन व्यवस्था किए बगैर निर्गत कर दिया था।

²⁵ (i) मनहारा (सहरसा)– (4×2 एम0डब्ल्यू0), (ii) मल्हनवा (सुपौल)– (3×2 एम0डब्ल्यू0) और (iii) सन्तोखर (मधेपुरा)– (2×3 एम0डब्ल्यू0)।

कम्पनी द्वारा परियोजनाओं के त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं निष्पादन के फलस्वरूप ₹ 90.08 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही

मथौली एस0एच0पी0 में निधि का अभाव छः वर्ष कार्य आदेश निर्गत करने की तिथि व्यतीत हो जाने के बाद भी विद्यमान है जो कम्पनी के निम्न नियोजन को इंगित करता है।

- कम्पनी ने मथौली एस0एच0पी0 के असैनिक कार्य के नक्शों को अन्तिम रूप देने में चार वर्ष लिया था। आगे, बथनाहा एस0एच0पी0 का संपूर्ण नक्शा कम्पनी द्वारा अभी भी (अक्टूबर 2016) अनुमोदित किया जाना शेष है जबकि कार्य आदेश निर्गत करने के तिथि से आठ वर्ष व्यतीत हो गए थे।
- मथौली एस0एच0पी0 के असैनिक कार्य के बी0ओ0क्यू0 में डिवाॅटरिंग²⁶ के लिए ₹ 53 लाख का प्रावधान था, उसके विरुद्ध कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 4.33 करोड़ का भुगतान किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एस0एच0पी0 के निर्माण कार्य शुरू करने में 20 महीने का विलम्ब हुआ जो असैनिक कार्य का रूप रेखा और नक्शा को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण हुआ था। इस कारण से कार्य के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान साईट पर बारिश के कारण बार-बार जल का संचय हुआ। उक्त अवधि के दौरान क्रमिक डिवाॅटरिंग, डिवाॅटरिंग के व्यय को बढ़ा देता था। निर्माण कार्य जनवरी 2013 से स्थगित था। इस प्रकार, डिवाॅटरिंग पर नवम्बर 2016 तक किए गए ₹ 4.33 करोड़ का व्यय निरर्थक साबित हुआ।
- कम्पनी ने मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 का असैनिक कार्य और विद्युत यांत्रिक कार्य बिना विभाग और निदेशक मण्डल द्वारा संशोधन लागत के अनुमोदन के संवेदकों को निर्गत कर दिया था।
- संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2016) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि मथौली और बथनाहा एस0एच0पी0 के विद्युत यांत्रिक सामग्री जिनका मूल्य ₹ 4.50 करोड़ था और जो दिसम्बर 2014 तक आपूर्ति की गई थी वे साईट पर दो से चार वर्षों से बिना किसी उपयोग के पड़ी हुई थी जैसा कि दिए गए छायाचित्र में देखा जा सकता है :

स्थल पर अपूर्ण एस0एच0पी0 एवं ई0एम0 सामग्रियों की भौतिक स्थिति



मथौली स्थित अपूर्ण एस0एच0पी0



मथौली एस0एच0पी0 पर पड़ी हुई सामग्रियाँ

²⁶ यदि योजना में प्रत्यावर्तन होती है जिसमें अतिरिक्त व्यय शामिल होती है तब संशोधित पूरक प्राक्कलन उपयुक्त अधिकारी के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होता है।



बथनाहा स्थित अपूर्ण एस0एच0पी0



बथनाहा एस0एच0पी0 पर पड़ी हुई सामग्रियाँ

कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं निष्पादन के फलस्वरूप ₹ 31.14 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

- कम्पनी ने इन दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ₹ 31.14 करोड़²⁷ व्यय करने के उपरान्त जून 2013 में कार्य स्थापित कर दिया था और उसके बाद कम्पनी ने अभी तक (अक्टूबर 2016) कार्य को फिर से प्रारम्भ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। अग्रेत्तर, मथौली एस0एच0पी0 के संबंध में ₹ 2.51 करोड़ का व्यय अन्य परियोजनाओं से निधि विचलन कर के की गई थी जो कि अनियमित था।

इस प्रकार, कम्पनी की ओर से एस0एच0पी0 के योजना और कार्यान्वयन में त्रुटि होने के कारण न केवल ₹ 31.14 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था बल्कि 8.80 एम0डब्ल्यू0 एस0एच0पी0 की ऊर्जा क्षमता वृद्धि लाभ से राज्य वंचित रहा।

₹ 3.52 करोड़ का निष्फल व्यय

2.1.22 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बिहार सरकार की कंडिका संख्या 4.13 में बरबल एस0एच0पी0 पर एक कंडिका बरबल एस0एच0पी0 (1.6 एम0डब्ल्यू0) पर ₹ 3.52 करोड़ का निरर्थक व्यय से संबंधित था वह रेखांकित था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने इस एस0एच0पी0 का कार्य फिर से शुरू करने के लिए कोई पहल नहीं किया था जबकि जनवरी 2012 में कार्य निलम्बन हुए आगे के चार वर्ष व्यतीत हो गए थे। इस प्रकार, इस एस0एच0पी0 के संबंध में किए गए ₹ 3.52 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया था क्योंकि अभी तक किए गए सम्पूर्ण असैनिक कार्य जल में डूबे हुए थे।

₹ 6.67 करोड़ के सार्वजनिक निधि का अवरुद्ध होना

कम्पनी द्वारा स्केप चैनल के त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं निष्पादन के कारण ₹ 6.67 करोड़ की निधि अवरुद्ध रही

2.1.23 कम्पनी ने डेहरी एस0एच0पी0 में लगातार जल आपूर्ति करने हेतु स्केप चैनल²⁸, स्केप रेगुलेटर²⁹ और क्रॉस रेगुलेटर³⁰ के निर्माण हेतु जून, 2007 में एन0आई0टी0 निर्गत किया था। स्केप चैनल का निर्माण का कार्य ₹ 1.17 करोड़ के लागत पर ठेकेदार को निर्गत (मई 2008) किया गया था जिसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नवम्बर 2008 थी। क्रॉस रेगुलेटर और स्केप रेगुलेटर का कार्य ठेकेदार को मई 2008 और अगस्त 2008 में क्रमशः ₹ 4.68 करोड़ और ₹ 4.56 करोड़ की लागत पर निर्गत किया गया था, जिसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि नवम्बर 2008 और सितम्बर 2009 थी। कार्यस्थल की मंजूरी न होना नक्शों को अन्तिम रूप न देने, और कम्पनी के द्वारा सभी

²⁷ अतिरिक्त व्यय : अरवल एस0एच0पी0— ₹ 7.48 करोड़ और बेलसर एस0एच0पी0— ₹ 7.27 करोड़।

²⁸ मथौली एस0एच0पी0, निर्मला एस0एच0पी0, बथनाहा एस0एच0पी0, डेहरी एस्केप चैनल, सिपहा एस0एच0पी0, और डेहरा एस0एच0पी0।

²⁹ कटैया एस0एच0पी0, बरबल एस0एच0पी0, ढोना एस0एच0पी0 और अरारघाट एस0एच0पी0।

³⁰ यह एक प्रक्रिया है जहाँ भूमिगत जल को निर्माण स्थल से लगातार पॉवर हाउस के उपसंरचना के निर्माण तक निकाला जाता है ताकि असैनिक कार्य किया जा सके।

संवेदकों के विपत्रों के भुगतान को जुलाई 2013 से बन्द कर देने के कारण संवेदकों द्वारा इन परियोजनाओं का कार्य बंद कर दिया गया था। तथापि, ₹ 6.67 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी ये परियोजनाएँ अपूर्ण (नवम्बर 2016) थीं जबकि कार्य आदेश निर्गत करने के तिथि से आठ वर्ष व्यतीत हो गए थे।

इस प्रकार, कार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब और त्रुटिपूर्ण योजना के कारण ₹ 6.67 करोड़ की सार्वजनिक निधि अवरुद्ध हो गयी थी और कम्पनी निर्बाध ऊर्जा उत्पादन हेतु एस0एच0पी0 में निर्बाध जल की आपूर्ति करने में असफल रहा। कम्पनी के द्वारा इस परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया गया था (नवम्बर 2016) **कंडिका संख्या 2.1.9, 2.1.21, 2.1.22, और 2.1.23** के संबंध में प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि वैकल्पित जल ऊर्जा केन्द्र (ए0एच0ई0सी0), रूड़की को इन परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया गया था। विभाग के प्रधान सचिव ने कहा (जनवरी 2017) कि ए0एच0ई0सी0, रूड़की द्वारा समर्पित प्रतवेदन का जाँच की जा रही थी और ए0एच0ई0सी0, रूड़की के तकनीकी मूल्यांकन पर सरकार का मंतव्य मध्य फरवरी 2017 तक ले लिया जाएगा। तथापि तथ्य यह है कि कम्पनी ने ए0एच0ई0सी0, रूड़की का नियोजन लेखापरीक्षा के इंगित करने के बाद किया और अभी तक (जनवरी 2017) कोई अन्तिम कार्रवाई नहीं की गई थी।

राज्य योजना पोषित परियोजनाएँ

2.1.24 राज्य योजना के अन्तर्गत 2006-07 से 2012-13 की अवधि के दौरान चार³¹ परियोजनाएँ स्वीकृत हुई थीं। मार्च 2016 को इन परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय प्रगति **परिशिष्ट 2.1.4 (ई0)** में दी गई है।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि ₹ 74.84 करोड़ की निधि की प्राप्ति के विरुद्ध इन परियोजनाओं पर केवल ₹ 31.97 करोड़ की राशि व्यय (जून 2016) की थी। इनमें दो परियोजनाएँ अपूर्ण थीं और दो परियोजनाएँ अभी तक (नवम्बर 2016) शुरू नहीं की गई थी। इन परियोजनाओं की स्वीकृति के वर्ष से तीन से आठ वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी थी।

दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कमियाँ नीचे चर्चित हैं :

कटैया एस0एच0पी0 के संबंध में नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर0एण्डएम0) कार्य

2.1.25 कटैया एस0एच0पी0 के संबंध में नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर0एण्डएम0 कार्य) ₹ 38.08 करोड़ में निर्गत (अगस्त 2010) किया गया था जिसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि फरवरी 2012 थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त एस0एच0पी के चार में से दो इकाई का नवीकरण संवेदक कर पाया था और वह भी पूर्ण होने के निर्धारित तिथि के 18 महीने समाप्त हो जाने के बाद। लेखापरीक्षा ने देखा कि संवेदक ने कार्य को बन्द (जून 2014) कर दिया था क्योंकि संवेदक का कुल ₹ 5.30 करोड़ का विपत्र कम्पनी के यहाँ लम्बित था। संवेदक के विपत्र का भुगतान करने में कम्पनी असफल हो गया था जो कि अपर्याप्त निधि के कारण और निधि के अन्य परियोजनाओं हेतु अनियमित विचलन (₹ 8.81 करोड़) के कारण हुआ था। इस प्रकार, ₹ 24.03 करोड़ से अधिक व्यय करने के बाद कम्पनी ने इस परियोजना के पुनरुद्धार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया था (नवम्बर 2016)।

₹ 24.03 करोड़ के व्यय के बावजूद कम्पनी कटैया की चारों इकाईयों के पुनरुद्धार में विफल रहा

³¹ मथौली एस0एच0पी0- ₹ 7.27 करोड़ और बथनाहा एस0एच0पी0- ₹ 23.66 करोड़।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि मुद्दे की जाँच की जा रही थी और आगे की कार्रवाई आवश्यकता के अनुरूप की जाएगी।

डगमारा के जल विद्युत परियोजना के डी0पी0आर0 को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

2.1.26 डगमारा जल विद्युत परियोजना (130 एम0डब्ल्यू0) से संबंधित मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, बिहार सरकार की कंडिका 4.8 में रेखांकित की गई थी जिसमें कम्पनी ने उक्त परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग (सी0डब्ल्यू0सी0) के दिशा निर्देश उल्लंघन करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे को सत्यापित कराने में विफल हुई जिसके कारण ₹ 1.50 करोड़ का निरर्थक व्यय हुआ था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 7.94 करोड़ व्यय करने के उपरान्त भी बनाई गई डी0पी0आर0 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी0ई0ए0) के यहाँ फरवरी 2012 से लम्बित था जिसे सी0ई0ए0 ने अनुमोदित नहीं किया था क्योंकि परियोजना लागत (₹ 1795.55 करोड़) और टैरिफ (₹ 3.01 प्रति युनिट) को कम करने हेतु सी0ई0ए0 ने आश्वासन माँगा था। कम्पनी ने परियोजना लागत को कम करने के लिए बाढ़ सुरक्षा उपायों को विभाजित करने के लिए सी0ई0ए0 को एक प्रस्ताव भेजा। विभाजित लागत की प्रतिपूर्ति जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू0आर0डी0), बिहार सरकार से प्राप्त करना था। तीन वर्ष का अवधि के उपरान्त कम्पनी के सलाहकार ने परियोजना का संशोधित लागत ₹ 2384.43 करोड़ समर्पित (जून 2016) किया जिसमें टैरिफ ₹ 10.66 प्रति इकाई था। बाढ़ सुरक्षा उपायों का आकलित लागत ₹ 414.77 करोड़ कुल संशोधित लागत में सम्मिलित की गई थी। तथापि कम्पनी ने डब्ल्यू0आर0डी0 विभाग से विभाजित लागत का ₹ 414.77 करोड़ की प्रतिपूर्ति का आश्वासन अभी तक (नवम्बर 2016) प्राप्त नहीं था। इस कारण से, डगमारा परियोजना के डी0पी0आर0 का सी0ई0ए0 से अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ था।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा उक्त परियोजना का डी0पी0आर0 अनुमोदन सी0ई0ए0 से प्राप्त नहीं करने के कारण न केवल परियोजना लागत ₹ 1795.55 करोड़ से ₹ 1969.66 करोड़ (बाढ़ संरक्षा उपायों के लागत हटाकर) बढ़ गया था, बल्कि परिणामस्वरूप राज्य में 130 एम0डब्ल्यू0 ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वृद्धि भी नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कम्पनी ने डी0पी0आर0 के निर्माण हेतु प्राप्त ₹ 11 करोड़ की राशि पर जून 2016 तक ₹ 6.72 करोड़ के ब्याज का दायित्व भी उठाया था।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि डगमारा परियोजना का डी0पी0आर0 का अनुमोदन सी0ई0ए0 के यहाँ अधिक परियोजना लागत के कारण लम्बित था। सी0ई0ए0 के निर्देश के अनुसार परियोजना विभाजन कर ली गई थी और गणना सी0ई0ए0 को समर्पित कर दी गई थी जो कि अभी जाँच की प्रक्रिया में थी। तथापि कम्पनी का उत्तर डब्ल्यू0आर0डी0 से विभाजित लागत के प्रतिपूर्ति का आश्वासन प्राप्त करने में कम्पनी का असफलता पर मूक था, जबकि इसका परियोजना लागत और टैरिफ प्रति इकाई पर प्रभाव था, और इसे एक बुनियादी आवश्यकता के क्रय में सी0ई0ए0 के द्वारा परियोजना को अनुमोदन हेतु निदेशित की गई थी।

नियामन विफलताएँ

अपर्याप्त पर्यावरण मंजूरी

2.1.27 जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 और 26 के साथ-साथ वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 अन्य

सी0आई0ए0 से डगमारा विद्युत परियोजना के डी0पी0आर0 का अनुमोदन प्राप्त करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप राज्य को 130 एम0डब्ल्यू0 के लक्षित क्षमता वृद्धि के परिलक्षित लाभों से वंचित होना पड़ा

बातों के अतिरिक्त यह प्रावधान करता है कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बी0एस0पी0सी0बी0) से संचालन हेतु सहमति लिए बिना कोई औद्योगिक संयंत्र या प्रक्रिया स्थापित नहीं किया जाएगा और न कोई संयंत्र निर्धारित मानक से अधिक जल में या वायु में उत्सर्जन और प्रवाह करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- कम्पनी 13 निर्मित एस0एच0पी0 का संचालन कर रहा था जिसके ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता 54.30 एम0डब्ल्यू थी, पर इनमें से किसी भी परियोजना द्वारा बी0एस0पी0सी0बी0 से संचालन के लिए सहमति प्राप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में कोई प्रमाण नहीं था जो यह इंगित करता है कि कम्पनी ने बी0एस0पी0सी0बी0 से संचालन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई की थी।
- 16 एस0एच0पी0 जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 35.30 एम0डब्ल्यू थी, निर्माण के विभिन्न चरण में थे। इन परियोजनाओं के स्थापना हेतु बी0एस0पी0सी0बी0 से सहमति प्राप्त की गई थी। पर उक्त एन0ओ0सी0 की वैधता एक से दो वर्षों की अवधि के लिए ही थी। इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहमति काफी पूर्व में समाप्त हो गई थी (सितम्बर 2011)। तथापि, कम्पनी ने इनके नवीनीकरण के लिए अभी तक (नवम्बर 2016) कोई कार्रवाई करने में असफल थी।

इस प्रकार कम्पनी 29 परियोजनाओं का "संचालन हेतु सहमति/स्थापन हेतु सहमति" लिए बिना संचालन कर रही थी। पर्यावरण कानून की अनदेखी कम्पनी को दण्डात्मक कार्रवाई के अधीन ला सकती है।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि अनुमति/एन0ओ0सी0 का नवीकरण नियमित रूप से किया जा रहा था। तथापि इसके साक्ष्य में कम्पनी लेखापरीक्षा को कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सकी।

स्वच्छ विकास प्रक्रिया

2.1.28 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) बिहार सरकार की कंडिका 3.20 में स्वच्छ विकास प्रक्रिया पर एक कंडिका रेखांकित है। पृथ्वी को ग्रीन हाउस गैस (जी0एच0जी0) से बचाव के लिए भारत के साथ कई देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल (प्रोटोकॉल) पर हस्ताक्षर किया था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन ढाँचागत सभा (यू0एन0एफ0सी0सी0) के दलों के तीसरे सम्मेलन में अंगीकार किया गया था (दिसम्बर 1997)। इस सभा ने किसी खास उद्योग अथवा गतिविधि के लिए अनुमत्य कार्बन छोड़ने के मानक स्तर को स्थापित किया था। अगर कोई ईकाई यू0एन0एफ0सी0सी0 के द्वारा तय मानक की तुलना में कम कार्बन का उत्सर्जन करता है तो उसके लिए उसे श्रेय दिया जाएगा। ग्रीन हाउस गैस की ऐसी बचत की बुकिंग को प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सी0ई0आर0) का क्रय कहते हैं जिसे सामान्यतया कार्बन साख कहा जाता है। इस समस्त प्रणाली को स्वच्छ विकास प्रक्रिया (सी0डी0एम0) के नाम से जाना जाता है।

कम्पनी एमओई0 एण्ड
एफ0 के माध्यम से अपनी
एस0एच0पी0 का
यू0एन0एफ0सी0सी0
से निबन्धन कर ₹ 61
लाख मूल्य के 30484.59
सी0ई0आर0 के विक्रय
करने में विफल रही

सी0ई0आर0 की विक्रय हेतु विद्युत संयंत्र का निबन्धन, यू0एन0एफ0सी0सी0 के साथ एक सी0डी0एम0 परियोजना के रूप में कराना आवश्यक है। वैसे विद्युत संयंत्र जो जनवरी 2000 से या बाद से परिचालित है, वह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम0ओ0ई0एण्ड0एफ0) से अनुरोध समर्पित करके निबन्धन हेतु सक्षम है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने अपने एस0एच0पी0 को यू0एन0एफ0सी0सी0सी0 के अन्तर्गत एम0ओ0ई0एफ0 के द्वारा निबंधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया था। इस कारण से कम्पनी के द्वारा अपने नौ परियोजनाओं के द्वारा ₹ 61 लाख के अर्जित 30489.59³² सी0ई0आर0 बेचने में असफल रही।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) की आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी।

आन्तरिक नियंत्रण और अनुश्रवण

2.1.29 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एक प्रबन्धन उपकरण है जो पर्याप्त आश्वासन प्रदान करता है कि प्रबन्धन के उद्देश्य को कुशल प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त किया जा रहा था। इसके अलावे एक उचित प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) होनी चाहिए जो कम्पनी के निष्पादन को स्थापित मानक/मानदण्डों की तुलना में प्रतिवेदित करे।

संगठन में प्रचलित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि :

- कम्पनी के सी0ई0ओ0 का औसत कार्यकाल निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान एक वर्ष से भी कम था। वरिष्ठ प्रबन्धन स्तर पर लगातार परिवर्तन भी एक मुख्य कारण था जिससे कम्पनी, कोई दीर्घ समय/योजना के परिपेक्ष्य/रोड मैप, जिसमें स्पष्ट रूप से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य और उद्देश्य हो तैयार करने में विफल रहा था। इसके अतिरिक्त एफ0ए0 सह सी0ए0ओ0 का पद भी खाली था।
- कम्पनी उचित और कुशल समीक्षा प्रक्रिया स्थापित करने में असफल रहा था जिससे वित्तीय, संचलान और उत्पादन गतिविधियों का विश्लेषण किया जा सके और पाई गई कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ प्रबन्धन ने न तो समय-समय पर समीक्षात्मक बैठकें की थी और न ही कम्पनी में कोई एम0आई0एस0 विद्यमान थी।
- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 285/कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 173 (1) में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष में निदेशक मण्डल की चार बैठकें होनी चाहिए और बैठकें इस प्रकार होनी चाहिए कि दो लगातार बैठकों के बीच में एक सौ बीस दिन से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए।
निदेशक मण्डल के चार बैठकों के वैधानिक आवश्यकता के विरुद्ध 2011, 2012 और 2013 वर्ष में केवल 2 बैठक प्रति वर्ष हुई थी। आगे 2014 में कोई बैठक आहूत नहीं की गई और 2015 में केवल एक ही बैठक आहूत हुई थी।
- कम्पनी के वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन प्रावधानित करता है कि बजट और योजना की मंजूरी/स्वीकृति कम्पनी के निदेशक मण्डल से आवश्यक है। कम्पनी 2014-15 और 2015-16 वर्ष में बजट बनाने में विफल रहा। बजट के अभाव में बजटीय नियंत्रण नहीं था और इस दौरान पूँजीगत और संरचनात्मक व्यय बिना निदेशक मण्डल के पूर्व अनुमोदन के किया गया था।

- कम्पनी में कर्मचारियों का भारी अभाव था, क्योंकि 457 के स्वीकृत मानवशक्ति के विरुद्ध वास्तविक मानवशक्ति केवल 162 (35 प्रतिशत) थी।

- कम्पनी ने ₹ 4.02 करोड़ के मोबिलाईजेशन अग्रिम (एम0ए0) जो संवेदकों को दी गई थी उसे नवीनीकृत/प्रतिसंहरण करने में विफल रहा था। इस कारण से ₹ 2.96 करोड़ का एम0ए0 संवेदकों से अभी तक वसूलनीय था। यह भी देखा गया कि कम्पनी ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0भी0सी0) के परिपत्र (2007), जो बैंक

मोबिलाईजेशन अग्रिम के मद में 20 बैंक गरण्टियों के नवीनीकरण/लागू करने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप संवेदकों से ₹ 2.96 करोड़ की राशि अभी तक वसूलनीय थी

³² 30484.59 सी0ई0आर0 × ₹ 200 = ₹ 60,96,918

गारण्टी के एवज में एम0ए0 जारी करने से संबंधित था, उसका उल्लंघन कर दो संवेदको को ₹ 1.77 करोड़ का एम0ए0 कॉरपोरेट गारण्टी समर्पित करने पर जारी की गई थी। सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देश के पालन करने में विफलता के कारण ₹ 1.59 करोड़ की राशि संवेदकों से वसूलीय रह गई थी। (जून 2016)।

- कम्पनी बैंक शेषों का मिलान रोकड़ पंजी के शेषों के साथ चार वर्षों से करने में विफल रहा। कम्पनी ने बैंक खातों का बैंक समाशोधन विवरणी (बी0आर0एस0) अंतिम बार 2011-12 में बनाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में गैर मिलान शेष पिछले आठ वर्षों से रेखांकित की गई थी। 31 मार्च 2016 को, कम्पनी के 13 संचालित बैंकों में ₹ 13.37 करोड़ का रोकड़ पंजी और बैंक विवरणी में असमाशोधित अन्तर था। इसे मिलान की आवश्यकता थी और अन्तर को जाँच करने की आवश्यकता थी।
- नाबार्ड के स्वीकृत पत्र के अनुसूची – II (विशेष अवधि और शर्तों) की कंडिका 8 में अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित था कि कम्पनी परियोजना व्यय के लिए अलग-अलग खाता बनाए रखेगा। तथापि, कम्पनी यह करने में विफल रहा जिसके कारण परियोजनाओं की निधि के दूसरे परियोजनाओं में विचलन के दृष्टान्त पाए गए।
- कम्पनी, उचित अभिलेख, जिसमें अचल संपत्तियों का पूर्ण विवरण मात्रात्मक विवरणी के साथ स्थिति को दर्शाता हो, बनाने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त सम्पत्तियों की आवधिक भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली कम्पनी में विद्यमान नहीं था।
- कम्पनी के पास अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था। चार्टर्ड एकाउन्टेंट की एक फर्म आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त थी जो केवल खातों के संकलन को प्रमाणित करती थी और जो कम्पनी के तकनीकी/औचित्य लेखापरीक्षा नहीं करती थी।

प्रबन्ध ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया।

कम्पनी के निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सरकार को सूचित (अगस्त 2016) किया गया था, उनका उत्तर अप्राप्त था (नवम्बर 2016)।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने यह निष्कर्ष निकाला कि :

- कम्पनी अपने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल संसाधन विभाग से जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पाई थी। 2011-16 के अवधि के दौरान संचालन के लिए उपलब्ध घंटे का 39 से 66 प्रतिशत में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था। अग्रेतर, कम्पनी स्केप चैनल के निर्माण में विफल रही, जिससे कि बन्दी अवधि में नहर से अपने संयंत्रों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। इतने लम्बी अवधि के लिए जल की अनुपलब्धता के कारण ऊर्जा उत्पादन में भारी कमी हुई थी और उत्पादन लागत बढ़ गई थी। इस प्रकार, इन संयंत्रों के संचालन से लक्षित 30 प्रतिशत का प्लाण्ट लोड फैक्टर और बिक्री के लागत के ब्रेक ईवन प्वाइन्ट को प्राप्त करना असंभव था।
- 2011-16 की अवधि के दौरान ऊर्जा उत्पादन लागत ₹ 8.13 प्रति इकाई और ₹ 12.36 प्रति इकाई थी। तथापि, कम्पनी ने उक्त अवधि के दौरान

डिस्कॉम को बिहार विद्युत नियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) के अनुमोदित दर ₹ 2.49 प्रति इकाई पर ही विक्रय किया था। कम्पनी का विक्रय मूल्य 2015-16 के दौरान डिस्कॉम के औसत बिजली के क्रय दर ₹ 4.12 प्रति इकाई से भी कम था।

- 2011-16 के दौरान कम्पनी ने ₹ 5.64 प्रति इकाई से ₹ 9.87 प्रति इकाई के परास में राजस्व हानि उठाई थी। कम्पनी ने 2011-16 की अवधि के दौरान 213.14 एम0यू0 विक्रय की थी, जिसके कारण ₹ 147.66 करोड़ की हानि हुई। बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित दर 2011-16 की अवधि में भी स्थिर रही, क्योंकि कम्पनी ने वार्षिक लेखा 2001-02 से अन्तिम रूप नहीं देने के कारण टैरिफ याचिका 2010-11 से समर्पित नहीं की थी। तथापि कम्पनी के उत्पादन लागत में 2011-16 की अवधि में वृद्धि हुई थी, क्योंकि एक मुख्य घटक, ऋण पर ब्याज लागत, 2011-12 में 47.52 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 61.39 प्रतिशत हो गई थी और ऊर्जा उत्पादन में कमी हुई थी।
- पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर कम्पनी की निष्क्रियता, नक्शों के अनुमोदन में विलम्ब, विपत्र की मात्राओं में वृद्धि और लागत में बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्व अनुमोदन के संशोधन और निधियों का विचलन अन्य परियोजनाओं में करने के कारण पूँजीगत कार्य के समय और लागत में वृद्धि हुई थी।
- परियोजनाओं के निर्माण कार्य दिसम्बर 2012/जुलाई 2013 से निलम्बित होने के कारण से निधि का अवरोधन हुआ था और परियोजनाओं के लिए जिन असैनिक संरचनाओं का निर्माण किया गया था वे प्रकृति के संपर्क में आने के कारण, उसकी भौतिक स्थिति में गिरावट आ रही थी। इसके अतिरिक्त, संयंत्र और मशीनरी जो इन अपूर्ण परियोजनाओं में लगी हुई थी और विद्युत यांत्रिक सामग्री जो स्थलों/गोदामों में पड़ी हुई थी वह भी अप्रचलन/नुकसान और चोरी के अभिमुख थे।
- कम्पनी का वरिष्ठ प्रबंधन, कम्पनी के संचालन और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा हेतु आवधिक बैठके/निदेशक मंडल के आवश्यक वैधानिक बैठके आहूत कराने में विफल रहा।
- संयंत्रों में जल की अनुपलब्धता को देखते हुए और उनका संचालन बहुत निम्न पी0एल0एफ0 पर करने के कारण, इन संयंत्रों का संचालन व्यय अत्यधिक हो गई थी। उत्पादित ऊर्जा का टैरिफ स्थिर रहने के कारण कम्पनी ने 2011-16 की अवधि में हानि वहन किया और कम्पनी के संयंत्रों का संचालन वर्तमान स्थिति में व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक था। कम्पनी की दयनीय स्थिति तब भी जारी रहेगी जब कम्पनी बी0ई0आर0सी0 से अपना टैरिफ डिस्कॉम के प्रचलित औसत ऊर्जा के क्रय लागत के बराबर प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है।

अनुशंसाएँ

उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि :

- राज्य सरकार को जल की आवश्यक मात्रा की निरंतर आपूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि 30 प्रतिशत का पी0एल0एफ0 प्राप्त किया जा

सके। राज्य सरकार को संयंत्रों के कामकाज/संचालन की समीक्षा करनी चाहिए ताकि ये व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक बन सकें।

- कम्पनी को अपने बकाये वार्षिक लेखाओं के अंतिमीकरण हेतु उचित कदम उठाने चाहिए, बी0ई0आर0सी0 के निर्देशों का पालन करते हुए अपना टैरिफ अनुमोदित करवाना चाहिए और संचालन व्यय को सीमित करना चाहिए।
- कम्पनी को अपने संयंत्रों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और प्लाण्ट लोड फैक्टर में बढ़ोत्तरी संयंत्र आउटटेजेज को कम करने, मशीनों को सही और समय से मरम्मत और रखरखाव, स्केप चैनल के निर्माण और ग्रिड फेल की समस्या के निराकरण, प्रभावी शक्ति निकासी प्रणाली के माध्यम से दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- कम्पनी को पूर्व कार्यान्वयन गतिविधियों यथा पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन डी0पी0आर0, नक्शों के अनुमोदन में विलम्ब से बचने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि से बचा जा सके।
- कम्पनी को अपने अनुश्रवण तंत्र को, सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठकें आहूत कर, मजबूत करनी चाहिए।

2.2 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 21 फरवरी 1978 को बिहार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने एवं विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था। कम्पनी सूचना एवं तकनीकी विभाग (डी0आई0टी0), बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था।

कम्पनी ने, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, अपने कार्यों को मुख्यतः बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्ष0उ0) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव पर केन्द्रित रखा। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य आई0टी0 परियोजनाएँ थीं, बिहार राज्य वाईड एरिया नेटवर्क (बिस्वान), कॉमन सर्विसेस सेन्टर (सी0एस0सी0), ई-डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सर्विसेस डिलिवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0), स्टेट डाटा सेन्टर (एस0डी0सी0), सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (सेकलैन), विद्यालयों में इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्प्युनिकेशन टेकनोलॉजी (विद्यालयों में आई0सी0टी0), नेशनल लैण्ड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (एन0एल0आर0एम0पी0), ई-लोक वितरण प्रणाली (ई-पी0डी0एस0; पायलट फेज), बिहार राजस्व प्रशासनिक इन्टरनेट डाटा सेन्टर (ब्रेन-डी0सी0), ई-शक्ति, कम्प्रिहेंसिव ट्रेजरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (सी0टी0एम0आई0एस0), जेलों का आधुनिकीकरण (एम0ओ0पी0-फेज 1), और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (सी0ए0एल0)।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा आई0टी0 से संबंधित 35 परियोजनाओं और सेवाओं का कार्य आरम्भ किया गया जिसमें से 28 परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी आई0टी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित एकरारनामा में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0वी0सी0) के मोबिलाइजेशन अग्रिम से संबंधित दिशा-निर्देशों को सम्मिलित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप तीन परियोजनाओं में संवेदकों को कुल ₹ 16.64 करोड़ का अनियमित अग्रिम दिया गया।

कम्पनी विद्यालयों में सूचना एवं संचार तकनीक (विद्यालयों में आई0सी0टी0) परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अतिरेक परियोजना निधि की राशि ₹ 32.89 करोड़ मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार को समर्पित करने में विफल रही, बावजूद इसके कि परियोजना जुलाई 2007 में शुरू हुई और जुलाई 2015 में पूरी हो गई थी।

कम्पनी द्वारा निधि को बिना ऑटो स्वीप सुविधा के बचत खाते में रखा गया, परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के ब्याज से होने वाली आय की हानि वहन करनी पड़ी।

परियोजनाओं हेतु योजना

कम्पनी की परियोजनाओं हेतु योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि इसमें निविदा पूर्व गतिविधियों हेतु समय सीमा नहीं निर्धारित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप तीन परियोजनाओं (एस0डी0सी0, एस0एस0डी0जी0 एवं बिस्वान) के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) निर्माण में 30 महीने तथा निविदा (एस0डी0सी0 परियोजना) के अन्तिमीकरण में 22 महीने का समय लगा। इस प्रकार, प्रदत्त परियोजनाएँ आरम्भ से पूर्व ही काफी विलम्बित हो गयीं क्योंकि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पहले ही

निविदा पूर्व गतिविधियों पर काफी समय व्यतीत किया गया था। इसके अतिरिक्त, डी0आई0टी0 ने लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में बताया कि कम्पनी द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन से वे पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे।

कम्पनी बोलियों की वैधता अवधि में निविदा के अन्तिमीकरण में विफल रही तथा ₹ 2.43 करोड़ मूल्य के आई0टी0 सामग्रियों का क्रय टुकड़ों में किया गया जो कि अभी तक (नवम्बर 2016) अधिष्ठापित नहीं हो सकी थी एवं बेकार पड़ी हुई थी। इसके अलावा, डी0आई0टी0 ने परियोजना के परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति का आकलन करने हेतु निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में डी0आई0टी0 ने जवाब दिया कि इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी थी क्योंकि कम्पनी द्वारा परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका था।

आई0टी0 परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं अन्य गतिविधियाँ

बिहार वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में बिना निविदा आमंत्रित किये ही ₹ 26.78 करोड़ के कुल लागत की तीन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कार्य संवेदकों को प्रदान कर दिया गया। इसी प्रकार, कम्पनी ने, सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, ₹ 9.08 करोड़ मूल्य की सात परियोजनाओं के परामर्श कार्य को नामांकन के आधार पर, अभिलेखों में बिना कोई औचित्य/कारण दर्ज किये, दे दिया।

बिस्वान, ई-पी0डी0एस0, एस0डी0सी0, विद्यालय में आई0सी0टी0 एवं सी0ए0एल0 परियोजनाओं का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 6.35 करोड़ की हानि/परिहार्य अधिक व्यय हुआ तथा आई0टी0 उपकरण बेकार पड़े हुए थे।

ई-टेंडरिंग परियोजना में ई-पेमेंट सुविधा के क्रियान्वयन में विलंब के कारण, कम्पनी के निविदा प्रक्रिया शुल्क (टी0पी0एफ0) के कुल ₹ 11.91 करोड़ की वसूली अभी तक नहीं हो सकी थी (नवम्बर 2016)।

अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण

संवेदक द्वारा स्थापित 244 विद्यालयों में से, 16 विद्यालयों में, सभी हार्डवेयरों की चोरी हो जाने के कारण कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (सी0ए0एल0) परियोजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, बी0ई0पी0 (उपयोगकर्ता विभाग) ने भी, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, कहा कि उनके उद्देश्यों की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं हुई थी। बी0ई0पी0 द्वारा यह भी कहा गया कि कम्पनी द्वारा उपकरणों की चोरी के मामले का उचित ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया था और इन स्थानों का पुनः संचालित नहीं किया गया था।

जिला ई-गर्वनेंस सोसाईटी को ₹ 15.09 करोड़ मूल्य के इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण नवम्बर 2016 तक नहीं किया गया था। इस प्रकार, अप्रभावी अनुश्रवण के कारण, कम्पनी द्वारा, किये गये व्यय से प्राप्त होने वाले लाभों का प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, डी0आई0टी0 ने, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में कहा कि कम्पनी द्वारा परियोजना का प्रबंधन कुशलता से नहीं किया गया था जैसे कि गया जिला का अंतिम स्वीकृति परीक्षण को पूर्ण नहीं किया गया और परियोजनाओं को परिचालित नहीं किया गया था।

कम्पनी की अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी और आई0टी0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परामर्शियों पर अत्यधिक निर्भरता थी। कम्पनी द्वारा एकरारनामा के अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप परामर्शियों को भुगतान के मद में ₹ 1.16 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

परिचय

2.2.1 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 21 फरवरी 1978 को बिहार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने एवं विकास करने हेतु एवं उसके वृद्धि हेतु आवश्यक गतिविधियों, जैसे सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों, उपकरणों और अनुप्रयोगों के निर्माण, क्रय, विक्रय, आयात, संकलन, वितरण, मरम्मत, बदलाव, आदि के लिए किया गया था। कम्पनी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन था। विभाग द्वारा राज्य में आईटी सेवाओं के विकास तथा ई-गवर्नेंस के विकास को संभव बनाने हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011 में एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति (आईसीटी नीति 2011) जारी की गयी थी। उपर्युक्त नीति की कंडिका 5.3.6, अन्य बातों के अतिरिक्त, इस बात का प्रावधान करती है कि कम्पनी, राज्य में ई-गवर्नेंस को क्रियान्वित करने एवं आईटी सेवाओं को प्रदान करने के लिए किसी निजी संस्था के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकती है। कम्पनी ने, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, अपने कार्यों को मुख्यतः बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा0क्षे0उ0) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से सम्बन्धित परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव पर केन्द्रित रखा।

कम्पनी राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के निष्पादन के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं/सा0क्षे0उ0 के लिए राज्य क्रय एजेन्सी के रूप में आईटी उत्पादों के क्रय का कार्य भी करती है। इसके अलावा कम्पनी विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनके माँगों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मानवशक्ति (प्रोग्रामर, डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों इत्यादि) उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी बिहार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/ सा0क्षे0उ0 के लिए ई-टेंडरिंग को आयोजित करने की सुविधा भी प्रदान करती है। कम्पनी, उपर्युक्त नामित कार्य के लिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पर्यवेक्षण और सेवा शुल्क वसूल करती है।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि, वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16, के दौरान, कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य आईटी परियोजनाएँ थीं, बिहार राज्य वाईड एरिया नेटवर्क (बिस्वान), कॉमन सर्विसेस सेन्टर (सीएससी), ई-डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सर्विसेस डिलिवरी गेटवे (एसएसडीजी), स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी), सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (सेकलैन), विद्यालयों में इन्फॉर्मेशन एण्ड कम्प्युनिकेशन टेकनोलॉजी (विद्यालयों में आईसीटी), नेशनल लैण्ड रि कॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी), ई-लोक वितरण प्रणाली (ई-पीडीएस; पायलट फेज), बिहार राजस्व प्रशासनिक इन्टरनेट डाटा सेन्टर (ब्रेन-डीसी), ई-शक्ति, कम्प्रिहेंसिव ट्रेजरी मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (सीटीएमआईएस), जेलों का आधुनिकीकरण (एमओपी-फेज 1), और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (सीएल)। निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 35 परियोजनाओं (एनईजीपी की पाँच परियोजनाओं सहित) का क्रियान्वयन किया जिसमें से 28 परियोजनाओं को पूर्ण किया। इन आईटी परियोजनाओं का उद्देश्य **परिशिष्ट 2.2.1** में दिया गया है।

कम्पनी का प्रबंधन, एक निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें सात निदेशकों सहित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक प्रबंध निदेशक हैं, जो कम्पनी के मामलों के संचालन हेतु जिम्मेवार थे। प्रबंध निदेशक की सहायता के लिए महाप्रबंधक (योजना एवं विकास), प्रबंधक (वित्त, विपणन, प्रशासन, परियोजना क्रियान्वयन, तकनीकी समन्वय एवं व्यवसाय विकास) और एक कम्पनी सचिव थे।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.2.2 कम्पनी द्वारा 2011-16 की अवधि में आईटी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव, ई-टेंडरिंग की सुविधा, आईटी0 से संबंधित क्रय एवं आईटी0 से संबंधित मानवशक्ति उपलब्ध कराने आदि के सम्बन्ध में निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जून 2016 तक की गई। राष्ट्रीय ई0-गवर्नेन्स योजना (एन0ई0जी0पी0) के अन्तर्गत पाँच में से चार आईटी0 परियोजनाओं¹ तथा कम्पनी को सौंपी गई 30 अन्य परियोजनाओं में से नौ² परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं रख-रखाव (कुल आईटी0 परियोजनाओं की संख्या के 30 प्रतिशत को शामिल करते हुए), जिन पर कम्पनी ने ₹ 10 करोड़ से अधिक व्यय की थी, को विस्तृत जाँच के लिए चुना गया।

इसके अलावा ₹ 85.27 करोड़ के 734 क्रयादेशों, जो विभिन्न आईटी0 से संबंधित वस्तुओं के आपूर्ति से सम्बन्धित थे, में से ₹ 44.60 करोड़ के 33 क्रयादेशों को, जो ₹ 50 लाख से ऊपर के थे (कुल क्रयादेश का 52.30 प्रतिशत), को भी विस्तृत जाँच के लिए चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा कार्य पद्धति में, कम्पनी के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के अभिलेखों की जाँच, प्रश्नावली का निर्गमन, जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कम्पनी/विभाग के जवाब को ध्यान में रखना तथा प्रबंधन के साथ विचार विमर्श, इत्यादि शामिल थे। लेखापरीक्षा के उद्देश्यों/लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र तथा प्रणाली से, प्रबंध को अवगत कराने हेतु, 31 मार्च 2016 को, प्रशासनिक विभाग के सचिव, जो कम्पनी के प्रबंध निदेशक भी थे, के साथ प्रवेश सम्मेलन आहूत किया गया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा प्रेक्षकों पर कम्पनी/विभाग के मंतव्यों से अवगत होने के लिए एक निकास सम्मेलन 11 नवम्बर 2016 को आहूत किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तिमीकरण में कम्पनी/विभाग द्वारा दिए गये मंतव्यों को समाहित किया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 कम्पनी की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या :

- कम्पनी अपने वित्तीय संसाधनों का प्रभावी एवं कुशल तरीके से प्रबंधन कर रहा था;
- आईटी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी योजना निर्माण प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक किये जा रहे थे;
- आईटी0 परियोजनाओं का निष्पादन मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावपूर्ण रूप से किया जा रहा था;
- ई-टेंडरिंग, आईटी0 उपकरणों का क्रय तथा विभिन्न विभागों को आईटी0 मानवशक्ति उपलब्ध कराने सम्बन्धी गतिविधियाँ, मितव्ययिता, कुशलता और प्रभावपूर्ण रूप से किये जा रहे थे; और
- कम्पनी में एक पर्याप्त और प्रभावी अनुश्रवण/आंतरिक प्रणाली विद्यमान थी।

¹ बी0एस0डब्ल्यू0ए0एन0 (ए0एम0सी0 फेज), ई0-डिस्ट्रीक्ट, एस0डी0सी0 तथा एस0एस0डी0जी0।

² एम0ओ0पी-1, ई0-पी0डी0एस0 (पाइलट फेज), ई0-शक्ति, सी0टी0एम0आई0एस0, सेकलैन, एन0एल0आर0एम0पी0, विद्यालयों में आई0सी0टी0, विद्यालयों के कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा (सी0ए0एल0) तथा बी0आर0ए0आई0एन0डी0सी0।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों का आकलन करने के लिए मापदंड निम्न स्रोतों से तैयार किये गए:

- कम्पनी के पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम;
- भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एन0ई0जी0पी0) के दिशा-निर्देश तथा अन्य राज्य पोषित योजनाओं के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देश;
- प्रशासनिक विभाग/राज्य सरकार के निर्देश;
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0)/अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आर0एफ0पी0)/अनुबंध;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005, सांविधिक रूप से लागू अधिनियम एवं नियम; और
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश।

लेखापरीक्षा प्राप्ति

2.2.5 लेखापरीक्षा प्राप्ति की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है:

वित्तीय प्रबन्धन

2.2.6 कुशल वित्तीय प्रबन्धन किसी भी संगठन की सफलता के लिए पूर्व अपेक्षित है। यह प्रभावी निर्णय लेने का भी एक उपकरण है। यह उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित एवं आवश्यकता पड़ने पर अनुकूल दरों पर अनुकूल ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण भी है।

कम्पनी की निधि के मुख्य स्रोत आई0टी0 उपकरणों की बिक्री तथा परियोजना पर्यवेक्षण और सेवा शुल्क थे। इस निधि का मुख्य रूप से आई0टी0 उपकरण और सेवाओं के क्रय, कर्मचारी लाभ व्यय, संचालन और प्रशासनिक व्यय आदि के लिए उपयोग किया गया। इसके अलावा, कम्पनी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी0आई0टी0) एवं बिहार सरकार के अन्य विभागों से, बिहार में आई0टी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, निधि प्राप्त होती है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम

कम्पनी की, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम **परिशिष्ट 2.2.2** में दिये गये हैं। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- कम्पनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लाभ अर्जित किये थे। हालांकि, कम्पनी का लाभार्जन 2011-12 के ₹ 18.41 करोड़ से घट कर 2015-16 में ₹ 13.31 करोड़ हो गया था। उक्त गिरावट का कारण एक सरकारी आदेश (अगस्त 2012) था, जिसके द्वारा कम्पनी को यह निर्देश दिया गया था कि अप्रयुक्त परियोजना की राशि पर अर्जित ब्याज को संबंधित परियोजना के खाते में ही जमा किया जाएगा। परिणामतः, कम्पनी को अपनी आय के रूप में, विभिन्न परियोजनाओं के लिए आहरित अप्रयुक्त धन राशि पर अर्जित ब्याज को शामिल करने के गलत लेखांकन प्रक्रिया को त्यागना पड़ा था।
- कम्पनी के संचय एवं अधिशेष, 2011-12 के ₹ 24.32 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 51.45 करोड़ हो गये थे। कम्पनी के पास इतनी अधिक मात्रा में संचय एवं अधिशेष होते हुए भी, कम्पनी, अपने ऋण के भुगतान करने तथा/या अपने व्यवसाय की वृद्धि करने में, इसका उपयोग करने में विफल रही। कम्पनी, अपने असंरक्षित

ऋण, जो बिहार सरकार से 15.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया था, के भुगतान में भी विफल रही। कम्पनी के ₹ छः करोड़ के ऋण पर ब्याज देयतायें मार्च 2016 तक बढ़कर ₹ 25.54 करोड़ हो गयीं थी।


प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में, संचय एवं अधिशेष से सरकारी ऋण एवं उनके ब्याज के भुगतान के संबंध में, कहा (नवम्बर 2016) कि निकट भविष्य में कम्पनी की अधिकृत अंश पूँजी को बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। यदि यह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त संचय एवं अधिशेष राशि का पूँजी आधार बढ़ाने में उपयोग कर लिया जाएगा।

- कम्पनी को, मार्च 2016 तक, विभिन्न सरकारी विभागों/पक्षों से प्राप्य ₹ 35.01 करोड़ की राशि में से, ₹ 3.65 करोड़ की राशि वर्ष 2011-12 से चली आ रही थी। इसी प्रकार, मार्च 2012 तक ₹ 10.38 करोड़ की राशि जो विभिन्न पक्षों को अग्रिम के रूप में दी गयी थी, उसमें से, मार्च 2016 तक ₹ 6.48 करोड़ की राशि न तो समायोजित की गयी थी और न ही वसूल की गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन प्राप्तियों/अग्रिमों का न तो वर्षवार विश्लेषण किया गया है और न ही उनके शेषों की पुष्टि अभिलेखों से होती थी। इन सूचनाओं के अभाव में ये वसूलियाँ/समायोजन संदिग्ध थे।

निधि की प्राप्ति एवं उपयोग

2.2.7 कम्पनी द्वारा 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, निधि की प्राप्ति एवं उपयोग की विवरणी आरेख सं0 2.2.1 में दिखाया गया है।

आरेख सं0 2.2.1: निधि की प्राप्ति एवं उपयोग



उपर्युक्त आरेख सं0 2.2.1 से यह देखा जा सकता है कि उपलब्ध कराये गये निधि से उपयोग किये गये निधि का प्रतिशत लगातार घट रहा था और यह लेखापरीक्षा की अवधि में 25.22 से 45.79 प्रतिशत के मध्य था। इस प्रकार, इस अवधि में कम्पनी के कम लाभार्जन के अनेक कारणों में से एक कारण निधि का न्यून प्रयोग भी था।

अन्य अवलोकन

अधिशेष परियोजना निधि को राज्य सरकार को वापस नहीं किया जाना

2.2.8 किसी परियोजना के विरुद्ध यदि कोई अधिशेष हो तो उसे सम्बन्धित उपयोगकर्ता विभाग को वापस कर देना चाहिए। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि:

- मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने विद्यालयों में आई0सी0टी0 परियोजनाओं को लागू करने के लिए कम्पनी को अप्रैल 2007 में ₹ 85 करोड़ की राशि दी। यह परियोजना जुलाई 2007/मार्च 2008 में शुरू हुई और जुलाई 2015 में पूरी हो गयी। यद्यपि कार्य पूरा होने के बाद भी, संवेदकों के दावों का निपटान लम्बित रहने के कारण, कम्पनी, मानव संसाधन विभाग, बिहार सरकार को शेष ₹ 32.89 करोड़ की राशि समर्पित करने में विफल रही।
- इसी प्रकार, स्टेट डाटा सेंटर (एस0डी0सी0) परियोजना में, कम्पनी को आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार से परियोजना की कुल प्राक्कलित लागत ₹ 53.89 करोड़ के विरुद्ध ₹ 28.70 करोड़ (मार्च 2015 तक) प्राप्त हुआ था। कम्पनी ने इस कार्य को, ₹ 16.75 करोड़ के स्थिर मूल्य पर आवंटित किया (मार्च 2015)। कम्पनी ने अतिरेक शेष की राशि ₹ 11.95 करोड़ सम्बन्धित विभाग को समर्पित नहीं किया था (अक्टूबर 2016)।

प्रबंधन ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में कहा कि संवेदकों के बकाया का निपटारा अभी तक लंबित था जिसके कारण अतिरेक शेष की राशि वापस नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के खाते अभी बंद किये जाने थे। परियोजना खातों को बंद करते समय वापसी के मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा।

अनुसांगिक/संयुक्त उद्यम (जे0भी0) कम्पनियों में निष्क्रिय निवेश

2.2.9 कम्पनी ने, मार्च 2016 तक ₹ 9.28 करोड़ की राशि का निवेश, सात ऐसी कम्पनियों में किया था, जिसका गठन वर्ष 1980 से 1997 के मध्य हुआ था। इनमें से तीन अनुसांगिक कम्पनियाँ तथा शेष चार संयुक्त उद्यम (जे0भी0) कम्पनियाँ थीं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- ₹ 9.28 करोड़ के कुल निवेश में से ₹ 8.19 करोड़ का निवेश दो अनुसांगिक कम्पनियों, बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (बी0भी0एस0एल0) तथा बेलट्रॉन मार्किंग सिस्टम लिमिटेड (बी0एम0एस0एल0), में किया गया था। हालांकि कम्पनी ने बी0भी0एस0एल0 और बी0एम0एस0एल0 के समापन के लिए अदालत में एक याचिका दायर की थी (2004), जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा इस आधार पर निरस्त (2006) कर दी गयी कि अन्तर्राज्य निगम अधिनियम (आई0एस0सी0), 1957 की धारा 3 के अनुसार, बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार इस सम्बन्ध में योजना बनाने के लिए सशक्त थी, और तदनुसार आदेश दिया कि यदि अंशधारक एवं राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण है कि निगम को भंग करना आवश्यक है तो आई0एस0सी0 अधिनियम, 1957 के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए। यद्यपि, कम्पनी इन दो अनुसांगिक कम्पनियों को बंद करने के लिए आई0एस0सी0 अधिनियम 1957 के तहत कदम उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ी और स्थिति आज तक यथावत बनी हुई थी (अक्टूबर 2016)।
- बेलट्रॉन टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कम्पनी का एक संयुक्त उद्यम था और जिसमें कम्पनी ने ₹ 66.45 लाख का निवेश किया था, का मामला बी0आई0एफ0आर0 के समक्ष वर्ष 2002 से ही लंबित था।

- अन्य चार कम्पनियों में निवेश के मामले में कम्पनी ने कोई भी कदम नहीं उठाया, यथा इन कम्पनियों में दीर्घकालिक निवेश की समीक्षा करना और उसे बंद करना।

इस प्रकार, प्रबंधन की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ये कम्पनियाँ परिचालित रहीं परन्तु किसी भी प्रकार के आय अर्जित करने में विफल रहीं।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि इन कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतन की बहुत बड़ी देनदारी है तथा कर्मचारी के वेतन से संबंधित मुकदमे लंबित थे। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार ने वर्ष 2003 में, विकास आयुक्त, बिहार सरकार की अध्यक्षता में, ऐसी कम्पनियों पर, जो कार्य नहीं कर रहीं थीं, निर्णय लेने के लिए, एक समिति का गठन किया था। प्रबंधन ने यह भी कहा कि वे इन कम्पनियों को बंद करने के उद्देश्य से अपने सभी दीर्घकालिक निवेशों की समीक्षा कर रहे हैं। तथापि तथ्य यथावत है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, कम्पनी अपने दीर्घकालिक निवेश की समीक्षा करने एवं इन अनुसंगिक और जे0भी0 कम्पनियों को बंद करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रही।

ऑटो स्वीप सुविधा के बगैर बचत खातों में राशि रखने के कारण हानि

2.2.10 ऑटो स्वीप की सुविधा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई एक ऐसी सुविधा है जो बचत खाते एवं चालू खाते में एक निर्दिष्ट न्यूनतम शेष के ऊपर की राशि को सावधि जमा के रूप मानता है तथा उस पर उच्च दर से ब्याज देता है। जब कभी भी निधि की माँग ग्राहक द्वारा की जाती है, सावधि जमा स्वतः सामान्य जमा के अनुरूप में आ जाती है जिससे ग्राहकों के लिए तरलता भी बनी रहती है।

कम्पनी, बचत बैंक खाते में ऑटो स्वीप सुविधा के लाभ लेने में विफल रही तथा ₹ 5.01 करोड़ के ब्याज की आय अर्जित करने का अवसर खो दिया

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच कम्पनी के पास चार से पाँच बचत खाते बिना ऑटो स्वीप सुविधा के थे, जिनमें न्यूनतम शेष राशि ₹ 3.97 लाख से ₹ 30.89 करोड़ तक थी। कम्पनी द्वारा, अपने खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा नहीं लेने के परिणामस्वरूप ₹ 5.01 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का एक अवसर खो दिया। इस प्रकार, कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।

प्रबंधन ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2016) में कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार का कोई निर्देश नहीं था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया मुद्दा एक वांछनीय वित्तीय प्रबंधन व्यवहार है, इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार, से निवेदन किया जाएगा।

अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में कम्पनी की विफलता

2.2.11 ऐसे कुछ उदाहरण, जिनमें कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में असफल रही, की चर्चा नीचे की जा रही है:

- वर्ष 2007-08 के दौरान गृह विभाग ने राज्य के विभिन्न कारागृहों में जेल सुरक्षा के आधुनिकीकरण (जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्य जैसे जेल और कोर्ट के बीच विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग, क्लोज सर्किट टेलिविजन कैमरा, हाथ आयोजित मेटल डिटेक्टर, वाकी-टॉकी, बैगेज स्कैनर, इत्यादि शामिल थे) के लिए ₹ 22.43 करोड़ प्रदान किया। कम्पनी ने निविदा का अंतिमीकरण करते हुए कार्य (₹ 29.45 करोड़ में), बढ़े हुए कार्य क्षेत्र पर, इस प्रत्याशा में आवंटित किया (मार्च 2008) कि गृह विभाग से बढ़े हुए लागत का अनुमोदन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त, गृह विभाग द्वारा कम्पनी को वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (ए0एम0सी0), जनशक्ति, मरम्मत आदि के सम्बन्ध में ₹ 3.88 करोड़ प्रदान किये गये थे। इस प्रकार कम्पनी द्वारा कुल उपलब्ध निधि ₹ 26.31 करोड़ के विरुद्ध मार्च 2015 तक ₹ 28.98 करोड़ खर्च किये गए, जिसमें से ₹ 1.87 करोड़ का व्यय कम्पनी ने अपनी निधि से किया। इस प्रकार, गृह

विभाग से अनुमोदन की प्राप्ति में कम्पनी की विफलता और बढ़ी हुई लागत पर परियोजना का कार्यान्वयन करने के परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 1.87 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही। लेखापरीक्षा में इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि परियोजना पर कम्पनी एजेंसी शुल्क के रूप में ₹ 1.84 करोड़ (₹ 26.31 करोड़ का सात प्रतिशत) प्राप्त नहीं कर सकी।

प्रबंधन ने उपर्युक्त अवलोकन पर कोई भी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

- ई-पी0डी0एस0 परियोजना (रोल आउट) के मामले में, कम्पनी, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बी0एस0एफ0एण्ड सी0एस0) से परियोजना के डी0पी0आर0 बनाने की लागत की अग्रिम वसूली नहीं करने के कारण, अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, डी0पी0आर0 तैयार करने की लागत ₹ 25 लाख कम्पनी द्वारा वसूलनीय थी (सितम्बर 2016)।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि डी0पी0आर0 तैयार करने की लागत की प्राप्ति के लिए बी0एस0एफ0एण्ड सी0एस0 को पुनः कहा गया है। प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को दिए गये जवाब की पुष्टि के लिए कोई भी पत्राचार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

मोबिलाइजेशन अग्रिम देने में अनियमितताएँ

2.2.12 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी0वी0सी0) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम का प्रावधान आवश्यकता अनुसार होना चाहिए और विशेषतः मोबिलाइजेशन अग्रिमों को किस्तों में दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम के मामले में, वसूली समयबद्ध होनी चाहिए तथा कार्य की प्रगति से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने मोबिलाइजेशन अग्रिमों से सम्बन्धित सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों को, मुख्य सेवा समझौते में सम्मिलित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप तीन परियोजनाओं, यथा ई-शक्ति परियोजना, एस0डी0सी0 परियोजना तथा सी0ए0एल0 परियोजना में परियोजना लागत का दस प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम एक किस्त में दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सभी मामलों में मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली, कार्य की प्रगति से जुड़ी हुई थी, जो सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा सी0वी0सी0 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किये जाने से तीनों परियोजनाओं में कुल ₹ 16.64 करोड़³ के अनियमित मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया गया।

इसके अलावा ई0-पी0डी0एस0 परियोजना में ₹ 98.85 लाख का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया (जनवरी 2014) गया था, जिसका समायोजन मार्च 2014 में कर लिया गया था। तथापि, संवेदक के अनुरोध पर ₹ 73.56 लाख वापस कर दिया गया (मई 2014), जो सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

एम0एस0ए0 में
सी0वी0सी0
दिशा-निर्देशों को
सम्मिलित करने में
कम्पनी द्वारा विफलता के
फलस्वरूप संवेदकों को
कुल ₹ 16.64 करोड़ का
अनियमित अग्रिम दिया
गया

³ ई0-शक्ति परियोजना-₹ 10.60 करोड़, एम0डी0सी0 परियोजना ₹ 1.64 करोड़ एवं सी0ए0एल0-₹ 4.40 करोड़।

प्रबंधन ने जवाब में कहा (सितम्बर 2016) कि संवेदकों को मोबिलाइजेशन अग्रिम एम0एस0ए0 की नियम एवं शर्तों के अनुसार ही दिया गया है। हालांकि भविष्य में सभी परियोजनाओं में अग्रिम की कटौती के संबंध में सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा, ई-पी0डी0एस0 परियोजना के मामले में प्रबंधन ने स्वीकार किया कि मोबिलाइजेशन अग्रिम संवेदक को उनकी आग्रह पर वापस किया गया था किन्तु ऐसा एम0एस0ए0 के परिच्छेद 1.2 के अनुसार किया गया था। प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि एम0एस0ए0 के परिच्छेद 1.2 में कहा गया है कि विपत्रों से मोबिलाइजेशन अग्रिम की कटौती सभी अग्रिम के समायोजन तक की जाएगी। इस प्रकार जब मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि पहले विपत्र में ही समायोजित कर ली गई थी, फिर उसकी वापसी करना अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप संवेदक को अनुचित लाभ भी प्राप्त हुआ।

परियोजना प्रबंधन

2.2.13 कम्पनी, केन्द्र सरकार एवं आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रतिपादित आई0टी0 परियोजनाओं की एक क्रियान्वयन एजेंसी है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, सा0क्षे0उ0/एजेंसियों द्वारा जब कभी भी, सौंपे गये विभिन्न परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन करती है। कम्पनी द्वारा 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कार्यान्वित आई0टी0 परियोजनाओं को दो शीर्षों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है यथा राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एन0ई0जी0ए0) में क्रियान्वित आई0टी0 परियोजनाएँ तथा बिहार सरकार के आई0टी0 एवं अन्य विभागों/सा0क्षे0उ0/एजेंसियों द्वारा कम्पनी को सौंपी गई आई0टी0 परियोजनाएँ।

कम्पनी द्वारा परियोजना प्रबंधन में दो मुख्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, जैसे 1. परियोजना क्रियान्वयन के लिए योजना बनाना तथा 2. आई0टी0 परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव। परियोजना की योजना, जिसमें सम्बन्धित परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0)/लागत प्राक्कलन/प्रस्ताव का आग्रह (आर0एफ0पी0) का निर्माण सम्मिलित है, को कम्पनी द्वारा बाह्य स्रोतों से परामर्शियों को लेकर किया गया था। परियोजनाओं का क्रियान्वयन/कार्यान्वयन कार्य को निविदा आमंत्रण के माध्यम से कार्य आवंटन करके किया गया था।

परियोजना हेतु योजना

2.2.14 परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना अनिवार्य एवं अपरिहार्य है जिससे समय एवं लागत वृद्धि को टाला जा सके। परियोजनाओं के ससमय क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने हेतु, एक कार्य योजना निर्धारित की जानी चाहिए, जो इसके विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के समय सूची निर्दिष्ट करती हो। परियोजनाओं के समय सूची का पालन, समय एवं लागत वृद्धि, निधि का अवरुद्धीकरण, परियोजना निधि के उपयोग में विलम्ब आदि को टालने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, आई0टी0 परियोजनाओं (डाटा केन्द्रों) में सूचनाओं की उपलब्धता/सत्यता को बनाए रखने हेतु, आपदा वसूली (डी0आर0) तंत्र/योजना को भी लागू किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि विभिन्न परियोजनाओं के योजना निर्माण गतिविधि, जैसे डी0पी0आर0/लागत प्राक्कलन/आर0एफ0पी0 के निर्माण करने के लिए, कम्पनी परामर्शियों पर आश्रित थी। कम्पनी में परामर्शियों द्वारा निर्मित डी0पी0आर0/आर0एफ0पी0 की समीक्षा हेतु कोई तंत्र नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न आई0टी0 परियोजनाओं जैसे बिस्वान, ई-पी0डी0एस0 एवं एम0ओ0पी-1 परियोजनाओं के क्रियान्वयन में त्रुटियों को ससमय नहीं नोटिस किया/जाँचा जा सका, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की जा रही है :

- कम्पनी ने, निविदा से पहले की जाने वाली गतिविधियों हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि एस0डी0सी0, एस0एस0डी0जी0 एवं बिस्वान (संयोजकता बिन्दु की अधिष्ठापना में) परियोजना में, इसने, सौंपे जाने की तिथि (अक्टूबर 2008) से, डी0पी0आर0, आर0एफ0पी0 एवं अन्य प्रारंभिक कार्य को पूर्ण करने में लगभग 30 महीनों का समय लिया। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने एस0डी0सी0 परियोजना हेतु निविदा के अंतिमीकरण एवं कार्यवाटन में 22 महीनों का समय लिया। इस प्रकार, सौंपी गई परियोजनाएँ आरम्भ करने से पहले ही अत्यधिक विलम्बित हो गई थीं।

प्रबंधन ने, तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2016) कि एस0डी0सी0 परियोजना में, विलम्ब का मुख्य कारण निविदा मूल्यांकन समिति के निर्माण में हुई देरी थी। एस0एस0डी0जी0 परियोजना के विलम्ब मुख्यतः आर0एफ0पी0 निर्माण एवं अन्तिमीकरण, जिसमें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी शामिल था, के कारण हुआ। बिस्वान परियोजना के संबंध में विलम्ब, आर0एफ0पी0 में परिवर्तन के कारण हुआ।

प्रबंधन का जवाब, इन परियोजनाओं के आरम्भ में हुए विलम्ब पर लेखापरीक्षा के प्रेक्षण की पुष्टि करता है। आगे, डी0आई0टी0 ने लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में यह कहा कि वह कम्पनी द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे क्योंकि कम्पनी ने उन्हें सौंपी गयी परियोजनाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक विलम्ब किया था।

- कम्पनी ने दो डाटा केन्द्रों (एस0डी0सी0 का मार्च 2015 में तथा ब्रेन-डी0सी0 मार्च 2010 में) के कार्य का कार्यान्वयन किया। फिर भी कम्पनी, दोनों सूचना केन्द्रों के कार्यक्षेत्रों के निर्धारण के समय, डी0आर0 योजना/नीति बनाने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप इन डाटा केन्द्रों का परिचालन, किसी व्यावसायिक निरंतरता एवं आपदा वसूली योजना के बिना ही, किया जा रहा था। इस प्रकार, इन डाटा केन्द्रों में संचित आंकड़े, किसी आकस्मिक परिस्थिति में आंकड़ों की हानि के जोखिम से भरे हुए थे।

प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में प्रेक्षणों को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) एवं कहा कि आंकड़ों का बैकअप टेपों में संचित किया जाता है तथा उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और गया में भी एक डी0आर0 स्थल निर्माणाधीन है।

राज्य कोषागार पर अतिरिक्त वित्तीय भार

2.2.15 बिस्वान एवं ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजनाएँ (एन0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित थीं। अतः, कम्पनी के लिए कार्य का विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं लागत प्राक्कलन के निर्माण में, यह आवश्यक था कि भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्राक्कलनों में सभी आवश्यक घटकों का समावेश कर लिया जाय। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को एक नेटवर्क में लाने हेतु बिस्वान परियोजना को, बिहार की सभी आई0टी0 परियोजनाओं के संयोजन आधार के रूप में, अप्रैल 2010 में पूर्ण किया गया था। परियोजना के अन्तर्गत, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं प्रखण्ड मुख्यालय को नेटवर्क की सुविधा प्रदान करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि बिस्वान परियोजना का प्राक्कलन बनाने में कम्पनी ने सभी कार्यालयों को उक्त नेटवर्क में सम्मिलित नहीं किया। जिसके फलस्वरूप, 77 प्रखण्ड मुख्यालयों को भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित लागत प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया। चूँकि इन कार्यालयों में अलग संयोजन बिन्दु की आवश्यकता थी इसलिए, इन 77 प्रखण्ड मुख्यालयों सहित कुल 140 स्थानों पर,

सभी बी0एच0क्यू0 के लिए संयोजन बिन्दु शामिल करने में विफलता के फलस्वरूप राज्य कोषागार पर ₹ 13.84 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा

₹ 25.17 करोड़ की लागत से संयोजन बिन्दु की अधिष्ठापना के लिए एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई (नवम्बर 2015), जिसका वित्तीय पोषण डी0आई0टी0, बिहार सरकार द्वारा होना था। चूँकि, एन0ई0जी0पी0 का वित्त पोषण भारत सरकार से 100 प्रतिशत था, इसलिए इन 77 प्रखण्ड मुख्यालयों को संयोजन बिन्दु प्रदान करने हेतु ₹ 13.84 करोड़ का राज्य सरकार की निधि से व्यय, राज्य कोषागार पर अतिरिक्त वित्तीय भार था।

प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में बिस्वान परियोजनाओं के अन्तर्गत इन 77 प्रखण्ड मुख्यालयों पर राज्य कोषागार पर अतिरिक्त वित्तीय भार से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया।

एन0ई0जी0पी0 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, परामर्शियों के चयन से राज्य कोषागार पर ₹ 2.21 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा

- ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना हेतु एन0ई0जी0पी0 दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्रियान्वयन समर्थन एजेन्सी (आई0एस0ए0/परामर्शी) का चयन, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी0ई0आई0टी0वाई0) के पैनल में शामिल परामर्शियों की सूची में से, करना था। यद्यपि, कम्पनी ने एक परामर्शी का चयन किया (दिसम्बर 2008) जो पैनल में शामिल नहीं था एवं परामर्शी को ₹ 2.21 करोड़ की राशि का भुगतान किया। कम्पनी ने, परामर्शी कार्य पर खर्च हुई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु डी0ई0आई0टी0वाई0 से अनुरोध किया, जिसकी डी0ई0आई0टी0वाई0 ने प्रतिपूर्ति करने से मना कर दिया क्योंकि चयनित परामर्शी, डी0ई0आई0टी0वाई0 के पैनल में शामिल परामर्शियों में से नहीं था। इसके परिणामस्वरूप परामर्शी शुल्क के रूप में होने वाले खर्च को राज्य सरकार के द्वारा वहन करना पड़ा। इस प्रकार, एन0ई0जी0पी0 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर परामर्शी के चयन के कारण राज्य कोषागार को ₹ 2.21 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार सहन करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना हेतु परामर्शी का चयन ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया था, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, यह कहा गया था कि राज्य, परियोजना के अनुश्रवण कार्य हेतु राज्य एजेन्सी के माध्यम से, जो ऐसी सुविधा प्रदान करने में सक्षम हो, करा सकती है तथा ऐसे मामले में, परियोजना के परामर्शी हेतु कर्णान्कित राशि का प्रयोग अपनी राज्य एजेन्सी को नियुक्त करके कर सकती है।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि नियुक्त परामर्शी डी0ई0आई0टी0वाई0 द्वारा स्वीकृत नहीं था एवं इसलिए लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।

आवश्यक आई0टी0 उपकरणों का क्रम अलग-अलग करने से प्रक्रिया विलंबित हुई, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ के आई0टी0 सम्पत्तियाँ बेकार पड़ी हुई थी तथा अप्रचलन की जोखिम में थी

- ई-डिस्ट्रिक्ट (पायलट) परियोजना में सेवाओं के निष्पादन में बढ़ोतरी हेतु कम्पनी द्वारा, आवश्यक बाह्य उपकरणों/ऑपरेटिंग सिस्टम सहित चार अतिरिक्त सर्वरों के, क्रय/अधिष्ठापन हेतु एक डी0पी0आर0/आर0एफ0पी0 बनाया गया (जनवरी 2013)। आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी 2013 में दी गई। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि प्रबंधन बोली की वैधता अवधि के अन्दर निविदा का अन्तिमीकरण करने में विफल रहा तथा ₹ 2.43 करोड़ मूल्य की इन सामग्रियों का क्रय टुकड़ों में किया गया। चूँकि परियोजना को जून 2014 में बंद कर दिया गया था, इसलिए ₹ 2.43 करोड़ की सामग्रियों की अधिष्ठापना अभी तक नहीं की जा सकी थी (नवम्बर 2016) तथा वे बेकार पड़े हुए थे।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2016) कि कम्पनी द्वारा खरीदे गये सर्वर एवं अन्य उपकरणों का, ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के राज्यव्यापी विस्तार चरण में, उपयोग कर लिया जाएगा।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के विस्तार चरण को अभी भी (अक्टूबर 2016) अन्तिम रूप दिया जाना शेष है तथा ₹ 2.43 करोड़ की

आई0टी0 परिसम्पत्तियाँ अगस्त 2014 से बेकार पड़ी थीं। इसके अतिरिक्त, डी0आई0टी0 को, परियोजना के परिकल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, डी0आई0टी0 द्वारा जवाब दिया कि इसकी प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि परियोजना (पायलट चरण) को कम्पनी द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका था।

आई0टी0 परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.16 कम्पनी ने, राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (एन0ई0जी0पी0) के आई0टी0 परियोजनाओं के साथ ही साथ, बिहार के विभिन्न विभागों/सा0क्षे0उ0/एजेंसियों द्वारा सौंपे गये आई0टी0 परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। एन0ई0जी0पी0 का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया। एन0ई0जी0पी0 को प्राथमिक उद्देश्य, सामान्य व्यक्ति को उसके क्षेत्र में मिलने वाली सारी सरकारी सेवाओं को, सामान्य सेवा आपूर्ति आउटलेट के माध्यम से उपलब्ध कराना था तथा इन सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता तथा निर्भरता को, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सस्ती लागत पर सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में निहित थी। एन0ई0जी0पी0 के अलावा, कम्पनी ने बिहार सरकार के आई0टी0 एवं अन्य विभागों द्वारा सौंपे गये आई0टी0 से सम्बन्धित परियोजनाओं एवं सेवाओं को भी क्रियान्वित किया।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में, कम्पनी ने ₹ 674.27 करोड़ की कुल मूल्य के 35 आई0टी0 सम्बन्धित परियोजनाओं (एन0ई0जी0पी0 की पाँच परियोजनाओं को शामिल करके) एवं सेवाओं (28 पूर्ण एवं सात चालू) को क्रियान्वित किया। इनके विरुद्ध, कुल ₹ 672.06 करोड़ की राशि प्राप्त हुई (मार्च 2016), जिनके विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 502.31 करोड़ की राशि व्यय की। इन आई0टी0 परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 2.2.3** में दिया गया है।

ऊपर वर्णित 35 परियोजनाओं में से, 13 परियोजनाओं को वृहद जाँच हेतु चयनित किया गया था। चयनित 13 परियोजनाओं में से, पाँच परियोजनाएँ⁴ निर्धारित समय में पूर्ण की गईं तथा नौ⁵ परियोजनाएँ प्राक्कलित राशि के अधीन ही पूर्ण कर ली गईं। इन परियोजनाओं में अवलोकित अनियमितताओं की चर्चा नीचे की गई है:

संवेदकों को कार्य का अनियमित आवंटन

2.2.17 बिहार वित्तीय नियमावली (बी0एफ0आर0), 2005 का नियम 131 जेड0एल0 (बी0) यह निर्धारित करता है कि ₹ 10 लाख से अधिक के प्राक्कलित राशि के कार्य एवं सेवाओं को निविदा आमंत्रण के द्वारा ही करना है। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि बी0एफ0आर0 2005 का उल्लंघन करते हुए, ₹ 26.78 करोड़⁶ के मूल्य की तीन परियोजनाओं का कार्यावंटन, संवेदकों को बिना निविदा आमंत्रित किये ही किया गया।

प्रबंधन ने, सी0टी0एम0आई0एस0 परियोजनाओं के संबंध में कहा (सितम्बर 2016) की चूँकि परियोजनाओं का विकास एवं अनुकूलन, संवेदक द्वारा उपभोगकर्ता विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया था, इसलिए उसी संवेदक को नए सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन हेतु रखा गया। सी0ए0एल0 परियोजना के संबंध में प्रबंधन ने कहा कि

इन परियोजनाओं के ₹ 26.78 करोड़ के कार्य को अनियमित रूप से संवेदकों को बिना निविदा आमंत्रण के प्रदान किया गया

⁴ बी0आर0ए0आई0एन0-डी0सी0, सी0टी0एम0आई0एस0, सी0ए0एल0, विद्यालय में आई0सी0टी0, सचिवालय एल0ए0एन0

⁵ बी0एस0डब्लू0ए0एन0, एस0एस0डी0जी0, एस0डी0सी0,एम0ओ0पी0-2, सी0ए0एल0, विद्यालयों में आई0सी0टी0, सचिवालय एल0ए0एन0, एन0एल0आर0एम0पी0, ई0-पी0डी0एस0

⁶ सी0टी0एम0आई0एस0 (ए0एम0सी0 चरण) ₹ 10.94 करोड़, बी0एस0डब्लू0ए0एन0 (ए0एम0सी0 चरण) ₹ 5.20 करोड़, सी0ए0एल0 ₹ 10.64 करोड़

उपभोगकर्ता विभाग को भी यह प्रस्ताव स्वीकार्य था और इसलिए एक त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किया गया। बिस्वान (ए0एम0सी0चरण) के संबंध में, प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (नवम्बर 2016) तथा कहा कि ए0एम0सी0 कार्यावंटन की प्रक्रिया को परियोजना पूर्ण होने के पहले ही आरंभ कर लेना चाहिए था।

सी0टी0एम0आई0एस0 पर प्रबंधन का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संचालन की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद, ए0एम0सी0 कार्य का आवंटन निविदा आमंत्रण के द्वारा ही करना चाहिए था। सी0ए0एल0 परियोजना पर भी जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परियोजना हेतु निविदा आमंत्रण से अनुभवी संवेदकों से प्रतिस्पर्धी दर आकर्षित की जा सकती थी, जिससे लागत की बचत की जा सकती थी।

परामर्शियों की अनियमित नियुक्ति

2.2.18 परामर्शियों की नियुक्ति पर सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देश (25 नवम्बर 2002) यह प्रावधानित करते हैं कि (अ) परामर्शियों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और (ब) संविदा में, परियोजना के किसी भी स्तर पर परामर्शियों द्वारा गलतियों, जिसमें परामर्शियों के कारण विलम्ब भी शामिल है, हेतु दंडित करने के लिए समुचित प्रावधानों को सम्मिलित करना चाहिए। इस पर सी0वी0सी0 के दिनांक जुलाई 2007 के आदेश द्वारा बल दिया गया, जो 2006 की विशेष अनुमति याचिका (एस0एल0पी0) (असैनिक) संख्या 10174 पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित थी, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधानित है कि केवल लोक नीलामी/लोक निविदा के माध्यम से ही सरकारी संविदा प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संविदाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ भ्रष्ट/अनियमित आचरणों पर पूर्ण विराम लगाना है।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने सी0वी0सी0 के ऊपर वर्णित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, सात परियोजनाओं में ₹ 9.08 करोड़⁷ मूल्य की परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने के कार्य को नामांकन आधार पर आवंटित किया (मई 2007 से दिसम्बर 2014) जो सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार असाधारण मामलों हेतु योग्य नहीं थे तथा अभिलेखों पर किसी औचित्य/कारण को अंकित किये बिना दिये गये थे। यह न केवल अनियमित और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध था परन्तु इसके परिणामस्वरूप परामर्शी को अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि बेस्ट लिमिटेड का गठन कम्पनी को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु विशेष परियोजना संसाधन (एस0पी0वी0) के रूप में हुआ था। बेस्ट लिमिटेड के साथ हुए समझौते एवं निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार परामर्शी कार्य बेस्ट लिमिटेड को प्रदान किये गये थे। प्रबंधन का जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि बेस्ट लिमिटेड एक स्वतंत्र निकाय है और इसलिए बेस्ट लिमिटेड को कार्य प्रदान करने के समय सी0वी0सी0 के दिशा-निर्देशों का, अनुपालन किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, परामर्शी के चयन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के अभाव में, कम्पनी अत्यन्त मित्यव्ययी दरों को प्राप्त करने से वंचित हो सकती है।

कम्पनी ने, परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने के ₹ 9.08 करोड़ के कार्य को अनियमित रूप से नामांकन के आधार पर प्रदान किया।

⁷ एम0ओ0पी0-1 : ₹ 1.91 करोड़, ई0-शक्ति : ₹ 2.54 करोड़, ई0-पी0डी0एस0 (पाईलट) : ₹ 0.33 करोड़, विद्यालयों में आई0सी0टी0 : ₹ 2.51 करोड़, सी0टी0एम0आई0एस0 : ₹ 0.29 करोड़, से सचिवालय एल0ए0एन0 : ₹ 0.38 करोड़, एवं एन0एल0आर0एम0पी0 : ₹ 1.12 करोड़

बिस्वान परियोजना

2.2.19 बिस्वान परियोजना की शुरुआत (अक्टूबर 2006) बिहार में सभी आई0टी0 परियोजनाओं को संयोजन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। परियोजना को नौ चरणों में (अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2010) पूर्ण किया गया। बिस्वान परियोजना का अंतिम चरण का ए0एम0सी0 (मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य एवं मानवशक्ति आपूर्ति) मार्च 2015 में समाप्त हुआ। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी ने उसी संवेदक को ए0एम0सी0 कार्य का मौखिक विस्तार मार्च 2015 में दिया, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति जुलाई 2015 में दी गई जिसके अन्तर्गत संवेदक ने केवल मानवशक्ति आपूर्ति करने की बात स्वीकार की तथा हार्डवेयर की मरम्मत पर हुए खर्च, अगर कोई हो तो, की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति नहीं दी।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि सेवा स्तर अनुबंध में परिकल्पित 525 संयोजन बिन्दु (पी0ओ0पी0) के विरुद्ध, मार्च 2015 में, केवल 344 पी0ओ0पी0 ही संचालन में थे। कम्पनी के द्वारा संवेदक को अप्रैल 2015 से जुलाई 2015 की अवधि में 525 पी0ओ0पी0 हेतु कुल ₹ 5.20 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, कम्पनी के द्वारा भुगतान पूर्व यह आकलित करने में विफलता कि कितने पी0ओ0पी0 कार्यरत है तथा उनमें कितने मानवशक्ति की आवश्यकता है, के परिणामस्वरूप 181 अकार्यरत पी0ओ0पी0 पर भुगतान के मद में ₹ 1.79 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि औसतन 489 पी0ओ0पी0 कार्यशील थे तथा शेष 43 अकार्यशील थे।

प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सचिव, आई0टी0 विभाग, बिहार सरकार द्वारा उद्धृत तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन (जुलाई 2015) के अनुसार मार्च 2015 को केवल 344 पी0ओ0पी0 ही कार्यशील थे तथा 138 पी0ओ0पी0 खराब थे। इसके अतिरिक्त, डी0आई0टी0 को, विभाग द्वारा लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति सामने आने वाली बाधाओं से सम्बन्धित निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, यह कहा गया कि उनके परियोजनाओं के लक्ष्यों को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका था क्योंकि परियोजना सभी स्थलों पर कार्यशील नहीं थी।

ई-लोक वितरण प्रणाली (ई-पी0डी0एस0) परियोजना

2.2.20 बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (बी0एस0एफ0एण्ड सी0एस0) के कार्यकलापों को सुप्रभावी बनाने के उद्देश्य के साथ ई-पी0डी0एस0 परियोजना की शुरुआत की गई थी (अप्रैल 2014)। इसका प्रयोग, एक आई0टी0 साधन के रूप में, विभिन्न मुद्दों, जैसे खाद्यन्नों के रिसाव/विचलन, क्रय में आने वाली कठिनाइयों, इत्यादि के समाधान हेतु, करना था। इस परियोजना में खाद्यान्नों के वजन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मापने एवं दर्ज करने हेतु बी0एस0एफ0एण्ड सी0एस0 के गोदामों में 534 फ्लोर स्केल यंत्रों की अधिष्ठापना करना एवं उन्हें प्रणाली से जोड़ना था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि ₹ 3.21 करोड़ की लागत से आपूर्ति/अधिष्ठापित किये गये (जनवरी 2014 से मार्च 2014) 510 फ्लोर स्केल में से, 236 फ्लोर स्केल (46.27 प्रतिशत) जिनका मूल्य ₹ 1.49 करोड़ था, को अधिष्ठापित नहीं किया गया था और परियोजना पूर्ण होने तक उन्हें ई-पी0डी0एस0 प्रणाली से जोड़ा नहीं गया था। इसके परिणामस्वरूप 236 फ्लोर स्केल भुगतान पर किये गये ₹ 1.49 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। इस प्रकार, कम्पनी उपयोगकर्ता विभाग के वित्तीय हितों की रक्षा हेतु उचित सतर्कता बरतने में विफल रही।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि जोड़ने सम्बन्धी कोई भी मुद्दा बी0एस0एफ0एण्ड सी0एस0 द्वारा नहीं उठाया गया था तथा इन फ्लोर स्केलों की आपूर्ति ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार की गई थी। प्रबंधन का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है

236 अधिष्ठापित नहीं फ्लोर स्केलों के भुगतान के संबंध में वित्तीय सचेतता के अभाव के फलस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

क्योंकि अंतिम स्वीकृति परीक्षण (एफ0ए0टी0) प्रतिवेदन, जो परामर्शी द्वारा निर्गत था, में स्वयं यह बताया गया था कि 236 फ्लोर स्केल को प्रणाली से नहीं जोड़ा गया था, जिसके कारण उनका उपयोग नहीं हो रहा था।

राज्य डाटा केन्द्र (एस0डी0सी0) परियोजना

2.2.21 एस0डी0सी0 परियोजना की शुरुआत (अक्टूबर 2012) सरकार से सरकार (जी0 2 जी0), सरकार से व्यापार (जी0 2 बी0) एवं सरकार से नागरिक (जी0 2 सी0) सेवाओं की कुशल इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति, साझा आपूर्ति मंच के माध्यम से करने के उद्देश्य से, की गई थी। एस0डी0सी0 परियोजना के कार्यक्षेत्र के अनुसार बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के 42 अनुप्रयोगों को ₹ 16.44 करोड़ की लागत से एस0डी0सी0 के सर्वरों पर लगाना था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि परिचालन प्रारम्भ होने (मार्च 2015) के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी डाटा केन्द्र का आंशिक प्रयोग ही किया जा रहा था क्योंकि 11 विभागों के केवल 15 अनुप्रयोगों को ही अधिष्ठापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 27.96 लाख मूल्य के तीन डाटा सर्वर अनुपयुक्त पड़े हुए थे (नवम्बर 2016) क्योंकि इनपर उपयोगकर्ता विभाग का कोई डाटा बेस/साफ्टवेयर अधिष्ठापित नहीं था।

प्रबंधन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि अनुपयुक्त सर्वर को अनुकूल अनुप्रयोगों के प्राप्त होने पर उपयोग में लाया जाएगा।

विद्यालयों में आई0सी0टी0 परियोजना

2.2.22 विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (विद्यालयों में आई0सी0टी0) परियोजना की शुरुआत (जुलाई 2007 एवं फरवरी 2008) एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना के उद्देश्य के साथ की गई थी जिसमें एक सर्वर, 10 पी0सी0 नोड्स, जो प्रिंटर से जुड़े हुए हो एवं पावर बैकअप सुविधा जैसे यु0पी0एस0 तथा जेनसेट और कम्प्यूटर फर्नीचर हो। इस परियोजना के अन्तर्गत, प्रत्येक कम्प्यूटर प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर कम्पनी द्वारा संवेदकों को उपलब्ध कराया जाना था। सस्ती दर पर सॉफ्टवेयरों की आपूर्ति हेतु कम्पनी ने विक्रेताओं के साथ एक अनुबंध किया (जुलाई 2007 एवं मार्च 2008)। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि ₹ 68.97 लाख मूल्य के सॉफ्टवेयरों में से ₹ 55.08 लाख के सॉफ्टवेयरों का उपयोग परियोजना में नहीं हुआ था तथा अधिशेष घोषित किया गया था (मार्च 2012) और वे इन्वेन्टरी में अभी तक पड़े हुए थे (अक्टूबर 2016)। इस प्रकार, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयरों की वास्तविक आवश्यकता के आकलन में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप, अधिशेष सॉफ्टवेयर पर ₹ 55.08 लाख का व्यय निष्क्रिय पड़ा रहा।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि कम्पनी द्वारा सॉफ्टवेयर अनुज्ञप्ति का क्रय विद्यालयों में आई0सी0टी0 के लिए शिक्षा विभाग हेतु किया गया था और इस परियोजना में इनका विभिन्न संवेदकों द्वारा उपयोग किया गया था। प्रबंधन का जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि ₹ 13.90 लाख मूल्य के सॉफ्टवेयर का ही उपयोग मार्च 2012 तक किया गया था तथा ₹ 55.08 लाख मूल्य के सॉफ्टवेयर अभी तक (अक्टूबर 2016) इन्वेन्टरी में पड़े हुए थे। आगे प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (नवम्बर 2016) कि विभाग को सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए एक पत्र अतिशीघ्र निर्गत किया जाएगा।

दण्ड भारित करने या परिसमापित क्षति की कटौती करने में विफलता

2.2.23 कम्पनी द्वारा लागू किये गये सभी आई0टी0 परियोजनाओं में, विक्रेताओं के साथ अनुबंध किया गया था, जिसमें परियोजनाओं के प्रत्येक घटक की स्थापना/आपूर्ति/कार्रवाई के लिए समयावधि निर्धारित की गई थी, जिनका अनुपालन

नहीं करने पर परिसमापित क्षति (एल0डी0) की कटौती संवेदकों के विपत्रों से करनी थी।

एल0डी0 काटने में विफलता के कारण संवेदक को ₹ 3.28 करोड़ तक का अनुचित लाभ का विस्तार हुआ

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी, विक्रेताओं द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब के लिए एल0डी0 को कटौती /दण्ड भारित करने में विफल रहा। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा, चार परियोजनाओं⁸ में ₹ 3.28 करोड़ के एल0डी0 की राशि की या तो कटौती नहीं की गई या फिर कम कटौती की गई। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 3.28 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

प्रबंधन ने एस0डी0सी0 परियोजना के संबंध में कहा (सितम्बर 2016) कि विलम्ब का कारण कार्यक्षेत्र में संशोधन और वास्तविक सेटअप एवं तकनीकी समाधान में असामन्जस्य था। प्रबंधन का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि कार्यक्षेत्र में संशोधन के कारण विलंब केवल चार सप्ताह का था एवं 30 सप्ताह का विलंब संवेदक के कारण था इसलिए एल0डी0 कटौती की जानी चाहिए थी। एस0एस0डी0जी0 के संबंध में प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार किया एवं कहा कि विपत्रों के अन्तिमीकरण के समय एल0डी0 की कटौती को ध्यान में रखा जाएगा। ई-पी0डी0एस0 परियोजना पर प्रबंधन ने, एल0डी0 को कटौती नहीं करने पर लेखापरीक्षा के अवलोकन का अलग से जवाब नहीं दिया।

अधिक भुगतान/खर्च

2.2.24 आई0टी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नामित एजेन्सी होने के नाते, कम्पनी को, विक्रेताओं को भुगतान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए एवं अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि अधिक भुगतान/खर्च को बचाया जा सके। अधिक भुगतान/खर्च के कुछ उदाहरण अनुवर्ती कड़िकाओं में वर्णित हैं :

- एस0डी0सी0 परियोजना के आर0एफ0पी0 के खंड 1.20.1 के अनुसार, बोली लगाने वालों द्वारा उद्धृत दर (सभी करों सहित) स्थिर एवं अंतिम होंगे और इनमें कोई भी उत्तरोत्तर वृद्धि किसी भी आधार पर नहीं होगी। सफल बोलीदाताओं वाले का उद्धृत दर ₹ 16.44 करोड़ था, जो स्थिर एवं सभी करों सहित था। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने उद्धृत दर के अलावा करों के भुगतान को अलग से स्वीकार करते हुए अनुबंध को अनियमित रूप से संशोधित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.82 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि करों का भुगतान वास्तविक आधार पर किया गया था जैसा कि एस0डी0सी0 के आर0एफ0पी0 खण्ड-1 वाणिज्यिक एवं विधिक निर्देशों में वर्णित था। प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आर0एफ0पी0 खण्ड-2 में करो का वास्तविक आधार पर भुगतान, परिचालन व्यय पर प्रावधानित था। अपितु ₹ 26.82 लाख का भुगतान पूँजीगत व्यय पर किया गया था।

- विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षण (सी0ए0एल0) परियोजना के अन्तर्गत, 244 विद्यालयों में विभिन्न उपकरणों की स्थापना हेतु, बिहार शिक्षा परियोजना समिति (बी0ई0पी0सी0), कम्पनी एवं इंडियन लिजिंग फाइनांस सर्विसेज एजुकेशन टेक्निकल सर्विसेज (आई0एल0एफ0एस0ई0टी0एस0) के बीच एक त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 (1 फरवरी 2010) हुआ था। एम0ओ0यू0 के भुगतान संबंधी प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक इकाई के लागत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें क्रय, स्थापना, अनुश्रवण, रख-रखाव, प्रलेखन, प्रेक्षण आदि की लागत सम्मिलित थी।

⁸ ई0-पी0डी0एस0 : ₹ 79.04 लाख, ई0-शक्ति : ₹ 1.27 करोड़, एस0डी0सी0 : ₹ 80 लाख एवं एस0एस0डी0जी0 : ₹ 42.10 लाख

इसके अतिरिक्त, कम्पनी एवं इसके कंसोर्टियम सहभागी आई0एल0एफ0 एस0ई0टी0एस0 को सम्बन्धित चालान अपने कार्यालय में आगे के निरीक्षण के लिए सुरक्षित रखने थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने वित्तीय विवेक का उपयोग नहीं किया तथा विक्रेता के चालानों का किये गये भुगतान से तुलना नहीं की गयी थी, जैसा कि कम्पनी को आपूर्ति किये गये के-यान, जेनसेट एवं प्रिंटर के मूल्यों में अत्यधिक अन्तर था जो कि तालिका सं0 2.2.1 में दिया गया है :

तालिका संख्या 2.2.1 : सामग्री में मूल्य अन्तर का विवरण

(₹) राशि में

क्रम सं0	वस्तु का नाम	एम0ओ0यू0 के अनुसार प्रति इकाई लागत	चालान के अनुसार प्रति इकाई लागत	प्रति इकाई अंतर	कुल आपूर्तित इकाइयों की संख्या	प्रतिशत में आधिक्य	कुल आधिक्य
01	के0-यान	107000	47233	59767	244	126	14583148
02	जेनसेट	36000	30500	5500	244	18	1342000
03	प्रिंटर	9000	4700	4300	244	91	1049200
	कुल						16974348

तालिका सं0 2.2.1 से देखा जा सकता है कि उपर्युक्त तीन आई0टी0 सामग्रियों का भुगतान मूल्य अधिक था जो कर चालानों के अनुसार वास्तविक मूल्य के 18 प्रतिशत से 126 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार कम्पनी द्वारा वित्तीय सतर्कता नहीं बरतने के कारण ₹ 1.70 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि उपकरणों के निर्धारित मूल्य के साथ वास्तविक मूल्यों की लागत की तुलना के लिए संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, कम्पनी दरों के औचित्य का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी। प्रबंधन का जवाब सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों पर ही आधारित थे। इसके अतिरिक्त, एम0ओ0यू0 के अनुसार लागत की केवल अधिकतम सीमा परिभाषित थी एवं प्रबंधन के लिए, वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का उपयोग कर के, इन लागतों को वास्तविक लागत से जाँचने हेतु, कोई बाधा नहीं थी।

इसके अतिरिक्त, एम0ओ0यू0 के अनुसार सभी अभिलेख/चालानों को कम्पनी द्वारा रखा जाना था।

कम्पनी द्वारा परिचालित अन्य गतिविधियाँ

2.2.25 आई0टी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अलावा, कम्पनी बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/सा0क्षे0उ0 को ई-टेंडरिंग करने हेतु सुविधा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य क्रय एजेन्सी होने के नाते, यह विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/सा0उ0क्षे0 हेतु आई0टी0 सम्बन्धित उत्पाद भी क्रय करती है एवं विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/सा0क्षे0उ0 द्वारा माँगे जाने पर आई0टी0 मानवशक्ति (प्रोग्रामर, डाटा प्रविष्टि संचालक, आदि) उपलब्ध कराती है। इन गतिविधियों के संचालित करने में पायी गयी कमियों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है :

ई-टेंडरिंग कार्य

2.2.26 ई0-टेंडरिंग एक प्रक्रिया है, जिसमें भौतिक निविदा गतिविधियों को इन्टरनेट एवं सम्बद्ध तकनीकों के माध्यम से ऑनलाईन किया जाता है। यह क्रेताओं एवं विक्रेताओं को वास्तविक समय में बोली लगाने का समाधान प्रदान करती है। निविदा प्रबंधन सॉफ्टवेयर, क्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं दोनों को प्रक्रिया अवधि कम करने,

अनावश्यक कागजी कार्य, लंबी कतारों में प्रतीक्षा को कम करने में मदद करता है एवं साथ ही यह पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखता है। ई-टेंडरिंग सुविधा की रचना हेतु कम्पनी ने संवेदक को अगस्त 2008 में एल0ओ0आई0 प्रदान किया, अप्रैल 2010 में मुख्य सेवा अनुबंध (एम0एस0ए0) हस्ताक्षरित किया तथा अन्त में परियोजना को दिसम्बर 2012 में कार्यरत (एफ0ए0टी0 निर्गत) घोषित किया :

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- एम0एस0ए0 की अनुसूची 12 के अनुसार, यदि बोलीकर्ता क्रियान्वयन योजना में निर्धारित समयावधि में स्वीकृति परीक्षण पूर्ण करने में विफल रहता है, तो कम्पनी ₹ 10,000 प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए, जो अधिकतम ₹ 50 लाख हो, का परिसमापन क्षति के रूप में भारित करेगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना, एल0ओ0आई0 निर्गत करने की तिथि के चार वर्षों से, तथा समझौते की तिथि से दो वर्षों से विलम्बित थी। आगे अन्य मॉड्यूल, जैसे ई-पेमेन्ट सुविधा का क्रियान्वयन अप्रैल 2014 में किया गया तथा ई-ऑक्सन का क्रियान्वयन अभी किया जाना था। यद्यपि, जैसा कि एम0एस0ए0 में एफ0ए0टी0 की तिथि प्रावधानित नहीं थी, कम्पनी द्वारा परिसमापन क्षति भारित नहीं किया गया। इस प्रकार, दोषपूर्ण अनुबंध के कारण, कम्पनी ने संवेदक को अनुचित लाभ दिया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि क्रियान्वयन योजना को समय सीमाओं के साथ एम0एस0ए0 में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन ने यह भी कहा कि परियोजना की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा विलंब से दी गई। प्रबंधन का जवाब सही नहीं है क्योंकि एम0एस0ए0 में एफ0ए0टी0 की तिथि, जिसके आधार पर परिसमापन क्षति की कटौती करनी थी, उल्लेखित/सम्मिलित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट के कारण विलम्ब भी सही नहीं है क्योंकि कैबिनेट द्वारा स्वीकृति जून 2009 में ही दी जा चुकी थी जबकि संवेदक ने परियोजना मुख्य सेवा अनुबंध (एम0एम0ए0) हस्ताक्षरित होने (अप्रैल 2010) के दो वर्षों पश्चात दिसम्बर 2012 में पूर्ण किया।

ई0-निविदा के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण, ₹ 11.91 करोड़ की राशि विभिन्न विभागों से दो वर्षों से वसूलनीय थी।


- सरकार के आदेशानुसार (जून 2009), कम्पनी को बोलीकर्ताओं से निविदा प्रक्रिया शुल्क (टी0पी0एफ0)⁹ वसूल करना था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ई-पेमेन्ट सुविधा के आरम्भ में 16 महीनों के विलंब के कारण मार्च 2014 तक टी0पी0एफ0 की वसूली, निविदा निर्गत करने वाले विभागों द्वारा की जाती थी। इस प्रकार, ई-पेमेन्ट सुविधा के प्रारम्भ में विलम्ब के कारण, ₹ 11.91 करोड़ के टी0पी0एफ0 की वसूली सीधे कम्पनी द्वारा नहीं की जा सकी तथा वह निविदा निर्गत करने वाले विभागों से दो वर्षों से अधिक समय से वसूलनीय थे।
- कम्पनी ने, बिना प्राक्कलित राशि के जारी निविदाओं में टी0पी0एफ0 निर्धारण हेतु कोई कदम नहीं उठाया। 299 निविदाओं (876 बोलीकर्ता सम्मिलित हुए) में, कम्पनी द्वारा टी0पी0एफ0 नहीं वसूला गया तथा बिना प्राक्कलित राशि के 837 निविदाओं में (2401 बोलीकर्ता सम्मिलित हुए), कम्पनी ने ₹ 1000 की न्यूनतम दर से प्रति बोलीकर्ता से तदर्थ रूप से वसूल किया।
- ई-टेंडरिंग सुविधा भी दोषपूर्ण थी क्योंकि इससे डाटा बैकअप के ऑफ-साइट भंडारण का प्रावधान नहीं था, जो व्यावसायिक निरंतरता एवं आपदा बहाली योजना की अनुपस्थिति इंगित करता था।

⁹ निविदादाता द्वारा ₹ 70 लाख तक मूल्य की निविदा के लिए ₹ 1000 प्रति निविदा की दर से, ₹ 70 लाख से ₹ तीन करोड़ के मूल्य की निविदा के लिए ₹ 5000 प्रति निविदा और ₹ तीन करोड़ से अधिक मूल्य की निविदा के लिए ₹ 15000 प्रति निविदा की दर से भुगतान था।

क्रय कार्य

2.2.27 कम्पनी को विभिन्न सरकारी विभागों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्रय एवं आपूर्ति हेतु राज्य क्रय एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। कम्पनी कुल क्रय राशि का सात प्रतिशत एजेन्सी शुल्क के रूप में प्राप्त करती है। ग्राहक विभागों से माँग क्रय इंडेन्ट के रूप में प्राप्त की जाती है। कम्पनी द्वारा अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि में प्राप्त किये गये क्रय इंडेन्ट का विवरण आरेख सं० 2.2.2 में वर्णित है।

आरेख संख्या 2.2.2 : प्राप्त किये गये क्रय इंडेन्ट (पी०आई०) का विवरण



आरेख 2.2.2 से यह देखा जा सकता है कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान कम्पनी की क्रय गतिविधि ₹ 10.96 करोड़ से ₹ 30.76 करोड़ के मध्य थी। कम्पनी अपनी क्रय गतिविधियों को चलाने हेतु विभिन्न ग्राहक विभागों पर आश्रित थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि :

- 2011-16 की अवधि के दौरान, कम्पनी ने, ग्राहक विभागों द्वारा अपेक्षित आई०टी० उपकरणों का क्रय कम्पनी से करवाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया।
- कम्पनी ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि में 15 दर संविदा के अन्तिमीकरण में एक से नौ महीने का समय व्यतीत किया। दर संविदा के अन्तिमीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप, कम्पनी को 335 डेस्कटॉप कम्प्यूटर, जिनका कुल मूल्य ₹ 1.32 करोड़ था, पुराने दर संविदा की अवधि समाप्त होने के एक से सात महीनों के बाद क्रय करने पर विवश होना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि विलम्ब विभिन्न कारणों से हुआ जैसे विक्रेताओं का कम संख्या में भाग लेना, उच्च दर, विक्रेता द्वारा अधिक समय की माँग, इत्यादि। यह भी कहा गया कि निविदा का समय से अन्तिमीकरण हेतु कदम उठाया जा रहा है।

- 1087 डेस्कटॉप के क्रय के संबंध में, कम्पनी निविदा निष्पादन के समय सॉफ्टवेयर/ऑपरेटिंग सिस्टम की दरों (जैसे कि लिनक्स तथा विन्डोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्यान्तर) को डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के दरों से तुलना करने में विफल रही एवं इससे दर संविदा उच्च दर पर निष्पादित की। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा ₹ 42.41 लाख का अधिक व्यय किया गया, जो परिहार्य था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि दर संविदा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा स्वीकृत दर, डेस्कटॉप कम्प्यूटर के लिए डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर से कम थी। यह भी कहा गया कि कम्पनी द्वारा स्वीकृत दरों में सभी करों का समावेश था तथा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों में सभी दरों का समावेश नहीं था। प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रबंधन द्वारा तुलना हेतु जिन कम्प्यूटर के डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों की पेशकश की गयी है, वे एच0पी0 द्वारा निर्मित थे, जबकि कम्पनी द्वारा क्रय किये गये, कम्प्यूटर डेल एवं विप्रो द्वारा निर्मित थे।

आई0टी0 मानवशक्ति की आपूर्ति

2.2.28 कम्पनी, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थानों, संगठनों, स्थानीय निकायों, आदि को, आई0टी0 मानवशक्ति, जैसे, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, डाटा इन्ट्रीऑपरेटर, आई0टी0 कर्मी प्रदान करती है। अपने कामकाज को ज्यादा प्रभावशाली बनाने हेतु इसने बिहार ज्ञान केन्द्र (बी0के0एस0) का निर्माण किया। बी0के0एस0 पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं परीक्षा का संचालन करता है एवं सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार करता है। बी0के0एस0 का संचालन 1 अक्टूबर 2010 से कपनी एवं मेसर्स बेस्ट के बीच हुए अनुबंध के अन्तर्गत परामर्शी फर्म द्वारा किया जाता है। कम्पनी ने, अपने आई0टी0 मानवशक्ति को विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/सा0क्षे0उ0 में नियुक्त किया, जिसके द्वारा इसे कर्मचारी भविष्य निधि (ई0पी0एफ0)/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी) हेतु अंशदान के साथ एक विशिष्ट तय राशि तथा ₹ 350 से ₹ 550 प्रति अभ्यर्थी प्रतिमाह सेवा शुल्क प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 15,921 में से 14,990 पंजीकृत अभ्यर्थियों ने 2010-14 में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया, जिसमें से केवल 6023 अभ्यर्थी (40.18 प्रतिशत) विभिन्न सरकारी विभागों/एजेन्सियों/सा0क्षे0उ0 में प्रतिनियुक्त हुए थे (दिसम्बर 2014), और 59.82 प्रतिशत अभ्यर्थी अभी भी प्रतिनियुक्त होने बाकी थे।

ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0सी0 के सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में विफलता

2.2.29 कम्पनी की ओर से, चार संवेदको¹⁰ द्वारा आई0टी0 मानवशक्ति उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधानित करता है कि कम्पनी की ओर से सेवाएँ देने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न कानूनों के अनुपालन हेतु संवेदक जिम्मेवार होंगे। यह भी प्रावधानित करता है कि कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान को जमा करने से सम्बन्धित सभी साक्ष्य संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चारों संवेदक वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 5.41 करोड़ के ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 के अंशदान को जमा कराने में विफल रहे। इस प्रकार कम्पनी के अकुशल अनुश्रवण के परिणामस्वरूप ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 अंशदान जमा कराने से संबंधित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

कम्पनी द्वारा अकुशल अनुश्रवण के कारण, ₹ 5.41 करोड़ के ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0सी0 अंशदानों को संबंधित प्राधिकारों को जमा नहीं किया जा सका

¹⁰ ईलेक्ट्रॉनिक नेट, विजन इण्डिया, उर्मिला इन्फो सोल्यूशन, विवज्योर इन्फो प्राईवेट लिमिटेड।

प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2016) कि दोषी संवेदकों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दिया गया है।

अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण

2.2.30 कम्पनी द्वारा, परियोजना क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण आवश्यक है जिसके कि संविदा के शर्तों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रक्रिया अनुमोदन स्तर से आरम्भ होनी चाहिए एवं क्रियान्वयन के दौरान एवं समाप्ति-पश्चात स्तर के बाद भी जारी रहनी चाहिए। कम्पनी द्वारा आई0टी0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण परामर्शियों द्वारा किया जाता है। कम्पनी द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के अनुश्रवण में अवलोकित कमियों की चर्चा नीचे की गयी है :

परामर्शियों की कार्यप्रणाली

2.2.31 कम्पनी आई0टी0 परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु परामर्शियों पर पूर्णतः आश्रित थी। आई0टी0 परियोजना से सम्बन्धित प्रत्येक गतिविधि जैसे परियोजना प्रतिपादन, डी0पी0आर0 निर्माण, निविदाकर्ता के चयन, कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों, अंतिम स्वीकृति परीक्षण, संवेदकों को भुगतान की अनुशंसा, परियोजना अनुश्रवण आदि, परामर्शियों द्वारा ही सम्पादित किये जा रहे थे। कम्पनी में कोई तंत्र नहीं था जिससे की परामर्शियों के कार्यों की समीक्षा की जा सके। परामर्शियों के कार्यकलाप में पायी गयी कुछ अनियमितताएँ नीचे दी जा रही हैं:

- कम्पनी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं में परामर्शी सेवाएँ देने हेतु मई 2007 में एक परामर्शिक अनुबंध कम्पनी एवं परामर्शी (बेस्ट) के बीच किया गया। उक्त अनुबंध के अनुसार, बिस्वान को छोड़कर शेष सभी परियोजनाओं में बेस्ट को परियोजना लागत के समेकित तीन प्रतिशत का परामर्शी शुल्क के रूप में भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में निर्धारित तीन प्रतिशत के विरुद्ध, एम0ओ0पी0 – 1 परियोजना में, कम्पनी ने बेस्ट को परामर्शी शुल्क के रूप में परियोजना लागत के छः प्रतिशत का भुगतान किया, जिसका कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 84 लाख का परिहार्य व्यय हुआ, अपितु परामर्शी को अनुचित लाभ का विस्तार भी हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि कम्पनी एवं परामर्शी के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार तीन प्रतिशत ही भुगतान था, यद्यपि, जैसा कि एम0ओ0पी0-1 परियोजना का कार्यकाल पाँच वर्षों का था, इसलिए मौखिक विचार-विमर्श के उपरान्त कम्पनी ने परामर्शी को पाँच वर्षों के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत की दर पर नियुक्त कर लिया था।

प्रबंधन का जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार सभी परियोजनाओं में परियोजना लागत के समेकित तीन प्रतिशत का ही परामर्शी शुल्क के रूप में भुगतान करना था, जबकि यह देखा गया कि छः प्रतिशत का भुगतान किया गया, जो अनियमित था। इस प्रकार छः प्रतिशत का भुगतान हस्ताक्षरित अनुबंध का उल्लंघन था।

- एम0ओ0पी0-1 परियोजना में, परामर्शी एवं पर्यवेक्षण कार्यों के अलावा, परामर्शी को ₹ 2.17 करोड़ के विभिन्न नेटवर्किंग उपकरणों (रूटर, मोडेम, मानवशक्ति की आपूर्ति, आदि) के क्रय, आपूर्ति, अधिष्ठापना, रख-रखाव के कार्य के साथ ही साथ इन सामग्रियों का ₹ 2.22 करोड़ लागत पर ए0एम0सी0 का कार्य भी आवंटित किया

गया था। इसके बदले में परामर्शी को परियोजना प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल लागत के 15 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया, जिसका कोई औचित्य अभिलेखों में नहीं पाया गया। चूंकि, कम्पनी एजेन्सी शुल्क के रूप में परियोजना लागत के मात्र सात प्रतिशत का ही हकदार थी, इसलिए 15 प्रतिशत की दर से परामर्शी शुल्क के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 31 लाख का अधिक व्यय हुआ।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि बेस्ट को हार्डवेयर के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए कहा गया था। प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निविदा को अंतिम रूप देने का कार्य कम्पनी को स्वयं करना था एवं इसको परामर्शी को नहीं सौंपा जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने 15 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन शुल्क के निर्धारण पर कोई मंतव्य प्रस्तुत नहीं किया।

निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पी0बी0जी0) को भुनाने में विफलता

2.2.32 एम0ओ0पी0 – 1 परियोजना, जिसका आरंभ समय मार्च 2009 एवं नियत समाप्ति की तिथि मार्च 2014 थी, में संवेदक ने ₹ 3.19 करोड़ के निष्पादन बैंक प्रतिभूति (पी0बी0जी0) प्रस्तुत किये थे, जो जुलाई 2012 एवं मार्च 2013 तक वैध थे। कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों की रक्षा हेतु इन पी0बी0जी0 की वैधता के विस्तार हेतु कोई प्रयास नहीं किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदकों ने परियोजना को आरंभ की तिथि से पूरे पाँच वर्षों (जैसा कि समझौते में परिकल्पित था) तक नहीं चलाया एवं आधारभूत संरचना के स्वामित्व को बिना स्थानान्तरित किये ही, कार्य को छोड़ दिया (अगस्त 2013)। तदनुसार कम्पनी ने अनुबंध को निरस्त कर दिया (मार्च 2014)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कम्पनी संवेदकों द्वारा समर्पित पी0बी0जी0 की वैधता का विस्तार करवाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी, एम0ओ0पी0-1 परियोजना से संबंधित, दो संवेदकों के ₹ 3.19 करोड़ के पी0बी0जी0 को नहीं भुना सकी, जिन्होंने कार्य बीच में छोड़ दिया था, तथा कम्पनी को शेष कार्य भी अपने स्रोतों से पूरा करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि पी0बी0जी0 के नवीनीकरण हेतु संवेदकों को कई स्मार-पत्र दिए गये थे। फिर भी, वित्तीय कठिनाइयों के कारण वे पी0बी0जी0 का नवीनीकरण करने में विफल रहे। कम्पनी ने आगे कहा कि पी0बी0जी0 की राशि, अंतिम विपत्र में से, अगर दिया गया तो, समायोजित कर लिया जाएगा। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पी0बी0जी0 को, संविदा अवधि में ही अग्रिम रूप से नवीनीकृत कर लेना चाहिए था। चूंकि, कार्यादेश पहले ही निरस्त कर दिया गया है (मार्च 2014) इसलिए पी0बी0जी0 की राशि अवसूलनीय थी।

कम्पनी का मानवशक्ति

2.2.33 मानवशक्ति योजना में, संगठन के मानव संसाधन का कुशल उपयोग सम्मिलित है। 31 मार्च 2016 को, कम्पनी में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 153 पद स्वीकृत थे, जिसमें 12 प्रमुख प्रबंधकीय पद, जैसे प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्धक (विपणन, वित्त, प्रशासन, परियोजना क्रियान्वयन, व्यवसाय विकास एवं तकनीकी समन्वय), उप प्रबन्धक (व्यवसाय विकास, तकनीकी समन्वय) थे। इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध, पदस्थापित कर्मियों की संख्या 51 थी। इसके अतिरिक्त, 2011-12 से 2015-16 की अवधि में 12 प्रमुख प्रबंधकीय पदों में से आठ पद रिक्त थे। इन प्रमुख प्रबंधकीय पदों की रिक्तियों के कारण, कम्पनी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परामर्शियों पर पूर्णतः आश्रित थी। इस बीच कम्पनी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण रूप से विस्तार भी हुआ था।

प्रबंधन ने निकास सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2016) कि कम्पनी का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है तथा अनुमोदन पश्चात् इसको क्रियान्वित किया जाएगा।

सी0ए0एल0 परियोजना के लक्षित लाभों से वंचित होना

2.2.34 सी0ए0एल0 परियोजना द्वारा बिहार के 244 विद्यालयों के विद्यार्थियों को मल्टीमीडिया के माध्यम से कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षा प्रदान करने हेतु, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् (बी0ई0पी0), कम्पनी एवं विक्रेता के बीच हुए एक अनुबंध ज्ञापन (एम0ओ0यु0) पर हस्ताक्षर किया गया था (फरवरी 2009)। एम0ओ0यु0 के अनुसार, विक्रेता को कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करना था तथा उसे एक वर्ष तक, या परस्पर सहमति से तीन वर्षों की विस्तारित अवधि तक, संचालित करना था। परियोजना की कुल लागत ₹ 8.59 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विक्रेता द्वारा स्थापित 244 विद्यालयों में से, 16 विद्यालयों में सभी हार्डवेयर की चोरी हो जाने के कारण कार्यक्रम को संचालित नहीं किया जा सका। यद्यपि, कम्पनी ने चोरी के मद में विक्रेता से ₹ 36.85 लाख की कटौती तो कर ली थी लेकिन प्रभावित विद्यालयों में कम्प्यूटर केन्द्रों को पुनः स्थापित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 16 विद्यालय सी0ए0एल0 परियोजना के लाभों से वंचित रह गये।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि, पी0सी0 एवं अन्य वस्तुओं की चोरी होने के बाद भी प्रयोगशाला संचालित थी। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि चोरी के बाद भी सैद्धान्तिक कक्षाएँ और एक या दो पी0सी0 के साथ प्रयोगशाला संचालित थी।

प्रबंधन का जवाब, स्वयं यह पुष्टि करता है कि विद्यालय सी0ए0एल0 परियोजना के लाभों से वंचित रह गये थे। जिसमें मल्टीमीडिया के माध्यम से शिक्षा शामिल थी जो हार्डवेयर की चोरी के कारण संचालित नहीं हो रहे थे। इसके अतिरिक्त, बी0ई0पी0 (उपयोगकर्ता विभाग) ने लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में भी यह कहा कि उनका उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सका था। बी0ई0पी0 द्वारा यह भी कहा गया कि उपकरणों की चोरी के मामलों का प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किया गया था तथा उन स्थानों को कम्पनी द्वारा पुनः संचालित नहीं किया गया था।

एम0ओ0पी0-1 परियोजना का दोषपूर्ण कार्यान्वयन

2.2.35 एम0ओ0पी0-1 परियोजना के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना का कार्यान्वयन पूरे कार्यान्वयन अवधि में विभिन्न कमियों से प्रभावित था। लेखापरीक्षा ने, जेलों में अधिष्ठापित सुरक्षा उपकरणों के बार-बार खराब होने, ऊर्जा के बैकअप के उचित रख-रखाव नहीं होने, कलपुर्जों की कम उपलब्धता, उपकरणों (मेटल डिटेक्टर दरवाजा, सायरन, इत्यादि) की दोषपूर्ण अधिष्ठापना को, अवलोकित किया, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता विभागों ने असंतोष व्यक्त किया तथा जेलों एवं न्यायालयों से बार-बार शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अनुचित अनुश्रवण के कारण, परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, गृह विभाग को निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, इस बात की पुष्टि की गयी थी कि एम0ओ0पी0-1 परियोजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उन्हें विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा।

प्रबंधन ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

उपयोगकर्ता विभाग को परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण में विफलता

2.2.36 प्रभावी अनुश्रवण, यह भी, सुनिश्चित करता है कि आई0टी0 परिसम्पत्तियाँ, संबंधित विभागों/ इकाइयों को ससमय हस्तांतरित कर दिया जाए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के संचालन हेतु विक्रेता के साथ संविदा मई 2014 में समाप्त हो गई थी तथा तभी से परियोजना बंद पड़ी थी। तथापि, ₹ 15.09 करोड़ की निर्मित परिसम्पत्तियों को नवम्बर 2016 तक जिला ई-गवर्नेन्स सोसाइटी को हस्तांतरित नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, अप्रभावी अनुश्रवण के

कारण कम्पनी द्वारा व्यय से प्राप्त होने वाले लाभों के निरंतर प्राप्ति को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि हस्तान्तरण के मामले को जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी के साथ उठाया गया है। जवाब तर्क संगत नहीं है क्योंकि आईटी0 परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण, परियोजना समाप्ति, जो जून 2014 थी, पर हो जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, हस्तान्तरण में विलम्ब के मामले में, आईटी0 परिसम्पत्तियों की क्षति/कमी हेतु कम्पनी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डी0आईटी0 ने, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में, यह कहा कि परियोजना का प्रबंधन कम्पनी द्वारा कुशलता से नहीं किया गया था जैसा कि गया जिले का अंतिम स्वीकृति परीक्षण पूर्ण नहीं किया गया और परियोजना परिचालित नहीं थी।

एस0एस0डी0जी0 परियोजना के लक्षित लाभों से वंचित होना

2.2.37 स्टेट सर्विसेज डिलिवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) परियोजना (सामान्य नागरिकों को मूल सेवाओं के आवेदन को इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज डिलिवरी गेटवे हेतु), के कार्यक्षेत्र के अनुसार, 12 विभागों की 56 सेवाएँ प्रदान करना निर्धारित था। यद्यपि, इसके अधिष्ठापना के 25 महीने बीत जाने के बाद भी केवल आठ सेवाओं को ही प्रारंभ किया गया था तथा 48 सेवाएँ अभी भी प्रदान नहीं की जा रही थीं। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कम्पनी उपयोगकर्ता विभागों की सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने में विफल रही थी जिसके परिणामस्वरूप एस0एस0डी0जी0 के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है। विभागों को सेवाएँ आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने हेतु निवेदन पत्र भेजे गये थे।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा निर्गत प्रश्नावली की प्रतिक्रिया में डी0आईटी0 ने यह कहा कि वे कम्पनी के निष्पादन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे क्योंकि विभिन्न विभाग इस सुविधा का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.38 एक स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध का होना प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक आवश्यक यंत्र है जो इसका समुचित आश्वासन देता है कि कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति मितव्ययी, प्रभावपूर्ण एवं समुचित तरीकों से की जा रही है। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था। आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं लेखाओं के समेकिकीकरण, बैंक खाताओं के समाशोधन, आदि हेतु सनदी लेखाकारों (सी0ए0) की नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, वहाँ ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिससे कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की समीक्षा एवं उसका अनुपालन किया जा सके। अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अप्रभावी थी।

नैगमिक सामाजिक दायित्व

2.2.39 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक कम्पनी, जिसका किसी वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ ₹ पाँच करोड़ या उससे अधिक होगा, एक नैगमिक सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0) समिति का गठन करेगी तथा अपनी सी0एस0आर0 नीति के अनुसार, इसके पिछले तीन वर्षों में हुए औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करेगी, जिसमें विफल होने पर, उसका बोर्ड, अपने प्रतिवेदन में, खर्च नहीं करने के कारणों को उल्लेखित करेगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि सी0एस0आर0 समिति के गठन एवं 2011-12 से 2014-15 में लाभ अर्जित करने के बाद भी कम्पनी अपने सी0एस0आर0 के निर्वहन में ₹ 43.37 लाख खर्च करने में विफल रही, क्योंकि 2014-16 की अवधि में सी0एस0आर0 क्रियाकलापों हेतु कम्पनी ने योजनाएँ नहीं बनायीं थीं। इसके फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (सितम्बर 2016) कि निदेशक पर्षद की अनुपस्थिति/रचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, सी0एस0आर0 समिति के गठन में विलम्ब हुआ।

कम्पनी के निष्पादन लेखापरीक्षा की प्राप्तियों को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016), जवाब अभी अप्राप्त है (नवम्बर 2016)।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि :

- कम्पनी अपने वित्तीय संसाधनों का प्रभावी एवं कुशल ढंग से प्रबन्धन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को अधिशेष परियोजना राशि की वापसी में विफलता, असुरक्षित ऋण के भुगतान/व्यापार वृद्धि में संचय एवं अधिशेष का उपयोग, ब्याज आय में हानि, मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान आदि के कुल ₹ 70.33 करोड़ के उदाहरण अवलोकित किये गये।
- आई0टी0 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना का निर्माण प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक नहीं किया गया था जैसा कि परियोजनाओं के विलंब से पूर्ण होने, परिहार्य अधिक व्यय, राज्य कोषागार पर अतिरिक्त वित्तीय भार, आई0टी0 उपकरणों का व्यर्थ पड़े रहने एवं अप्रचलित होने के कगार पर होने, इत्यादि के कुल ₹ 19.72 करोड़ के उदाहरण अवलोकित किये गये।
- कम्पनी द्वारा आई0टी0 परियोजनाओं का कार्यान्वयन अकुशल पाया गया जैसा कि संवेदकों को कार्य का अनियमित रूप से प्रदान करने, परामर्शियों की बिना निविदा आमंत्रित किए नियुक्ति, परिहार्य अधिक व्यय, आई0टी0 उपकरणों का व्यर्थ पड़े रहने, इत्यादि के कुल ₹ 45.49 करोड़ के उदाहरण अवलोकित किये गये।
- ई-टेंडरिंग, आई0टी0 उपकरणों के क्रय, तथा आई0टी0 मानवशक्तियों की आपूर्ति से सम्बन्धित गतिविधियाँ संतोषजनक नहीं थी जैसा कि परिहार्य अधिक व्यय/कम्पनी के निधि के अवरुद्धिकरण के कुल ₹ 17.74 करोड़ के उदाहरण अवलोकित किये गये।
- कम्पनी का अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण अकुशल एवं अपर्याप्त थे जैसा कि परामर्शियों पर अतिनिर्भरता, परामर्शियों को अधिक भुगतान, निष्पादन बैंक प्रतिभूति को भुनाने में विफलता, विभिन्न विधियों के अनुपालन सुनिश्चित करने में विफलता के कुल ₹ 5.14 करोड़ के उदाहरण का अवलोकित किये गये।

अनुसंशाएँ

लेखापरीक्षा अनुसंसा करता है कि :

- कम्पनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कम्पनी के पास उपलब्ध निधियों का पूर्ण उपयोग हो तथा निर्धारित वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के अनुरूप हो।
- कम्पनी को पेशेवर तरीके अपनाकर अपनी योजना प्रक्रिया को सुधारना चाहिए तथा परामर्शियों पर अतिनिर्भरता को कम करना चाहिए। इसके अलावा, इसको डी0पी0आर0, संभाव्यता प्रतिवेदन बनाने के साथ ही निविदा पूर्व अन्य गतिविधियों हेतु विविध समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।
- कम्पनी को प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के द्वारा ही संविदा देना चाहिए तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन कुशलता से करना चाहिए, जिससे कि किये गये व्यय निष्फल या बेकार न हो जायें।
- कम्पनी को ई-टेंडरिंग गतिविधि से सम्बन्धित अपनी वसूलनीय निविदा प्रक्रिया शुल्क की वसूली हेतु उपयोगकर्ता विभागों से निरंतर अनुशीलन करना चाहिए तथा क्रय गतिविधि में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- कम्पनी को अपने अनुश्रवण एवं आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे कि परियोजनाओं को समय से पूरा किया जा सके एवं आन्तरिक लेखापरीक्षकों के द्वारा प्रतिवेदित कमियों को दूर किया जा सके।

2.3 बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों की वितरण फ्रेन्चाइजी के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा

परिचय

2.3.1 बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) का गठन अपनी वितरण प्रणाली के परिचालन एवं वाणिज्यिक कुशलता एवं अपने उपभोक्ताओं के प्रति सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किया गया था। कम्पनी ने लोक-निजी सहभागिता द्वारा बिजली वितरण में प्रबन्धकी विशेषज्ञता लाने हेतु परिकल्पना की थी जिसके लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत प्रतिपादित, राज्य के शहरी क्षेत्रों में इनपुट के आधार पर वितरण फ्रेन्चाइजी प्रणाली लागू किया। एग्रीगेट टेक्निकल एवं कॉमर्शियल (ए0टी0 एण्ड सी0) हानियों¹ को कम करने, मीटरिंग, विपत्रीकरण एवं राजस्व संग्रहण में सुधार, राजस्व के बकायों को कम करने एवं सेवा की गुणवत्ता में सुधार कर उपभोक्ता संतुष्टिकरण को बढ़ाना ही वितरण फ्रेन्चाइजियों (डी0एफ0) की नियुक्ति का उद्देश्य था।

बी0एस0पी0एच0सी0एल0 के वांछित उद्देश्यों के अनुरूप बिहार की वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम)² ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसियों (डी0एल0) की हैसियत से मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया शहरों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजियों (डी0एफ0)³ को नियुक्त किया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) ने क्रमशः जून 2013, जुलाई 2013 एवं दिसम्बर 2013 में 15 वर्षों के लिए वितरण फ्रेन्चाइजी अनुबन्ध (डी0एफ0ए0) किया। मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया शहरों में क्रमशः डी0एफ0 ने नवम्बर 2013, जनवरी 2014 एवं जून 2014 में अपना कार्य प्रारम्भ किया। फ्रेन्चाइजी क्षेत्रों में नवम्बर 2013 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान ₹ 1620.40 करोड़⁴ लागत की 3931.90⁵ मिलियन यूनिट्स (एम0यू0) ऊर्जा का विक्रय डी0एल0 द्वारा डी0एफ0 को किया गया था।

डी0एफ0 के कार्यकलापों की दक्षता का आकलन हेतु अप्रैल 2016 से जून 2016 की अवधि के दौरान डिस्कॉम की लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा परिणामों की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

वितरण नेटवर्क की पर्याप्तता

ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता में कमियों के फलस्वरूप सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क को खतरा

2.3.2 डी0एफ0ए0 की अनुच्छेद 5.2.2 के अनुसार फ्रेन्चाइजी क्षेत्रों में कार्यकुशलता में सुधार, सम्बर्धन एवं आधारभूत संरचना का उन्नयन, वितरण हानियों की कमी को सुनिश्चित करने एवं ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु डी0एफ0 पूँजीगत व्यय

¹ कुल विपत्रित उर्जा की वसूली में विफलता के फलस्वरूप टेक्नीकल हानियों, कॉमर्शियल हानियों एवं शॉर्टेज का कुल योग प्रतिशत में व्यक्त अर्थात् ए0टी0एण्डसी0 हानि = $[1 - (\text{विपत्रीकरण दक्षता} \times \text{संग्रहण दक्षता})] \times 100$.

² नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)।

³ एस्सेल विद्युत वितरण लिमिटेड (वर्तमान में मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण लिमिटेड), भागलपुर विद्युत वितरण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एवं इण्डिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।

⁴ गया – 1199.77 मिलियन यूनिट्स (एम0यू0), भागलपुर – 1254.94 एम0यू0 एवं मुजफ्फरपुर – 1477.19 एम0यू0।

⁵ गया – ₹ 499.05 करोड़, भागलपुर – ₹ 514.45 करोड़ एवं मुजफ्फरपुर – ₹ 606.90 करोड़।

करेगा। बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की धारा 4.2 के अनुसार अपने ऊर्जा आपूर्ति क्षेत्र में बिजली की माँग पूर्ण करने के लिए वितरण प्रणाली के उन्नयन, सम्बर्धन एवं सुदृढीकरण को सुनिश्चित करने का दायित्व, जहाँ विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता⁶ अपनी क्षमता की 80 प्रतिशत तक भारित है, लाइसेंसी का होगा। तीन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजियों के विद्यमान एवं वांछित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के साथ-साथ विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की कमी का विवरण तालिका सं0 2.3.1 में दी गई है:

तालिका सं0 2.3.1 : डी0एफ0 क्षेत्र में ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता

(एम0वी0ए0 में)

क्रम सं0	विवरण	गया	भागलपुर	मुजफ्फरपुर	कुल
1	डी0एफ0 भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर (मार्च 2014) एवं गया (मार्च 2015) की विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	232	154	197	583
2	डी0एफ0 भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर (मार्च 2014) एवं गया (मार्च 2015) की वांछित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	305	157	335	797
3	ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति 2-1)	73	3	138	214
4	कमी की प्रतिशतता (पंक्ति 3/2×100)	24	2	41	27
5	मार्च 2016 तक विद्यमान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	247	161	237	645
6	मार्च 2016 तक वांछित ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता	324	168	530	1022
7	मार्च 2016 तक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी (पंक्ति 6-5)	77	7	293	377
8	कमी की प्रतिशतता (पंक्ति 7/6×100)	24	4	55	37
9	क्षमता में वृद्धि (पंक्ति 5-1)	15	7	40	62

स्रोत: डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना


उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि डी0एफ0 गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर ने 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में सात से 40 मेगा वोल्ट एम्पियर (एम0वी0ए0) की वृद्धि की थी तथापि मार्च 2016 तक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमियों की वृद्धि क्रमशः चार प्रतिशत से 55 प्रतिशत था। डी0एफ0 मुजफ्फरपुर की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी काफी अधिक (55 प्रतिशत) था। इससे यह परिलक्षित होता है कि इन क्षेत्रों में डी0एफ0 द्वारा संचरण आधारभूत संरचनाओं का विकास नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप ओवरलोडिंग हुआ तथा सम्पूर्ण वितरण प्रणाली में खतरा पैदा हो गया। इसका कारण यह था कि संविदा अवधि के दौरान डी0एफ0 ने पर्याप्त निवेश नहीं किया था, जिसकी परिचर्चा निम्नतः की गई है।

2.3.3 डी0एफ0ए0 के अनुच्छेद 5.2.2 के अनुसार फ्रेंचाइजी क्षेत्रों में कार्यक्षमता में सुधार, सम्बर्धन एवं आधारभूत संरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी करने एवं ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु पूँजीगत व्यय योजना (केपेक्स योजना) के अन्तर्गत, डी0एफ0 पूँजीगत व्यय करेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) के निर्णयानुसार मीटर प्रतिस्थापन के मद में हुआ निवेश पूँजीगत व्यय का हिस्सा नहीं

⁶ उपभोक्ताओं के सम्बद्ध भार की पूर्ति हेतु ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता सब-स्टेशन की प्रतिस्थापित क्षमता है।

माना जाएगा। डी0एफ0 द्वारा किया जाने वाला निम्न निवेश एवं इसके विरुद्ध निवेश में कमी को आरेख सं0 2.3.1 में दर्शाया गया है:

आरेख सं0 2.3.1 : डी0एफ0 द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय



स्रोत: डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आरेख सं0 2.3.1 से देखा जा सकता है कि न्यूनतम निवेश में डी0एफ0 गया (43.51 प्रतिशत) एवं भागलपुर (8.24 प्रतिशत) में कमी पायी गयी। डी0एफ0 मुजफ्फरपुर ने ही केवल डी0एफ0ए0 के अन्तर्गत न्यूनतम निवेश सुनिश्चित किया था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एफ0 के केपेक्स योजना का अंतिमीकरण नहीं हुआ था क्योंकि डी0एल0 और डी0एफ0 में पूँजीगत व्यय में मीटर प्रतिस्थापन के मद में किए गए व्यय को शामिल करने के मुद्दे पर मतभेद था। बी0ई0आर0सी0 ने केपेक्स योजना के अंतिमीकरण में विफलता पर चिंता व्यक्त (नवम्बर 2015) की थी।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) की समीक्षा बैठकों में डी0एफ0 का ध्यानाकर्षण वांछित लोड के अनुरूप वितरण प्रणाली की सुदृढीकरण हेतु किया जा रहा है एवं मार्च 2017 तक वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण कर दिया जाएगा। प्रबन्धन ने अग्रेतर कहा कि केपेक्स योजना के अन्तर्गत व्यय का अंतिमीकरण एवं पूँजीगत निवेश मार्च 2017 तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा अन्यथा यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

- डी0एफ0ए0 की अनुच्छेद 5.2.10 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी तिमाही आधार पर अपने द्वारा जोड़ी गई सम्पत्तियों का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे तथा इन सम्पत्तियों के मूल्यों का प्रमाणीकरण डी0एल0 द्वारा यथा स्वीकार्य रूप में किया जाएगा। कथित प्रमाणीकरण का कार्य सम्पत्तियों की सृजन तिथि से 90 दिनों की अवधि के अन्तर्गत पूर्ण कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एफ0 गया ने प्रमाणीकरण हेतु डी0एल0 को सम्पत्तियों के सृजन पर कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया था। डी0एफ0 भागलपुर ने अनुसूचित त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण तिथियों के विरुद्ध अपने द्वारा वार्षिक आधार पर सृजित की गई सम्पत्तियों का ब्योरा, मुख्य (अभियन्ता), एस0बी0पी0डी0सी0एल0, को मार्च 2015 एवं मई 2016 में सौंपा था, तथापि एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ने इसकी समीक्षा नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एफ0, मुजफ्फरपुर ने वार्षिक आधार पर सृजन की गई

सम्पत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया था, जिसकी समीक्षा एन0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा 2013-14 एवं 2014-15 हेतु की गई थी। इसके विरुद्ध डी0एल0 ने असंतोष व्यक्त किया था जिसका अनुपालन डी0एफ0 द्वारा नहीं किया गया (मई 2016)। इस प्रकार, डी0एफ0 द्वारा सम्पत्तियों के सृजन के मद में किए गए व्यय की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि तीनों डी0एफ0 क्षेत्रों में केपेक्स कार्य को सत्यापित करने हेतु संयुक्त रूप से कदम उठाया गया था और इसे जनवरी 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

परिचालन कुशलता

लक्ष्यों के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूशन हानियों एवं ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने में विफलता

2.3.4 डी0एफ0 की नियुक्ति का एक प्रमुख उद्देश्य वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण करना था जिसका मुख्य ध्यान स्थायी आधार पर वितरण हानियों एवं एग्रीगेट टेक्नीकल एवं कॉमर्शियल (ए0टी0 एण्ड सी0) हानियों को कम करना था। बी0ई0आर0सी0 ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेन्सी हेतु वितरण हानियाँ वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 क्रमशः 23 प्रतिशत, 21.40 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत निर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण 15 वर्षों की संविदा अवधि के दौरान डी0एल0 द्वारा तीनों डी0एफ0 के लिए ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में वर्षवार कमी लाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित कमी के विरुद्ध वितरण हानियों तथा ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों की वस्तुस्थिति का ब्यौरा **परिशिष्ट 2.3.1** में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष (2011-12) के सापेक्ष में वर्ष 2013-14 से 2015-16 के अवधि में वितरण हानियों में कमी हुई थी जो डी0एफ0, भागलपुर में 57.19 प्रतिशत से घटकर 55.41 प्रतिशत, डी0एफ0, गया में 62.24 प्रतिशत से घटकर 58.75 प्रतिशत एवं डी0एफ0, मुजफ्फरपुर में 44.64 प्रतिशत से घटकर 29.85 प्रतिशत हो गया था। तथापि, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजियाँ बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमा तक वितरण हानियों को कम करने में विफल रहीं। बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित सीमा से परे कुल वितरण हानियाँ 1283.07 एम0यू0 था जिसका कुल मूल्य ₹ 660.10 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, आधार वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान डी0एफ0, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया में एग्रीगेट टेक्नीकल एवं कॉमर्शियल हानियाँ (ए0टी0 एण्ड सी0) घटकर क्रमशः 58 प्रतिशत से 52.04 प्रतिशत, 68.55 प्रतिशत से 66.95 प्रतिशत एवं 69.24 प्रतिशत से 62.90 प्रतिशत हो गया था। तथापि, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी लक्षित सीमा तक ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने में विफल रही जैसा कि **परिशिष्ट 2.3.1** से देखा जा सकता है। इन असामान्य वितरण हानियों का मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण क्षमता सृजन, अपर्याप्त ट्रान्सफॉर्मेशन क्षमता, अधिकाधिक मात्रा में गैर मीटरीकृत उपभोक्ता एवं विद्युत चोरी था जिसकी परिचर्चा कंडिकाएँ 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5 एवं 2.3.6 में की गई है।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि वितरण फ्रेन्चाइजियों के संचालन की अवधि 15 वर्ष थी तथा विभिन्न वर्षों के लिए इनपुट ऊर्जा का आधार दर फ्रेन्चाइजी अनुबन्ध के कार्यकाल के अंत तक ए0टी0 एण्ड सी0 हानि को 15 प्रतिशत के स्तर तक सुधार जिसमें प्रथम पाँच वर्षों में पर्याप्त सुधार, के आधार, पर गणना की गई थी। इस कारण, डी0एल0 को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई। साथ ही प्रबन्धन ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों तथा डिस्ट्रीब्यूशन हानियों को कम करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी0एफ0 के इनपुट दर की गणना वितरण हानि के आधार पर की गई थी। यह इनपुट दर अपर्याप्त था क्योंकि यह पूर्ण रूप से आपूर्ति लागत को

पूरा नहीं कर रहा था, जो डी0एल0 के हानि को दर्शाता है। अग्रेत्तर, डी0एफ0 द्वारा आधारभूत संरचना में वृद्धि की विफलता के कारण डी0एल0 को ऊर्जा हानि के रूप में क्षति हुई।

मीटरों के प्रतिस्थापन में विफलता के फलस्वरूप राजस्व की हानि

2.3.5 बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 की धारा 8.1 के अनुसार कोई भी नया बिजली कनेक्शन बिना मीटर के प्रदान नहीं किया जाएगा एवं लाइसेन्सियों द्वारा सभी अमीटरीकृत कनेक्शनों को मीटरीकृत किया जाएगा। अनुबन्ध के अनुसार डी0एफ0 क्षेत्रों में डी0एफ0 द्वारा मीटरों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाएगा। अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को बी0ई0आर0सी0 द्वारा अनुमोदित निर्धारित टैरिफ पर ऊर्जा शुल्कों का भुगतान करना होगा। इस प्रकार, अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की वास्तविक ऊर्जा खपत पर डी0एफ0 को राजस्व आय की प्राप्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, यह सही एवं सटीक औसतन विपत्रीकरण दर अथवा एवरेज बिलिंग रेट (ए0बी0आर0)⁷ के निर्धारण को बाधित करता है। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी क्षेत्रों की कुल उपभोक्ताओं एवं अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की वस्तुस्थिति तालिका सं0 2.3.2 में दर्शायी गई है :

तालिका सं0 2.3.2 : अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की विवरणी

वर्ष	कुल उपभोक्ताओं की संख्या	अमीटरीकृत उपभोक्ता	अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की प्रतिशतता
भागलपुर			
2014-15	162539	13273	8.17
2015-16	179066	19331	10.80
गया			
2014-15	120,672	20,015	16.59
2015-16	150,564	19,175	12.73
मुजफ्फरपुर			
2013-14	159802	13950	8.73
2014-15	236703	22986	9.71
2015-16	286588	16563	5.78

स्रोत : डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

उपर्युक्त तालिका सं0 2.3.2 से यह देखा जा सकता है कि कुल उपभोक्ताओं के साक्षेप में अमीटरीकृत उपभोक्ता की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 के दौरान डी0एफ0, गया में 16.59 था जो 2015-16 में घटकर 12.73 हो गया था। डी0एफ0, मुजफ्फरपुर के मामलों में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की प्रतिशतता घटकर 5.78 प्रतिशत हो गयी थी। तथापि डी0एफ0, भागलपुर के मामले में कुल उपभोक्ताओं के साक्षेप में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की प्रतिशतता वर्ष 2014-15 में 8.17 से बढ़कर 2015-16 में 10.80 हो गयी थी।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के मामले का संज्ञान गम्भीरतापूर्वक लिया गया है एवं एक निर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए तीनों डी0एफ0 को बिना मीटर के

⁷ ए0बी0आर0 की गणना कुल इकाई और प्रत्येक उपभोक्ता की श्रेणी में अनुमोदित टैरिफ के गुणक को सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के कुल इकाई से विभाजित कर की जाती है अर्थात् ए0बी0आर0 =(बिल की यूनिट×टैरिफ की दर)/बिल की इकाई।

कनेक्शन प्रदान नहीं करने एवं खराब मीटरों को अविलम्ब बदलने हेतु निर्देशित किया गया है।

बिजली चोरी की घटना

2.3.6 उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों से छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी एवं अनधिकृत उपभोक्ताओं द्वारा अनधिकृत टैपिंग/हुकिंग से अधिकाधिक वाणिज्यिक हानियाँ होती हैं। बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के उपवाक्य 11.3 के अनुसार कुल कनेक्शनों के कम से कम पाँच प्रतिशत का वार्षिक निरीक्षण होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एफ0 ने चोरी की घटना को चिह्नित करने हेतु कुल कनेक्शनों के अनिवार्य पाँच प्रतिशत कनेक्शनों का निरीक्षण नहीं किया था। डी0एफ0 ने तीन फ्रेन्चाइजी क्षेत्रों में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान बिजली चोरी के 6371 मामलों को पकड़ा था। बिजली चोरी के मामले डी0एफ0 क्षेत्रों में 2014-15 से 2015-16 की अवधि के दौरान व्यापक रूप से बढ़ गया था और यह डी0एफ0, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बढ़कर 2214 हो गया था। बिजली चोरी में वृद्धि के कारण डी0एफ0 के वितरण हानियों में वृद्धि होती है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि वितरण कम्पनियाँ बिजली चोरी की रोकथाम हेतु 2017 से सूचना, शिक्षा एवं संवाद (आई0ई0सी0) के अन्तर्गत जनजागरण कार्यक्रम आरम्भ करने जा रही हैं।

इनपुट एनर्जी इकाइयों का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

2.3.7 डी0एफ0 की अनुच्छेद 6.1.2 के अनुसार फ्रेन्चाइजी क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से इनपुट ऊर्जा की गणना हेतु मुख्य मीटरों का वांछित प्रतिस्थापन एवं उनके बदलाव का दायित्व डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस (डी0एल0) का होगा। प्रत्येक इनपुट प्वाइन्ट पर विद्यमान मुख्य मीटरों के अतिरिक्त डी0एफ0 को जाँच मीटर स्थापित करना होगा। साथ ही डी0एफ0 का अनुच्छेद 6.2.1 यह भी प्रावधानित करता है कि डी0एल0, कोई भी वादी के निवेदन पर नियमित रूप से या तो अल्प अंतराल अथवा प्रत्येक त्रैमासिक आधार पर मीटर की फिर से जाँच करेगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एल0 द्वारा प्रमुख मीटरों का प्रतिस्थापन भागलपुर एवं गया में क्रमशः 24 एवं 21 महीनों के विलम्ब से दिसम्बर 2015 एवं मार्च 2016 में किया था और यह मीटरों परिचालन में नहीं थी। तथापि, डी0एफ0 (गया एवं भागलपुर) ने प्रत्येक इनपुट प्वाइन्ट पर इनपुट ऊर्जा मापन एवं ऊर्जा शुल्कों के भुगतान हेतु जाँच मीटर का प्रतिस्थापन किया था।

अग्रेतर, यह भी प्रेक्षित किया गया कि त्रैमासिक अंतराल पर कम से कम एक बार मीटरों के कैलिब्रेशन की प्रावधानिक आवश्यकता के विरुद्ध, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भागलपुर में मीटरों का कैलिब्रेशन केवल एक बार ही जून 2015 में हुआ था। इस प्रकार, मीटरों की रीडिंग, जिसके आधार पर ऊर्जा विपत्रों का भुगतान हुआ था, त्रुटिपूर्ण थे। इसकी प्रमाणिकता इस तथ्य से सुदृढ़ होती है कि फरवरी 2016 में भागलपुर में मुख्य मीटर के निरीक्षण के दौरान, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा 920 (12450-11530) इकाइयों का अत्यधिक पठन पाया गया था।


प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि मुख्य मीटर का प्रतिस्थापन किया गया था एवं मीटर पठन दूरस्थ मीटर पठन प्रणाली के माध्यम से की जा रही थी। तथापि, तथ्य यथावत है कि अनुच्छेद 6.1.2 के अन्तर्गत मुख्य मीटरों के प्रतिस्थापन का कार्य 24 महीनों तक लम्बित रहा।

वित्तीय प्रबन्धन

एवरेज बीलिंग रेट (ए0बी0आर0) के अंतिमीकरण में डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी की विफलता

2.3.8 डी0एफ0ए0 की अनुच्छेद 7.1 के अनुसार प्रत्येक माह हेतु ए0बी0आर0 के आधार पर टैरिफ समायोजन के रूप में इनपुट ऊर्जा दरों का समायोजन करने के उपरांत डी0एल0 द्वारा डी0एफ0 का मासिक विपत्र तैयार किया जाएगा। डी0एफ0 गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में आधार वर्ष 2011-12 हेतु ए0बी0आर0 क्रमशः ₹ 5.32 प्रति इकाई, ₹ 5.29 प्रति इकाई एवं ₹ 5.99 प्रति इकाई निर्धारित किया गया था और यह ऊर्जा शुल्कों की भुगतान हेतु इनपुट दरों की समायोजन का आधार था। डी0एफ0ए0 के अनुसार आधार वर्ष की तुलना में ए0बी0आर0 की वृद्धि के कारण, राजस्व की वृद्धि के मामले में, कथित वृद्धि का 75 प्रतिशत इनपुट दर में जुड़ जाएगा और इसके विपरीत आधार वर्ष की तुलना में ए0बी0आर0 में ह्रास के कारण राजस्व की कमी के मामले में, कथित ए0बी0आर0 में कमी के 100 प्रतिशत की कटौती डी0एफ0 के इनपुट दरों से कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ समायोजन की गणना प्रत्येक माह की जाएगी एवं इसका उपयोग डी0एफ0 को आपूर्ति की इकाई हेतु इनपुट ऊर्जा दर हेतु राजस्व की गणना के लिए की जाएगी। डी0एफ0 गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर द्वारा गणना की गई इनपुट ऊर्जा एवं ए0बी0आर समायोजन की वस्तुस्थिति का विवरण आरेख सं0 2.3.2 में दिया गया है:

आरेख सं0 2.3.2 : इनपुट एनर्जी एवं टैरिफ समायोजन के मूल्य का विवरण




स्रोत: डी0एफ0/डी0एल0 अंचल कार्य द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

आरेख सं0 2.3.2 से देखा जा सकता है कि टैरिफ समायोजन के मद में तीनों डी0एफ0 द्वारा ₹ 308.92 करोड़ (32.63 प्रतिशत) की कटौती की गई जिसका समायोजन नवम्बर 2016 तक नहीं किया गया था और डी0एल0 द्वारा स्वीकार्य नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डी0एफ0 द्वारा दावा किए गए टैरिफ समायोजन संविदा अवधि के दौरान कुल विपत्रित ऊर्जा के 12 से 90 प्रतिशत के मध्य था। लेखापरीक्षा ने

अग्रेतर प्रेक्षित किया कि अत्यधिक टैरिफ समायोजन के कारण, ऊर्जा शुल्कों की औसत वसूली प्रति किलोवाट आवर (के0डब्ल्यू0एच0) घट गयी थी, जैसा कि आरेख सं0 2.3.3 में दर्शाया गया है:

आरेख सं0 2.3.3 : डी0एफ0 क्षेत्रों में प्रति इकाई औसतन राजस्व वसूली की विवरण



स्रोत: डी0एफ0/डी0एल0 के अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आरेख सं0 2.3.3 से देखा जा सकता है कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान सभी तीनों डी0एफ0 से डी0एल0 को प्रति के0डब्ल्यू0एच0 औसत राजस्व वसूली, डी0एफ0 द्वारा उद्धृत दर से महत्वपूर्ण रूप से कम थी।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि उपर्युक्त दर्शित टैरिफ समायोजन निर्णायक नहीं था और इसका अंतिमीकरण डी0एफ0, गया एवं भागलपुर के स्वतंत्र लेखापरीक्षा द्वारा ए0बी0आर0 के अंतिमीकरण के उपरान्त ही किया जाएगा। डी0एफ0, मुजफ्फरपुर हेतु नवम्बर 2013 से नवम्बर 2015 की अवधि के लिए ए0बी0आर0 का अंतिमीकरण पंचाट (आर्बिट्रेटर) के अधिनिर्णय (जुलाई 2016) के आधार पर किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 156 करोड़ की राशि का समायोजन किया गया था।

प्रबन्धन का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डी0एफ0ए0 के प्रावधानों के अनुसार, ए0बी0आर0 का अंतिमीकरण प्रत्येक माह होना था जिसे प्रबन्धन द्वारा नहीं किया गया था।

₹ 308.92 करोड़ राशि के टैरिफ समायोजन की लेखापरीक्षा संवीक्षा से अत्यधिक विपत्रीकरण एवं ए0बी0आर0 की त्रुटिपूर्ण गणना उद्घाटित होती है, जिसकी परिचर्चा कंडिकाएँ 2.3.9 एवं 2.3.10 में की गई है।

ए0बी0आर0 को कम करने हेतु डी0एफ0 द्वारा अधिक विपत्रीकरण

2.3.9 डी0एफ0ए0 की अनुच्छेद 7.1 में चर्चित ए0बी0आर0 की सटीक एवं सही गणना सुनिश्चित करने हेतु सभी डी0एफ0 द्वारा प्रयोज्य आपूर्ति संहिता, सरकारी आदेशों एवं टैरिफ आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन करना था। डी0एफ0 द्वारा किए गए टैरिफ समायोजन में से चयनित तीन माह की नमूना जाँच से यह उद्घाटित हुआ कि डी0एफ0 द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों एवं टैरिफ आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि कुटीर ज्योति (के0जे0), घरेलू सेवा (डी0एस0)-I, डी0एस0-II, गैर-घरेलू सेवा (एन0डी0एस0)-II एवं स्ट्रीट लाईट सेवा (एस0एस0)-II वर्ग के उपभोक्ताओं के मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रभार्य इकाइयों को भारित करने के साथ-साथ डी0एफ0 की नियुक्तियों के पूर्वावधि की ऊर्जा माँग पत्र, जिस पर केवल डी0एल0 का ही वैध दावा था, का निर्गमन कर डी0एफ0 द्वारा अत्यधिक विपत्रीकरण किया गया। यह पूर्व निर्धारित ए0बी0आर0 से ए0बी0आर0 की अल्प गणना में फलित हुआ जो अन्तर राशि के 100 प्रतिशत तक डी0एल0 की इनपुट रेट में कटौती हेतु डी0एफ0 द्वारा दावों में फलित हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट 2.3.2 में दिया गया है एवं तालिका सं0 2.3.3 में सारांशित किया गया है।

तालिका सं0 2.3.3 ए0बी0आर0 में अत्यधिक विपत्रीकरण का विवरण

डी0एफ0 का नाम	जाँच किए गए तीन महीनों में आपूर्ति की गई इकाइयों (एम0यू0 में)	ए0बी0आर0 गणना में ली गई इकाइयों (एम0यू0 में)	इकाइयों जिसे ए0बी0आर0 का अंश होना था (एम0यू0 में)	ए0बी0आर0 गणना में ली गई अत्यधिक इकाइयों (एम0यू0 में)	प्रति इकाई राजस्व वसूली हेतु ए0बी0आर0 दर में अन्तर (₹)	ए0बी0आर0 ⁸ में कमी से प्रभाव (₹ करोड़ में)
गया	155.87	3.72	2.55	1.17	0.051	0.80
भागलपुर	134.63	14.50	3.69	10.81	0.299	4.02
मुजफ्फरपुर	139.64	51.44	32.75	18.69	0.298	4.16
कुल		69.66	38.99	30.67		8.98


स्रोत : डी0एफ0/डी0एल0 के अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

तालिका सं0 2.3.3 से देखा जा सकता है कि डी0एफ0 द्वारा उपभोक्ताओं पर 30.67 एम0यू0 अधिक ऊर्जा का विपत्रीकरण किया गया था, जो ए0बी0आर0 की कमी में फलित हुआ एवं जिसके फलस्वरूप डी0एल0 द्वारा देय राशि के विरुद्ध डी0एफ0 द्वारा ₹ 8.98 करोड़ का अधिक टैरिफ समायोजन किया गया था। इस तथ्य की पुष्टि, तीनों डी0एफ0 के तीन महीनों के आँकड़ों के आकलन से होती है।

बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्गत टैरिफ आदेशों के अनुसार गैर मीटरीकृत कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के मामलों में इकाइयों का निर्धारण प्रति कनेक्शन प्रति माह 30 इकाई होना था एवं घरेलू सेवा-I वर्ग के उपभोक्ता को 40 इकाई प्रतिमाह न्यूनतम मासिक शुल्क के साथ साथ दो के0डब्ल्यू0 भार तक सम्बद्ध अनुमत्य था। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एफ0 द्वारा इन वर्ग के उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण असामान्य रूप से किया गया था जिसकी सम्पुष्टि नमूना जाँच में किए गए तीन महीनों के विपत्रीकरण आँकड़ों के आकलन से होती है। असामान्य विपत्रीकरण का विवरण आरेख सं0 2.3.4 में दिया गया है:

⁸ ए0बी0आर0 में अन्तर × आपूर्ति की गई इकाइयों

आरेख सं० 2.3.4 असामान्य विपत्रीकरणों का विवरण



स्रोत : डी०एफ०/डी०एल० के अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

अतः आरेख सं० 2.3.4 से देखा जा सकता है कि डी०एफ० द्वारा कुटीर ज्योति एवं डी०एस०- I वर्ग के उपभोक्ताओं का बड़े पैमाने पर अवास्तविक विपत्रीकरण मुख्यतः ए०बी०आर० को कम करने एवं फलस्वरूप डी०एल० को उनके राजस्व के अंशों से वंचित करने के उद्देश्यों से प्रेरित था।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि अत्यधिक विपत्रीकरणों के दृष्टांतों का निरीक्षण डी०एफ०, मुजफ्फरपुर के आर्बिट्रेटर के आदेश के आलोक में डी०एफ०, गया एवं भागलपुर के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा किया जा रहा था।

प्रबन्धन का जवाब तर्कसंगत नहीं है चूँकि डी०एफ०ए० के प्रावधानों के अनुसार ए०बी०आर० का अन्तिमीकरण प्रत्येक माह होना था एवं अत्यधिक विपत्रीकरणों मामलों की जाँच डी०एल० द्वारा सतत आधार पर की जानी चाहिए थी। तथ्य यही है कि प्रबन्धन दो वर्षों से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी ऐसा करने में विफल रहा।

ए०बी०आर० गणना में मीटर किराये को सम्मिलित करने में विफलता के फलस्वरूप अल्प वसूली

2.3.10 डी०एफ०ए० की अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार आधार वर्ष 2011-12 के ए०बी०आर० निर्धारण हेतु मीटर किराया को इसके एक घटक के रूप में शामिल करना था एवं इनपुट ऊर्जा दर में मासिक समायोजन करना था। आधार वर्ष के पश्चात ए०बी०आर० में वृद्धि के कारण राजस्व की वृद्धि के मामलों में, कथित वृद्धि का 75 प्रतिशत इनपुट दर में जुड़ जाएगा एवं हास मामलों में, कथित हास का 100 प्रतिशत इनपुट दर से घट जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी०एफ० गया एवं भागलपुर द्वारा अपने परिचालन के आरम्भ की तिथि से लेकर मार्च 2016 तक उपभोक्ताओं से मीटर किराया के मद में ₹ 8.67 करोड़⁹ का संग्रह किया था। तथापि, उपभोक्ताओं से संग्रह किए गए मीटर किराया

⁹ गया : ₹ 3.79 करोड़ एवं भागलपुर : ₹ 4.88 करोड़

को ए0बी0आर0 की गणना के उद्देश्य हेतु अनुमोदित टैरिफ में शामिल नहीं किया गया था। यह ए0बी0आर0 की कमी में फलित हुआ जिसके फलस्वरूप इनपुट दर में अन्तरीय ए0बी0आर0 की कटौती हुई तथा डी0एल0 को ₹ 20.30 करोड़¹⁰ के राजस्व की हानि हुई जिसका विवरण परिशिष्ट 2.3.3 में दिया गया है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते (नवम्बर 2016) हुए कहा कि उन्होंने आधार वर्ष हेतु ए0बी0आर0 की गणना में मीटर किराया को एक घटक मानते हुए किया था एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा ए0बी0आर0 के अंतिमीकरण के उपरांत अग्रेतर सभी ए0बी0आर0 गणना में मीटर किराया शामिल करने हेतु ध्यान रखा जाएगा।

डी0एफ0 एवं डी0एल0 के पारस्परिक दावों का निपटान नहीं होना

2.3.11 लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एल0 एवं डी0एफ0 के पारस्परिक दावे निपटान हेतु लम्बित थे।

- डी0एफ0, गया द्वारा डी0एल0 के विरुद्ध ₹ 25.21 करोड़ की राशि का दावा किया गया था, जो डी0एल0 द्वारा भारत विलम्ब भुगतान अधिभार (डी0पी0एस0) एवं उपभोक्ताओं द्वारा डी0एल0 को प्रत्यक्ष भुगतान के मद में था।
- डी0एफ0 भागलपुर द्वारा ₹ 21.40 करोड़ की राशि का दावा किया गया, जो नगर निगम द्वारा उपभोग ऊर्जा के विरुद्ध किया गया था। इसमें ₹ 13 करोड़ की राशि भी सम्मिलित थी जो बिहार सरकार द्वारा, नगर निगम की तरफ से, डी0एल0 को प्रेषित किया गया था।
- अग्रेतर, आरम्भिक अवधि हेतु डी0एफ0, भागलपुर में सामग्रियों की आपूर्ति एवं एस0बी0पी0डी0सी0एल0 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के मद में डी0एल0 द्वारा ₹ 1.11 करोड़ की राशि का दावा किया गया था।

अतः दो डी0एफ0 एवं डी0एल0 के पारस्परिक दावे ₹ 46.61 करोड़ एवं ₹ 1.11 करोड़ के थे, जो निपटान हेतु लम्बित थे। दावों के निपटान में विफलता के फलस्वरूप डी0एफ0 एवं डी0एल0 की अर्थवान निधि अवरुद्ध रही।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि डी0एफ0, गया के विरुद्ध ₹ 46.16 लाख के दावों का निपटान हो चुका था एवं डी0एफ0, भागलपुर के मामले में समायोजन आर्बिट्रेटर के अधिनिर्णय के उपरांत किया जाएगा।

संग्रह की गई प्रतिभूति जमा एवं विद्युत शुल्क के भुगतान में डी0एफ0 की विफलता के कारण डी0एल0 को ब्याज की हानि।

2.3.12 डी0एफ0ए0 के अनुच्छेद 13.1.1 के अनुसार डी0एफ0 द्वारा विपत्रीकरण चक्र के अंत से तीन दिन के अन्दर विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा से सम्बन्धित आँकड़े मासिक आधार पर प्रस्तुत करने होंगे। अग्रेतर, अनुच्छेद 7.2 यह भी प्रावधानित करता है कि डी0एल0 द्वारा निर्गत मासिक विपत्र, जिसमें विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा सम्मिलित है, का भुगतान इसकी पावती के एक सप्ताह के अन्तर्गत करना होगा। नियत तिथि के उपरांत भुगतान में कोई भी विलम्ब पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष दण्डात्मक ब्याज लागू होगा, जो त्रैमासिक आधार पर संयोजित होगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि डी0एफ0, गया एवं भागलपुर ने प्रतिभूति जमा एवं विद्युत शुल्क से सम्बन्धित आँकड़े, इसके संग्रहण तिथि से तीन से छः महीने के उपरान्त उपलब्ध कराया था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर प्रेक्षण किया कि यद्यपि डी0एफ0, भागलपुर ने जनवरी 2014 से मार्च 2016 अवधि हेतु ₹ 10.31 करोड़ की राशि का संग्रहण किया था जिसमें

₹ 7.81 करोड़ की प्रतिभूति जमा एवं विद्युत शुल्क के भुगतान में डी0एफ0 की विफलता के कारण डी0एल0 को ₹ 2.03 करोड़ के ब्याज की हानि

¹⁰ गया : ₹ 9.98 करोड़ एवं भागलपुर : ₹ 10.32 करोड़


₹ 7.81 करोड़ एवं ₹ 2.50 करोड़ क्रमशः विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा हेतु सम्मिलित था, तथापि डी0एफ0 ने इसका भुगतान डी0एल0 को नहीं किया। डी0एफ0 द्वारा विलम्ब से विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा का भुगतान करने के कारण मई 2016 तक डी0एल0 का कुल ₹ 2.03 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा के संग्रहण से सम्बन्धित आँकड़े ए0बी0आर0 के अन्तिमीकरण तक गया एवं भागलपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे। तथापि अल्प भुगतान के विरुद्ध विलम्ब भुगतान अधिभार (डी0पी0एस0), 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर, जो त्रैमासिक आधार पर संयोजित होगा, भारत किया जाएगा।

पुराने बकायों के भुगतान में डी0एफ0 की विफलता के फलस्वरूप डी0एल0 को ब्याज की हानि

2.3.13 डी0एफ0 की अनुच्छेद 8.5 के अनुसार डी0एफ0 वर्तमान चालू अथवा जीवंत उपभोक्ताओं से बकायों का संग्रहण करेगा एवं बकायें संग्रहण के सात दिनों के अन्दर वसूली के विवरण सहित इसका भुगतान डी0एल0 को करेगा। यह अग्रेतर प्रावधानित करता है कि वितरण फ्रेंचाइजी बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007, विद्युत अधिनियम, 2003 एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानुसार चालू अथवा जीवंत उपभोक्ताओं के साथ साथ वैसे उपभोक्ताओं, जिनका सम्बद्ध विच्छेद कर दिया गया है, से बकाए के संग्रहण हेतु उत्कृष्ट यत्न करेगा एवं इस हेतु डी0एफ0 को क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत का प्रोत्साहन डी0एफ0 को दिया जाएगा। बकाया, संग्रहण एवं भुगतान की वस्तुस्थिति आरेख सं0 2.3.5 में दर्शित है।

आरेख सं0 2.3.5 : संग्रह किए गए बकायों एवं इनके भुगतान का विवरण



स्रोत : डी0एफ0/डी0एल0 के अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

डी0एल0 को ₹ 26.86 करोड़ के पुराने बकायों के भुगतान में डी0एफ0 की विफलता के कारण ₹ 7.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई

आरेख सं0 2.3.5 से देखा जा सकता है कि नवम्बर 2013 से मार्च 2016 की अवधि में पुराने बकायों के विरुद्ध वसूली डी0एफ0, गया एवं डी0एफ0, भागलपुर के कुल बकायों का क्रमशः 2.5 प्रतिशत एवं 4.25 प्रतिशत था। डी0एफ0 द्वारा संग्रह किए गए बकायों की ₹ 26.86 करोड़ की राशि को डी0एल0 को जमा नहीं किया गया। संग्रह किए गए पुराने बकायों के भुगतान में डी0एफ0 की विफलता के फलस्वरूप डी0एल0 को कुल ₹ 7.36 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। डी0एफ0 द्वारा बकायों के धीमे संग्रहण का मुख्य कारण उपभोक्ताओं, जिनसे बकायों का संग्रहण किया जाना था, के निर्धारण में विलम्ब था।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि सभी डी0एफ0 को पुराने बकायों के भुगतान हेतु निर्देश दिया गया है एवं डी0एफ0, भागलपुर के मामलों में साख पत्र के अवलम्बन के अलावा कड़ी कार्यवाही शुरू की गई।

डी0एल0 द्वारा ₹ 80.36 करोड़ के प्रतिभूति जमा की अल्प वसूली

2.3.14 डी0एफ0ए0 के अनुच्छेद 11.4 के अनुसार संविदा अवधि के एक वर्ष उपरांत, डी0एल0, डी0एफ0 से संग्रह किए गए प्रतिभूति जमा की समीक्षा करेगा। यह अग्रेतर प्रावधानित करता है कि बैंकों, जो डिफॉल्ट ऐस्करो एजेंट के रूप में नियुक्त हैं, द्वारा साख पत्र (एल0ओ0सी0) प्रदान किया जाएगा। तीनों डी0एफ0 के सन्दर्भ में विद्यमान एवं वांछित प्रतिभूति जमा का विवरण परिशिष्ट 2.3.4 में दिया गया है एवं इसका सारबद्ध आरेख सं0 2.3.6 में किया गया है।

आरेख सं0 2.3.6 : विद्यमान एवं वांछित प्रतिभूति जमाओं की विवरणी



स्रोत : डी0एफ0/डी0एल0 के अंचल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आरेख सं0 2.3.6 से देखा जा सकता है कि त्रैमासिक इनपुट दर की समीक्षा के उपरांत ₹ 30.36 करोड़ (डी0एफ0, मुजफ्फरपुर – ₹ 8.47 करोड़, डी0एफ0, भागलपुर – ₹ 9.24 करोड़ एवं डी0एफ0, गया – ₹ 12.65 करोड़) की अतिरिक्त प्रतिभूति जमाओं का संग्रह नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी0एफ0, भागलपुर एवं गया ने साख पत्र क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक एवं साउथ इंडियन बैंक के द्वारा जमा किए थे जो उनके डिफॉल्ट ऐस्करो एजेंट नहीं थे। अतः प्रतिभूति जमा की समीक्षा में विफलता के फलस्वरूप ₹ 30.36 करोड़ की प्रतिभूति जमाओं का अल्प संग्रह हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि अंतरिम मासिक ए0बी0आर0 पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का अंतिमीकरण प्रक्रियाधीन है। तदोपरांत वांछित एल0ओ0सी0 की गणना की जाएगी और तदनुसार इसका संशोधन भी किया जाएगा। अग्रेतर, डी0एफ0 को ऐस्करो एजेंट खाता में ही साख पत्र खोलने हेतु पत्र लिखा गया है।

उपभोक्ता संतुष्टीकरण एवं शिकायतों का निवारण

2.3.15 बिहार विद्युत विनिमायक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम एवं विद्युत लोकपाल) विनियमन, 2006 एवं बिहार विद्युत विनियामक (वितरण लाइसेंसी के कार्य निष्पादन की मानके) विनियमन, 2006 के प्रावधानों के अनुसार बी0ई0आर0सी0 ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण हेतु, तरीकों एवं समय योजना निर्दिष्ट करने के साथ साथ, उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करने हेतु समय सीमा एवं इसका अनुपालन

नहीं हो पाने की स्थिति में, उपभोक्ता को देय क्षति राशि भी निर्दिष्ट किया था। मानकों में सेवाओं के स्वरूप, अन्य बातों के साथ ओवरहेड लाइन/ब्रेकडाउन, वितरण ट्रान्सफॉर्मरों (डी0टी0) की विफलताओं, अधिसूचित आउटेजेज की अवधि, वोल्टेज में उतार चढ़ाव, मीटरों की शिकायतें, नवीन सेवा सम्बद्ध, इत्यादि शामिल थे। उपभोक्ता शिकायतें एवं डी0एफ0 द्वारा इनके निवारण की वस्तुस्थिति **परिशिष्ट 2.3.5** में दिया गया है।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान कुल उपभोक्ताओं की संख्याओं के साक्षेप शिकायतों की प्रतिशतता डी0एफ0, गया में 19.34 से 28.67 डी0एफ0, भागलपुर में 7.68 से 33.40 एवं डी0एफ0, मुजफ्फरपुर में 11.70 से 60.62 के बीच था। यह इंगित करता था कि शिकायतों की संख्याओं में वृद्धि हुई थी जिससे उपभोक्ताओं में प्रदान किए गए सेवा के प्रति असंतोष प्रकट होता था। डी0एफ0, मुजफ्फरपुर में अधिकाधिक शिकायतें दर्ज हुई थी। 2014-15 के दौरान मुजफ्फरपुर में खराब मीटरों एवं त्रुटिपूर्ण विपत्रीकरणों (67 प्रतिशत) के कारण अधिकाधिक शिकायतें दर्ज हुई थी।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि 32,159 शिकायतों का निवारण निर्धारित समय से परे हुआ था, जिसके मद में उपभोक्ताओं को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (वितरण लाइसेंसी की कार्य निष्पान की मानकें) विनियमन, 2006 (मई 2016) में प्रावधानित क्षति राशि का भुगतान नहीं किया गया था। डी0एफ0, गया में लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त की गई 300 उपभोक्ताओं की प्रतिपुष्टि में 280 उपभोक्ताओं ने कहा कि डी0एफ0, गया द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता से उपभोक्ता असंतुष्ट थे।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि डी0एफ0, भागलपुर को उपभोक्ताओं को असंतोषजनक सेवाएँ प्रदान करने के विरुद्ध नोटिस निर्गत की गई है एवं उनके खिलाफ अपने क्षेत्र में न्यूनतम सेवा गुणवत्ता के संधारण में विफलता हेतु यथोचित कार्रवाई की जाएगी। प्रबन्धन ने डी0एफ0, गया एवं डी0एफ0, मुजफ्फरपुर में प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

2.3.16 डी0एफ0ए0 की अनुच्छेद 5.6.5 यह प्रावधानित करती है कि प्रभावी तिथि से एक वर्ष के अन्दर डी0एफ0 द्वारा एक सुसज्जित आन्तरिक असंतोष निवारण कक्ष/उपभोक्ता सेवा केन्द्र का गठन किया जाएगा एवं उपभोक्ताओं के शिकायतों के निवारण हेतु उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन कथित शिकायतों की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के अंदर किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि डी0एफ0 गया ने चार उपभोक्ता सेवा केन्द्र का गठन गाँधी मैदान, गोलपत्थर, मानपुर एवं बोध गया में किया था, जिसमें से वितरण फ्रेंचाइजी अनुबन्ध (डी0एफ0ए0) के अनुसार केवल गाँधी मैदान का उपभोक्ता सेवा केन्द्र न्यूनतम सुविधाओं से सुसज्जित था। डी0एफ0, गया एवं भागलपुर ने प्रभावी तिथि से एक वर्ष के अंदर उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर प्रेक्षित किया कि एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के निदेशक मंडल के अनुमोदन (फरवरी 2016) के पश्चात भी, वितरण फ्रेंचाइजियों (डी0एफ0) के परिचालन कार्यारम्भ तिथि से 21 महीनों के विलम्ब के उपरांत भी, गया एवं भागलपुर क्षेत्रों में उपभोक्ता शिकायत निवारण कोषांग परिचालन में नहीं था।

प्रबन्धन ने स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2016) कि उपभोक्ता शिकायत निवारण कोषांग (सी0जी0आर0एफ0) के सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब हुआ था, जिसके फलस्वरूप सी0जी0आर0एफ0 के गठन में विलम्ब हुआ। यद्यपि, गया और भागलपुर में सी0जी0आर0एफ0 का गठन कर लिया गया है।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

2.3.17 एक संगठन के मितव्ययितापूर्ण, प्रभावी एवं दक्षपूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक परिचालन हेतु एक सुदृढ़ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान होनी चाहिए।

हमलोगों ने प्रेक्षित किया कि:

- अंचल स्तर पर आन्तरिक नियन्त्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने हेतु डी0एल0 द्वारा डी0एफ0 प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। डी0एफ0ए0 के प्रावधानों के सकुशल एवं त्वरित अनुपालन हेतु डी0एफ0 प्रकोष्ठों को डी0एफ0 के परिचालन के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिकाएँ निर्गत की गई थी। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि डी0एफ0 प्रकोष्ठों ने डी0एफ0ए0 के प्रावधानों एवं मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन नहीं किया था क्योंकि डी0एफ0 प्रत्येक माह ए0बी0आर0 का पुर्नलोकन, डी0एफ0 द्वारा सृजित सम्पत्तियों के सत्यापन एवं डी0एफ0 से एम0आई0एस0 प्रतिवेदनों के अनुसरण में विफल रहा। अग्रेतर, मानवशक्ति की कमी के कारण डी0एफ0 प्रकोष्ठ पूरी तरह से कार्यरत नहीं थे।
- डी0एफ0ए0 के प्रावधानुसार डी0एफ0 की वार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षा डी0एल0 द्वारा नहीं की गई थी।
- डी0एफ0ए0 की अनुच्छेद 13.1.5 के अनुसार डी0एल0 द्वारा एम0आई0एस0 प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए थे और न ही इसका अनुश्रवण किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि गया एवं भागलपुर हेतु स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है एवं मुजफ्फरपुर हेतु लेखापरीक्षकों की नियुक्ति शीघ्र कर ली जाएगी। अग्रेतर, डी0एफ0 द्वारा एम0आई0एस0 प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

बिहार के ऊर्जा वितरण कम्पनियों के वितरण फ्रेन्चाइजी के कार्यनिष्पादन की लेखापरीक्षा परिणामों को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016), जवाब प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने यह निष्कर्ष किया कि:

- क्षमता सृजन में अपर्याप्त नियोजन एवं पूँजीगत सम्पत्तियों के मद में डी0एफ0 द्वारा अपर्याप्त न्यूनतम निवेश के कारण सभी डी0एफ0 की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता में कमी थी। इसके फलस्वरूप ऊर्जा वितरण कम्पनियों की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता ओवरलोडेड हो गई थी।
- विनिर्दिष्ट स्तरों तक ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम कर वितरण फ्रेंचाइजियाँ अपनी परिचालन दक्षता को सुधारने में विफल रही।
- डी0एफ0 मासिक ए0बी0आर0 के अन्तिमीकरण में विफल रहा जिसके कारण डी0एफ0 एवं डी0एल0 के पारस्परिक दावों का निपटान नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक टैरिफ समायोजन हेतु ए0बी0आर0 को घटाने की दृष्टि से डी0एफ0 ने अत्यधिक विपत्र निर्गत किया।
- डी0एल0 द्वारा निगरानी की कमी के कारण विद्युत शुल्क एवं प्रतिभूति जमा के राशि की जानकारी विलम्ब से डी0एल0 को दी गई और एकत्र राशि को डी0एल0 को जमा करने में डी0एफ0 की विफलता के कारण डी0एल0 को ब्याज की हानि हुई।

- गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में असंतोष की भावना थी, क्योंकि विशिष्ट डी0एफ0 ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोज्य विनियमनों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि :

- सुदृढ़ नियोजन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के संवर्धन एवं पूँजीगत सम्पत्तियों पर निवेश को सुनिश्चित करने हेतु डी0एफ0 को कारगर कदम उठाने चाहिए।
- लक्षित स्तरों तक ए0टी0 एवं सी0 हानियों को लाने एवं अपनी परिचालन क्षमता को सुधारने हेतु डी0एफ0 को सख्त कदम उठाने चाहिए।
- राजस्व वसूली के सटीक स्थिति की उपलब्धता एवं शुद्ध तथा सफल तरीकों से ए0बी0आर0 के निर्धारण हेतु डी0एफ0 को त्रुटिपूर्ण/अत्यधिक विपत्रीकरण से बचना चाहिए।
- डी0एल0 द्वारा अनुश्रवण में सुधार होना चाहिए। ऊर्जा विपत्रों के सामयिक संग्रहण एवं डी0एल0 को भुगतान हेतु, डी0एफ0 को डी0एफ0ए0 के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।
- डी0एल0 एवं डी0एफ0 दोनों को उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण सम्बन्धी डी0एफ0ए0 एवं प्रयोज्य विनियमनों के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।

2.4 बिहार राज्य वित्तीय निगम के वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा

परिचय

2.4.1 बिहार राज्य में छोटे और मंजोले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से बिहार राज्य वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना नवम्बर 1954 में राज्य वित्तीय निगम की धारा, 1951(धारा) के अन्तर्गत की गयी। इस संस्था की स्थापना आर्थिक उन्नति, समान क्षेत्रीय विकास एवं उद्यमी आधार को बढ़ावा देने के लिए की गयी। ऋणों को प्रदान करना एवं उसकी वसूली करना निगम का प्रमुख कार्य था। निगम ने 2002-03 से ही ऋण देना बंद कर दिया था तथा उसके बाद निगम का कार्यकलाप मुख्य रूप से पुराने अतिदेयों की वसूली करना रह गया है।

31 मार्च 2016 को अंश पूँजी और ऋण के रूप में निगम का कुल निवेश ₹ 470.16 करोड़ (अंश पूँजी ₹ 77.83 करोड़ और लम्बी/छोटी अवधि का उधार ₹ 392.33 करोड़) का था। निगम के वित्त का मुख्य स्रोत ऋण की वसूली और सहायता प्राप्त इकाइयों से प्राप्त ब्याज था। 31 मार्च 2012 को निगम द्वारा वसूली योग्य कुल अतिदेय ₹ 3542.05 करोड़ (मूलधन ₹ 135.53 करोड़, ब्याज ₹ 3389.52 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.00 करोड़) का था जो बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 5760.85 करोड़ (मूलधन ₹ 103.35 करोड़, ब्याज ₹ 5640.33 करोड़ और अन्य ₹ 17.17 करोड़) हो गया। निगम ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 64.78 करोड़ (ब्याज सहित) वसूल किया था।

निगम का प्रबंधन अधिकतम 12 निदेशकों से बने हुए निदेशक मंडल (बोर्ड) में निहित है। 31 मार्च 2016 को इसमें छः निदेशक, जिनमें प्रबंध निदेशक भी शामिल थे जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होते हैं, सम्मिलित थे। वे निगम के रोजमर्रा के कार्यकलापों को सहायक महाप्रबंधकों, प्रबंधकों तथा उप-प्रबंधकों के सहयोग से करते हैं।

निगम के चार जोनल तथा नौ शाखा कार्यालय (छः बिहार में तथा तीन झारखण्ड में) थे। शाखा कार्यालयों का मुख्य कार्य ऋण वसूली के अनुवर्तन द्वारा बकाया ऋण की वसूली को सुविधाजनक बनाना, सम्पत्तियों, जैसे जमीन/भवन, कारखाना और मशीनरी इत्यादि, के मूल्यांकन के साथ अन्य दिनचर्या के कार्यों को करना है। बुनियादी कागजी कार्य/जानकारी इकट्ठा करके शाखा कार्यालयों द्वारा मुख्य कार्यालय को समर्पित किया जाता है जिसके बदले में निगम समग्र वसूली के कार्यों का प्रबंधन करता है।

निगम द्वारा दिये गये ऋण के संबंध में वसूली प्रदर्शन की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2004 का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), बिहार सरकार में की गयी थी। प्रतिवेदन पर अभी तक (नवम्बर 2016) लोक उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) द्वारा चर्चा नहीं की गयी है।

निगम की लेखापरीक्षा 2011-12 से 2015-16 की अवधि दौरान ऋणी से ऋण की वसूली और उस उद्देश्य के लिए अपनाए गए विभिन्न नियंत्रण तंत्र के सम्बन्ध में निगम की कार्यदक्षता का मूल्यांकन करना था। 31 मार्च 2016 को ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक (ब्याज और अन्य शुल्क सहित) के बकाया राशि के 30 मामलों में से 18 मामलों (कुल बिक्री के आधार पर चयनित और अन्य) को लेखापरीक्षा जाँच के लिए चयनित किया गया था। इन 18 मामलों में यह पाया गया कि:

- चार मामलों में दोषी ऋणी इकाइयों की बिक्री को अंतिम रूप दे दिया गया था,
- पाँच मामलों में ऋणी इकाइयों की बिक्री नहीं हो सकी क्योंकि क्रेता द्वारा उद्धृत मूल्य निगम द्वारा तय किये गये आरक्षित मूल्य से कम था। आरक्षित मूल्य मूल बकाया (पी0ओ0एस0) से कम तय नहीं की जा सकती है तथा इसका मूल्यांकन

शाखा स्तर पर शाखा स्तरीय मूल्यांकन दल (बी0एल0वी0टी0) और केन्द्रीय मूल्यांकन दल (सी0वी0टी0) द्वारा किया जाना था,

- पाँच मामलों में निगम ने नीलामवाद¹ दर्ज करवाया,
- तीन मामलों में ऋणी इकाइयों का आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से न्यायालय के आदेश के तहत बेचा गया और
- एक मामले में, ऋणी इकाई की बिक्री को आधिकारिक परिसमापक के नियुक्ति के बावजूद अमल में लाना अभी तक बाकी था।

निगम के चार जोनल और नौ शाखा कार्यालयों के नमूना संख्या में से दो शाखा कार्यालयों अर्थात् मुजफ्फरपुर (बिहार) और बोकारो (झारखण्ड) को लेखा परीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

वित्तीय प्रबंधन

2.4.2 किसी भी संगठन में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कुशल निधि प्रबंधन आवश्यक तथा अपरिहार्य है। इसके अलावा निर्णय लेने हेतु भी यह एक प्रभावी साधन के रूप में माना जाता है।

निगम के पिछले पाँच वर्षों (31 मार्च 2016 तक) के वित्तीय स्थिति तथा संचालन का परिणाम तालिका सं0 2.4.1 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका सं0 2.4.1 : निगम के संचालन परिणाम

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1 (अ)	परिचालन आय ²	5.78	6.86	8.16	5.03	4.30
1 (ब)	अन्य आय ³	7.70	9.88	7.70	8.39	9.69
1 (स)	कुल आय ⁴	13.48	16.74	15.86	13.42	13.99
1 (द)	परिचालन आय का कुल आय से प्रतिशत	42.88	40.98	51.45	37.48	30.74
2.	व्यय	34.07	31.36	33.53	31.08	29.15
3.	परिचालन लाभ/(हानि) 1(स)-2	(20.59)	(14.62)	(17.67)	(17.66)	(15.16)
4.	संचित हानि	382.14	392.95	404.58	421.65	436.02
5.	डुबत/संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	136.14	132.33	126.29	101.27	100.53

(स्रोत: निगम के रिकॉर्ड)

तालिका सं0 2.4.1 से स्पष्ट है कि :

- 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान बकाया राशि के विरुद्ध सम्मानजनक प्राप्ति नहीं होने के कारण, निगम ने कोई आय अर्जित नहीं की। इस अवधि के दौरान, निगम की परिचालन हानि 2011-12 में ₹ 20.59 करोड़ से 2015-16 में ₹ 15.17 करोड़ के बीच रहा।
- निगम का परिचालन आय कुल आय का 2011-12 में 42.88 प्रतिशत से घट कर 2015-16 में 30.74 प्रतिशत हो गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम का परिचालन आय अपनी दिनचर्या और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त

निगम का वर्ष
2011-12 से
2015-16 के दौरान
हानि ₹ 20.59 करोड़
से ₹ 15.16 करोड़ के
बीच था

¹ नीलामवाद मामले का अर्थ बिहार और उड़ीसा जनता की मांग वसूली अधिनियम 1914 के प्रावधानों के तहत वसूली के लिए सूट दायर करना।

² निगम के मुख्य गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न आय।

³ निगम के मुख्य गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों से उत्पन्न आय।

⁴ यह परिचालन आय तथा गैर परिचालन आय का कुल योग है।

नहीं था और निगम ने अपने गैर परिचालन आय का उपयोग इन खर्चों को पूरा करने के लिए किया था।

- अपनी पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए निगम द्वारा किये गये प्रयास (दोषी इकाइयों की बिक्री अथवा प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से) केवल आंशिक रूप से सफल थे, चूंकि उक्त अवधि के दौरान निगम के संचालन आय में गिरावट की प्रवृत्ति थी।
- सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज का वार्षिक प्रावधान करने के कारण परिचालन नुकसान बढ़ गया था। निगम ने सरकारी ऋण के पूँजी में रूपांतरण तथा उस पर अर्जित ब्याज को माफ करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था (जनवरी 2011)। इस पर अभी तक (नवम्बर 2016) राज्य सरकार द्वारा फैसला नहीं लिया गया है।

सेवा कर की प्राप्ति नहीं होना ₹ 32.99 लाख

2.4.3 01 जून 2007 से प्रभावी वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105) (जेड0जेड0जेड0जेड0) की शर्तों के अनुसार अचल सम्पत्ति को किराए पर देना एक कर योग्य सेवा की श्रेणी में आता है। सेवा कर, जो एक अप्रत्यक्ष कर है, का भार सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा वहन किया जाता है लेकिन इसका संग्रहन कर सरकारी कोषागार में जमा करने का कार्य सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालय से मांग पत्र (सितम्बर 2009) तथा स्मार पत्र (अप्रैल और जुलाई 2010) की प्राप्ति के पश्चात निगम ने 38 माह के विलम्ब से अगस्त 2010 में सभी मौजूदा (आठ) किरायेदारों को सेवा कर की वसूली के लिए सूचना भेजी। किरायेदारों के साथ किये गये सभी अनुबंधों की जाँच से पता चला कि उन अनुबंधों पर किसी भी प्रकार के कर, जो भविष्य में प्राधिकारियों द्वारा लगाये जा सकते हैं, की वसूली के संबंध में कोई भी खण्ड शामिल नहीं किया गया था। इन सभी (आठ) किरायेदारों से जून 2007 से मार्च 2016 तक कुल बकाया सेवाकर की राशि ₹ 74.45 लाख में से मात्र ₹ 41.46 लाख की वसूली हो सकी थी। चार किरायेदारों ने सेवा कर के भुगतान से इन्कार कर दिया और दो ने बकाया सेवा कर की राशि का आंशिक भुगतान किया।

इस प्रकार, किरायेदारों के साथ हुए अनुबंध में सेवा कर की वसूली से संबंधित खण्ड शामिल नहीं करने के कारण, निगम बकाया सेवा कर की राशि ₹ 32.99 लाख वसूल नहीं कर सका।

सरकार ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2016) कि सेवा कर की वसूली के मामले में किरायेदारों (जिन्होंने सेवा कर का भुगतान नहीं किया है) से निरंतर सम्पर्क किया जा रहा है।

वसूली प्रदर्शन

सम्पत्तियों का वर्गीकरण

2.4.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, सिडबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (फरवरी 2015) के अनुसार निगम के ऋण संविभाग का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है :

- मानक परिसम्पत्तियाँ : परिसम्पत्तियाँ, जिन पर जोखिम सामान्य की तुलना में अधिक नहीं है और किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- उप-मानक परिसम्पत्तियाँ : परिसम्पत्तियाँ, जो 12 महीने से कम अथवा समान अवधि के लिए गैर निष्पादित आस्तियाँ (एन0पी0ए0) रही हैं।
- संदिग्ध परिसम्पत्तियाँ : परिसम्पत्तियाँ, जो 12 महीने की अवधि के लिए उप-मानक श्रेणी में बने रहे हैं।

किराएदारों के साथ समझौते में सेवा कर की वसूली से संबंधित खण्ड शामिल नहीं किए जाने के कारण निगम ₹ 32.99 लाख की राशि वसूल नहीं कर सकी

31 मार्च 2016, को निगम की सम्पत्ति का 98.10 प्रतिशत हिस्सा एन0पी0ए0 था

- हानि परिसम्पत्तियाँ : हानि परिसम्पत्ति वह परिसम्पत्ति है जहाँ क्षति की पहचान हो रही है लेकिन उन्हें पूरी तरह से बट्टे-खाते में नहीं डाला गया है।

मानक परिसम्पत्तियों को छोड़कर सभी परिसम्पत्तियों को एन0पी0ए0 कहा जाता है। हमने पाया कि निगम की लगभग सारी परिसम्पत्तियाँ (98.10 प्रतिशत) 31 मार्च 2016 को एन0पी0ए0 के रूप में सम्मिलित थी, जिस कारण उनकी प्राप्ति की संभावना बहुत कम/नगण्य थी।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016)।

बकाया ऋण एवं वसूली की स्थिति

2.4.5 निगम द्वारा रखे गये (31 मार्च 2016 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में) ज्ञापन खातों के अनुसार, ऋणियों से बकाया ऋण की राशि तथा निगम द्वारा वसूल की गयी राशि का संक्षिप्त विवरण तालिका सं0 2.4.2 में दिया गया है।

तालिका सं0 2.4.2 : बकाया ऋण और वसूली का ब्यौरा
(राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	वर्ष के प्रारम्भ में देय राशि	3440.99	3542.05	3996.54	4540.12	5139.07
2	चालू माँग ⁵	464.32	489.35	608.41	678.44	655.99
3	वर्ष के दौरान कुल वसूलनीय राशि (1+2)	3905.31	4031.40	4604.95	5218.56	5795.06
4	निगम के अनुसार पुराने देयों की वसूली	359.68	32.31	58.39	74.66	30.58
	छूट राशि	337.83	24.21	51.56	70.34	27.93
	वसूली	21.85	8.10	6.83	4.32	2.65
5	चालू माँग में से वसूली	3.58	2.55	6.44	4.83	3.63
6	वर्ष में कुल वसूली (4+5)	25.43	10.65	13.27	9.15	6.28
7	वर्ष के अंत में प्राप्य राशि (छूट की राशि सहित) (3-6)	3879.88	4020.75	4591.68	5209.41	5788.78
8	दिखायी गयी छूट की राशि	337.83	24.21	51.56	70.34	27.93
9	वर्ष के अंत में प्राप्य राशि (7-8)	3542.05	3996.54	4540.12	5139.07	5760.85
10	पुरानी बकाया राशि की वसूली से साल की शुरुआत में देय राशि का प्रतिशत (6 से 1)	0.74	0.30	0.33	0.20	0.12
11	वर्तमान माँग की वसूली का वर्तमान माँग से प्रतिशत (5 से 2)	0.77	0.52	1.06	0.71	0.55
12	कुल वसूली का कुल माँग से प्रतिशत (6 से 3)	0.65	0.26	0.29	0.17	0.11

(स्रोत: निगम के अभिलेख)

तालिका सं0 2.4.2 से यह देखा जा सकता है कि:

- निगम द्वारा बकाया वसूली की कुल राशि 31 मार्च 2012 तक ₹ 3542.05 करोड़ (मूलधन ₹ 135.53 करोड़, ब्याज ₹ 3389.52 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.00 करोड़) थी, जो 31 मार्च 2016 को बढ़कर ₹ 5760.85 करोड़ हो गयी (मूलधन ₹ 103.35 करोड़, ब्याज ₹ 5640.33 करोड़ तथा अन्य ₹ 17.17 करोड़)। बकाया/वसूली योग्य राशि में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से ऋण के ब्याज में हुई वृद्धि के कारण थी, जिसके विरुद्ध न्यूनतम वसूलियाँ ही प्रभावित हो सकी। लेखा परीक्षा ने पाया कि निगम ने गैर निष्पादित अस्तियों के विरुद्ध कोई ब्याज या मूलधन की वसूली नहीं की, फिर

⁵ वर्तमान माँग में निगम द्वारा की गई माँग की राशि में मूलधन और ब्याज भी शामिल है।

वसूली 2011-12 में ₹ 25.43 करोड़ से घटकर 2015-16 में ₹ 6.28 करोड़ हो गयी

भी निगम द्वारा इन एन0पी0ए0 के विरुद्ध ब्याज वसूलनीय दिखाया जा रहा है। इस कारण बकाया राशि के आँकड़े निगम के खातों में दिखाये गये आँकड़ों के साथ सहमत नहीं थे जिसमें सभी आयों को नकदी आधार पर तथा सभी खर्चों को उपार्जन के आधार पर लेखांकित किया जा रहा था।

- वर्ष 2011-12 के दौरान, निगम ने अपने बकाया राशि के विरुद्ध ₹ 25.43 करोड़ की वसूली की। लेकिन इस अवधि में वसूली तेजी से घटी और 2015-16 में निगम केवल ₹ 6.28 करोड़ ही वसूल कर सका। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच निगम की वसूली का प्रतिशत कुल वसूलनीय बकाये का 0.11 प्रतिशत से 0.65 प्रतिशत के बीच रहा, जो संस्था के खराब वसूली अनुसरण को इंगित करता है। 31 मार्च 2004 को समाप्त भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 3.2.11 में लेखा परीक्षा द्वारा बताया गया था कि निगम के अभिलेख, जो सहायता प्राप्त इकाइयों के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं, का खराब रख-रखाव किया गया था। लेखा परीक्षा जाँच में पता चला है कि यही अनियमितता लेखा परीक्षा अवधि (2011-16) के दौरान भी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, निगम ने कार्यबल की कमी के कारण ऋणियों के खिलाफ नीलामवाद दायर करना उचित नहीं समझा।

सरकार ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2016) कि वसूली घटी है क्योंकि इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से निजी/पट्टे, किराये पर भूमि/परिसर या मुश्किल मामलों में जहाँ से ऋण की वसूली करना सामान्य रूप से कठिन था, से वसूली नहीं हो सकी। सरकार का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निगम बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त कदम, जैसे दोषी इकाइयों की बिक्री के लिए समय-समय पर विज्ञापन/पुनर्विज्ञापन, प्रभावी वार्ता के माध्यम से संभावित खरीददार द्वारा दिये गये प्रस्ताव के निपटारे, इत्यादि कदम उठाने में असफल रहा।

- निगम ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया।

सरकार ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2016) कि वसूली का लक्ष्य इस कारण निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि इससे किसी उद्देश्य की विशेष प्राप्ति नहीं होती।

सरकार का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि वसूली के लिए लक्ष्य का निर्धारण परिणामोन्मुख कार्रवाई के लिए एक आधार प्रदान करता है और यह बकाया राशि की वसूली के लिए उठाये गये प्रयासों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अति आवश्यक है।

एक मुश्त निपटारा योजना (ओ0टी0एस0) 2014 और प्रोत्साहन सह ऋण पुनर्गठन योजना (आई0एल0आर0एस0)

2.4.6 अपनी बकाया राशि की वसूली बढ़ाने के लिए निगम ने दो योजनाएँ शुरू की (अ) एक मुश्त निपटारा योजना 2014 (ओ0टी0एस0-2014) और (ब) प्रोत्साहन सह ऋण पुनर्गठन योजना (आई0एल0आर0एस0)।

ओ0टी0एस0-2014 के अंतर्गत निपटारा राशि निम्न थी:

- (अ) 31 मार्च 2014 को बकाया मूलधन का 400 प्रतिशत, उन ऋणों के लिए, जिनकी स्वीकृति मार्च 1990 तक दी गयी थी।
- (ब) 31 मार्च 2014 को बकाया मूलधन का 300 प्रतिशत उन ऋणों के लिए, जिनकी स्वीकृति 31 मार्च 1990 के बाद दी गयी थी।
- (स) 31 मार्च 2014 को बकाया मूलधन का 100 प्रतिशत, उन ऋणों के लिए, जिनको कुछ खास वर्गों, जैसे महिला उद्योग नीति (एम0यू0एन0), सेवानिवृत्त सैनिकों (एस0ई0एम0एफ0ई0एक्स0) के लिए स्वरोजगार योजना, इत्यादि में ऋण की स्वीकृति दी गयी थी।

ओ0टी0एस0एस0 /
आई0एल0आर0एस0 से
निगम ने ₹ 5.07
करोड़ (मूलधन ₹ 2.47
करोड़ और ब्याज
₹ 2.60 करोड़) की
राशि वसूल की

प्रोत्साहन सह ऋण पुनर्गठन योजना (आई0एल0आर0एस0) के अंतर्गत निपटान की राशि की गणना दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क की पूरी छूट (अधिकतम सीमा ₹ 25000) देने के पश्चात की जाती है।

लेखा परीक्षा ने देखा कि निगम द्वारा जारी निपटारा योजना कारगर नहीं थी चूँकि केवल ₹ 5.07 करोड़ (मूलधन ₹ 2.47 करोड़, ब्याज तथा अन्य ₹ 2.60 करोड़) ही 31 मार्च 2016 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान ही प्राप्त हो सकी, जो बकाया राशि के मुकाबले बहुत कम था।

सरकार ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2016) कि निपटारा योजना केवल उन इकाइयों के लिए थी, जिनकी अचल बंधक सम्पत्ति जमीन/भवन के रूप में उपलब्ध नहीं थी और जिनसे प्राप्ति की सम्भावना बहुत कम थी।

सरकार का जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निगम को ऋणी इकाइयों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए योजना लागू करनी चाहिए थी।

वसूली के लिए नीलामवाद मामले

निगम ने नीलामवाद दायर द्वारा धारा 32(जी) के अंतर्गत दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। निगम के शुरुआत से अब तक (मार्च 2016) कुल 376 दायर मामले लम्बित थे, जैसा कि तालिका सं0 2.4.3 में दिया गया है।

तालिका सं0 2.4.3 नीलामवाद मामलों का विवरण

विवरण	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(अ) विभिन्न कलेक्टरों के पास लम्बित मामले	129	427.00
(ब) सुनवाई के लिए लम्बित मामले	247	359.00
कुल	376	786.00

स्रोत: निगम द्वारा दी गई सूचना

ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि यद्यपि निगम द्वारा वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गयी थी, किन्तु यह कार्रवाई फलदायी साबित नहीं हो सकी, क्योंकि कुल दायर 376 नीलामवाद मामले, जिनकी राशि ₹ 786 करोड़ थी, वे अभी तक लम्बित थे।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा को विश्वास दिलाया कि निगम द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2016 को कुल 2777 दोषी इकाइयों में से, निगम ने केवल 579 दोषी इकाइयों से नीलामवाद के माध्यम से वसूली के लिए मामला दर्ज कराया। इस प्रकार, निगम बकाया राशि की वसूली को आगे बढ़ाने में गंभीर नहीं थी।

सरकार ने जवाब में कहा (अक्टूबर 2016) कि निगम नीलामवाद इस कारण दायर नहीं कर रहा था क्योंकि पूर्व से दर्ज मामलों के निरन्तर अनुसरण के पश्चात् भी ये फलदायी साबित नहीं हो रहे थे। जवाब में यह भी कहा गया कि जब तक पहले से दायर नीलामवाद मामलों का निष्पादन नहीं होता, तब तक मानवशक्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए अन्य नीलामवाद मामले दायर करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

ऋण की वसूली में बाध्यताएं

प्रबंधन को जारी एक प्रश्नावली के जवाब में, प्रबंधन ने बकाया राशि की वसूली में निम्नलिखित बाध्यताओं का उल्लेख किया :

- (अ) बकाया राशि की वसूली के लिए मानव शक्ति की कमी।
 (ब) ऋणों के मामले 20 वर्षों से अधिक पुराने थे और इन ऋणों के सम्पूर्ण दस्तावेज या तो उपलब्ध नहीं थे या अपूर्ण रूप से उपलब्ध थे।
 (स) कानूनी कार्रवाई में अत्यधिक विलम्ब हुआ था।
 (द) निगम जिन दोषी इकाइयों की बिक्री करना चाहता था, उनमें से कुछ मामलों में क्रेता उपलब्ध नहीं थे अथवा उनके द्वारा उद्धृत दर तय किये गये आरक्षित मूल्य से बहुत कम थे।

पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा की सिफारिशों का पालन करने में विफलता

2.4.7 बिहार राज्य वित्तीय निगम के वसूली प्रदर्शन की समीक्षा 31 मार्च 2004 को समाप्त बिहार सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में की गयी थी। इस प्रतिवेदन में निगम के लिए सिफारिशें निहित थी, (अ) संवितरण के बाद के प्रणाली की समीक्षा का पालन करना, (ब) वसूली में सुधार के लिए ओटीएस योजना और विशेष बिक्री नीति को लागू करना, (स) बेची गयी इकाइयों के सभी मामलों की समीक्षा करना एवं ऐसे ऋणी इकाइयों के खिलाफ नीलामवाद दायर करना, जहाँ नुकसान उठाना पड़ा, और शेष राशि की वसूली के लिए जल्द से जल्द वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रभावी रूप से सभी मामलों को आगे बढ़ाना, और (द) झारखण्ड सरकार के साथ मिलकर झारखण्ड में स्थित दोषी इकाइयों से प्रभावी वसूली कार्रवाई और दोषी इकाइयों के निपटान के लिए प्रयास करना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए (ओटीएस/प्रोत्साहन योजनाओं को छोड़कर) लेखापरीक्षा द्वारा की गयी अन्य सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफल रहा। सहायता प्रदान की गयी इकाइयों और बकाया राशि की वसूली के प्रदर्शन से संबंधित अभिलेखों का उचित संधारण नहीं किया गया।

सरकार ने जवाब दिया (अक्टूबर 2016) कि (अ) संवितरण पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सिफारिशें निगम द्वारा वित्तीय गतिविधियाँ, जैसे कि ऋण की स्वीकृति/संवितरण, फिर से शुरू करने के पश्चात किया जाएगा, (ब) सिफारिशों के अनुरूप निगम ने निपटारा योजना जैसे ओटीएस-2004, 2006, 2009, आईएलआरएस 2008 और ओटीएस-2014 लाये हैं, (स) सिफारिशों के बाद कई मामलों में नीलामवाद दायर किये गये, और (द) झारखण्ड सरकार के पहले के नीतिगत निर्णय झारखण्ड स्थित दोषी इकाइयों की बिक्री में एक बाधा थी परन्तु बाद में निगम द्वारा उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप झारखण्ड स्थित दोषी इकाइयों की बिक्री के लिए कार्रवाई की जा सकी।

मानवशक्ति

2.4.8 निगम के कार्यों को आर्थिक रूप से कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए निगम की प्रकृति एवं व्यापार के आकार के अनुरूप कर्मचारी पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। यह निगम की परिसम्पत्तियों/सम्पत्ति की रक्षा के लिए भी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम का मानवशक्ति अपर्याप्त था जिसकी चर्चा निम्न है:

- 31 मार्च 2016 को 514 की स्वीकृत क्षमता के विरुद्ध निगम में केवल 149 कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें से अधिकतर कर्मचारी निचले स्तर, जैसे लिपिक, चपरासी, टंकक इत्यादि, के थे। कार्यरत कर्मचारियों में से केवल पाँच प्रतिशत अधिकारी स्तर के थे।

514 की क्षमता के विरुद्ध केवल 149 कर्मचारी थे जिसमें से केवल पाँच प्रतिशत अधिकारी थे

- अधिकारियों की संख्या केवल सात थी, जिसमें प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालय, दोनों के अधिकारी शामिल हैं। इन सातों अधिकारियों में से, चार प्रधान कार्यालय में कार्यरत थे तथा तीन अधिकारी शाखा कार्यालयों में कार्यरत थे।

अतः निगम तथा इसके शाखा कार्यालयों में मानवशक्ति की कमी के कारण, पिछले 10 वर्षों में निगम द्वारा केवल 46 एफ0आई0आर0 मामले जिनका मूल्य ₹ 1.79 करोड़ है, दर्ज किये गये। मानवशक्ति की कमी के कारण निगम की वसूली प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

सरकार ने जवाब (अक्टूबर 2016) में कहा कि निगम ने अपनी गतिविधियों के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बनाये रखा है। जवाब तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कर्मचारियों का केवल पाँच प्रतिशत, जो अधिकारी वर्ग के थे, प्रधान कार्यालय के साथ शाखा कार्यालयों में भी तैनात किए गए थे, जो बिहार और झारखण्ड के पूरे वसूली कार्य की देख-रेख के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा मानवशक्ति की कमी के कारण निगम ने दोषी ऋणियों के संबंध में नीलामवाद दायर करना उचित नहीं समझा, जिसका अनुच्छेद 2.4.6 में उल्लेख किया गया है।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि:

- ऋण वसूली के संबंध में निगम का प्रदर्शन और उसका अनुसरण अच्छा नहीं था। निगम द्वारा लाये गये ओ0टी0एस0-2014 तथा आई0एल0आर0एस0 योजना फलदायी साबित नहीं हो सके। निगम ने पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की सिफारिशों का पालन नहीं किया।
- निगम में मानवशक्ति की कमी थी जिस कारण इसकी वसूली प्रदर्शन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि निगम को ऋण की वसूली में सुधार करने के लिए सुदृढ़ तंत्र विकसित करना चाहिए।

अध्याय-III

**अनुपालन लेखापरीक्षा
के प्रेक्षण**

अध्याय—III

अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.1 विद्युत का अनधिकृत प्रयोग

टैरिफ प्रावधानों के अनुपालन में विफलता और कम्पनी में विद्यमान दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण उपभोक्ताओं का निचले श्रेणी में न्यून विपत्रीकरण हुआ। अग्रेतर, इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी०ई०आर०सी०) द्वारा समय समय पर¹ निर्गत टैरिफ आदेशों के अनुसार, घरेलु सेवाएँ (डी०एस०)—III आवासीय कॉलोनियों एवं बहु मंजिला आवासीय परिसर, जो एक बिन्दू से बड़ी मात्रा में भार लेती हैं, पर लागू होती हैं जहाँ प्रति फ्लैट/घर न्यूनतम भार 2 किलो वाट (के०डब्ल्यू०) और अधिकतम भार 60 के०डब्ल्यू० (अप्रैल 2012 से 70 के०डब्ल्यू० पुनरीक्षित) हो। 70 के०डब्ल्यू० तक का भार निम्न विभव सेवा (एल०टी०एस०) की टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत आता है वहीं 70 के०डब्ल्यू० से अधिक भार उच्च विभव सेवा (एच०टी०एस०)—I की टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अग्रेतर, विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 135 (1)(क), बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 (संहिता), 2010 में यथा संशोधित, के उपवाक्य 11.1(ब)(i) एवं 11.2.3(ब)(i) के साथ पठित, अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करती है कि विद्युत के अनधिकृत प्रयोग की स्थिति में विद्युत शुल्क की गणना सूत्रानुसार, $यू = एल० \times एफ० \times डी० \times एच०^2$, की जाएगी। अग्रेतर, संहिता का उपवाक्य 9.15 यह भी प्रावधान करती है कि मीटर पठन वाले के द्वारा मासिक आधार पर खराब मीटरों के संबंध में कम्पनी के अधिकारियों को सूचित किया जाएगा ताकि खराब मीटरों को जल्द बदला जा सके।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जून 2015 से नवम्बर 2015) कि :

- विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई०एस०डी०), डेहरी ऑन-सोन में, बिहार मिलिट्री पुलिस (बी०एम०पी०), डेहरी ऑन-सोन के परिसर में 200 किलो वोल्ट एम्पीयर (के०वी०ए०) के दो पूर्णतः समर्पित ट्रान्सफार्मर लगाये गये थे (2011 के पूर्व), जिसके विरुद्ध कमाण्डेंट, बी०एम०पी० के नाम से परिसर के लिए मात्र छः विद्युत

¹ टैरिफ आदेश 2010-11(दिसम्बर 2010 से प्रभावी), 2011-12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012-13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2013-14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2014-15 (अप्रैल 2014 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2015-16 (अप्रैल 2015 से प्रभावी)।

² $यू = एल० \times एफ० \times डी० \times एच०$, जहाँ $यू =$ ऊर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित, $एल =$ सम्बद्ध भार के०डब्ल्यू० में, जो निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी, $एफ =$ प्रभार्य सेवा की श्रेणी के अनुसार लोड फैक्टर, $डी =$ दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था, यदि दिन निर्धारित नहीं किये जा सके तो यह अवधि 12 माह अर्थात् 365 दिनों तक सीमित होगी एवं $एच =$ प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की संख्या।

सम्बन्ध (एक डी0एस0- II एवं पाँच एन0डी0एस0- II), प्रति सम्बद्ध 1 के0डब्ल्यू0 निर्गत किये गये थे। बी0एम0पी0 परिसर में कुल 115 आवासीय क्वार्टर अनधिकृत रूप से वर्ष 2011 से बिना वैध विद्युत सम्बद्ध के विद्युत आपूर्ति का उपभोग कर रहे थे। जैसा कि इन 115 आवासीय क्वार्टर का सम्बद्ध भार की गणना 256 के0वी0ए0 (अर्थात् 2 के0डब्ल्यू0x115x1.11) थी, कम्पनी के लिए यह बाध्यकारी था कि एच0टी0एस0- I टैरिफ श्रेणी के अनुसार उनका विपत्रीकरण किया जाता। कम्पनी ऐसा करने में विफल रही जिसके कारण कम्पनी को जनवरी 2011 से दिसम्बर 2015 की अवधि में ₹ 1.98 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- ई0एस0डी0, भभुआ में, मंडलीय विद्युत अभियंता, कुद्रा (उपभोक्ता सं0-बी0एच0 28919) को 50 आवासीय क्वार्टरों के संबंध के लिए जनवरी 2011 से फरवरी 2014 की अवधि तक 6 के0डब्ल्यू0 तक तथा उसके उपरान्त 51 के0डब्ल्यू0 के भार पर विपत्रीकरण किया गया। जैसा कि इन आवासीय क्वार्टरों के न्यूनतम भार की गणना, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 112 के0वी0ए0 (अर्थात् 2 के0डब्ल्यू0x50x1.11) की जानी थी इस कारण उपभोक्ता का एच0टी0एस0-I टैरिफ श्रेणी के अनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। ऐसा करने में विफलता के कारण कम्पनी को जनवरी 2011 से जून 2015 की अवधि में ₹ 54.92 लाख के राजस्व की हानि हुई।
- अग्रेतर, ई0एस0डी0, भभुआ में, मंडलीय विद्युत अभियंता, मोहनिया (उपभोक्ता सं0-बी0एच0 39164) को 67 आवासीय क्वार्टरों एवं 20 अश्व शक्ति (एच0पी0) के पम्प सेट के लिए 75 के0डब्ल्यू0 के भार पर एन0डी0एस0-II श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रीकृत किया गया। तथापि, कथित उपभोक्ता के न्यूनतम कुल भार की गणना, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 166 के0वी0ए0³ थी। इस तरह से, कथित उपभोक्ता का एच0टी0एस0-I श्रेणी के अनुसार विपत्रीकरण किया जाना चाहिए था। कम्पनी ऐसा करने में विफल रही जिसके कारण जनवरी 2011 से जून 2015 की अवधि में ₹ 20.57 लाख के राजस्व की हानि हुई।

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम्पनी में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दोषपूर्ण थी क्योंकि उपभोक्ताओं की निचले श्रेणी में न्यून विपत्रीकरण का पता, नित्य निरीक्षणों एवं जाँच में नहीं चल पाया। अग्रेतर, इसके कारण कम्पनी को ₹ 2.73 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

कम्पनी ने कहा (अगस्त 2016) कि बी0एम0पी0, डेहरी ऑन-सोन के मामले में कथित उपभोक्ता पर ₹ 1.84 करोड़ के दाण्डिक शुल्क के साथ ₹ 1.91 करोड़ भारित किया गया है और पूरे बी0एम0पी0 परिसर को 122 के0वी0ए0 और 176 के0वी0ए0 के दो एच0टी0एस0-I सम्बद्ध में बदल दिया गया है।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संहिता के नियम 10.18 के आलोक में वसूली संभव नहीं है, जो अन्य बातों के अतिरिक्त, यह बताता है कि उपभोक्ता से ऐसी कोई राशि वसूली नहीं की जा सकती, जो विगत दो वर्षों से लगातार लाइसेंस द्वारा आपूर्ति किये गये विद्युत के संबंध में बकाया शुल्क के रूप में नहीं दिखाया जा रहा हो; जो इस मामले में नहीं किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

³ वास्तविक भार = (67 क्वार्टरx2 के0डब्ल्यू0x1.11) + 20 एच0पी0 के पम्प स्टेशन के लिए 17 के0वी0ए0।

3.2 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

विद्युत अधिनियम, 2003 और बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों का पालन करने में कम्पनी की विफलता के कारण न सिर्फ दाण्डिक शुल्क का ₹ 46.76 लाख से न्यून निर्धारण किया गया बल्कि उपभोक्ता को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 126, अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करती है कि यदि किसी जगह या भवन के निरीक्षण में निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया गया है, तो उस पूरे अवधि के लिए दाण्डिक शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, जिस अवधि के लिए विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया गया है। यदि विद्युत के अनधिकृत प्रयोग की अवधि निर्धारित नहीं किया जा सके तो यह अवधि निरीक्षण तिथि के ठीक पूर्व के बारह माह तक सीमित होगी। अग्रेतर, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 (संहिता), 2010 में यथा संशोधित, के उपवाक्य 11.1(ब)(i) एवं 11.2.3(ब)(i), अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करती है कि विद्युत के अनधिकृत प्रयोग की स्थिति में विद्युत शुल्क की गणना सूत्रानुसार, $यू = एल0 \times एफ0 \times डी0 \times एच0^4$, की जाएगी। ईकाइयों के प्रयोग का निर्धारण संहिता के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा एवं सेवा की सम्बद्ध श्रेणी के लिए लागू टैरिफ दर के दुगुने दर से शुल्क भारित किया जाएगा। अग्रेतर यदि उपभोक्ता का सम्बद्ध भार संविदा भार से अधिक पाया जाता है तो स्थायी शुल्क या माँग शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, भी लागू टैरिफ दर के दुगुने दर से भारित किया जाएगा।

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), नूतन राजधानी, जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की एक इकाई है, के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (मई 2015) कि कम्पनी द्वारा एक गैर-घरेलू उपभोक्ता (एन0डी0एस0-II⁵, उपभोक्ता सं0-010201115852) के परिसर का निरीक्षण किया गया (नवम्बर 2013) जहाँ स्वीकृत भार 17 के0डब्ल्यू0 के विरुद्ध कथित उपभोक्ता का सम्बद्ध भार 107 के0डब्ल्यू0 पाया गया। कम्पनी ने, अधिनियम और संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुए, ₹ 51.60 लाख के प्रभार्य दाण्डिक शुल्क के विरुद्ध न्यूनतम मासिक उपभोग (एम0एम0सी0) के आधार पर अतिरिक्त भार के लिए दाण्डिक शुल्क की गणना सिर्फ ₹ 4.84 लाख की। इसके परिणामस्वरूप दाण्डिक शुल्क का ₹ 46.76 लाख से कम निर्धारण हुआ।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2016) कि दाण्डिक शुल्क की गणना में एल0एफ0डी0एच0 सूत्र सिर्फ उन मामलों में लागू है जहाँ मीटर के वास्तविक उपभोग इकाई से पंजीकृत उचित/वास्तविक ईकाइयों को छुपाने के उद्देश्य से, उपभोक्ता के मीटर से छेड़छाड़ पाई गई हो, तब अधिनियम की धारा 126[6ब(iii)] के तहत संज्ञान में लिया जाता है और यह खराब/जले मीटर की दशा में लागू नहीं होता है। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संहिता, 2010 में यथा संशोधित, की अनुसूची 7 का उपवाक्य अ(5), अन्य बातों के अतिरिक्त, यह बताता है कि यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आपूर्ति की गई उर्जा का प्रयोग ऐसे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है जिस पर उच्च

⁴ यू = एल0 × एफ0 × डी0 × एच0 जहाँ यू = ऊर्जा की मात्रा इकाई में निर्धारित, एल0 = सम्बद्ध भार के0डब्ल्यू0 में जो निरीक्षण/छापे के समय स्थल पर पायी गयी, एफ0 = प्रभार्य सेवा की श्रेणी के अनुसार लोड फैक्टर, डी0 = दिनों की संख्या जिसमें विद्युत का अनधिकृत प्रयोग किया जा रहा था, एवं एच0 = प्रतिदिन उपलब्ध कराये गये विद्युत आपूर्ति के औसत घंटों की संख्या।

⁵ (एन0डी0एस0)-।। टैरिफ श्रेणी शहरी एवं अन्य निर्धारित क्षेत्रों में जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 के0डब्ल्यू0/70 के0डब्ल्यू0 तक के स्वीकृत भार पर लागू है।

टैरिफ दर लागू होती है और मीटर भी संतोषजनक रूप से कार्य करता हुआ नहीं पाया जाता है, तब विद्युत के अनधिकृत प्रयोग के प्रावधान लागू होंगे और तदनुसार एल0एफ0डी0एच0 सूत्र के अनुसार शुल्क का निर्धारण किया जाएगा।

इस प्रकार, कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 और बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रही और न सिर्फ दाण्डिक शुल्क का ₹ 46.76 लाख से न्यून निर्धारण किया गया बल्कि उपभोक्ता को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्रदान किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.3 उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

स्ट्रीट लाईट सर्विस उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण ₹ 4.07 करोड़ की हानि

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेशों⁶ के अनुच्छेद 6, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधानित करता है कि स्ट्रीट लाईट सर्विस (एस0एस0), नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, समिति, पंचायत इत्यादि एवं ऐसे क्षेत्र, जो नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, में सिग्नल प्रणाली सहित स्ट्रीट लाईट सेवा प्रणाली की विद्युत आपूर्ति पर लागू हैं, बशर्ते एक आपूर्ति बिन्दू से सम्बद्ध लैम्पों की संख्या पाँच से कम न हो। इसके अलावा, कथित टैरिफ आदेश स्ट्रीट लाईट के मीटरीकृत एवं अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को क्रमशः एस0एस0-I एवं एस0एस0-II में वर्गीकृत करती है और तदनुसार विपत्रीकरण का प्रावधान करती है। एस0एस0-I उपभोक्ताओं के मामले में 250 इकाई/के0डब्ल्यू0 या उसके भाग के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क पर 700 पैसे/इकाई और एस0एस0-II उपभोक्ताओं के मामले में ₹ 440 प्रति 100 इकाई/के0डब्ल्यू0 या उसके भाग के लिए दर निर्धारित है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के कटिहार प्रमंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2015 से अगस्त 2015) से उद्घाटित हुआ कि एक अमीटरीकृत उपभोक्ता, अध्यक्ष, नगरपालिका, कटिहार, जिसका सम्बद्ध भार 1 के0डब्ल्यू0 था, का मीटरीकृत श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रीकरण किया जा रहा था। यद्यपि कम्पनी द्वारा किये गये भार के सत्यापन (दिसम्बर 2013) में कथित उपभोक्ता का अमीटरीकृत वास्तविक भार 859 के0डब्ल्यू0 पाया गया। तदनुसार, अमीटरीकृत श्रेणी के अनुसार ₹ 8.06 करोड़ का एक दाण्डिक विपत्र उपभोक्ता को निर्गत किया गया था (दिसम्बर 2013)। कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 तक मीटरीकृत उपभोक्ता और उसके बाद अमीटरीकृत उपभोक्ता के अनुसार किया गया था। इस प्रकार, कथित उपभोक्ता के एस0एस0-I श्रेणी के तहत न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण जनवरी 2014 से अप्रैल 2015 की अवधि में कम्पनी को ₹ 4.07 करोड़ की हानि हुई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 2016) कि ₹ 4.07 करोड़ की राशि का विपत्रीकरण जनवरी 2016 में कर लिया गया है। तथापि, तथ्य यही है कि ₹ 4.07 करोड़ की राशि कथित उपभोक्ता से अभी भी वसूलनीय है।

⁶ बी0ई0आर0सी0 टैरिफ आदेश 2013-14, 2014-15 और 2015-16.

इस प्रकार, कथित उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार उसका न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 4.07 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

3.4 उच्च विभव सेवा उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

उच्च विभव सेवा (एच0टी0एस0) उपभोक्ता के गलत रूप से डी0एस0-II/डी0एस0-III श्रेणी में वर्गीकरण एवं न्यून दर पर विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 53.44 लाख के राजस्व की हानि।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा समय समय पर निर्गत टैरिफ आदेश⁷, अन्य बातों के अलावा, यह निर्दिष्ट करती हैं कि निम्न विभव आपूर्ति (एल0टी0एस0) टैरिफ, घरेलू सेवाओं (डी0एस0) के उपभोक्ताओं हेतु हैं जिसमें डी0एस0-II एवं डी0एस0-III श्रेणियाँ हैं, जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 60 किलोवाट (के0डब्ल्यू0)/67 किलो वोल्ट एम्पीयर (के0वी0ए0)⁸ है (अप्रैल 2012 से पुनरीक्षित 70 के0डब्ल्यू0/78 के0वी0ए0 है)। डी0एस0-II टैरिफ श्रेणी शहरी क्षेत्र के आवासीय भवनों जिनका सम्बद्ध भार 7 के0डब्ल्यू0 तक है, पर लागू होता है। वहीं डी0एस0-III श्रेणी आवासीय कॉलोनियों एवं बहुमंजिला आवासीय परिसरों, जो एक बिन्दू से बड़ी मात्रा में भार लेती हैं, पर लागू होती है जहाँ प्रति प्लैट/घर न्यूनतम भार 2 के0डब्ल्यू0 और अधिकतम भार⁹ 60 किवा/67 के0वी0ए0 से अधिक न हो। 75 (के0वी0ए0) या उससे अधिक भार पर एच0टी0एस0-I श्रेणी का टैरिफ लागू होता है। डी0एस0-II/डी0एस0-III श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मामले में, यदि कुल अधिकतम स्वीकृत सीमा से सम्बद्ध भार बढ़ता है, तो उपभोक्ता की श्रेणी एच0टी0एस0-I श्रेणी में परिणत की जानी चाहिए, ताकि उचित उच्च श्रेणी टैरिफ में विपत्रीकरण हो सके।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की एक इकाई विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), दरभंगा (शहरी) के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (जनवरी 2016) कि:

- एक उपभोक्ता, मेसर्स वरीय प्रमंडलीय विद्युत अभियंता, रेलवे, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा (उपभोक्ता सं0 सी0आर0टी0-316), जिसके अन्तर्गत 50 आवासीय क्वार्टर थे, का विपत्रीकरण 19 के0डब्ल्यू0 के सम्बद्ध भार पर डी0एस0-III श्रेणी में अगस्त 2009 से फरवरी 2014 तक और तत्पश्चात मार्च 2014 से डी0एस0-II श्रेणी में किया गया। अग्रेतर, जून 2015 में, भौतिक सत्यापन के पश्चात, कथित उपभोक्ता का भार डी0एस0-II श्रेणी के अन्तर्गत, सभी आवासीय क्वार्टर के सम्मिलित भार के आधार पर 25 के0डब्ल्यू0 किया गया।
- जैसा कि उपर वर्णित उपभोक्ता का सम्बद्ध भार 112 के0वी0ए0 (50 क्वार्टर x 2 के0डब्ल्यू0 x 1.11), गणनित किया गया था, कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण एच0टी0एस0-I श्रेणी में किया जाना चाहिए था। यद्यपि, उपर वर्णित टैरिफ आदेशों के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण डी0एस0-II/ डी0एस0-III श्रेणी के अन्तर्गत किया गया, जिसके कारण कम्पनी

⁷ टैरिफ आदेश 2008-09 (अगस्त 2008 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2010-11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2011-12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012-13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2013-14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2014-15 (अप्रैल 2014 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2015-16 (अप्रैल 2015 से प्रभावी)।

⁸ 1 के0डब्ल्यू0= 1.11 के0वी0ए0।

⁹ अप्रैल 2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित 70के0डब्ल्यू0/78 के0वी0ए0।

को अगस्त 2009 से दिसम्बर 2015 की अवधि में ₹ 53.44 लाख के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि उपर वर्णित उपभोक्ता का मीटर जुलाई 2013 से अक्टूबर 2015 की अवधि में, विपत्रीकरण अभिलेखों के अनुसार, खराब था और कथित उपभोक्ता का विपत्रीकरण औसत ईकाइयों/न्यूनतम मासिक उपभोग (एम0एम0सी0) ईकाइयों के आधार पर किया गया था। वितरण लाइसेंसी का कार्य निष्पादन की मानके, 2006 के नियम 22 में वर्णित सात दिनों की अधिकतम समय सीमा में कम्पनी कथित उपभोक्ता का खराब मीटर बदलने में विफल रहा और इसके बदलने में 29 महीने का समय लिया गया। यह इस बात का द्योतक है कि न सिर्फ कम्पनी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गयी, बल्कि कम्पनी में दोषपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी विद्यमान थी।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये राजस्व हानि की राशि में उपभोक्ता के अप्रैल 2016 के विपत्र में भारित कर दिया गया है। अग्रेतर, उपभोक्ता से अनुरोध किया गया है कि वह डी0एस0-II से एच0टी0एस0-I श्रेणी में बदलकर अनुबन्ध करने के लिए आवेदन करें। सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के नियम 10.18, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता से ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती जो विगत दो वर्षों से लगातार विद्युत आपूर्ति के संबंध में, बकाया के रूप में नहीं दिखाया जा रहा हो, के आलोक में वसूली संभव नहीं है। तथ्य यही है कि ₹ 53.44 लाख की राशि उपभोक्ता से अभी भी वसूलनीय है (अगस्त 2016)।

इस प्रकार, एच0टी0एस0-I श्रेणी के उपभोक्ता का गलत रूप से डी0एस0-II/डी0एस0-III श्रेणी में वर्गीकरण एवं न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 53.44 लाख के राजस्व की हानि हुई।

3.5 लोक जलकार्य (पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0) उपभोक्ता के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की हानि

लोक जलकार्य (पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0) उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 95 लाख के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी0ई0आर0सी0) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश¹⁰, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान करती हैं कि गैर-घरेलू सेवाएँ श्रेणी (एन0डी0एस0) हेतु निम्न विभव सेवा (एल0टी0) टैरिफ, गैर घरेलू उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम सम्बद्ध भार 70 किलोवाट (के0डब्ल्यू0) (मार्च 2012 तक 60 किलोवाट) है, को विद्युत आपूर्ति हेतू लागू है। इसके अलावा, उपर वर्णित टैरिफ आदेशों की कंडिका 5 भी यह प्रावधानित करती है कि पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0, सीवेज उपचार प्लांट एवं सीवेज पम्पिंग स्टेशन, जिनका सम्बद्ध भार 90 एच0पी0 तक है, पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं और पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 टैरिफ दरों के अनुसार उनका विपत्रीकरण किया जाएगा।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (मई 2015) में हमने पाया कि :

¹⁰ टैरिफ आदेश 2010-11 (दिसम्बर 2010 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2011-12 (मई 2011 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2012-13 (अप्रैल 2012 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2013-14 (अप्रैल 2013 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2014-15 (अप्रैल 2014 से प्रभावी)।

- विद्युत आपूर्ति प्रमंडल (ई0एस0डी0), हाजीपुर के सात लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी0एच0ई0डी0) के उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण उपयुक्त पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 टैरिफ श्रेणी की जगह एन0डी0एस0-II/ सिंचाई एवं कृषि सेवाओं (आई0ए0एस0)-II¹¹ टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत दिसम्बर 2011 से फरवरी 2016 की अवधि में किया जा रहा था।
- इस प्रकार, उपभोक्ता के गलत श्रेणी में वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण, उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2011 से फरवरी 2016 की अवधि में ₹ 1.53 करोड़ के विपत्र की जगह ₹ 58 लाख का ही विपत्र भारित किया गया। इसके कारण कम्पनी को ₹ 95 लाख के राजस्व की हानि हुई।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये सातों उपभोक्ताओं की श्रेणी एन0डी0एस0-II/ आई0ए0एस0-II श्रेणी से बदलकर पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 श्रेणी कर दी गई है और उपभोक्ताओं के जुलाई 2016 के विपत्र में ₹ 32.34 लाख भारित कर दिया गया है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने जवाब की संवीक्षा में पाया कि इन उपभोक्ताओं के जनवरी 2016 और जुलाई 2016 के विपत्र में ₹ 98.84 लाख एक साथ भारित कर दिया गया है।

सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के नियम 10.18, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता से ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती जो विगत दो वर्षों से लगातार विद्युत आपूर्ति के संबंध में बकाया के रूप में नहीं दिखाया जा रहा हो, के आलोक में वसूली संभव नहीं है। तथ्य यही है कि ₹ 95 लाख की राशि उपर वर्णित उपभोक्ताओं से अभी भी वसूलनीय है (नवम्बर 2016)।

इस प्रकार, लोक जलकार्य (पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0) श्रेणी के उपभोक्ताओं के गलत वर्गीकरण एवं तदनुसार न्यून दर पर गलत विपत्रीकरण किये जाने के कारण कम्पनी को ₹ 95 लाख के राजस्व की हानि हुई।

3.6 आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

कम्पनी में त्रुटिपूर्ण क्रय योजना और वित्तीय अनुशासन का प्रयोग करने में विफलता की परिणति ₹ 31.10 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में रही। अग्रेतर, आपूर्तिकर्ताओं को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्राप्त हुआ।

बिहार स्टेट (पावर) होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) द्वारा निर्गत निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की सामान्य शर्तें, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह निर्दिष्ट करती हैं कि किसी निविदाकार को विस्तारित आदेश के मामले में, निविदाकार को आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 30 प्रतिशत की आपूर्ति, पूर्व के नियम एवं शर्तों पर करनी होगी, यदि कम्पनी द्वारा विस्तारित आदेश निविदाकार के स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अन्तर्गत दिया जाता है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में पाया गया कि :

- बी0एस0पी0एच0सी0एल0 ने 63 किलो वोल्ट एम्पियर (के0वी0ए0) के 1786 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 के0वी0ए0 के 770 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के

¹¹ सिंचाई एवं कृषि सेवाएँ (आई0ए0एस0)-II टैरिफ 100 एच0पी0 तक के राज्य ट्यूबवेल/राज्य लिफ्ट सिंचाई पम्प/राज्य सिंचाई पम्पों पर लागू होता है।

लिए दो एन0आई0टी0¹² (पुराने एन0आई0टी0) आमंत्रित किये (दिसम्बर 2013)। इन एन0आई0टी0 के विरुद्ध, कम्पनी ने क्रमशः ₹ 82,312.20 और ₹ 1,08,764.10 के आधार मूल्य पर 63 के0वी0ए0 के 518 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 के0वी0ए0 के 120 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं¹³ को दो क्रय आदेश¹⁴ दिये।

- कम्पनी ने पुनः 63 कि0वो0अ0 के 3593 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 कि0वो0अ0 के 1794 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के लिए दो नये एन0आई0टी0¹⁵ (नये एन0आई0टी0) आमंत्रित किये (अक्टूबर 2014)। कम्पनी के बाद के कथित नये एन0आई0टी0 के अन्तर्गत दिये गये क्रयादेश, पुराने एन0आई0टी0 के दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश के मान्य समय सीमा के अन्दर थे। नये एन0आई0टी0 के विरुद्ध, कम्पनी ने क्रमशः ₹ 98,555.05 और ₹ 1,25,218.95 के आधार मूल्य पर 63 के0वी0ए0 के 3593 वितरण ट्रान्सफॉर्मर और 100 के0वी0ए0 के 1794 वितरण ट्रान्सफॉर्मर खरीदने के लिए दो आपूर्तिकर्ताओं¹⁶ को तीन क्रयादेश¹⁷ दिसम्बर 2014 और मार्च 2015 में दिये।

इसके अलावा हमने पाया कि :

- कम्पनी दुबारा क्रय आदेश देने के संबंध में दिसम्बर 2013 में निर्गत पूर्व में वर्णित एन0आई0टी0 की सामान्य शर्तों एवं नियमों का पालन करने में विफल रही।
- कम्पनी अपने खरीद संबंधी आवश्यकता का प्रभावपूर्ण योजना बनाने में विफल रही जैसा कि वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के क्रय की मात्रा में एक वर्ष में महत्वपूर्ण वृद्धि से पता चलता है।
- कम्पनी वित्तीय अनुशासन का प्रयोग करते हुए पुराने एन0आई0टी0 के लिए दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश संबंधी उपवाक्य का प्रयोग उपर वर्णित सामग्री की 30 प्रतिशत मात्रा के लिए प्रयोग करने में विफल रही और इसके बदले नये एन0आई0टी0 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 98,555.05 और ₹ 1,25,218.95 के प्रति ट्रान्सफॉर्मर उच्च आधार मूल्य पर उपर वर्णित वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के क्रय हेतु तीन क्रयादेश (दो आपूर्तिकर्ताओं को दिसम्बर 2014 और एक आपूर्तिकर्ता को मार्च 2015 में) निर्गत किये।
- कम्पनी द्वारा वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की मात्रा के 30 प्रतिशत का क्रय दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश देकर करने में विफलता के कारण ₹ 31.10 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

सरकार ने जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि पुराने एन0आई0टी0 के अन्तर्गत 63 के0वी0ए0 और 100 के0वी0ए0 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के दोनों आपूर्तिकर्ताओं का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि वे निर्धारित समय अवधि में वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति करने में विफल रहे। अग्रेतर, कम्पनी के अधिकारों के प्रत्यायोजन (डी0ओ0पी0) नियमों के अनुसार दुबारा क्रय आदेश का विस्तार सिर्फ उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं के लिए की जा सकती है जिनका कार्य निष्पादन संतोषजनक हो। इस कारण पुराने एन0आई0टी0 के आपूर्तिकर्ताओं को दुबारा क्रय आदेश नहीं दिये गये।

¹² एन0आई0टी0 सं0-473/पी0आर0/ बी0एस0पी0एच0सी0एल0/2013 और 474/पी0आर0/ बी0एस0पी0एच0सी0एल0/2013.

¹³ मेसर्स एल0डी0 पावर ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मॉडर्न ट्रान्सफॉर्मर प्राइवेट लिमिटेड।

¹⁴ क्रय आदेश सं0 30 दिनांक 12/02/2014 और क्रय आदेश सं0 39 दिनांक 19/02/2014।

¹⁵ एन0आई0टी0 सं0-206/एन0बी0पी0डी0सी0एल0/2014 और 207/एन0बी0पी0डी0सी0एल0/2014।

¹⁶ मेसर्स राजस्थान ट्रान्सफॉर्मर एवं स्वीचगिअर और मेसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लिमिटेड।

¹⁷ क्रय आदेश सं0 124 दिनांक 01/12/2014, क्रय आदेश सं0122 दिनांक 01/12/2014 और क्रय आदेश सं0 31 दिनांक 25/03/2015.

सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि यह कम्पनी की नीति के लिए नयी नहीं थी, लेखापरीक्षा एक पुराने मामले में इस बात का साक्षी है कि कम्पनी द्वारा 63 के0वी0ए0 के वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के लिए एक ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को दुबारा क्रय आदेश दिया गया जिसका 100 के0वी0ए0 वितरण ट्रान्सफॉर्मरों के मामले में आपूर्ति निष्पादन असंतोषजनक माना गया था। इस प्रकार, सरकार की दुबारा क्रय आदेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करने की मंशा, आपूर्तिकर्ताओं का कार्य निष्पादन असंतोषजनक होने के कारण नहीं करना उचित प्रतीत नहीं होता है, जिस कारण कम्पनी दुबारा क्रय आदेश संबंधी उपवाक्य का प्रयोग करते हुए सस्ते दर पर क्रय का लाभ पाने में विफल रही है।

इस प्रकार, कम्पनी में त्रुटिपूर्ण क्रय योजना और वित्तीय अनुशासन का प्रयोग करने में विफलता की परिणति ₹ 31.10 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय में रही। अग्रेतर, आपूर्तिकर्ताओं को उस सीमा तक अनुचित लाभ भी प्राप्त हुआ।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

3.7 आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ

कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए एकल फेज मीटरों की खरीद के लिए निविदा आमंत्रण सूचना के उपवाक्य 14 का प्रयोग नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 56.62 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) की सामान्य शर्तों का उपवाक्य 39, दुबारा क्रय आदेश/ विस्तारित आदेश के मामले में, यह निर्दिष्ट करती थी कि यदि किसी निविदाकार को एक आदेश दिया जाता है और यदि कम्पनी द्वारा विस्तारित आदेश निविदाकार के स्वीकृति/आदेश की तिथि से बारह महीनों के अन्तर्गत दिया जाता है तो निविदाकार को आदेशित मात्रा के अतिरिक्त 30 फीसदी की आपूर्ति उन्हीं नियम एवं शर्तों पर करनी होगी।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0) एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) ने एन0आई0टी0 445/पी0आर0/बी0एस0पी0एच0सी0एल0/2013 के विरुद्ध चार निजी आपूर्तिकर्ताओं को अक्टूबर 2014 में 1,37,550 एकल फेज मीटरों (एन0बी0पी0डी0सी0एल0-75000 मीटर, एस0बी0पी0डी0सी0एल0-62550 मीटर) के लिए एक आधार लागत ₹ 913.68 प्रति मीटर की दर से सात दुबारा क्रयादेश दिये। कथित दुबारा क्रयादेश का उपवाक्य 3 प्रावधान करता था कि मीटरों की पूरी मात्रा की आपूर्ति एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में एक माह के अर्थात् 15 नवम्बर 2014 तक और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले में दो माह के अर्थात् 30 नवम्बर 2014 तक कर दिया जाएगा। कथित दुबारा क्रयादेश का उपवाक्य 4 यह भी बताता था कि विलम्ब की दशा में दण्ड लगाया जाएगा जो आपूर्ति नहीं किए गये कार्य के 0.5 प्रतिशत की दर से प्रति सप्ताह या उसके भाग के लिए होगा और जो अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा। अग्रेतर, एन0आई0टी0 का उपवाक्य 14 क्रेता को यह अधिकार देता था कि विलम्बित आपूर्ति की दशा में या निम्न गुणवत्ता वाले सामग्री की आपूर्ति की दशा में, आदेश/ संविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप में निरस्त किया जा सकता था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2016) में यह पाया गया कि :

- एन0बी0पी0डी0सी0एल0 को 75000 मीटरों की आपूर्ति के निर्धारित समय 15 नवम्बर 2014 के विरुद्ध, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 15 नवम्बर 2014 तक कोई मीटर आपूर्ति नहीं की गई। वहीं एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को 62550 मीटरों की आपूर्ति के निर्धारित समय 30 नवम्बर 2014 के विरुद्ध, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 30 नवम्बर 2014 तक कोई मीटर आपूर्ति नहीं की गई। दोनों कम्पनियों ने आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से मीटरों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण कुल ₹ 25.10 लाख की कटौती की।
- नवम्बर 2014 में एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ने दोनों कम्पनियों के लिए 13,60,000 एकल फेज मीटरों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जिसके लिए मूल्य की बोली 11 दिसम्बर 2014 को खोली गई। न्यूनतम निविदाकार द्वारा प्रति मीटर मूल्य ₹ 849 उद्धृत किया गया था, जो 137550 मीटरों के प्रक्रियाधीन खरीद दर ₹ 913.68 से ₹ 64.68 कम था। निविदा के मूल्य भाग खोले जाने की तिथि 11 दिसम्बर 2014 तक, पूर्व के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 137550 मीटरों के दुबारा क्रयादेश के विरुद्ध मात्र 11200 मीटरों की आपूर्ति की गई थी।

एन0बी0पी0डी0सी0एल0 और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 को यह ज्ञात था कि नवम्बर 2014 की निविदा में उद्धृत मूल्य अक्टूबर 2014 के क्रयादेशों से कम थे एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मीटरों के लिए दुबारा क्रयादेशों के सामायिक निष्पादन में त्रुटि की गई थी, इस कारण यह कम्पनियों के लिए समयाचीन था कि वे अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए एन0आई0टी0 के उपवाक्य 14 का प्रयोग करते हुए दुबारा क्रयादेशों को निरस्त कर देते। अग्रेतर, कम्पनियाँ शेष अनापूर्तित मात्रा के लिए न्यून दर ₹ 849 प्रति एकल फेज मीटर पर क्रय का प्रयास कर सकती थीं। तथापि, दोनों कम्पनियाँ ऐसा करने में विफल रहीं और 137549 मीटरों की ऊंचे दरों पर आपूर्ति स्वीकार करते रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.62 लाख¹⁸ का अतिरिक्त व्यय किया गया जो परिहार्य था।

सरकार ने, तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए, जवाब दिया (सितम्बर 2016) कि दुबारा क्रयादेशों को निरस्त करने की प्रक्रिया नहीं अपनायी गई क्योंकि मीटरों की बहुत अधिक माँग के साथ ही साथ सम्भावित राजस्व की हानि भी हो रही थी। अग्रेतर, सितम्बर/अक्टूबर 2014 में सामग्री में पड़े मीटरों के साथ ही साथ दुबारा क्रयादेश के माध्यम से खरीदे गये मीटरों को फरवरी 2015 में उपयोग में लाया गया था, जिस समय तक नये निविदा के माध्यम से मीटरों की आपूर्ति मुश्किल से शुरू हो पायी थी। सरकार के जवाब का सत्यापन नहीं किया जा सका था क्योंकि कम्पनी दुबारा क्रयादेश द्वारा खरीदे गये मीटरों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ही अर्जित राजस्व का विवरण उपलब्ध कराने में विफल रही है। तथ्य यथावत है कि क्रय योजना त्रुटिपूर्ण थी एवं सामग्री पुनर्आदेश मात्रा का निर्धारण करने की कोई प्रणाली नहीं थी। अग्रेतर, कम्पनियाँ वित्तीय औचित्य का पालन करते हुए दुबारा क्रयादेशों को निरस्त करने और नई निविदा के न्यून दरों का लाभ उठाने के लिए नये सिरे से क्रयादेश देने में विफल रही थी। कम्पनियाँ द्वारा ऐसा किये जाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 56.62 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया, जो परिहार्य था।

¹⁸ परिहार्य अतिरिक्त व्यय = ₹ 64.68 × 1,26,349 मीटर (अर्थात् आपूर्ति किये जाने वाले कुल मीटर (1,37,549) – 11 दिसम्बर 2014 तक आपूर्ति किये गये मीटर (11200)) – दण्ड अधिरोपित (₹ 25.10 लाख) = ₹ 56.62 लाख

बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड

3.8 सलाहकार को अनियमित भुगतान एवं अनुचित लाभ

कम्पनी द्वारा वित्तीय हितों की रक्षा में विफलता के कारण न सिर्फ सलाहकार को ₹ 27.15 लाख का अनियमित भुगतान हुआ बल्कि उस सीमा तक अनुचित लाभ भी दिया गया।

केनरा बैंक, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी), जो तत्कालिन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से अलग होकर बनी पाँच कम्पनियों में से एक है, का प्रधान बैंक है। बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक पर्सद ने 25 फरवरी 2013 को आयोजित अपनी छठी बोर्ड बैठक में मेसर्स नेक्सजेन फाइनांशियल सोल्युसन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को बरौनी थर्मल पावर स्टेशन-2x500 मेगा वाट (एम0डब्ल्यू) विस्तारित परियोजना (बी0टी0पी0एस0-ई0पी0) के लिए पावर फाइनांस कॉरपोरेशन (पी0एफ0सी0), शहरी आवास विकास निगम लिमिटेड (हुडको) एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (सी0बी0आई0) से सस्ती दर¹⁹ पर ₹ 1248 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण का प्रबंध करने के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार, सलाहकार को मार्च 2013 में एक कार्यादेश निर्गत किया गया। कथित कार्यादेश के उपवाक्य में, अन्य बातों के अलावा, प्रावधानित था कि सलाहकार निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 25 लाख जमा कराएगा, जो असंतोषजनक कार्य निष्पादन की स्थिति में जब्त/नकदीकृत कराया जाएगा। अग्रेतर, कार्यादेश निर्गत करने की तिथि के चार माह के अन्दर साख सुविधा प्राप्त करनी थी जिसके लिए प्राप्त साख के 0.14 प्रतिशत की दर से सलाहकार को उसके सेवाओं के बदले कमीशन के रूप में देय था।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) से पता चला कि केनरा बैंक द्वारा जून 2014 में 11.25 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ₹ 300 करोड़ का एक सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था जिसके लिए सलाहकार को ₹ 27.15 लाख का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पता चला कि:

- सलाहकार चार माह की अधिसूचित समय सीमा में, जुलाई 2013 तक, किसी भी वित्तीय संस्थान से अनिवार्य साख सुविधा प्रदान करवाने में विफल रहा। कथित सलाहकार के असंतोषजनक कार्य निष्पादन के बावजूद कार्यादेश के उपवाक्य 4 के अनुसार उसके विरुद्ध ₹ 25 लाख के निष्पादन गारंटी को जब्त करने/नकदीकरण की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- जैसा कि केनरा बैंक कम्पनी का प्रधान बैंक है, अतः यह कम्पनी का दायित्व था कि वह स्वयं केनरा बैंक से इस सावधि ऋण की व्यवस्था करता, जैसा कि कम्पनी द्वारा पहले कई बार किया जा चुका है। अतः, इस सावधि ऋण की व्यवस्था करने में सलाहकार की कोई विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं थी। अग्रेतर, अभिलेखों में इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं पाया गया जो यह दर्शाता है कि कम्पनी की तरफ से सलाहकार द्वारा इस सावधि ऋण को सुनिश्चित करवाने के लिए किसी प्रकार की योगदान किया गया/प्रयास किये गये या सहयोग प्रदान किया गया। इस प्रकार, कम्पनी द्वारा किये गये इस ₹ 27.15 लाख के भुगतान की उपादेयता लेखापरीक्षा द्वारा सुनिश्चित/प्रमाणित नहीं की जा सकी।

¹⁹ ऋण पर प्रभार्य ब्याज की दर: पी0एफ0सी0 - 12.25 प्रतिशत हुडको - 12.50 प्रतिशत एवं सी0बी0आई0- 12.25 प्रतिशत

अग्रेतर, हमने पाया कि कम्पनी ने हुडको एवं सी0बी0आई0 से क्रमशः ₹ 850 करोड़ और ₹ 200 करोड़ के ऋण की व्यवस्था अगस्त 2013 एवं जून 2013 में सलाहकार के बिना किसी सहयोग के की थी।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2016) कि सलाहकार के प्रयासों से विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों से छूट मिली और केनरा बैंक ने 10.7 प्रतिशत के सबसे सस्ते ब्याज दर पर कम्पनी को ₹ 300 करोड़ की ऋण स्वीकृत, दस्तावेजीकृत एवं वितरित किया। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि केनरा बैंक द्वारा यह ऋण 11.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया है जो न्यूनतम अनिवार्य ब्याज दर 11.25 प्रतिशत से कम नहीं है। अग्रेतर, कम्पनी अपने जवाब के समर्थन में किसी भी प्रकार का दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने में विफल रहा है जिससे कि सलाहकार द्वारा, इस सावधि ऋण की व्यवस्था करवाने में, यदि कोई प्रयास किया गया है, तो उसकी पुष्टि हो सके।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

3.9 ब्याज का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा अपने कर दायित्वों की उचित गणना के लिए एक योग्य प्रणाली के विकास में विफलता के कारण ₹ 35.87 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208, अन्य बातों के अतिरिक्त, यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक करदाता जिसका कर दायित्व ₹ 10000 या अधिक होगा वह अधिनियम में बताये गये तरीके एवं दर पर अग्रिम कर का भुगतान करेगा। अग्रिम कर के 90 प्रतिशत जमा करने में विफलता एवं निर्धारित स्लैब से कम कर जमा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 234 ब एवं 234 स के अनुसार अलग अलग एक प्रतिशत की दर से प्रत्येक माह और उसके भाग के लिए ब्याज भुगतान का उत्तरदायी होगा। अतः, कम्पनी को कर योग्य आय उचित आकलन करने की आवश्यकता होती है ताकि अधिनियम की आवश्यकतानुसार अग्रिम कर की गणना कर उसे समय से जमा कर ब्याज भुगतान से बचा जा सके।

हमने पाया (दिसम्बर 2015) कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आयकर प्राधिकारियों को अग्रिम कर भुगतान करने में विफल रही। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी के आय पर स्रोत आयकर कटौती ₹ 13.12 करोड़ थी जो समय से आयकर प्राधिकारियों को जमा कर दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी का कुल कर दायित्व ₹ 16.36 करोड़ था। कम्पनी को, अधिनियम की धारा 234 ब एवं 234 स के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए, ₹ 35.87 लाख के दायित्व ब्याज का भुगतान करना पड़ा था।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2016) कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) पुस्तकीय लाभ पर देय है, जिसकी गणना, कम्पनी के लाभ एवं हानि के अंतिमीकरण से पूर्व, अत्यंत कठिन एवं आकलन के परे था। यद्यपि, कम्पनी ने भविष्य में इस प्रकार के कर दायित्व से बचने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि पुस्तकीय लाभ का काफी हद तक सही आकलन, एक बार जब कम्पनी को व्यावसायिक आदेश मिलने लगते हैं तो उसके आधार पर आय के प्रवाह से, कर सकती है। अग्रेतर, अधिनियम भी एक करदाता की स्वनिर्धारित आय में 10 प्रतिशत तक के

विचलन की ही अनुमति देता है। अतः, कम्पनी, अपने आय की गणना के लिए एक उचित प्रणाली के विकास में विफल रही थी जैसा उनके जवाब से प्रमाणित होता है।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा अपने कर दायित्वों की उचित गणना के लिए एक योग्य प्रणाली के विकास में विफलता के कारण ₹ 35.87 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.10 वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता

कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही और आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 1.65 करोड़ का भुगतान किया।

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) मद्य (देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब) की आपूर्ति विभिन्न जिला मुख्यालयों में अवस्थित अपने डीपो से करती है। डीपो दो प्रकार के हैं, कम्पोजिट डीपो एवं गैर कम्पोजिट डीपो। कम्पोजिट डीपो, कम्पनी के अधीन डीपो हैं जहाँ से आपूर्ति की जाती है। गैर कम्पोजिट डीपो आपूर्तिकर्ताओं के ही स्वामित्ववाले डीपो हैं जहाँ से सीधे मद्य की आपूर्ति की जाती है। कम्पोजिट डीपो पर आपूर्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ताओं को अपने डीपो से कम्पोजिट डीपो पर मद्य को लाने में परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय करने पड़ते हैं जबकि गैर कम्पोजिट डीपो के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को कोई ऐसा परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय का खर्च वहन नहीं करना पड़ता है। मद्य की बिक्री के सभी मूल्य निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार (विभाग) द्वारा निर्धारित एवं पुनरीक्षित किये जाते हैं।

दो प्रकार के डीपो में परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय की राशि की भिन्नता को समाप्त करने के लिए, विभाग ने अपने जुलाई 2009 के आदेश के द्वारा गैर कम्पोजिट डीपो द्वारा बेची जाने वाली देशी शराब के मूल्य को जुलाई 2009 से मार्च 2012 की अवधि के लिए 400 मिली लीटर (मि०ली०) एवं 200 मि०ली० के सैशे के मूल्य क्रमशः ₹ 0.17 एवं ₹ 0.09 से घटा दिया था। गैर कम्पोजिट डीपो के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को उस अवधि में तदनुसार भुगतान किया जाता था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा अप्रैल 2013 के प्रभाव से देशी शराब के मूल्य को पुनरीक्षित करते समय (मार्च 2013), गैर कम्पोजिट डीपो के मामले में आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय के संबंध में कटौती का प्रावधान नहीं किया था। जैसा कि ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को, जो गैर कम्पोजिट डीपो से आपूर्ति करते थे, उन्हें अपने डीपो से कम्पनी तक मद्य को लाने में कोई परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय नहीं करना पड़ता है, कथित विभागीय आदेश में ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के विपत्र से परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय के मद में कटौती का प्रावधान नहीं करने से कम्पनी के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं इसके लिए अतिरिक्त परिवहन लागत को कम्पनी द्वारा अलग नहीं किया जा सका तथा कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि यह कम्पनी की जिम्मेवारी थी कि वह मामले को विभाग के साथ उठाकर अपने वित्तीय हितों की रक्षा करता। कम्पनी की इसमें विफलता के कारण ₹ 1.65 करोड़²⁰ का परिवहन एवं अन्य उपरिव्यय के मद में भुगतान ऐसे तीन²¹ आपूर्तिकर्ताओं को, जिनके पास गैर कम्पोजिट डीपो थे, करना पड़ा जो कम्पनी द्वारा जुलाई 2009 के आदेश को लागू करने पर नहीं किया जाना था।

कम्पनी ने बताया (मई 2016) कि देशी शराब के मूल्य निर्धारण का कार्य विभाग के स्तर पर किया जाना है और कम्पनी द्वारा डीपो स्तर पर निर्धारित दर पर थोक व्यवसाय किया जाता है। परिवहन के मद में भुगतान के संबंध में बाद के विभागीय आदेशों में कोई उल्लेख नहीं था अतः परिवहन के मद में आपूर्तिकर्ताओं को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अपने वित्तीय हितों को देखते हुए विभाग से परिवहन व्यय को हटाने के लिए कम्पनी को पहल करनी चाहिए थी जैसा कि कथित आदेश के पूर्व जुलाई 2009 के आदेश में था। ऐसा नहीं करने से कम्पनी के आपूर्तिकर्ता को ₹ 1.65 करोड़ की देयता स्वीकार करनी पड़ी और यह अपनी वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.11 वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता

कम्पनी द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कम्पनी की ₹ 4.19 करोड़ की कार्यकारी पूँजी अवरुद्ध रही।

वित्तीय औचित्य के मानक, अन्य बातों के अतिरिक्त, निर्देशित करते हैं कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक धन से व्यय करते समय उसी सूझबूझ से काम करना चाहिए, जो वह अपने धन से व्यय करने वक्त सामान्यतः करता है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) बिहार सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार बिहार में पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन एवं छपाई का कार्य करती है। कम्पनी ने अपने कर निर्धारण वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) क्रमशः 30 सितम्बर 2009 एवं 14 अक्टूबर 2010 को दाखिल की।

लेखापरीक्षा ने कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया (सितम्बर 2014 एवं अक्टूबर 2015) कि :

- कम्पनी द्वारा आयकर अपीलीय ट्राईब्यूनल (आई0टी0ए0टी0) के आदेश (अक्टूबर 2009) के विरुद्ध दायर अपील के जवाब में, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश में कम्पनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 स) (iii अब) के तहत एक शैक्षणिक संस्थान माना गया, जो आयकर भुगतान से विमुक्ति के योग्य था।

²⁰ रुढ़िवादी आधार पर सरकार के 2009 के आदेश में विनिर्दिष्ट आधार पर मूल्य घटाकर अतिरिक्त भुगतान की गणना की गई है।

²¹ जहानाबाद, नवादा और सिवान।

- यद्यपि, आयकर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, कम्पनी की आय गलत रूप से ₹ 7.26 करोड़ निर्धारित कर दी गयी और कई समयोजनों के पश्चात, कम्पनी का कर दायित्व ₹ 2.47 करोड़ गणनित किया गया जिसके विरुद्ध कम्पनी ने अग्रिम कर एवं स्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस) के रूप में ₹ 4.19 करोड़ जमा कर दिये थे। आयकर विवरणी कम्पनी द्वारा दाखिल की गई थी (अक्टूबर 2010), तथा वह ₹ 1.72²² करोड़ के वापसी की अधिकारी थी। यह वापसी कम्पनी के लिए अभी भी प्राप्य बनी हुई थी (जुलाई 2016)।

हमने आगे पाया कि कम्पनी अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत गलत डिमांड नोटिस निर्गत होने (जनवरी 2013) के बाद निर्धारित 30 दिनों के अंदर अतिरिक्त ₹ 2.47 करोड़, जो आयकर विभाग के पास अवरुद्ध है, के विरुद्ध अपील करने में असफल रहा। यद्यपि, कम्पनी ने, लेखापरीक्षा में उद्घाटित होने पर 34 माह के विलम्ब से 19 नवम्बर 2015 को एक अपील दायर किया।

कम्पनी ने बताया (अगस्त 2016) कि जैसा कि आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्पनी की आय शून्य की जगह गलती से ₹ 7.26 करोड़ निर्धारित की गई थी, आयकर प्राधिकारी ऐसे किसी भी आदेश को अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार सकते हैं, बशर्ते सुधार हेतु आवेदन चार वर्षों की अवधि के भीतर दिया जाये। तदनुसार, कम्पनी ने कर निर्धारण अधिकारी के पास 14 नवम्बर 2015 को आवेदन दिया, जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर था।

कम्पनी का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 156 के अन्तर्गत कम्पनी को 30 दिनों के अन्दर अपना दावा प्रस्तुत करना चाहिए था, जिससे वापसी जल्दी मिल पाती। तथापि, कम्पनी द्वारा अपील भी लेखापरीक्षा द्वारा मामले को सामने लाने के पश्चात ही किया गया।

अतः, कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.19 करोड़ की कार्यकारी पूँजी फरवरी 2013 से अबतक अवरुद्ध रही।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.12 संवेदक को अनुचित लाभ

कम्पनी अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप संवेदक के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ के क्षतिपूर्ति दण्ड की कटौती करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) ने मेसर्स सद्भाव जीकेसी संयुक्त उपक्रम (संवेदक) के साथ मोहम्मदपुर-राजापट्टी-मशरख-खैरा-छपरा मार्ग (राज्य उच्च मार्ग 90) (कार्य) के निर्माण के लिए ₹ 201.82 करोड़ के मूल्य पर अनुबन्ध किया (सितम्बर 2011)। कार्य तीन भागों में बंटा हुआ था, खंड 1, 2 एवं 3, जिनकी निर्धारित समाप्ति की तिथि, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि (अक्टूबर 2011) से क्रमशः 800

²² वापसी की राशि = कुल अग्रिम कर एवं टी0डी0एस0 (₹ 4.19 करोड़) - गलत कर दायित्व ₹ 2.47 करोड़ = ₹ 1.72 करोड़

दिन, 850 दिन और 912 दिन थे। वास्तव में, सम्पूर्ण कार्य समाप्ति की तिथि अप्रैल 2014 थी, जबकि खंड 1, खंड 2 एवं खंड 3 के कार्य समाप्ति की तिथि क्रमशः 19 दिसम्बर 2013, 7 फरवरी 2014 एवं 10 अप्रैल 2014 थी। अग्रेतर, अनुबन्ध का उपवाक्य 8.7, अन्य बातों के अतिरिक्त, प्रावधान करता है कि विलम्ब होने की दशा में क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में अंतिम संविदा मूल्य के बीसवें भाग की कटौती प्रति दिन की दर से की जाएगी, जो अधिकतम उसके 10 प्रतिशत तक हो सकती है।

कम्पनी के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2015) से पता चला कि कम्पनी खण्ड 1 के कार्य के तीव्र क्रियान्वयन में विफल रहा क्योंकि खण्ड 1 के निर्धारित समाप्ति की तिथि (दिसम्बर 2013) तक सिर्फ 48.24 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो पाया था।

कार्य के धीमे क्रियान्वयन का मुख्य कारण संवेदक के द्वारा अपने संसाधनों यथा सामग्री, उपकरणों, मानवबल, इत्यादि को कार्यस्थल पर लाने और कार्य में लगाने में विफलता है। संवेदक द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन किया गया (नवम्बर 2013) जो कम्पनी द्वारा 20 मार्च 2014 को इस निर्देश के साथ स्वीकृत किया गया कि सम्पूर्ण कार्य 30 अप्रैल 2014 तक समाप्त कर दिया जाएगा। यद्यपि, कम्पनी कार्य करवाने में असफल रही और संवेदक द्वारा एकतरफा रूप से 09 अप्रैल 2014 से कार्य छोड़ दिया गया और उसके पश्चात कम्पनी द्वारा संविदा को 23 अप्रैल 2014 को निरस्त कर दिया गया।

हमने आगे पाया कि :

- कम्पनी की परियोजना क्रियान्वयन इकाई, हाजीपुर अनुबन्ध के उपवाक्य 8.7 के प्रावधान के अनुसार कार्य के धीमे निष्पादन के लिए संवेदक के विपत्र से (जनवरी 2014) ₹ 1.66 करोड़ के क्षतिपूर्ति दण्ड को काटने में विफल रहा।
- कम्पनी द्वारा संवेदक को 20 मार्च 2014 को अप्रैल 2014 तक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय विस्तार, यह तथ्य देखते हुए कि एक माह 10 दिनों में खण्ड 1 के 51.76 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाना था अयथार्थपूर्ण एवं अनावश्यक था। कम्पनी द्वारा कथित समय विस्तार यह जानते हुए दिया गया कि संवेदक खण्ड 1 का कार्य दो वर्षों की अवधि में पूरा करने में विफल रहा और कम्पनी को संवेदक द्वारा जनवरी 2014 से मार्च 2014 के मध्य धीमे कार्य निष्पादन की भी जानकारी थी।

इस प्रकार, कम्पनी न सिर्फ वित्तीय हितों की रक्षा में बल्कि संविदा के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। इसके कारण संवेदक को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

कम्पनी ने बताया (सितम्बर 2016) कि संवेदक का समय विस्तार का प्रस्ताव विचाराधीन था, अतः जनवरी 2014 के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ की क्षतिपूर्ति दण्ड नहीं काटा गया और अंततः मार्च 2014 में संवेदक को समय विस्तार प्रदान कर दिया गया था। अग्रेतर, कम्पनी ने यह भी कहा कि संवेदक को खण्ड-1 के लिए समय विस्तार मुख्यतः इसलिए दिया गया क्योंकि कम्पनी द्वारा पर्यावरण एवं वन के संबंध में छूट प्राप्त करने में विलम्ब हुआ था।

जवाब तथ्यों पर आधारित नहीं था और अनुबन्ध के उपवाक्य 15.1 के तहत संवेदक को निर्गत नोटिस (अप्रैल 2014) के विरुद्ध था जो विशेष रूप से बताता है कि कार्य के खण्ड-1 के संबंध में पर्यावरण संबंधी विमुक्ति संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ पूरा करने के पूर्व दे दी गई थी और 40 वें किमी से 58 वें किमी तक के लिए वन विमुक्ति संवेदक को जुलाई 2013 में ही प्रदान कर दी गई थी एवं कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में

अन्य सभी बाधाएँ दूर कर दी गई थीं। अतः कम्पनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए क्षतिपूर्ति दण्ड की कटौती कर लेनी चाहिए थी।

अतः, कम्पनी संवेदक के विपत्र से अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप क्षतिपूर्ति दण्ड की कटौती करने में विफल रहा। साथ ही साथ, संवेदक को अयथार्थवादी एवं अनापेक्षित समय विस्तार देकर ₹ 1.66 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2016), जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

पटना
दिनांक: 02 मार्च 2017



(धर्मन्द्र कुमार)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 03 मार्च 2017



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1

(कंडिका 1.1 एवं 1.15 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमीकृत विवरणियों/लेखाओं के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(कॉलम 5 से 12 की राशि : ₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [@]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गी												
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-00	2013-14	3.71	27.93	(-)58.45	1.89	(-)4.99	-	0.82	-2.25	-	59
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	1.75	2.63	(-)1.92	-	(-)0.22	-	1.74	-0.05	-	21
3.	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2015-16	0.05	0.00	(-)1.78	-	0.03	-	1.14	0.03	2.63	NA
	प्रक्षेत्रवार योग			5.51	30.56	(69.15)	1.89	0.03	-	3.7	-2.27	2.63	80
	वित्त												
4.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17	15.12	48.44	(-)167.78	2.38	(-)3.81	**	28.92	1.12	3.87	36
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	2006-07	3.62	15.75	0.53	0.64	(-)0.29	-	3.86	0.39	10.10	18
6.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2010-11	2015-16	28.29	33.51	(-)8.49	3.24	(-)0.01	-	43.69	0.86	1.97	29
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2012-13	2016-17	1.00	0.50	(-)0.76	0.00	(-)0.07	**	0.42	-0.07	0.00	7
	प्रक्षेत्रवार योग			48.03	98.20	(-)176.50	6.26	(-)4.18	-	76.89	2.30	2.99	90
	आधारभूत												
8.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2009-10	2016-17	0.10	0.43	(-)4.07	9.27	10.43	-	(-)3.54	10.43	0.00	344
9.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	3.50	0.00	236.99	127.86	110.17	**	388.69	110.17	28.34	241
10.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	5.00	0.00	33.33	58.18	41.21	-	38.33	41.21	107.51	91

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	20.00	43.00	225.63	749.07	58.57	(-)690.97	370.63	58.57	15.80	107
12.	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	5.00	-	22.00	194.98	13.46	(-)6.09	27.00	13.46	49.85	71
13.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	20.00	-	181.60	98.95	70.51	**	201.60	70.51	34.98	230
प्रक्षेत्रवार योग				53.60	43.43	629.21	1222.7	306.47	(704.30)	955.91	306.47	256.83	1084
विनिर्माण													
14.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	5.66	6.00	41.11	39.23	11.43	(-)0.24	79.25	12.36	15.60	68
15.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.97	-	7.04	31.55	9.29	-	20.68	9.29	44.92	1
16.	बिहार राज्य बिचरेजेज निगम लिमिटेड	2013-14	2015-16	5.00	-	39.57	3155.31	132.87	3.58	50.17	132.87	264.84	208
प्रक्षेत्रवार योग				20.63	6.00	87.72	3226.09	153.59	3.34	150.10	154.52	102.94	277
ऊर्जा													
17.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2000-01	2013-14	99.04	466.43	(-)28.18	9.12	(-)1.42	(-)11.01	279.75	4.49	1.61	160
18.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	1475.00	70.49	-	-	-	-	9547.64	-	-	308
19.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	344.00	3168.89	-	-	-	(-)96.05	3663.37	-	-	448
20.	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	3031.01	332.85	54.04	268.56	78.07	(-)20.55	5041.34	96.59	1.92	1647
21.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	3026.17	1569.79	(-)1011.13	3446.46	(-)296.79	(-)26.14	7353.43	-134.45	0.00	4036
22.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2015-16	494.00	1828.73	(-)2171.62	4349.09	(-)747.55	(-)110.20	1728.76	-694.11	-	5584
23.	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2015-16	2016-17	80.61	302.03	-	-	-	-	382.64	-	-	38

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
24.	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	लेखा अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	लेखा अन्तिमीकरण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
प्रक्षेत्रवार योग				-	-	8549.83	7739.21	(-3156.89)	8073.23	(-967.69)	(-263.95)	27996.93	(-727.48)	(-2.54)	12221
सेवाएँ															
26.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13 to 2014-15	2016-17	5.00	0.00	18.43	11.63	5.35	-	26.72	5.35	20.02	268		
27.	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1990-91	2012-13	4.46	5739.16	(-46.04)	140.14	(-11.18)	(-3.37)	39.12	-3.02	-	835		
28.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2013-14	6.74	0.00	2.31	0.36	2.49	0.00	9.05	2.49	27.51	26		
प्रक्षेत्रवार योग				16.20	5739.16	(-25.30)	152.13	(-3.34)	(-3.37)	74.89	4.82	6.44	1129		
विविध															
29.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	2.29	0.00	0.32	22.81	0.28	(-0.40)	1.17	0.28	23.93	108		
30.	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	0.34	-	-	-	(-0.31)	-	0.34	-	-	24		
31.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2000-01 to 2004-05	2016-17	0.48	0.00	17.75	31.47	(-3.59)	-	18.23	(-3.59)	0.00	63		
प्रक्षेत्रवार योग				-	-	3.11	0.00	18.07	54.28	(-3.62)	(-0.40)	19.74	4.43	22.80	195
योग (क) (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियों)				-	-	8696.91	13656.56	(-2619.57)	12752.19	(-526.07)	(-961.44)	29344.96	(-259.33)	(-0.86)	15076.00
(ख) कार्यशील सांविधिक निगमों															
वित्त															
1.	बिहार राज्य वित्त निगम	2015-16	2016-17	77.84	228.47	(-436.02)	4.30	(-15.17)	**	69.21	3.44	4.97	149		

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	प्रक्षेत्रवार योग			77.84	228.47	(-)436.02	4.30	(-)15.17	-	69.21	3.44	4.97	149
	सेवाएँ												
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2005-06	2015-16	101.28	866.03	(-)902.98	56.33	(-)59.23	-	(-)713.22	-22.09	-	625
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2010-11	2014-15	6.42	0.00	5.42	66.94	0.81	(-)8.47	19.26	0.99	5.14	149
	प्रक्षेत्रवार योग			107.70	866.03	(-)897.56	123.27	(-)58.42	(-)8.47	(-)693.96	(-)21.10	3.04	774
	योग (सभी प्रक्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगमों)			185.54	1094.50	(-)1333.58	127.57	(-)73.59	(-)8.47	(-)624.75	(-)17.66	2.83	923
	कुल योग (क+ख)			8882.45	14751.06	(-)3953.15	12879.76	(-)599.66	(-)969.91	28720.21	(-)276.99	(-)0.94	15999
	(ग) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ												
	कृषि एवं समवर्गी												
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	5.00	49.68	11.20	-	2.17	-	26.70	2.42	9.06	NA
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	6.72	-	(-)10.57	-	-	-	4.86	0	-	
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	5.60	8.55	(-)0.86	0.01	(-)0.26	-	9.53	(-)0.13	-	
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2015-16	7.63	12.60	(-)135.01	-	(-)4.33	-	(-)77.65	(-)4.33	-	136
5.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1994-95	2010-11	2.10	1.12	(-)7.82	-	(-)0.92	(-)0.14	(-)0.07	(-)0.19	-	7
6.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1986-87	1991-92	0.57	1.54	(-)1.03	-	(-)1.03	-	2.35	(-)0.87	-	53
7.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	-	-	-	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	N.A.
8.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डीहरी	-	-	-	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	N.A.
9.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा	-	-	-	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	N.A.
10.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	-	-	-	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	N.A.

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
11.	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ	-	-	-	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	N.A.
12.	स्काडा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगौल	-	-	-	N.A.	-	-	-	-	-	-	-	N.A.
	प्रक्षेत्रवार योग	-	-	27.62	73.49	(-144.09)	0.01	(-4.37)	(-0.14)	(-34.28)	(-3.10)	9.04	196
	वित्त												
13.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	1.44	-	(-0.03)	-	(-0.01)	-	5.86	0.23	3.92	54
14.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	6.28	1.16	(-0.44)	-	(-0.10)	(-0.01)	7.08	0.01	0.14	NA
15.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	7.18	12.23	(-16.56)	15.22	(-1.42)	(-0.53)	1.86	(-0.27)	-	49
16.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1988-89 से 2003-04 2004-05	2015-16	14.04	66.56	(-133.78)	-	(-13.56)	-	127.62	(-4.22)	-	768
	प्रक्षेत्रवार योग			28.94	79.95	(-150.81)	15.22	(-15.09)	(-0.54)	142.42	(-4.25)	-	871
	आधारभूत संरचना												
17.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1999-2000 2000-01	2016-17	7.00	2.03	(-27.51)	15.74	(-1.96)	0.00	(-20.15)	-1.96	-	107
	प्रक्षेत्रवार योग			7.00	2.03	(-27.51)	15.74	(-1.96)	0.00	(-20.15)	(-1.96)	-	107
	विनिर्माण												
18.	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87	1995-96	0.66	0.89	(-0.32)	-	(-0.32)	(-0.24)	1.67	(-0.21)	-	NA
19.	मगध मिनरल लिमिटेड	-	-	-	0.47	-	-	-	-	-	-	-	05
20.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	1994-95	1995-96	2.17	6.63	(-8.16)	10.89	(-2.39)	-	0.91	(-2.01)	-	NA
21.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1987-88	1998-99	1.21	4.51	(-0.22)	0.75	(-0.15)	-	1.02	(-0.10)	-	NA
22.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1989-90	2002-03	1.26	-	(-0.49)	0.41	(-0.10)	-	0.52	(-0.10)	-	NA
23.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA
24.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	9.97	322.95	(-72.31)	-	(-9.20)	(-4.67)	(-10.24)	(-3.20)	-	NA

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [®]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	NA
26.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	3.62	4.25	(-0.74)	-	(-0.17)	-	6.87	(-0.17)	-	52
27.	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1983-84	1987-88	0.67	0.02	(-0.06)	-	(-0.03)	-	0.80	(-0.03)	-	NA
28.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1985-86	1991-92	0.94	1.28	(-0.16)	-	(-0.03)	-	1.16	(-0.03)	-	NA
29.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	4.98	2.27	(-0.32)	-	(-0.09)	(-0.02)	3.72	(-0.09)	-	51
	प्रक्षेत्रवार योग			25.48	343.30	(-82.78)	12.05	(-12.48)	(-4.93)	6.43	(-5.94)		108
	सेवाएँ												
30.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	2.00	1.22	(-0.01)	4.94	(-0.10)	(-0.03)	3.75	0.10	2.69	23
	प्रक्षेत्रवार योग			2.00	1.22	(-0.01)	4.94	(-0.10)	(-0.03)	3.75	0.10		23
	विविध												
31.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	1.56	10.72	(-0.31)	-	(-0.06)	0.00 ¹	1.44	(-0.06)	-	NA
32.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1985-86	1997-98	0.16	3.66	(-0.51)	-	(-0.08)	-	3.50	0.06	-	32
33.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1984-85	1988-89	0.40	0.81	(-0.01)	-	(-0.01)	-	0.69	(-0.01)	-	NA
34.	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86	1991-92	0.42	0.46	(-0.02)	-	(-0.01)	(-0.03)	0.59	(-0.01)	-	13
35.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1988-89	1993-94	1.03	2.14	(-0.67)	-	(-0.32)	-	2.49	(-0.16)	-	NA
36.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड	1983-84	1986-87	1.47	9.18	(-2.13)	-	(-1.49)	-	6.15	(-1.49)	-	NA

¹ ₹ 36,000

क्रम सं०	प्रक्षेत्र/कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का अन्तिमीकरण किया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में बकाया ऋण (31.03.2016 को)	संचित लाभ (+) / हानि(-)	आवर्त	शुद्ध लाभ (+) / हानि(-)	अंकेक्षण टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव [#]	नियोजित पूँजी [@]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल ^{\$}	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	मानवशक्ति (31.03.2016 को)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1983-84	1987-88	0.09	1.05	(-0.01)	-	(-0.02)	-	0.17	(-0.02)	-	-
38.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	1985-86	1989-90	0.02	-	(-0.01)	-	(-0.01)	-	0.01	(-0.01)	-	NA
39.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	5.14	14.13	(-2.92)	-	(-0.37)	(-0.01)	2.56	(-0.29)	-	NA
40.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	-	-	-	6.09	-	-	-	-	-	-	-	NA
	प्रक्षेत्रवार योग			10.29	48.24	(-6.59)	0.00	(-2.37)	(-0.04)	17.60	(-1.99)	-	45
	योग-ग (प्रक्षेत्रवार सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)			101.33	548.23	(-411.79)	47.96	(-036.37)	(-5.68)	115.77	(-17.14)	-	1350
	कुल योग (क+ख+ग)			8983.78	15299.29	(-4364.94)	12927.72	(-636.03)	(-975.59)	28835.98	(-294.13)	-	17349

नोट:- उपर्युक्त वर्णित कम्पनियों में कार्यशील कम्पनियों की क्रम सं० 3 तथा अकार्यशील कम्पनियों की क्रम सं० 7 से 12, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) के अन्तर्गत अन्य कम्पनियों के रूप में सम्मिलित हैं।

[#] लेखा पर लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सी०ए०जी० के शुद्ध टिप्पणियाँ शामिल हैं और (+) इसमें लाभ में वृद्धि/हानि में कमी एवं (-) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को दर्शाते हैं।

[@] नियोजित पूँजी अंशधारकों का कोष (जैसा कि अंश पूँजी, आवंटन हेतु अंश आवेदन राशि एवं संचित हानि, यदि कोई हो को समयोजित करने के बाद के मुक्त संचय) एवं दीर्घकालीन ऋणों के योग का द्योतक है।

^{\$} नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना लाभ-हानि लेखे पर आय एवं भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

** इन सा०क्ष०उ० की लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रगति में है।

परिशिष्ट – 1.2
(कंडिका 1.11 में संदर्भित)

सा0क्षे0उ0 जिनके लेखे बकाये में हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	सा0क्षे0उ0 का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखे पूर्ण है	नवीनतम अंतिमीकृत लेख के अनुसार	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों में निवेश जिनके लेखे बकाया में है				
				अंश पूँजी	ऋण	अनुदान	अन्य जो निर्दिष्ट होने है (अर्थसहाय्य)	कुल
क. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	1999-00	3.71	-	2.28	61.67	-	63.95
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1.75	1.25	5.63	0.26	-	7.14
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	3.62	19.74	7.49	-	-	27.23
4.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2010-11	28.29	8.10	7.00	125.00	-	140.10
5.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1995-96	1.00	-	0.36	0.65	0.50	1.51
6.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2000-01	9.97	-	-	11.00	-	11.00
7.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2000-2001	99.04	-	157.70	-	-	157.70
8.	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड	2014-15	1475.00	7448.96	-	-	-	7448.96
9.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	344.00	-	-	3.65	-	3.65
10.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	3720.28	-	60.07	853.01	1579.20	2492.28
11.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2014-15	494.00	-	39.01	-	2811.16 [#]	2850.17
12.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	5.00	-	-	-	2.00	2.00
13.	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1990-91	4.46	0.81	1201.23	-	622.68 [#]	1824.54

14.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2012-13	6.74	-	-	363.90	-	363.90
15.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2004-05	0.48	-	-	-	23.00	23.00
	कुल (क)		9228.35	7478.86	1480.77	1419.14	5038.54	15417.31
ख. कार्यशील सांविधिक निगमों								
1.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2005-06	101.28	-	775.01	-	-	775.01
2.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2010-11	6.42	-	-	16.00	31.17	47.17
	कुल (ख)		107.7	0	775.01	16	31.17	822.18
	कुल (क+ख)		9336.05	7478.86	2255.78	1435.14	5069.71	16239.49

* आँकड़े सा0क्षे0उ0 द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर आधारित हैं।

आँकड़ों में अर्थसाहाय्य एवं अनुदान की राशि सम्मिलित।

परिशिष्ट – 2.1.1

(कंडिका 2.1.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2016 को स्थापित लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एस0एच0पी0)

की सूची को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	एस0एच0पी0 का नाम	(इकाईयों की संख्या×क्षमता)	कुल क्षमता (एम0डब्ल्यू0)
1	अगनूर एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.0
2	अरवल एस0एच0पी0	(1×0.5 एम0डब्ल्यू0),	0.5
3	बरून एस0एच0पी0	(2×1.65 एम0डब्ल्यू0),	3.3
4	बेलसर एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.0
5	डेहरी-ऑन सोन एस0एच0पी0	(4×1.65 एम0डब्ल्यू0),	6.6
6	ढेलाबाग एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.0
7	जयनगर एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.0
8	कटैया एस0एच0पी0	(4×4.8 एम0डब्ल्यू0),	19.2
9	नासरीगंज एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.0
10	सेवारी एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.0
11	श्रीखीन्दा एस0एच0पी0	(2×0.35 एम0डब्ल्यू0),	0.7
12	त्रिवेणी एस0एच0पी0	(2×1.5 एम0डब्ल्यू0),	3.0
13	वाल्मीकि नगर एस0एच0पी0	(3×5 एम0डब्ल्यू0),	15.0
		कुल क्षमता	54.30

31 मार्च 2016 को कम्पनी के कार्यशील लघु जलविद्युत परियोजनाओं (एस0एच0पी0) की सूची को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	एस0एच0पी0 का नाम	(इकाईयों की संख्या×क्षमता)	कुल क्षमता (एम0डब्ल्यू0)
1	अमेठी एस0एच0पी0	(1×0.5 एम0डब्ल्यू0),	0.50
2	अरार घाट एस0एच0पी0	(4×1.75 एम0डब्ल्यू0),	7.00
3	बरबल एस0एच0पी0	(2×0.8 एम0डब्ल्यू0),	1.60
4	बथनाहा एस0एच0पी0	(4×2 एम0डब्ल्यू0),	8.00
5	डेहरा एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.00
6	धोबा एस0एच0पी0	(2×1 एम0डब्ल्यू0),	2.00
7	कटैया एस0एच0पी0	(2×1 एम0डब्ल्यू0),	2.00
8	मथौली एस0एच0पी0	(2×0.4 एम0डब्ल्यू0),	0.80
9	नटवर एस0एच0पी0	(1×0.25 एम0डब्ल्यू0),	0.25
10	निर्मली एस0एच0पी0	(4×1.75 एम0डब्ल्यू0),	7.00
11	फार्मा एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.00
12	राजापुर एस0एच0पी0	(2×0.35 एम0डब्ल्यू0),	0.70
13	रामपुर एस0एच0पी0	(0×0.25 एम0डब्ल्यू0),	0.25
14	सिपहा एस0एच0पी0	(2×0.5 एम0डब्ल्यू0),	1.00
15	तेजपुरा एस0एच0पी0	(2×0.75 एम0डब्ल्यू0),	1.50
16	वालीदाद एस0एच0पी0	(2×0.35 एम0डब्ल्यू0),	0.70
	कुल क्षमता		35.30

परिशिष्ट – 2.1.2

(कड़िका 2.1.6 में संदर्भित)

बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यशील परिणाम

(क) वित्तीय स्थिति

(राशि: ₹ करोड़ में)

कोषों के स्रोत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	औपबंधिक				
अंशधारकों के कोष (अंश पूँजी)	99.04	99.04	99.04	99.04	99.04
संचय एवं आधिक्य	22.07	22.57	29.30	29.30	29.30
असुरक्षित ऋण	-	-	-	-	-
दीर्घकालीन ऋण	316.25	360.57	410.81	471.43	471.43
दीर्घकालीन देनदारियाँ					
- दीर्घकालीन ऋण पर उपाजित ब्याज	312.05	355.17	404.48	459.78	518.50
- अन्य दायित्व	4.68	4.68	15.68	15.70	15.62
चालू दायित्व एवं प्रावधान	9.47	9.91	8.10	8.95	9.63
कुल	763.56	851.94	967.41	1084.20	1143.52
कोषों का प्रयोग					
स्थायी सम्पति: शुद्ध मूल्य	145.63	176.81	172.24	166.09	160.11
पूँजीगत कार्य प्रगति	370.00	409.46	469.24	503.65	543.87
दीर्घकालीन ऋण अग्रिम	3.71	3.70	0.70	0.70	0.70
अन्य गैर चालू सम्पतियाँ	10.69	10.57	9.35	9.35	9.35
चालू सम्पतियाँ	55.08	49.79	83.14	138.48	136.35
ऋण एवं अग्रिम	55.68	49.71	52.46	55.81	61.64
लाभ एवं हानि खाता (संचित हानि)	122.77	151.90	180.28	210.12	231.50
कुल	763.56	851.94	967.41	1084.20	1143.52

(ख) कार्यकारी परिणाम

(राशि: ₹ करोड़ में)

आय	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
	औपबंधिक				
संचालन से राजस्व	10.20	12.99	13.54	8.16	8.26
अन्य आय अर्थात् अल्पकालीन जमा पर ब्याज, टेन्डर पेपरों की बिक्री एवं मोबाइलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	4.51	1.12	2.26	2.55	6.61
कुल	14.71	14.11	15.80	10.71	14.87
व्यय					
कर्मचारी सुविधा व्यय/प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय	5.67	7.19	5.79	5.41	5.21
वित्त लागतें	17.53	20.71	22.11	24.52	22.23
ह्रास व्यय	7.57	9.21	9.61	6.20	5.84
पावर हाउस के संचालन एवं रख-रखाव	3.32	2.28	4.04	2.60	1.80
अन्य व्यय	2.78	3.57	2.63	1.81	1.17
कुल	36.87	42.96	44.18	40.54	36.25
असमान्य मदों एवं कर के पूर्व हानि	22.16	28.85	28.38	29.83	21.40
असमान्य मदें	13.62	0.28	-	-	-
वर्ष की हानि	(35.78)	(29.13)	(28.38)	(29.83)	(21.40)

स्रोत: कम्पनी के औपबंधिक लेखे

परिशिष्ट – 2.1.3

(कंडिका 2.1.10 में संदर्भित)

क) अपनी लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु कम्पनी द्वारा उपयोग किया गया प्लांट लोड फैक्टर (पी0एल0एफ0) को दर्शाने वाली विवरणी

वर्ष	प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)	
	लक्ष्य	वास्तविक
2011-12	50	14.62
2012-13	50	18.77
2013-14	50	19.56
2014-15	50	11.79
2015-16	50	11.93

ख) कम्पनी की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु प्लांट उपलब्धता एवं आउटटेजेज को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	कुल उपलब्ध घंटे ²	66888	105120	105120	105120	105120	487368
2	जल विद्युत इकाई हेतु अधिकतम संभावित घंटे (उपलब्ध घंटे का 2/3)	44592	70080	70080	70080	70080	324912
3	संचालित घंटे	15794.17	18828.07	23229.95	12103.25	8865.42	78820.86
4	वास्तविक आउटटेजेज	28797.83	51251.93	46850.05	57976.75	61214.58	246091.14
	i. जल की अनुपलब्धता के कारण आउटटेजेज	17563.04	37893.58	37417.80	46451.04	40718.11	180043.57
	ii. ग्रिड की विफलता के कारण आउटटेजेज	7493.79	12513.58	7606.58	4405.40	4514.50	36533.85
	iii. मरम्मत एवं रख रखात के कारण आउटटेजेज	3741.00	844.77	1825.67	7120.31	15981.97	29513.72
5	प्लांट उपलब्धता (प्रतिशत में) (3*100/2)	35.42	26.87	33.15	17.27	12.65	-
6	अधिकतम उपलब्ध घंटों की तुलना में वास्तविक आउटटेजेज का प्रतिशत	64.58	73.13	66.85	82.73	87.35	-

ग) कम्पनी की लघु जलविद्युत परियोजनाओं हेतु प्लांट आउटटेजेज को दर्शाने वाली विवरणी

कटैया	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटे	2752	23360	23360	23360	23360
परिचालित घंटे	0	1462	4312	2868	1627
	(0.00)	(6.26)	(18.46)	(12.28)	(6.96)
ग्रिड की विफलता के कारण आउटटेजेज	0	46	194	23	7
	(0.00)	(0.20)	(0.83)	(0.10)	(0.03)
मरम्मत एवं रख रखात के कारण आउटटेजेज	2752	74	240	201	127
	(100.00)	(0.32)	(1.03)	(0.86)	(0.54)
जल की अनुपलब्धता/कम जल छोड़े जाने के कारण आउटटेजेज	0	21777	18614	20268	21600
	(0.00)	(93.23)	(79.68)	(86.76)	(92.46)
कुल आउटटेजेज	2752	21898	19048	20492	21733
वाल्मीकीनगर					

² पाँच नमूना एस0एच0पी0 12 इकाइयों सहित वर्ष में एक इकाई के लिए उपलब्ध घंटे = 24 घंटे × 365 दिन = 8760 घंटे। वर्ष 2011-12 में वाल्मीकीनगर, कटैया, अरवल, नासरीगंज एवं सेवारी लघु जलविद्युत परियोजनाएँ क्रमशः 365, 43, 60, 365 एवं 365 दिन संचालित किया गया।

उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटे	17520	17520	17520	17520	17520
परिचालित घंटे	3851 (21.98)	4381 (25.01)	7087 (40.45)	3358 (19.17)	3940 (22.49)
ग्रिड की विफलता के कारण आउटटेजेज	944 (5.39)	262 (1.50)	509 (2.90)	865 (4.94)	2809 (16.03)
मरम्मत एवं रख रखात के कारण आउटटेजेज	68 (0.39)	93 (0.53)	376 (2.14)	231 (1.32)	1731 (9.88)
जल की अनुपलब्धता/कम जल छोड़े जाने के कारण आउटटेजेज	12657 (72.24)	12784 (72.97)	9549 (54.50)	13065 (74.57)	9040 (51.60)
कुल आउटटेजेज	13669	13139	10433	14162	13580
नासरीगंज					
उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटे	11680	11680	11680	11680	11680
परिचालित घंटे	6645 (56.89)	6322 (54.12)	5095 (43.62)	3674 (31.46)	2156 (18.46)
ग्रिड की विफलता के कारण आउटटेजेज	2556 (21.88)	4319 (36.98)	2720 (23.29)	2058 (17.62)	895 (7.66)
मरम्मत एवं रख रखात के कारण आउटटेजेज	94 (0.80)	251 (2.15)	239 (2.05)	481 (4.12)	1065 (9.12)
जल की अनुपलब्धता/कम जल छोड़े जाने के कारण आउटटेजेज	2385 (20.42)	788 (6.75)	3626 (31.05)	5467 (46.81)	7564 (64.76)
कुल आउटटेजेज	5035	5358	6585	8006	9524
सेबारी					
उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटे	11680	11680	11680	11680	11680
परिचालित घंटे	5240 (44.86)	5131 (43.93)	3774 (32.31)	2199 (18.83)	1142 (9.78)
ग्रिड की विफलता के कारण आउटटेजेज	3099 (26.53)	4063 (34.78)	2187 (18.72)	1459 (12.49)	803 (6.88)
मरम्मत एवं रख रखात के कारण आउटटेजेज	828 (7.09)	398 (3.41)	868 (7.43)	371 (3.18)	7219 (61.81)
जल की अनुपलब्धता/कम जल छोड़े जाने के कारण आउटटेजेज	2514 (21.52)	2088 (17.88)	4852 (41.54)	7650 (65.50)	2515 (21.53)
कुल आउटटेजेज	6440	6549	7906	9481	10538
अरवल					
उत्पादन के लिए उपलब्ध घंटे	960	5840	5840	5840	5840
परिचालित घंटे	57 (5.97)	1532 (26.23)	2963 (50.73)	3 (0.06)	0 (0.00)
ग्रिड की विफलता के कारण आउटटेजेज	895 (93.24)	3823 (65.47)	1997 (34.19)	0 (0.00)	0 (0.00)
मरम्मत एवं रख रखात के कारण आउटटेजेज	0 (0.00)	28 (0.48)	103 (1.77)	5837 (99.94)	5840 (100)
जल की अनुपलब्धता/कम जल छोड़े जाने के कारण आउटटेजेज	8 (0.79)	457 (7.82)	777 (13.31)	0 (0.00)	0 (0.00)
कुल आउटटेजेज	903	4308	2877	5837	5840

नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को निर्दिष्ट करते हैं

परिशिष्ट – 2.1.4

(कंडिका 2.1.15, 2.1.17, 2.1.18, 2.1.19, 2.1.20 एवं 2.1.24 में संदर्भित)

क) आर0आई0डी0एफ0 VIII योजना के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम सं०	जल विद्युत परियोजना का नाम (एस0एच0पी0)	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	अनुबंध का मूल्य	पूर्ण होने का वर्ष	वास्तविक व्यय	स्वीकृत राशि की तुलना में आधिक्य व्यय
1	2	4	5	6	3	7	8 (7-4)
1	अरवल (1×0.5 एम0डब्ल्यू0)	3.18	3.18	5.00	2012	8.96	5.78
2	बेलसर (2×0.5 एम0डब्ल्यू0)	5.70	5.05	8.35	2012	12.97	7.27
3	ढेलाबाग (2×0.5 एम0डब्ल्यू0)	7.20	7.59	6.69	2007	11.40	4.20
4	जयनगर (2×0.5 एम0डब्ल्यू0)	5.77	5.78	5.31	2008	12.04	6.27
5	नासरीगंज (2×0.5 एम0डब्ल्यू0)	6.08	5.44	5.68	2008	10.74	4.66
6	सेवारी (2×0.5 एम0डब्ल्यू0)	5.68	5.09	7.88	2009	13.04	7.36
7	श्रीखिण्डा (2×0.35 एम0डब्ल्यू0)	4.95	4.56	5.38	2010	9.43	4.48
8	त्रिवेणी (2×1.5 एम0डब्ल्यू0)	11.36	9.96	13.47	2008	24.21	12.85
	कुल	49.92	46.65	57.76		102.79	52.87

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

ख) आर0आई0डी0एफ0 फेज VIII योजना के अंतर्गत अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम सं०	जल विद्युत परियोजना का नाम (एच0ई0पी0)	स्वीकृत राशि (प्राप्त राशि)	प्रारम्भ की तिथि	अनुबंध का मूल्य	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वर्तमान तिथि तक कुल व्यय	वर्तमान तिथि तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	अमेठी (1×0.5 एम0डब्ल्यू0)	3.24 (3.00)	जुलाई 2004	4.87	जुलाई 2006	7.11	80
2	नटवर (1×0.25 एम0डब्ल्यू0)	2.13 (1.87)	जुलाई 2004	3.51	जुलाई 2006	3.74	75
3	पहरमा (2×0.5 एम0डब्ल्यू0)	5.55 (4.75)	अक्टूबर 2006	6.49	अक्टूबर 2008	7.08	70
4	राजापुर (2×0.35 एम0डब्ल्यू0)	3.47 (2.94)	मार्च 2006	6.43	मार्च 2008	10.04	80
5	रामपुर (1×0.25 एम0डब्ल्यू0)	2.21 (1.94)	जुलाई 2004	3.51	जुलाई 2006	2.96	75
6	तेजपुरा (2×0.75 एम0डब्ल्यू0)	7.18 (6.62)	जून 2004	6.29	जून 2006	9.43	85
7	वालीदाद (2×0.35 एम0डब्ल्यू0)	3.72 (3.15)	जून 2004	6.41	जून 2006	5.13	75
	कुल	27.50 (24.27)		37.51		45.49	

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

ग) असैनिक कार्य एवं विद्युत यांत्रिक कार्यों को प्रदान करने एवं अनुबन्ध समाप्ति की तेजपुरा, वालीदाद एवं पहरमा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अनुरूप समिति की विवरणी
(राशि: ₹ करोड़ में)

एस0एच0पी0 का नाम	असैनिक कार्य						ई0/एम0 कार्य	
एस0एच0पी0 का नाम	एल0ओ0आई0 की तिथि/पूर्ण होने की तिथि	कार्य राशि	अनुबन्ध समाप्ति की तिथि	अनुबन्ध समाप्ति की तिथि तक किया गया व्यय	शेष कार्य को करने/पूर्ण होने की पूर्व निर्धारित तिथि	शेष कार्य की राशि	ई0/एम0 कार्य निर्गत करने की तिथि	ई0/एम0 कार्य की राशि
तेजपुरा एस0एच0पी0	जून 2004/ फरवरी 2005	1.43	जून 2009	2.84	अगस्त 2009/ फरवरी 2010	1.29	अगस्त 2004	4.86
वालीदाद एस0एच0पी0	जून 2004/ फरवरी 2005	1.35	नवम्बर 2008	0.63	जनवरी 2010/ जनवरी 2011	1.75	फरवरी 2006	5.06
पहरमा एस0एच0पी0	अक्टूबर 2006/ सितम्बर 2008	1.43	—	—	—	—	नवम्बर 2006/ जनवरी 2008	5.07

(स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना)

घ) अपूर्ण आर0आई0डी0एफ0 फेज XIII, XV, XVI एवं XVII परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम सं0	एस0एच0पी0 का नाम	स्वीकृत राशि (प्राप्त राशि)	स्वीकृत वर्ष	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	अनुबन्ध का मूल्य	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वर्तमान तिथि तक कुल व्यय (नवम्बर 2016)	नवम्बर 2016 तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1	मथौली (XIII)	4.98 (4.97)	2008-09	अप्रैल 2010	11.93	अप्रैल 2012	7.48	80
2	कटैया (XIII)	8.99 (7.35)	2008-09	अप्रैल 2010	12.65	अप्रैल 2012	3.76	कार्यादेश रद्द
3	बरबल (XIII)	7.27 (5.80)	2008-09	अप्रैल 2010	15.07	अप्रैल 2012	3.52	कार्यादेश रद्द
4	धोबा (XIII)	8.90 (6.30)	2008-09	अप्रैल 2010	14.76	अप्रैल 2012	0.31	कार्यादेश रद्द
5	निर्मली (XV)	65.62 (65.62)	2010-11	अक्टूबर 2010	64.98	अक्टूबर 2013	26.87	25
6	बथनाहा (XV)	69.37 (71.43)	2009-10	अगस्त 2010	65.58	अगस्त 2013	23.66	20
7	डेहरी एस्केप (XVI) ³	11.84 (11.66)	2010-11	जून 2008	10.41	जुलाई 2010	6.67	90
8	अरारघाट (XVII)	65.44 (15.78)	2012-13	फरवरी 2012	67.34	नवम्बर 2014	0.45	कार्यादेश रद्द
9	सिपहा (XVII)	13.02 (15.47)	2012-13	नवम्बर 2009	12.37	जुलाई 2011	7.84	75
10	डेहरा (XVII)	14.21 (16.94)	2012-13	जनवरी 2010	13.14	जनवरी 2012	9.52	70
		269.64 (221.32)					90.08	

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

³ डेहरी एस्केप नहर में पानी उपलब्धता का पता लगाने की परियोजना है। यह जल विद्युत परियोजना नहीं है।

ड) राज्य योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

1	परियोजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	नवम्बर 2016 तक कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	कोशी हाइडल परियोजना, वीरपुर का आर एण्ड एम	2006-07	35.00	32.84	अगस्त 2010	फरवरी 2012	24.03	आंशिक रूप से पूर्ण
2	डगमारा जलविद्युत परियोजना हेतु डी0पी0आर0 का निर्माण	2009-10	11.00	11.00	—	—	7.94	अनुमोदनांतर्गत
3	सोन नहर के सभी परियोजनाओं की बिजली निकासी प्रणाली में सुधार	2012-13	14.18	14.00	—	—	0.00	नहीं किया गया
4	वाल्मीकिनगर हेतु इस्केप चैनल	2012-13	25.77	17.00	—	—	0.00	नहीं किया गया
	कुल		85.95	74.84			31.97	

स्रोत : कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट – 2.2.1

(कंडिका 2.2.1 में संदर्भित)

विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के उद्देश्यों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का नाम	परियोजनाओं का उद्देश्य
1	बिहार स्टेट वाइड ऐरिया नेटवर्क (बिस्वान)	बिस्वान का उद्देश्य राज्य मुख्यालय के साथ सभी जिला मुख्यालयों एवं अनुमंडल मुख्यालयों को न्यूनतम दो एम0बी0पी0एस0 लीज्ड लाइन से जुड़ाव करना था जिसका उद्देश्य सरकार से सरकार एवं सरकार से नागरिक सेवा प्रदान करने हेतु सरकारी नेटवर्क को सुरक्षित करना था।
2	कॉमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0)	सी0एस0सी0 ग्रामीण नागरिक के साथ एन0ई0जी0पी0 के फ्रंट एंड इन्टरफेस है जिसके द्वारा सरकारी सेवाओं को आवश्यक रूप से नागरिकों को प्रदान किया जाता है।
3	ई-डिस्ट्रिक्ट	यह जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सेवाओं की एकीकृत सुपर्दगी प्रणाली है जिसके माध्यम से विविध विभागों में कार्य प्रवाह का स्वचालन, एकीकरण व नवस्वरूप प्रक्रिया करण किया जाता है।
4	स्टेट सर्विसेजे डिलिवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0)	एस0एस0डी0जी0 का मुख्य उद्देश्य एक उच्च क्रम संचालकता को प्राप्त करना एवं सरकार से नागरिक सेवाओं के प्रदान को सुविधाजनक बनाना जो नागरिकों को फार्म डाउनलोड करने एवं उनके आवेदनों को सामान्य गेटवे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने हेतु सक्षम बनाना था।
5	स्टेट डाटा सेन्टर (एस0डी0सी0)	एस0डी0सी0 का मुख्य उद्देश्य सेवाओं, आवेदनों एवं बुनियादी सुविधाओं को समेकित करने हेतु डाटा केन्द्र का निर्माण करना था जो बिस्वान एवं सी0एस0सी0 के द्वारा समर्पित सामान्य सुपर्दगी प्लेटफार्म, डाटा संग्रहण की सुरक्षा हेतु सेवाओं का ऑनलाइन डिलीवरी, नागरिक सूचना/सेवाएँ पोर्टल, स्टेट इन्टरनेट पोर्टल, आपदा से वापसी, सुदूर प्रबंधन एवं सेवा एकीकरण, इत्यादि के माध्यम से सरकार द्वारा सरकार से सरकार, सरकार से नागरिक एवं सरकार से व्यवसायिक सेवाओं को प्रदान करने हेतु कुशल इलेक्ट्रॉनिक सुपर्दगी प्रदान करना था।
6	सेक्रेटेरिएट लोकल ऐरिया नेटवर्क (सेकलैन)	सेक्रेटेरिएट लोकल ऐरिया नेटवर्क (सेक0लैन)पटना में सचिवालय में अंदर एवं आस-पास के सभी सरकारी कार्यालयों एवं स्टेट डाटा सेन्टर (एस0डी0सी0) से जुड़ाव / कनेक्टिविटी के लिए एक लोकल ऐरिया नेटवर्क है। सेक0लैन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में कार्यकुशलता सुधार एवं उत्तरदायिता को संचालित करने के लिए प्रदान किया गया था।
7	विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (विद्यालय में आई0सी0टी0)	स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तहत 1000 सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर (प्रयोगशाला) एक सर्वर सहित, 10 पी0सी0 नोड्स, प्रिंटर एवं पावर बैकअप सुविधा से सुसज्जित नेटवर्क जैसे यू0पी0एस0 एवं जेनसेट, कम्प्यूटर फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था जो छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के कम्प्यूटर शिक्षा के समक्ष बनाने का कार्य करे।

8	स्कूलों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षण (सी0ए0एल0)	परियोजना का उद्देश्य बिहार राज्य में 244 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को मल्टीमीडिया सामग्री द्वारा कम्प्यूटर की सहायता से शिक्षण प्रदान करना था।
9	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0)	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली के साथ स्वामित्व गारंटी लागू करने हेतु राज्य में एक आधुनिक, व्यापक एवं पारदर्शी प्रणाली विकसित करना है।
10	ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (ई-पी0डी0एस0, पायलट फेज)	परियोजना का मुख्य उद्देश्य आँकड़ों की मैन्युअल प्रविष्टियाँ, विनिमय एवं अभिलेख को कम करना या पूर्ण रूप से हटाना तथा अनाज परिवहन के दौरान चोरी को कम एवं अंततः समाप्त करना था, ताकि एस0एफ0सी0 यह सुनिश्चित कर सके कि भारतीय खाद्य निगम से भेजी गयी सामग्रियों का वजन बिना किसी रिसाव के प्राप्त हुआ है।
11	बिहार रेवेन्यु एडमिनिस्ट्रेशन इन्ट्रा-नेट डाटा सेन्टर (ब्रेन-डी0सी0)	इस परियोजना का उद्देश्य केन्द्रीकृत सुरक्षित डेटा वेयरहाउस प्रदान करना था जो बिहार सरकार को वास्तविक समय के आधार पर वित्त एवं राजस्व विभाग से संबंधित सूचनाओं के संग्रह, साझा एवं पुनः प्राप्त करने में सक्षम बना सके।
12	कम्प्रीहेन्सिव ट्रेजरी मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम (सी0टी0एम0आई0एस0)	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एस0डब्ल्यू0ए0एन0) द्वारा राज्य में सभी ट्रेजरी को जोड़ने एवं सभी ट्रेजरी के लिए एक कुशल एवं प्रभावी सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम0आई0एस0) हेतु एक व्यापक प्रणाली तैयार करने की परियोजना है। सी0टी0एम0आई0एस0 ने सरकारी आय एवं व्यय के प्रबंधन के लिए एकीकृत विचारधारा प्रस्तावित किया है।
13	ई-शक्ति	ई-शक्ति परियोजना राज्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक प्रगति के उपयोग के प्रोत्साहन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एन0आर0ई0जी0एस0) के कार्यान्वयन को मजबूत करने की कल्पना थी। परियोजना का उद्देश्य बिहार में एन0आर0ई0जी0एस0 के फास्ट ट्रैक कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता को सुधार करना था। परियोजना का लक्ष्य उचित लाभार्थी को सही एवं ससमय मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह महसूस किया गया कि कार्यस्थल पर उपस्थिति के समय एवं मजदूरी वितरण के समय सही लाभार्थी की पहचान पूर्णतः महत्वपूर्ण था।
14	जेल/कारा का आधुनिकीकरण (एम0ओ0पी0 फेज- I)	इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के जेलों के लिए निगरानी एवं सुरक्षा प्रणाली परिकल्पित करना था। इसके तहत आइ0पी0 आधारित कैमरा स्थापित किया जाना था जिससे कि जेलों की स्थिति को दूर से नजर रखा जा सके। जेलों में सुरक्षा स्थिति की निगरानी हेतु राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की मदद के लिए ये कैमरे आवश्यक थे। जेलों एवं न्यायालयों के बीच विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के लिए लीज्ड लाइन आधारित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान किया जा सके।

परिशिष्ट – 2.2.2
(कड़िका 2.2.6 में संदर्भित)

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी

(क) वित्तीय स्थिति

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरणी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 औपबंधिक
अंश पूँजी	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
अंश आवेदन राशि	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51
संचय एवं आधिक्य	24.32	30.39	35.03	42.96	51.45
असुरक्षित ऋण (मूलधन)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
असुरक्षित ऋण पर ब्याज	21.86	22.79	23.71	24.63	25.56
स्थगित कर दायित्व	0.02	0.02	0.03	0	0
अन्य दायित्व (दीर्घकालीन/अल्पकालीन)	0	2.58	0.64	0.89	0.88
चालू दायित्व एवं प्रावधान	216.41	279.50	246.43	276.37	353.20
कुल	274.27	346.93	317.5	356.51	442.75
निधियों का प्रयोग					
सकल मूल्य	2.46	2.58	2.80	3.78	3.81
हास	1.09	1.26	1.44	1.93	2.67
शुद्ध ब्लॉक	1.37	1.32	1.36	1.85	1.14
पूँजीगत क्रियाधीन कार्य	0.11	0.11	0.11	0.09	0.08
विनियोग	9.24	9.28	9.31	9.35	9.33
स्थगित कर संपत्ति	00	00	00	0.04	0.20
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिमें	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
चालू संपत्ति	224.53	298.19	268.75	298.88	393.90
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिमें	38.94	37.95	37.89	46.22	38.02
कुल	274.27	346.93	317.5	356.51	442.75

(ख) कार्यकारी परिणामें

आय					
विवरणी	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
संचालन से आय	49.47	79.04	57.57	39.23	51.32
अन्य आय	20.34	8.23	9.38	4.87	8.32
कुल	69.81	87.27	66.95	44.10	59.64
व्यय					
व्यापारिक वस्तु एवं सेवाओं की प्राप्ति	44.52	73.93	46.38	24.05	36.74
कर्मचारी सुविधा व्यय	2.56	3.23	3.25	5.00	4.06
अन्य संचालन एवं प्रशासनिक व्यय	3.82	4.17	3.44	2.05	3.83
पूर्ण वस्तुओं के स्टॉक में परिवर्तन	(0.56)	(4.65)	4.63	0.19	0.02
हास एवं परिशोधन व्यय	0.14	0.18	0.18	0.46	0.76
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92
कुल	51.40	77.80	58.80	32.67	46.33

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष की शुद्ध लाभ	18.41	9.47	8.14	11.43	13.31
घटाव: स्थगित कर समायोजन	0.011	0.004	0.007	(0.06)	(0.16)
घटाव: भुगतित आय कर	0.007	0.015	--	--	--
घटाव: आयकर के लिए प्रावधान	6.45	3.38	3.48	3.52	4.99
वर्ष की शुद्ध आय	11.94	6.07	4.64	7.93	8.48
पिछले वर्ष की आगे लायी गयी लाभ/हानि	10.53	22.47	28.54	33.18	41.11
आर्थिक चिह्ने में अग्रेषित शेष	22.47	28.54	33.18	41.11	49.59

परिशिष्ट – 2.2.3
(कंडिका 2.2.16 में संदर्भित)

बिहार सरकार के विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों द्वारा सुपुर्द किये गए विविध परियोजनाओं को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि: ₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बिहार सरकार के संबंधित विभाग का नाम	परियोजना की लागत	प्रारंभ करने की तिथि	पूर्ण होने की पूर्व निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्राप्त कोष	व्यय (दिसम्बर 2015 को)	31 मार्च 2016 को स्थिति
एन०ई०जी०पी० परियोजनाएँ									
1	बिस्वान	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	204.00	जनवरी 2008	मार्च 2015	मार्च 2015	204.00	204.00	पूर्ण एवं परिचालित
2	एस०डी०सी०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	16.88	अक्टूबर 2012	अगस्त 2013	मार्च 2015	33.65	10.73	पूर्ण एवं परिचालित
3	एस०एस०डी०जी०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	10.53	दिसम्बर 2011	जून 2013	अप्रैल 2014	11.73	3.89	पूर्ण एवं परिचालित
4	ई-डिस्ट्रीक्ट (पायलट)	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	13.24	जुलाई 2008	सितम्बर 2010	मार्च 2011	22.69	18.21	पूर्ण एवं परिचालित
5	सी०एस०सी०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	80.85	सितम्बर 2007		..	55.78	17.00	पूर्ण एवं परिचालित
	कुल (क)		325.50				327.85	253.83	
अन्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ									
6	ई-पी०डी०एस०	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	11.90	जनवरी 2014	फरवरी 2014	अप्रैल 2014	11.30	10.80	पूर्ण
7	एस०बी०पी०डी०सी०एल०, एन०बी०पी०डी०सी०एल०, बी०एस०पी०टी०सी०एल० के लिए सॉफ्टवेयर का विकास	एस०बी०पी०डी०सी०एल०, एन०बी०पी०डी०सी०एल०, बी०एस०पी०टी०सी०एल०	0.28	दिसम्बर 2013	नवम्बर 2014	नवम्बर 2014	0.28	0.25	पूर्ण
8	सी०टी०एम०आई०एस०	वित्त विभाग	9.66	2007	2009	2009	17.00	16.00	पूर्ण
9	ब्रेन- डी०सी०	वित्त विभाग	22.00	मार्च 2007	मार्च 2010	—	26.00	23.00	पूर्ण एवं परिचालित

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बिहार सरकार के संबंधित विभाग का नाम	परियोजना की लागत	प्रारंभ करने की तिथि	पूर्ण होने की पूर्व निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्राप्त कोष	व्यय (दिसम्बर 2015 को)	31 मार्च 2016 को स्थिति
10	ब्रेन – डी०सी० एवं ई-शक्ति – डी०सी० हेतु एकीकृत शक्ति समाधान	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2.17	दिसम्बर 2012	दिसम्बर 2015	दिसम्बर 2015	6.48	2.16	पूर्ण
11	सेकलैन	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	13.25	मार्च 2008	जून 2013	जून 2013	10.00	10.00	पूर्ण
12	आई०डब्ल्यू डी०एम०एस०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	8.00	मई 2009	मई 2012	मई 2012	8.00	8.00	पूर्ण
13	मिनिस्टर भी०सी०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2.98	सितम्बर 2012	सितम्बर 2015	जनवरी 2016	2.98	2.46	पूर्ण
14	सेक एल०ए०एन० ए०एम०सी० एवं एफ०एम०एस०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	6.74	जनवरी 2015	जनवरी 2018	—	3.37	1.68	पूर्ण एवं परिचालित
15	ई- शक्ति	ग्रामीण विकास विभाग	42.00	फरवरी 2011	फरवरी 2016	फरवरी 2016	44.20	48.00	पूर्ण एवं परिचालित
16	सिटी वाई-फाई	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2.99	फरवरी 2014	अप्रैल 2020	—	2.99	1.88	पूर्ण एवं परिचालित
17	सिटी निगरानी एवं डायल 100	गृह विभाग	8.13	दिसम्बर 2012	मई-13	मार्च-2014	8.13	6.00	पूर्ण
18	रियल टाइम मोबाईल ट्रैकिंग सिस्टम	गृह विभाग	0.95	अगस्त 2012	अक्टूबर-2012	अक्टूबर-2013	0.87	0.87	पूर्ण
19	कॉम्फेड पटना में एल०ए०एन० एवं डब्ल्यू०ए०एन०	कॉम्फेड	2.35	अक्टूबर-2015	नवम्बर-2015	—	1.00	1.00	चल रही
20	उच्च न्यायालय निगरानी	गृह विभाग	1.22	जुलाई 2015	अक्टूबर-2015	जनवरी 2016	1.22	0.25	पूर्ण
21	पी०ओ०पी० एल०ए०एन० (बी०एस०डब्ल्यू०ए०एन० में अतिरिक्त कार्य)	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	4.35	जनवरी-2013	दिसम्बर-2016	—	4.35	4.00	चल रही

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बिहार सरकार के संबंधित विभाग का नाम	परियोजना की लागत	प्रारंभ करने की तिथि	पूर्ण होने की पूर्व निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्राप्त कोष	व्यय (दिसम्बर 2015 को)	31 मार्च 2016 को स्थिति
22	एम०ओ०पी-1	गृह विभाग (कारा)	41.43	2009	जून-2014	जून-2014	27.77	26.75	पूर्ण एवं परिचालित
23	एम०ओ०पी-11 (वी०सी० एवं सी०सी०टी०भी०)	गृह विभाग (कारा)	35.35	अक्टूबर-2015	फरवरी-2016	—	35.35	0.08	चल रही
24	ऑन लाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर	बी०पी०एस०सी०, पटना	0.22	जून-2015	जून-2015	जनवरी-2017	0.07	0.04	पूर्ण एवं परिचालित
25	पूर्व चेतावनी प्रणाली	आपदा प्रबंधन विभाग	0.33	जून-2015	जुलाई-2015	जुलाई-2016	0.37	0.10	पूर्ण एवं परिचालित
26	अरवल न्यायालय	अरवल न्यायालय	0.29	अप्रैल-2015	जुलाई-2018	—	0.29	0.12	पूर्ण एवं परिचालित
27	पी०डी०एस०	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	5.00	अगस्त-2012	अप्रैल-2013	अप्रैल-2014	1.20	1.20	पूर्ण
28	एन०एल०आर०एम०पी० परियोजना	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31.26	अक्टूबर-2009	अक्टूबर-2012	—	31.26	17.55	चल रही
29	विद्यालयों में आई०सी०टी०	मानव संसाधन	80.69	मई-2010	मार्च-2013	जुलाई-2015	85.00	55.00	पूर्ण एवं संचालन नहीं
30	विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षण	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	10.78	फरवरी-10	जनवरी-2013	जनवरी-2013	10.78	10.00	पूर्ण एवं संचालन नहीं
31	कॉल सेंटर	ग्रामीण विकास विभाग	0.93	अक्टूबर-2013		—	0.31	0.30	चल रही
32	राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता फोरम का कम्प्यूटरीकरण	खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग	0.22	सितम्बर-2013		अक्टूबर-2014	0.00	0.05	पूर्ण एवं सुपुर्द
33	जानकारी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.34	जनवरी-2015			0.34	0.08	चल रही
34	जे०के०डी०एम०एम० / बी०पी०जी०आर०एस०	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	0.23	जनवरी-2015			0.23	0.38	चल रही

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं०	परियोजना का नाम	बिहार सरकार के संबंधित विभाग का नाम	परियोजना की लागत	प्रारंभ करने की तिथि	पूर्ण होने की पूर्व निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्राप्त कोष	व्यय (दिसम्बर 2015 को)	31 मार्च 2016 को स्थिति
35	क्षमता निर्माण	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3.07	फरवरी-2013			3.07	0.48	पूर्ण
	कुल (ख)		349.11				344.21	248.48	
	योग (क+ख)		674.27				672.06	502.31	

परिशिष्ट – 2.3.1

(कंडिका 2.3.4 में संदर्भित)

2013-14 से 2015-16 में तीनों वितरण फ्रेंचाइजी के लिए आयोजित ए0टी0 एण्ड सी0 के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धि को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	विवरण	आधार वर्ष 2011-12	2013-14	2014-15	2015-16
क	वितरण फ्रेंचाइजी (भागलपुर)				
1	इनपुट एनर्जी (आगत-निर्गत) 33 / 11 के०भी० फीडर (एम०यू० में)	314.12	112.01	536.99	554.93
2	कुल विपत्रित एनर्जी (मीटरीकृत/अमीटरीकृत) (एम०यू० में)	134.46	48.81	310.00	247.46
3	दक्षता उर्जा (2 / 1×100) (प्रतिशत)	42.80	43.57	57.73	44.59
4	विपत्रित राशि (₹ करोड़ में)	70.94	25.41	158.32	155.58
5	संग्रहित राशि (₹ करोड़ में)	52.12	14.34	87.79	115.32
6	संग्रहण दक्षता (5 / 4×100) (प्रतिशत)	73.47	56.45	55.45	74.13
7	वास्तविक ए०टी० एवं सी० हानि (1-[3×4]×100) (प्रतिशत)	68.55	75.40	67.99	66.95
8	एन०आई०टी० निर्गमन के समय लक्षित ए०टी० एवं सी० हानि (प्रतिशत)	—	63.55	54.55	44.55
9	ऊर्जा हानि (वितरण हानि) 1-2 (एम०यू०)(प्रतिशत)	179.66 (57.19)	63.20 (56.42)	226.99 (42.27)	307.47 (55.41)
ख	वितरण फ्रेंचाइजी (गया)				
1	इनपुट एनर्जी (आगत-निर्गत) 33 / 11 के०भी० फीडर (एम०यू० में)	330.84	—	522.15	660.61
2	कुल विपत्रित एनर्जी (मीटरीकृत/अमीटरीकृत) (एम०यू० में)	124.92	—	179.85	272.50
3	दक्षता उर्जा (2 / 1×100) (प्रतिशत)	37.76	—	34.44	41.25
4	विपत्रित राशि (₹ करोड़ में)	66.43	—	94.41	145.33
5	संग्रहित राशि (₹ करोड़ में)	54.12	—	75.21	130.70
6	संग्रहण दक्षता (5 / 4×100) (प्रतिशत)	81.46	—	79.67	89.94
7	वास्तविक ए०टी० एवं सी० हानि (1-[3×4]×100) (प्रतिशत)	69.24	—	72.56	62.90
8	एन०आई०टी० निर्गमन के समय लक्षित ए०टी० एवं सी० हानि (प्रतिशत)	—	—	64.24	55.24
9	ऊर्जा हानि (वितरण हानि) 1-2 (एम०यू०)(प्रतिशत)	205.92 (62.24)	—	342.30 (65.56)	388.11 (58.75)
ग	वितरण फ्रेंचाइजी (मुजफ्फरपुर)				
1	इनपुट एनर्जी (आगत-निर्गत) 33 / 11 के०भी० फीडर (एम०यू० में)	339.53	211.52	581.84	635.36
2	कुल विपत्रित एनर्जी (मीटरीकृत/अमीटरीकृत) (एम०यू० में)	187.96	148.62	367.88	445.73
3	दक्षता उर्जा (2 / 1×100) (प्रतिशत)	55.36	70.26	63.23	70.15
4	विपत्रित राशि (₹ करोड़ में)	111.63	95.37	215.99	266.11
5	संग्रहित राशि (₹ करोड़ में)	84.70	47.22	172.53	181.91
6	संग्रहण दक्षता (5 / 4×100) (प्रतिशत)	75.83	49.51	79.89	68.36
7	वास्तविक ए०टी० एवं सी० हानि	58.00	65.21	49.50	52.04

	(1-[3×4]×100) (प्रतिशत)				
8	एन0आई0टी0 निर्गमन के समय लक्षित ए0टी0 एवं सी0 हानि (प्रतिशत)	—	53	44	34.55
9	ऊर्जा हानि (वितरण हानि) 1-2 (एम0यू0)(प्रतिशत)	151.57 (44.64)	62.90 (29.74)	213.96 (36.77)	189.63 (29.85)

स्रोत : वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ

परिशिष्ट – 2.3.2

(कंडिका 2.3.9 में संदर्भित)

अत्यधिक विपत्रीकरण को दर्शाने वाली विवरणी

माह	आपूर्ति इनपुट एनर्जी (एम0यू0 में)	विपत्रित इकाई (एम0यू0 में)	विपत्रित राशि (₹ करोड़ में)	भारित इकाई (एम0यू0 में)	भारित योग्य इकाई (एम0यू0 में)	अत्यधिक भारित इकाई (एम0यू0 में)	अत्यधिक विपत्रित इकाई हेतु सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	विपत्रीकर ण योग्य शुद्ध इकाई (एम0यू0 में)	ए0बी0आर 0 हेतु उपलब्ध शुद्ध राशि (₹ करोड़ में)	डी0एफ0 द्वारा परिकल्पित ए0बी0आर0 (₹/कि0वा 0घं0)	नमूना परीक्षण माह के आधार पर परिकल्पित ए0बी0आर0 (₹/कि0वा0 घं0)	ए0बी0आ र0 में अंतर (₹/ कि0वा0 घं0)	अल्प वसूली (₹ करोड़ में)
वितरण फ्रेंचाइजी मुजफ्फरपुर													
फरवरी-14	39.57	33.05	14.66	16.74	9.33	7.41	2.16	25.64	12.50	4.44	4.880	0.443	1.75
अप्रैल-14	50.11	39.16	16.34	12.61	5.43	7.18	2.05	31.98	14.29	4.17	4.471	0.301	1.51
अक्टूबर-14	49.97	40.77	14.60	22.08	18.00	4.08	0.80	36.69	13.80	3.58	3.760	0.180	0.9
				51.43	32.76	18.67							4.16
वितरण फ्रेंचाइजी भागलपुर													
जुलाई-14	44.13	34.71	15.33	4.95	1.13	3.82	0.99	30.89	14.34	4.42	4.643	0.223	0.98
अगस्त-14	49.48	35.40	15.72	5.53	1.08	4.45	1.16	30.95	14.56	4.44	4.704	0.264	1.31
फरवरी-15	41.02	20.00	8.70	4.03	1.48	2.55	3.72	17.45	4.98	4.350	4.772	0.422	1.73
				14.51	3.69	10.82							4.02
वितरण फ्रेंचाइजी गया													
नवम्बर-14	47.68	16.80	8.24	0.63	0.46	0.17	0.00	16.63	8.24	4.906	4.955	0.049	0.24
दिसम्बर-14	52.66	17.36	8.5	0.63	0.46	0.17	0.00	17.19	8.50	4.895	4.943	0.048	0.25
जनवरी-15	55.53	19.12	9.35	2.47	1.63	0.84	0.31	18.28	9.04	4.886	4.942	0.056	0.31
				3.73	2.55	1.18							0.8

स्रोत : वितरण फ्रेंचाइजी/अंचल कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ

परिशिष्ट – 2.3.3

(कंडिका 2.3.10 में संदर्भित)

मीटर किराया शामिल नहीं करने के कारण ऊर्जा शुल्क की अल्प वसूली को दर्शाने वाली विवरणी

क वितरण फ्रेंचाइजी गया

माह	विपत्रित इकाई (कि०वा०घं०)	विपत्रित राशि (₹)	ए०बी०आर० (₹/कि० वा० घं०)	आपूर्ति ऊर्जा (कि०वा०घं०)	मीटर किराया (₹)	ए०बी०आर० की राशि (₹)	मीटर किराया सम्मिलित करने के साथ ए०बी०आर० (₹/कि०वा०घं०)	ए०बी०आर० में अंतर (₹/कि०वा० घं०)	अल्प वसूली की राशि (₹ करोड़ में)
जून-14	19,477,705	97,351,564	4.998	53065878	1,155,860	98,507,424	5.057	0.06	3,149,074
जुलाई-14	17,482,412	87,529,805	5.007	52827860	1,184,006	88,713,811	5.074	0.07	3,577,796
अगस्त-14	17,710,415	87,375,131	4.934	53171190	1,190,215	88,565,346	5.001	0.07	3,573,329
सितम्बर-14	17,396,605	85,833,334	4.934	54834595	1,255,079	87,088,413	5.006	0.07	3,956,045
अक्टूबर-14	16,589,833	82,425,525	4.968	56887028	1,216,635	83,642,160	5.042	0.07	4,171,877
नवम्बर-14	16,802,924	82,441,893	4.906	47682331	1,457,340	83,899,233	4.993	0.09	4,135,552
दिसम्बर-14	17,363,238	85,001,520	4.895	52662140	1,741,899	86,743,419	4.996	0.10	5,283,123
जनवरी-15	19,124,360	93,450,480	4.886	55526131	1,904,120	95,354,600	4.986	0.10	5,528,468
फरवरी-15	19,694,088	97,480,358	4.950	48607184	1,821,633	99,301,991	5.042	0.09	4,495,991
मार्च-15	18,209,059	91,874,776	5.046	51809347	1,494,701	93,369,477	5.128	0.08	4,252,800
अप्रैल-15	22,017,631	111,785,292	5.077	52560520	1,871,284	113,656,576	5.162	0.08	4,467,132
मई-15	22,960,251	116,097,619	5.056	61605362	1,717,946	117,815,565	5.131	0.07	4,609,474
जून-15	21,441,043	108,460,021	5.059	57284887	1,674,826	110,134,847	5.137	0.08	4,474,699
जुलाई-15	22,154,706	111,557,837	5.035	58424198	1,891,460	113,449,297	5.121	0.09	4,987,971
अगस्त-15	22,661,255	113,755,977	5.020	62044443	1,957,987	115,713,964	5.106	0.09	5,360,789
सितम्बर-15	24,516,547	123,249,998	5.027	64068033	1,799,529	125,049,527	5.101	0.07	4,702,631
अक्टूबर-15	24,956,713	124,594,771	4.992	61951280	2,050,436	126,645,207	5.075	0.08	5,089,898
नवम्बर-15	20,774,177	104,954,770	5.052	51137288	1,999,908	106,954,678	5.148	0.10	4,922,933
दिसम्बर-15	21,363,659	105,331,485	4.930	52007504	2,021,519	107,353,004	5.025	0.09	4,921,168
जनवरी-16	21,668,706	107,476,012	4.960	51541880	2,127,566	109,603,578	5.058	0.10	5,060,697
फरवरी-16	25,209,392	126,379,463	5.013	48059579	2,291,789	128,671,252	5.104	0.09	4,369,102
मार्च-16	22,772,674	114,134,163	5.012	52014148	2,063,778	116,197,941	5.103	0.09	4,713,792
कुल					37,889,516				99,804,343.94

ख वितरण फ्रेंचाइजी भागलपुर

माह	विपत्रित इकाई (कि०वा०घं०)	विपत्रित राशि (₹)	ए०बी०आर० (₹/ कि०वा०घं०)	आपूर्ति रुर्जा (कि०वा०घं०)	मीटर किराया (₹)	ए०बी०आर० की राशि (₹)	मीटर किराया सम्मिलित करने के साथ ए०बी०आर० (₹/ कि०वा०घं०)	ए०बी०आर० में अंतर (₹/कि०वा०घं०)	अल्प वसूली की राशि (₹ करोड़ में)
जनवरी-14	15,091,899	69,633,016	4.61	39,279,800	1,421,010	71,054,026	4.71	0.10	3,852,974.42
फरवरी-14	16,253,507	74,332,394	4.57	34,455,985	1,421,030	75,753,424	4.66	0.09	3,126,650.10
मार्च-14	17,060,270	82,091,046	4.70	38,637,945	1,421,030	83,512,076	4.90	0.19	7,482,633.42
अप्रैल-14	28,311,813	129,679,847	4.58	44,958,210	2,314,614	131,994,461	4.66	0.08	3,694,177.66
मई-14	22,766,981	105,099,591	4.62	42,047,785	1,581,210	106,680,801	4.69	0.07	2,765,417.14
जून-14	30,679,119	137,825,294	4.49	44,147,750	1,642,911	139,468,205	4.55	0.06	2,473,612.32
जुलाई-14	34,710,869	153,335,664	4.42	44,127,543	2,143,682	155,479,346	4.48	0.06	2,615,429.07
अगस्त-14	35,397,119	157,197,071	4.44	49,376,162	1,745,110	158,942,181	4.49	0.05	2,481,525.16
सितम्बर-14	29,540,446	139,678,726	4.73	47,783,380	1,832,942	141,511,668	4.79	0.06	2,887,920.51
अक्टूबर-14	25,283,454	117,387,151	4.64	48,141,567	1,841,191	119,228,342	4.72	0.08	3,642,713.34
नवम्बर-14	22,802,833	105,064,192	4.61	38,790,441	1,832,942	106,897,134	4.69	0.08	3,021,321.46
दिसम्बर-14	18,508,468	82,838,556	4.48	42,617,140	1,747,550	84,586,106	4.57	0.09	3,841,085.45
जनवरी-15	18,847,810	85,143,884	4.52	47,524,130	1,747,550	86,891,434	4.61	0.09	4,284,811.49
फरवरी-15	19,997,331	86,990,225	4.35	41,024,840	1,767,660	88,757,885	4.44	0.09	3,630,147.21
मार्च-15	23,013,164	108,984,961	4.74	46,684,945	1,792,230	110,777,191	4.81	0.07	3,438,090.82
अप्रैल-15	21,921,493	106,050,629	4.84	43,715,615	1,760,550	107,811,179	4.92	0.08	3,412,363.41
मई-15	22,167,401	107,349,886	4.84	52,997,465	1,737,980	109,087,866	4.92	0.08	4,297,781.07
जून-15	22,526,132	108,535,577	4.82	48,889,325	1,882,240	110,417,817	4.90	0.08	3,997,460.78
जुलाई-15	23,748,305	112,742,690	4.75	51,722,980	1,818,710	114,561,400	4.82	0.07	3,826,578.54
अगस्त-15	25,042,579	122,042,634	4.87	54,544,910	1,859,930	123,902,564	4.95	0.08	4,236,823.68
सितम्बर-15	24,800,086	119,634,900	4.82	55,298,845	1,848,310	121,483,210	4.90	0.08	4,340,934.20
अक्टूबर-15	23,930,835	114,126,925	4.77	55,582,410	1,721,960	115,848,885	4.84	0.07	3,945,683.97
नवम्बर-15	20,703,150	99,752,539	4.82	49,031,875	1,866,050	101,618,589	4.91	0.09	4,332,635.68
दिसम्बर-15	22,569,006	109,650,027	4.86	48,619,735	1,964,530	111,614,557	4.95	0.09	4,155,991.70
जनवरी-16	21,415,827	102,312,445	4.78	50,535,970	1,989,750	104,302,195	4.87	0.09	4,565,032.83
फरवरी-16	22,077,870	104,577,258	4.74	43,993,595	2,119,970	106,697,228	4.83	0.09	4,081,206.50
मार्च-16	21,772,894	103,927,032	4.77	50,411,575	1,998,340	105,925,372	4.87	0.10	4,789,661.53
कुल					48,820,982				103,220,663.48

स्रोत : वितरण फ्रेंचाइजी/अंचल कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ

परिशिष्ट – 2.3.4

(कंडिका 2.3.14 में संदर्भित)

अनुबन्ध की अवधि में आवश्यक साख पत्र को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	माह	इनपुट एनर्जी (कि०वा०घं०)	आवश्यक साख पत्र	अतिरिक्त साख पत्र (₹ करोड़ में)
वितरण फ्रेंचाइजी गया				
1	जून 2015	57284887	177753528 / 3×2×	₹ 21.99– ₹ 9.34
2	जुलाई 2015	58424198	₹ 1.856	
3	अगस्त 2015	62044443		
	कुल	177753528	₹ 21.99 करोड़	₹ 12.65 करोड़
वितरण फ्रेंचाइजी भागलपुर				
1	जुलाई 2015	51722980	53855578×2× ₹	₹ 18.10– ₹ 8.86
2	अगस्त 2015	54544910	1.680	
3	सितम्बर 2015	55298845		
	कुल	161566735	₹ 18.10 करोड़	₹ 9.24 करोड़
वितरण फ्रेंचाइजी मुजफ्फरपुर				
1	जनवरी 2016	58620747	55316533×2× ₹	26.47 – 18.00
2	फरवरी 2016	50315717	2.393	
3	मार्च 2016	57013136		
	कुल	165949600	₹ 26.47 करोड़	₹ 8.47 करोड़

स्रोत : वितरण फ्रेंचाइजी/अंचल कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ

परिशिष्ट – 2.3.5

(कंडिका 2.3.15 में संदर्भित)

2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें एवं उनके निवारण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं०	विवरण	वितरण फ्रेंचाइजी गया		वितरण फ्रेंचाइजी भागलपुर			वितरण फ्रेंचाइजी मुजफ्फरपुर		
		2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
	शिकायतें								
1	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	120672	150564	134911	162539	179066	159802	236703	286588
2	कुल प्राप्त शिकायतें	23335	43168	10364	54280	55750	18691	143496	96505
3	दोषपूर्ण मीटरों एवं विपत्रीकरण संबंधी (संख्या में) (प्रतिशत)	14294 (61)	19824 (46)	3472 (84)	14941 (85)	7773 (13)	12505 (66.90)	58259 (40.60)	46192 (47.86)
4	सामान्य फ्यूज कॉल-ऑफ लाइन एवं अन्य संबंधी (गैर पावर शिकायतें)	9041	17134	645	2546	47977	6186	85237	50313
5	निर्धारित समयसीमा के पश्चात निवारित शिकायतें	22656	34604	4091	17468	47024	15010	127674	87757
6	निर्धारित समयसीमा के अंदर निवारित शिकायतें	679	3445	26	45	23	3892	17536	6513
7	कुल उपभोक्ता की तुलना में प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत	19.34	28.67	7.68	33.40	31.13	11.70	60.62	33.67
8	उपभोक्ता को भुगतित क्षतिपूर्ति यदि हो तो (₹ लाख में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत : वितरण फ्रेंचाइजी द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.ag.bih.nic.in